राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 02] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या : 15

बुधवार,

30 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार।

अनेक माननीय सदस्य: राम राम सा। राम राम सा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री बंशीधर।

सीकर जिले में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कार्यरत कार्मिकों का बकाया मानदेय

240. श्री बंशीधर (खण्डेला): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत जिला सीकर में सहकारिता विभाग (होलसेल उपभोक्ता भण्डार) के माध्यम से दवा वितरण केन्द्र शुरु किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब से एवं किन आदेशों के तहत? सूची एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों का कार्यकाल कब-कब, कितनी-कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कार्मिक कार्यरत हैं एवं उनको देय मानदेय कब से बकाया चल रहा है? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त केन्द्रों का मानदेय बढ़ाने एवं कार्मिकों का बकाया मानदेय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर)

(5) क्या सरकार मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दवा वितरण केन्द्रों को आबंटित किये जाने वाले बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत जिला सीकर में सहकारिता विभाग के माध्यम से कुल 20 दवा वितरण केन्द्र प्रारम्भ किये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त दवा वितरण केन्द्रों के नाम, प्रारम्भ करने की दिनांक सहित परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित दवा वितरण केन्द्रों का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया परन्तु केन्द्रवार समय न बढ़ाकर एक ही आदेश से सभी केन्द्रों का कार्यकाल बढ़ाया गया। कार्यकाल बढ़ाने से सम्बन्धित आदेशों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) उक्त केन्द्रों में कार्यरत कार्मिक एवं बकाया मानदेय के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित दवा वितरण केन्द्रों का माह मार्च, 2013 के पश्चात् कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।

सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित 13 दवा वितरण केन्द्रों के लिए रुपये 7.50 लाख का बजट आबंटन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर एवं 7 दवा वितरण केन्द्रों के लिए रुपये नौ लाख का बजट आबंटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर को कर दिया गया है। किये गये बजट आबंटन की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(5) योजना के प्रारम्भ में चिकित्सा संस्थाओं में दवा वितरण केन्द्र खोलने हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री बंशीधर)
मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने लास्ट में समय बढ़ाया 31.3.2013 तक। उन केन्द्रों पर समय बढ़ाने के बाद दुबारा आपने समय नहीं बढ़ाया तो अब क्या व्यवस्था है उन दवा केन्द्रों पर जहां उपभोक्ता भण्डार के सदस्य लगे हुए थे और यदि अभी भी वह दवा केन्द्र चालू हैं, तो किनसे काम करवाया जा रहा है, दवा वितरण पर कौन काम कर रहा है, उसकी सूची पेश करें।

दूसरा, आपने समय बढ़ाया है। इसमें परिशिष्ट-1 में आपने 31.3.2013 तक समय बढ़ाया है लेकिन जो भुगतान बकाया है वह खण्ड-3 के परिशिष्ट-ब पर लिखा है क्रमांक आठ और नौ का, वह अप्रैल, 2013 के बाद का भुगतान बकाया है। आपने समय नहीं बढ़ाया तो 31.3.2013 तक भुगतान कैसे है इन दो केन्द्रों का जबकि और केन्द्रों का 31.3.2013 के पहले का है। इन दो बातों के बारे में जवाब दीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि आपने दवा वितरण केन्द्र का समय एक निश्चित तारीख के बाद क्यों नहीं बढ़ाया? यह सारा प्रश्न सम्बन्धित है मुफ्त दवा योजना से। 2 अक्टूबर, 2011 को तत्कालीन सरकार ने मुफ्त दवा योजना प्रारम्भ की थी और उस योजना के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में 18,047 दवा वितरण केन्द्र खोले गये थे जिसके तहत सीकर जिले के अन्दर भी 838 दवा वितरण केन्द्र खोले गये थे। माननीय सदस्य, आप इनकी संख्या के बारे में पूछ रहे थे, सीकर जिले में कानफैड यानी उपभोक्ता भण्डार से 20 दवा केन्द्र खोले गये थे और क्रय-विक्रय सहकारी संस्था से 30 दवा केन्द्र खोले गये थे।

हां। यह सही है कि बकाया राशि 50,97,571 रुपये सीकर जिले की है और इनमें से अभी आपका सवाल लगने के बाद जब मैंने सारे पत्रादि देखे तो कुछ राशि इसी 25 तारीख को जारी हुई है 16.50 लाख रुपये और यह चूंकि उस समय जब मुफ्त दवा योजना प्रारम्भ की थी, उस समय जैसा मैंने पहले भी कहा, कई बार कुछ कार्यक्रमों को हम वाहवाही लेने के लिए अचानक शुरु कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक नियम बना हुआ है फार्मेसी एक्ट 1948 का, इसके तहत दवा वितरण केन्द्रों पर योग्यताधारी फार्मासिस्ट होता है, वही दवा का वितरण कर सकता है और जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी उस समय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पूरे राजस्थान में मात्र 20 फार्मासिस्ट काम कर रहे थे और नियमानुसार अगर सब-सेंटर्स पर, जो 14,407 सब सेंटर थे जिनको इन्होंने डीडीसी घोषित किया। इनको मैं यह मान लूं, ये उप केन्द्र गांवों में हैं, वहां नर्स और छोटे कर्मचारी दवा देने का काम करें तो बाकी अस्पतालों में भी 3,640 फार्मासिस्ट थे। अब इनमें बिना फार्मासिस्ट के जब यह घोषणा हो गई तो उसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया 14.8.2011 को।

माननीय सदस्य आप पूछ रहे थे कि क्यों इनको खोला गया 14.8.2011 को यह कहा गया कि जितने भी उपभोक्ता भण्डार हैं, उन सबको डीडीसी के अन्दर बदल दिया गया और उसके लिए हर भण्डार को, डीडीसी को सवा दो लाख रुपये साज-सज्जा के लिए दिये गये और 25,000 रुपये इनके संचालन के लिए दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, आप जो पूछ रहे हैं कि एक तारीख के बाद ये क्यों अभी भी काम कर रहे हैं। इस समय कुल मिलाकर पूरे राजस्थान के अन्दर छह दवा वितरण केन्द्र अभी काम कर रहे हैं, सीकर जिले में एक वितरण केन्द्र काम कर रहा है और एक आपकी खुद की कांस्टीट्यूएंसी में काम कर रहा है। एक निश्चित तारीख के बाद जिसका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूं, यह तय हुआ था कि जब फार्मासिस्ट भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी 21 जुलाई, 2012 को, उसके बाद इनको बन्द करने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के तहत कुछ सूचनाएं प्राप्त नहीं हुईं और यह चार हैं, इनको बन्द करने के आदेश के पश्चात, इनका चार्ज लेने के लिए जिन फार्मासिस्ट को जाना चाहिए था, फार्मासिस्ट की कमी होने के कारण वह चार्ज लेने जा नहीं सके, इस कारण से यह चार बकाया चल रहे हैं, बाकी सारे बन्द कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्री बंशीधर (खण्डेला): चार कौन-कौन से हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कहा, परिशिष्ट 'य' पर वह सारी सूची है। अगर मैं पढ़ना चालू करूंगा माननीय सदस्य, तो यह सूची लम्बी-चौड़ी है, इसमें समय लग जायेगा। यह 20 हैं, आप कहो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, वह पढ़ लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो अभी काम कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं, वह आपके सीएचसी खण्डेला में काम कर रहे हैं दो, और उनका भी बकाया भुगतान है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बकाया भुगतान जो पहले नहीं हो पाया, यह सवाल लगने के बाद यह सारी बातें हमारे सामने आई हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपका सवाल लगने के बाद यह सारी जानकारी प्राप्त करने पर निश्चित तौर पर आपके बकाया भुगतान को हम कर देंगे और इसमें कोई लेट नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहो तो मैं सारे बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह पढ़ लेंगे।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे प्रश्न में पूछा था, जिन कर्मचारियों को हटा दिया उन दवा वितरण केन्द्रों पर आज वितरण कौन कर रहे हैं वह तो मुझे आप बताइये। वह तो बताया ही नहीं आपने। जो पहले प्रश्न पूछा, वही दुबारा पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: हां, वह तो बता दीजिये। विराजिये। आप विराजिये बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन दवा केन्द्रों पर जो कानफैड के पास थे, उनमें भी उनको संचालन के लिए 25,000 रुपये मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कानफैड को देना तय किया था। उन्होंने संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट रखे, एक फार्मासिस्ट और दो हैल्पर, उनकी सहायता से यह चल रहे हैं और उन्हीं फार्मासिस्ट और हैल्परों का जो बकाया है, उसका भुगतान करने केलिए मैंने आपको आश्वस्त किया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। अब नहीं। नो, नो। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): एक मिनट सर, उसी के सम्बन्ध में है। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। श्रीमाधोपुर में कौन वितरण कर रहा है, आज तक फार्मासिस्ट वहीं काम कर रहा है श्रीमाधोपुर में और अभी तक उसको तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न हो गये। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): जो दवा वितरण केन्द्र था, श्रीमाधोपुर में कौन काम कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: आप मिल लो इनसे चैम्बर में। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री धर्मपाल चौधरी)

माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह मुफ्त दवा योजना कब लागू की? उस समय कितने फार्मासिस्ट कार्यरत थे और उनको क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए थीं? मुफ्त दवा योजना जल्दी में लागू करके, कि इस मुफ्त दवा को बांटने के लिए आम गरीब तक पहुंचे, इसमें और क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी, वह मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरु में ही बता दिया। एक एक्ट बना हुआ है फार्मेसी एक्ट 1948, इस एक्ट के नियम 42 में यह प्रावधान है कि जो भी मुफ्त दवा योजना खोली जायेगी या कोई भी योजना जो डिस्पेंसिंग के लिए, जो भी डीडीसी जिनको दवा वितरण केन्द्र कहते हैं, वह डीडीसी उसी प्रकार माना जायेगा जिस तरह फार्मेसी में कोई बैठता है तो उसकी दुकान पर फार्मासिस्ट होना, बी.फार्मा या डी.फार्मा का होना जरूरी है। इसके तहत मैं यह मानता हूं कि जिस वक्त खोले गये थे उस वक्त उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर बिलकुल नहीं देखा। एक भी फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहा था, राजस्थान में सिर्फ 20 कर रहे थे और इनको उस वक्त जरूरत थी 3,640 की और आज भी माननीय सदस्य, जो स्वीकृत पद हैं, इनके अन्दर कुछ पद रिक्त हैं। मैंने पहले भी कहा कि इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए, ये लगभग रिक्त पद हैं। कुल पद फार्मासिस्ट के हैं 4,073 और आज रिक्त हैं 2,595. मैंने मेरे विभाग की जिस समय मांग थी, उस समय भी मैंने कहा था कि इन 2,595 रिक्त पदों को हम चार महीने में भर देंगे और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुफ्त दवा योजना के अन्तर्गत जो भी दवा वितरण केन्द्र चल रहे हैं उनमें योग्यताधारी फार्मासिस्ट भी होंगे। उसमें सूचना सहायक भी होगा, उसमें हैल्पर भी होगा, तीनों चीजों की पिछली सरकार ने जब खोले तो इनको बहुत जल्दी लगी हुई थी, इन सब का प्रबंध नहीं किया। हम इसका प्रबंध भी करेंगे और मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जो योजना है जिस योजना के बारे में बार-बार कहा जाता है कि सरकार इसको बन्द कर रही है। सरकार इस योजना को बन्द नहीं कर रही है। इनकी कमियों, खामियों को देखकर इसको सुचारु रूप से किस तरह चला सकें उसका काम करेंगे। इसके लिए पहली बार एक हैल्थ इंश्योरेंस की बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। हैल्थ इंश्योरेंस देकर के 67 फीसदी आबादी को उसके नीचे लेकर आएंगे, 4 करोड़ के लगभग लोग लाभान्वित होंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकारी चिकित्सालयों के ऊपर जो लगातार मरीजों का भार बढ़ रहा है वह कम हो, इसके लिए इन-पैनल हम निजी चिकित्सालयों को ताकि हम राजस्थान के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। मैंने सुखराम जी विश्नोई का नाम पुकारा है। आप पूरक प्रश्न करना चाहेंगे क्या? विशेष तौर से आपको इजाजत देंगे, तीसरा वो हो गया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मुफ्त दवा योजना में जो कम्प्यूटर कर्मी रखे गए थे, उनको हटा दिया गया है। वो अभी पिछले दस दिनों से उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हैं और ज्यादा संख्या नहीं है, तीन हजार के आसपास है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आपको कम्प्यूटर कर्मी रखने तो पड़ेंगे ही, नहीं तो आपकी यह योजना चल नहीं पाएगी। क्यों नहीं जो कम्प्यूटर कर्मी उद्योग मैदान पर धरने पर बैठे हैं उन्हीं को वापिस स्थाई कर दिया जाए, उन्हीं को रखा जाए? इसका मैं जवाब चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह काम भी ये ही महानुभाव करके गए थे। इन्होंने संविदा के आधार पर इनको रखा और इन्होंने ही आईटी डिपार्टमेंट को कह दिया कि नई भर्ती करें। विज्ञापन भी यही जारी करके गए थे और जो विज्ञापन यह जारी करके गए थे उनके विरूद्ध में जब नई आ गई तो हमारे सामने संकट हो गया। जो पहले काम कर रहे थे उनको रखें या आपके हुक्म के अनुसार जो नई भर्ती हो गई उनको रखें। फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार कोई रास्ता ढूंढ रही है। हमारी पूर्ण सहानुभूति है संविदा के रूप में जो काम कर रहे थे अगर जहां कभी हमारे पास रिक्त होंगे, उनका समायोजन करने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां घोषणा की है कि मुफ्त दवा योजना को आप बन्द करने नहीं जा रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि ये जनता के बीच में जब से आपने इंश्योरेंस स्कीम की बात की है तब से यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भ्रम फैल रहा है कि सरकार धीरे-धीरे मुफ्त दवा योजना को बन्द करना चाह रही है। इंश्योरेंस स्कीम क्या है अगर इसके बारे में मंत्री महोदय, सदन को कुछ जानकारी दे सकें तो मैं मंत्री महोदय का बहुत आभारी रहूंगा, इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में जिससे यह भ्रम दूर हो जाए। इस इंश्योरेंस स्कीम की आड़ यह ये मुफ्त दवा योजना को बन्द करना चाहते हैं यह भ्रम फैला हुआ है। अगर थोड़ा सा प्रकाश इस पर डाल दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: वो जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि मुफ्त दवा योजना चालू होने के बाद सरकारी चिकित्सालयों में आउटडोर बढ़ा है। मैंने आंकड़ा भी पेश किया था शायद वह 4 करोड़ 11 लाख के लगभग था। अध्यक्ष महोदय, सरकारी चिकित्सालयों के संसाधन सीमित हैं और उन सीमित संसाधनों पर कई बार यह शिकायत आती है कि इसमें चिकित्सकों की कमी के कारण जिस प्रकार का इलाज मिलना चाहिए उसमें कमी रहती है इसलिए यह हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यह हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम अध्यक्ष महोदय कई स्टेट में चल रही है। हमने कर्नाटक के माडल को भी देखा है, उसको भी स्टैडी कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में चल रही है, उसको भी देख रहे हैं, वैस्ट बंगाल में भी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक अध्ययन दल बनाया है वह सारी चीजों का अध्ययन करके इस इंश्योरेंस स्कीम को किस प्रकार भामाशाह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत जो कार्ड बनाने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है, हम अध्यक्ष महोदय उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। इस योजना में सामान्यजन को 30 हजार रुपये तक का इंश्योरेंस देंगे और गम्भीर बीमारी होने पर 3 लाख रुपये तक का। इसीलिए अभी इस योजना का एक अध्ययन दल बनकर के अध्ययन कर रहा है। हम पूरे देश के अन्दर सर्वाधिक अच्छी योजना किस प्रकार आये उसके लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो भारत सरकार मुफ्त दवा योजना शुरू कर रही है। कल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य था जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजे हैं। पचास तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स, इम्पोर्टेंट दवायें वह मुफ्त दवा योजना के तहत शुरू कर रहे हैं। कल ही मैंने डा. हर्षवर्धन का अख़बार में स्टेटमेंट पढ़ा था। एक तरफ तो वह दवा योजना केन्द्र सरकार मुफ्त में शुरू करने जा रही है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
और यहां बिना बात जबरदस्ती पैरा मेडिकल स्टाफ रखना चाहे रख सकते हैं। बहुत से सीएचसी सेंटरों पर अस्पतालों में आपका पैरा मेडिकल स्टाफ दवा बांट रहा है। फार्मासिस्ट की आड़ के अन्दर आप इसको बन्द करने की मत सोचिए, इस इंश्योरेंस स्कीम को मत लाइए। पूर्व में भी कई योजनाओं के तहत कंट्रीब्यूशन के आधार पर इंश्योरेंस स्कीम लागू की थी, चाहे खेतिहर मजदूर के लिए की थी, फैक्ट्री मजदूरों के लिए की थी, वो बिलकुल सफल नहीं हो पाई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आप जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि मुफ्त दवा योजना के अन्तर्गत 2014-15 के अन्दर 382 करोड़ 96 लाख का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है और 2013-14 के अन्दर यह था 342 लाख 12 हजार, मतलब यह बजटीय प्रावधान सरकार की मंशा को साफ करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है नम्बर एक बात। नम्बर दो, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो हमारी हैल्थ इंश्योरेंस पोलिसी जब आएगी। हम आपसे भी बात करेंगे और ये जो आप बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सही है। दिल्ली के अन्दर जब नरेन्द्र मोदी विराजे हैं उनकी निगाह, चूंकि वो खुद भी गरीब तबके से आते हैं। गरीब व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, यह उनका पहला है और इसीलिए हमारे माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहल करके पहली बार यह कहा है कि असेंशियल ड्रग की लिस्ट में पचास ड्रग्स ऐसी हैं जिनको पूरे देश के अन्दर मुफ्त देने की योजना है उनका स्वागत करना चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू करने की योजना

241. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की कितनी लाइसैंस शुदा दुकानें कहां-कहां व कब से संचालित हैं? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपभोक्ताओं की सुविधार्थ उक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व उसके प्रभावी संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पैटर्न को अपनाने के लिए प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के विजय नगर कस्बे में कुछ समय पूर्व सार्वजनिक वितरण के तहत काम में लाये जाने वाले गेहूं को एफ.सी.आई. के गोदाम से सीधे ही एक निजी आटा चक्की फैक्ट्री तक एक सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा पहुंचाये जाने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्तमान में 148 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। दुकानों की सूची मय स्थान एवं कब से संचालित है, परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में मापदण्ड के अनुसार परीक्षण किया जाकर नवीन दुकानों को प्रस्तावित किया जाएगा।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं संचालन हेतु पी.डी.एस. के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की अध्ययन टीम का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में दौरा किया जाना विचाराधीन है। इन राज्यों में संचालित पी.डी.एस. प्रणाली का अध्ययन कर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

(4) जी हां। यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति विजय नगर जिला अजमेर का एक ट्रक गेहूं एफ.सी.आई. से सीधे आटा फैक्ट्री लक्ष्मी फ्लोर मिल, केसरपुरा पर कालाबाजारी होते हुए मौके पर पकड़ा गया एवं सीज किया गया, जिसके लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति, विजय नगर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया एवं कालाबाजारी में लिप्त सहकारी संस्था के कर्मचारी, अधिकारी एवं आटा फैक्ट्री के मालिक एवं कार्मिक के विरुद्ध पुलिस थाना मांगलियावास में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा एफआईआर संख्या 124 दिनांक 21.6.2014 दर्ज कराया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि आपने जो परिशिष्ट-क पर मुझे जो सूची उपलब्ध कराई है। उस सूची के तहत दुकान संख्या-76, 90, 129, 203, 70, 186, 224, 247, 5/सी, 171, 12/ए, 163 और 112 लगभग पन्द्रह दुकानें जो हैं वह एक दूसरे से अटैच हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि एक तो इन दुकानों को विभाग कब तक नियमानुसार कार्यवाही करके और नए व्यक्ति को आबंटित करने की कार्यवाही करेगा।

दूसरा, मैं पूछना चाहूंगी जो आपने मुझे जवाब दिया है विजय नगर वाला जो मामला है। उसके संदर्भ में पूछना चाहूंगी कि एफआईआर तो आपने दर्ज कर ली। क्योंकि लक्ष्मी फ्लोर मिल पर पहले भी राशन का गेहूं है वह पिसने के लिए जाता रहा है और पर्टिकूलर यह फ्लोर मिल काफी बदनाम है इस प्रकार के गेहूं के लिए। तो क्या आप इस पर सख्त कार्यवाही करके इस फ्लोर मिल पर कितना गेहूं आता है, कहां से आता है यदि इसको चैक कराएंगे तो और भी घोटाले इसमें मिलने की सम्भावना है।

तीसरी, बात मैं यह आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा के तहत राजस्थान भर में जितने लोगों को आपने इस सूची में लिया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का कितना प्रतिशत है, शहरी क्षेत्र के नागरिकों का कितना प्रतिशत है? मापदण्ड के अनुसार हमने कितना चयन किया और जो कानून है उसके अन्तर्गत कितना प्रतिशत चयन होना चाहिए था। यह प्रतिशत जिला स्तर पर होना चाहिए था या प्रदेश स्तर पर होना चाहिए था। यह आप मेरे सवालों का एक बार जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: चार सवाल हो गए आपके। बैठिये, चार सवाल हो गए हैं एक पूरक प्रश्न में।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में कुल स्वीकृत दुकानें 1145 हैं, जिनमें से 105 रिक्त दुकानें हैं, 44 नवसृजित दुकानें हैं और निलम्बित 14 दुकानें हैं। इन सब दुकानों का समयबद्ध रह करके जैसे ही आबंटन सलाहकार समिति का गठन कर लिया जाएगा, गठन के पश्चात् इनकी विज्ञप्ति निकाल करके इन पदों को भरा जाएगा। दूसरा आपने फरमाया कि विजयनगर में केवीजीएसएस से जो ट्रक जा रहा था उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तो मैंने आपको निवेदन कर दी बाकी उस जीएसएस के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

मांगलियावास थाने में और उनको नोटिस दे दिया गया है और समिति का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है और कार्यवाही चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकता है करेगा, उतना उसको दण्डित करेगा।

श्री अध्यक्ष: और पूछेंगी क्या? एक और पूछ लीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था वो आपने कहा कि आबंटन की कार्यवाही हमारी समिति बन जाएगी उसके बाद करेंगे तो कोई समय सीमा आप बता पाएंगे क्या पहला तो? दूसरा मैंने जो प्रश्न किया था वह यह किया था कि सहकारी समिति ने सीधा एफसीआई के गोदाम से अनाज उठाया और लक्ष्मी फ्लोर मिल पर लेकर गये। मैंने लक्ष्मी फ्लोर मिल की बात की है आपने समिति के ऊपर जो कार्यवाही की है मैं उससे संतुष्ट हूं पर लक्ष्मी फ्लोर मिल पर यह पहली घटना नहीं है लगातार पिछले सालों में नौ-दस घटनाएं इस लक्ष्मी फ्लोर मिल पर ऐसी हुई हैं, इस पीडीएस सिस्टम का जो गेहूं है वो इस फ्लोर मिल पर सीधे जाता है। तो, मेरा प्रश्न यह है चूंकि खाद्य मंत्री आप ही हैं इसलिए इस मिल पर जो गेहूं जाता है क्या हम उसका पिछले सालों का रिकार्ड चैक करा सकेंगे कि उसने कहां से खरीदा, कहां बेचा? क्योंकि जितना उसने बेचा है वो खरीदा कहीं से नहीं होगा वो पीडीएस सिस्टम का ही गेहूं होता है। मेरा प्रश्न यह था।

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गया मंत्रीजी के। मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज हो चुकी है मांगलियावास थाने में। उसमें अगर लक्ष्मी फ्लोर मिल भी कहीं इन्वाल्व मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने जो प्रतिशत पूछा था, राज्य स्तर पर प्रतिशत तय हुआ है या जिला स्तर पर तय होना था क्योंकि कानून के तहत जिला स्तर पर प्रतिशत तय होना था और पिछली सरकार ने आनन-फानन में करने के चक्कर में पूरे प्रदेश स्तर पर प्रतिशत तय कर दिया उससे मेरा अजमेर जिला बहुत पिछड़ गया इसलिए मैंने प्रश्न किया है कि क्या आप इसको जब नयी सूचियां बना रहे हो, सारा काम नये सिरे से कर रहे

(श्रीमती अनिता भदेल)

हो तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा इतना ही निवेदन है कि जिला स्तर पर इसको करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्न आ गया आपका।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 53 प्रतिशत आबादी शहरी आबादी को किया गया था। इनके विरुद्ध 87 प्रतिशत पूरे राजस्थान में चयन हुआ है। जिला स्तर पर ही नहीं ग्राम स्तर पर भी वो व्यक्ति और वार्ड में नगरपालिका में भी वो व्यक्ति अगर चयन में पात्र है तो उसके लिए मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टास्क फोर्स कमेटी गठित कर दी गयी है और जल्दी से जल्दी इसके पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। पूरक प्रश्न।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू करने की बजाय राजस्थान प्रदेश में जो पैटर्न चल रहा है उसके तहत हर माह में हर वितरण की दुकान पर तेल और राशन भिजवाने की व्यवस्था है लेकिन विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में इस जुलाई माह में...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हां वही है। जुलाई माह पूरा होने वाला है लेकिन कैरोसीन तेल की सप्लाई नहीं हो पाई है क्या मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था करवा पाएंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अवगत कराया है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में कैरोसीन नहीं पहुंच पा रहा है इसकी मैं जांच करा लूंगा और जल्दी ही इसके वितरण की व्यवस्था करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरि सिंह। पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे राशन डीलर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं एवं उनके सम्पर्क इतने गहरे हैं कि अगर उनकी कभी कोई शिकायत होती है तो उनको तत्काल इन्फोर्मेशन दे दी जाती है और

(श्री हरिसिंह रावत)

उस शिकायतकर्ता को इमीडिएट वह ट्रेप कर लेता है और ट्रेप करके उसको दे-लेकर उससे साठ-गांठ कर उस शिकायत को समाप्त कर देता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे भ्रष्ट राशन डीलर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनको चेंज करके उनकी जगह नयी विज्ञप्ति निकालकर नये राशन डीलरों को बनाने की सरकार मंशा रखती है या नहीं? हां या ना में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल राशन डीलर के खिलाफ अनियमितता पाये जाने पर और कोई कालाबाजारी पाये जाने पर उसको सस्पैंड भी किया जाता है और आवश्यकता होती है तो उसको टर्मिनेट भी किया जाता है और जितने भी राजस्थान प्रदेश में आंकड़े मेरे पास है नहीं, जितने भी राजस्थान प्रदेश में जो भी अब तक टर्मिनेट हुए हैं उनको दुबारा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा उनकी जगह नयी विज्ञप्तियां निकालकर नयी भर्तियां की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अजमेर में जो राशन की दुकानें हैं, विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में उनमें गेहूं के लिए राशनकार्ड ले जाते हैं उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। कइयों को टाला जाता है कि अगले महीने, आधों को एक महीने देते हैं आधों को दूसरे महीने फिर टालते रहते हैं, उनको प्रतिमाह लेने का अधिकार है। क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको नियमित रूप से राशन की दुकान पर जो सामग्री दी जानी चाहिए वह उनको नियमित प्रतिमाह मिले। साथ ही जो चयन समिति का जो टास्क फोर्स गठित किया है टास्क फोर्स कब तक अपना काम पूरा कर लेगा। चूंकि मेरे क्षेत्र के कई लोग उस चयन सूची में अभी नहीं आ पाये हैं रोज कच्ची बस्ती के और सब लोग आकर के शिकायतें करते हैं उनकी व्यवस्था कब तक आप कर लेंगे, कोई निश्चित तिथि बतायेंगे? क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी देंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिलकुल बतायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में 1 लाख 23 हजार 83 परिवार हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख 57 हजार 905 परिवार हैं। जनसंख्या का पचास प्रतिशत शहरी क्षेत्र में

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

और ग्रामीण क्षेत्र में 86 प्रतिशत चयन होगा मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया है कि इनका अभी तो आनुपातिक रूप से वितरण किया जा रहा है और जो टास्क फोर्स कमेटी हमने गठित की है वह टास्क फोर्स कमेटी 6 महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं सदन को कि पूरे राजस्थान में पात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया जाएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): गेहूं मिल ही नहीं रहा है। आधे से ज्यादा को तो गेहूं मिल ही नहीं रहा है उसकी व्यवस्था तो करो। वो कहते हैं कि सामान ही नहीं आया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अगर इस तरह की कहीं जानकारी है तो आप मेरे से मिलिये, मैं जांच करा लूंगा और नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। श्री रामचन्द्र।

डग के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

242. श्री रामचन्द्र (डग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डग के किस-किस उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में मुख्य विषयों के प्राध्यापक/अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय प्राध्यापकों/अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं, की सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

प्राध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

अध्यापक तृतीय श्रेणी के रिक्त पद पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा की जा रही भर्ती से चयनित आशार्थियों से भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा भेजी गई सूची के

(श्री रामचन्द्र)

पृष्ठ संख्या-10 पर जो आपने सूचनाएं दी हैं वो सूचनाएं गलत हैं। दूसरा यह है कि डग पंचायत समिति में कई समय से बीईओ नहीं है और ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर एक टीचर है और नौ स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर ही नहीं हैं तो मेरा यह मानना है कि 13-13 साल से पद रिक्त हैं और विषय विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं तो शिक्षा का वहां ढांचा पूरा बिगड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में स्थिति यह होगी कि बच्चे स्कूलों पर ताला लगा देंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप यह आश्वासन दें कि पद भरेंगे, तृतीय श्रेणी की नियुक्तियां आएंगी और व्याख्याता इधर-उधर से आएंगे तब तक इन विद्यालयों में तीन-साढ़े तीन सौ लड़कें हैं लेकिन एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। ये सूचनाएं भी गलत हैं ये बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दूसरा सवाल आपको करने का अधिकार है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जवाब दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश में...(व्यवधान)... सुनिये...(व्यवधान) विराजो...(व्यवधान) करंट क्यों आता है? (व्यवधान) इनकी गलत नीतियों के कारण आनन-फानन में ...(व्यवधान) सुनिये।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आनन-फानन में कहीं स्कूल खोल दिये वहां पर शिक्षक नहीं हैं, कहीं पर स्कूल नहीं है वहां शिक्षक ज्यादा हैं। मेरा कहना यह है ...।

श्री अध्यक्ष: आप केवल डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में जवाब दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मेरा कहना यह है कि अब हमने यह तय किया है कि 31 अगस्त, 2014 तक जितने भी विद्यालय हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध करा दिये जाएंगे। अब आप यह पूछेंगे कि ये आप कैसे करवा देंगे तो हमने दो-तीन निर्णय लिये हैं। एक तो जो एसएलपी विदड्रा करने का निर्णय किया है इसका निर्णय होने के बाद बीस हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षक हमें उपलब्ध हो जाएंगे।

दूसरा, सैकण्ड ग्रेड टीचर का रिजल्ट है, मैंने अभी आरपीएससी के सैक्रेटरी से बात की है, उन्होंने कहा कि 15-20 दिन में यह रिजल्ट आ जाएगा, तो साढ़े नौ हजार पद हम इससे भर लेंगे।

तीसरा, एकीकरण और समानीकरण से कई अध्यापकों के पद सरप्लस

(श्री कालीचरण सराफ)

होंगे। इस प्रकार हम 31 अगस्त तक, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हो। मैं यह तो नहीं कहता कि हम सारे पद भर देंगे। पर पर्याप्त संख्या में हम शिक्षकों की भर्ती उपलब्ध...

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): करा देंगे और कोई भी स्कूल की स्थिति तालाबंदी जैसी नहीं रहेगी।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष जी..

श्री अध्यक्ष: आपके हो गए ना दो पूरक प्रश्न, बाकी रह गया ?

श्री रामचन्द्र (डग): एक पूछ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दूसरा और पूछ लीजिए।

श्री रामचन्द्र (डग): मैंने इनको कहा है कि आपने जो सूचनाएं दीं वह गलत हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि व्याख्याताओं के 110 पद खाली हैं और वरिष्ठ अध्यापक के 181 पद खाली हैं। आपने मुझे लिखा है कि 76 पद खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, हो गया। स्पष्टीकरण दे दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई गई है उसके आधार पर मैंने जवाब दिया है। यदि यह सूचनाएं, यह जवाब गलत है तो आप मुझे सही स्थिति बता दीजिए। सम्बन्धित अधिकारी जिसने भी यह गलत सूचना दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और आपकी बात को दुरस्त करूंगा।

श्री रामचन्द्र (डग): और जिन विद्यालयों में...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बस हो गया।

श्री रामचन्द्र (डग): एक और...

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया। नहीं, जवाब आ गया, बैठिये।

श्री रामचन्द्र (डग): विद्यालयों में आज टीचर ही नहीं है, उन विद्यालयों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। आप सही स्थिति बता दीजिए, कार्यवाही की जाएगी। यह डग विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिए जितने हाथ उठ रहे हैं, डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में किसी को पूरक प्रश्न करना हो

(श्री अध्यक्ष)

तो मैं अलाउ करूंगा बाकी नहीं करूंगा। डग विधान सभा क्षेत्र, केवल डग विधान सभा क्षेत्र । प्रश्न देख लीजिए, पूरक प्रश्न उसी हिसाब से होगा।

श्री हीरालाल। नैक्स्ट, हीरालाल।

प्रदेश में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

243. श्री हीरालाल (निवाई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया तथा कहां-कहां नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2014-15 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने व नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) 01 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2014 तक नये खोले गए एवं क्रमोन्नत किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) संसाधन उपलब्ध होने पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने व नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव होगा।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाय पंचायत समिति निवाई के अन्तर्गत आती है। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति निवाई में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/आवश्यकता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति निवाई के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का प्रयास किया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झिलाय का जो पीएचएसी है वह 35 साल से अभी तक भी पीएचसी ही बना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसको सीएचसी में इसी बजट में क्रमोन्नत किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, झिलाय निवाई पंचायत समिति में है। निवाई पंचायत समिति में चूंकि भारत सरकार ने मापदण्ड बना रखे हैं, मापदण्ड के अनुसार पांच हजार की जनसंख्या पर सामान्य और तीन हजार की जनसंख्या जनजाति क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में हो तो एक उपकेन्द्र खोलते हैं। तीस हजार की जनसंख्या सामान्य और बीस हजार की जनसंख्या जनजाति क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में हो तो एक पीएचसी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक लाख की जनसंख्या है। निवाई पंचायत समिति है इसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या है 01 लाख 92 हजार, इसके अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय आवश्यकता है दो सीएचसी, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र की और खुला हुआ है एक। जैसा मैंने मेरे उत्तर में कहा कि निश्चित तौर पर एक की कमी है। अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार नहीं खोलना चाहते जिस प्रकार पिछली सरकार खोल गई। हमने स्वीकार किया है कि राजस्थान के अन्दर इस समय हमारे 3132 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। हमने यह भी स्वीकार किया है कि इस समय राजस्थान में लगभग साठ हजार पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं। एक पूरा रोड मैप बनाया है कि इन रिक्त पदों को हम कैसे भरेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी मांग बड़ी उचित है । मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने सारे मापदण्डों की जांच पड़ताल करने के बाद यह सवाल लगाया, इसीलिए मुझे उत्तर देना पडा कि हां कमी है। एक रैफरल चिकित्सालय वहां खुल सकता है, इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर, आपकी मांग को देखते हुए पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि वह एक रैफरल चिकित्सालय आपके यहां खोलें।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में जितने भी

(श्री घनश्याम)

हास्पिटल हैं, जितने भी सीएचसी, पीएचसी, सबमें दो-दो, तीन-तीन रिक्त पद हैं। पिछली बार भी मंत्री महोदय से निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष: उनका सवाल था, सारा नहीं था, टोडाभीम के बारे में नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आज परिस्थिति यह हो गई है डाक्टर्स के पद रिक्त होने की वजह से सबको जयपुर आना पड़ता है या कहीं और भरतपुर जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो करौली जिले से आते हैं, आपने टोडाभीम में रिक्त पदों की बात कही। अध्यक्ष महोदय, जो 10 जिले हैं, जिनमें आईएमआर, एमएमआर ज्यादा है, हमने तय किया है कि उन जिलों में जो चिकित्सक हैं उनको हम 25 हजार से लेकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन देंगे, उसमें करौली जिला भी है। हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने स्वीकार किया है कि पद खाली है इसलिए इन दस जिलों के अन्दर हम अतिरिक्त पैसा देंगे, आज की तारीख में एक चिकित्सक को 35 हजार रुपये अतिरिक्त हर महीने का मिल जाना बहुत बड़ी राशि है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आपके पदों को हम भरें।

श्री अध्यक्ष: नरेन्द्र नागर, पूरक प्रश्न।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय जी, डग की चिकित्सा पर बोलना चाह रहा था, आपने अनुमति नहीं दी मेरे को।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड, इस पर बोलना चाह रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2013 में मनिहारी और खोड़, यह भी सीएचसी स्वीकृत हुए थे। वहां पर आज तक डाक्टर, कम्पाउंडर, चपरासी, नर्स, कोई भी लगाया है क्या ? यदि नहीं लगाया है तो कब तक लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया इस राजस्थान में पहली बार हुआ है जहां उपकेन्द्र भी नहीं था वहां सीधे रैफरल हास्पिटल खोल दिया। एक सिस्टम बना हुआ है, भारत सरकार ने मानदण्ड बनाए थे एक उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से, इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको अपने को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आनन-फानन में यह खोले और आज हमारे लिए मुसीबत है। 209 रैफरल चिकित्सालय राजस्थान के अन्दर एक साथ पिछली सरकार दौड़ती-दौड़ती, अध्यक्ष महोदय, ठहरकर खोलती तो मुझे एतराज नहीं था, जब भाग रही थी, भागते-भागते, 209 खोल गई। अब इनमें कहां से चिकित्सक लाए, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। पर फिर भी चूंकि हमें विरासत में मिली, हम चिकित्सक भी लगाने की कोशिश करेंगे। आपने जो दोनों चिकित्सालय के बारे में, मैं स्वीकार करता हूं कि उसमें अभी तक सिवाय पैरा मेडिकल स्टाफ के कोई नहीं है, हम उनको भरेंगे, कोशिश करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं हो गया ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना सा जानना चाहता हूं कि जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 20 हजार की पापुलेशन पर हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक लाख की पापुलेशन पर खोलने का मानदण्ड है।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लीजिए ना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): जहां पर सब सैन्टर भी नहीं है वहां खोल दिए हैं, तो

श्री अध्यक्ष: यह बता दीजिए इनको।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): तो इनका सबका वापिस समानीकरण करेंगे।

प्रश्न संख्या-244

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 244 मैंने स्थगित किया है, विभाग की रिक्वेस्ट पर।

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 245, श्री संजीव कुमार।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री संजीव कुमार (भादरा): प्रश्न संख्या 245.

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगित किया है, आप चैम्बर में, इसमें जितना समय और धन लगने वाला है वह विभाग ने मेरे से प्रोटेस्ट किया और मैंने इसको स्थगित किया है, बाकी आप मेरे से चैम्बर में आकर मिल लीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि मैंने जो विवरण पूछा है वह मात्र एक महीने का पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग-अलग नियमों में अलग-अलग...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): छोटा क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ लीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आप पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें दस करोड़ का घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। प्रतिपक्ष के नेता, आप पढ़ लें इसको और अगर आप मेरा स्थगित करने का औचित्य समझते हैं तो बता दें। जिस तरह की सूचना मांगी है। (व्यवधान) नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों का स्थायीकरण

245. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अध्यापकों की कमी को देखते हुए विद्यार्थी मित्रों को अध्यापन कार्य में लगाया गया है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिक्षकों की कमी के स्थायी समाधान के लिए उक्त विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। इनका अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप आइये, चैम्बर में मिल लीजिए। (व्यवधान) यह तो आप जानिये, बैठिये।

(माननीय सदस्य श्री रमेश द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका यह रहा प्रश्न। पूरे जिले में पंजीकृत डीलर हैं। अगर आप, एक-एक वार्ड के अन्दर, अध्यक्ष महोदय और इनकी संख्या, कब-कब, कितना-कितना अनाज वितरण किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगित किया। मैंने कहा, मेरे से चैम्बर में आकर मिल लीजिये। आप पढ़ लीजिए, अगर आप उचित मानते हैं तो मैं फिर दे दूंगा। (व्यवधान) क्या यह समझ रखा है। यह देख लीजिये। आ गया जवाब।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): (1) जी नहीं। वर्तमान में किसी भी जिले में विद्यार्थी मित्र कार्यरत नहीं हैं।

(2) प्रश्नोत्तर भाग संख्या एक के अनुसार।

(माननीय सदस्य श्री रमेश द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारा मामला आपके ध्यान में है और पूरे सदन की यह भावना है कि विद्यार्थी मित्रों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। करीब 24 हजार बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी मित्रों ने करीब 8-9 साल तक अध्यापन का सफलतापूर्वक कार्य किया है। कई दिनों से विद्यार्थी मित्र आन्दोलनरत भी हैं। इनमें अधिकतर लोगों के ओवर-एज होने का भी खतरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इन्हीं के आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इस विषय पर शिक्षा के ऊपर जब मांगों पर चर्चा हुई थी तो मंत्रीजी पूरी तरह सरकार का मंतव्य प्रकट कर चुके हैं। यह आ चुका है। बस आप कर लीजिए। इसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करुंगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय मंत्री महोदय, आप बड़े दयालु और कृपालु हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या विद्यार्थी मित्रों की मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें पुन: अध्यापन कार्य में

(श्री संजीव कुमार)

लगाने का कोई विचार रखती है। यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। हो चुकी है चर्चा। इस पर आश्वासन आ चुका है। (व्यवधान) बस यही है सवाल। आप एक बार और जवाब दे दीजिए, जो विधान सभा में दिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा विभाग की जब डिमाण्ड थी उस समय भी स्पष्ट किया था कि सरकार बिलकुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों के प्रति, मुख्य मंत्रीजी, पूरी सरकार और पूरा सदन बहुत ही संवेदनशील है और इस पर कार्यवाही प्रक्रिया में है। जैसे ही इसका निर्णय होगा, हम बता देंगे। पर अभी सरकार बिलकुल सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, श्री गोरधन।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। मैं अलाउ नहीं करूंगा। किसी को अलाउ नहीं करूंगा। स्पष्ट आ गया। जवाब स्पष्ट आ गया है। (व्यवधान) जवाब स्पष्ट आ गया है। किसी को अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) किसी का अंकित मत कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री संजीव कुमार (भादरा): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित मत कीजिये। किसी का अंकित मत कीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

लोसल (सीकर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

246. श्री गोरधन (धोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं?

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने-कितने पद चिकित्सक/ कम्पाउंडर, नर्स व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लोसल (सीकर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप 246 का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 87 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड ब्वाय, तथा सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से अथवा नई भर्ती से भरने का प्रयास करेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं। इन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वार्ड ब्वाय एवं सफाई कर्मचारी की भर्ती, सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) कस्बा लोसल में वर्तमान में 30 शय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2013 में 11.65 प्रतिशत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की उपयोगिता रही है। इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल की शय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। माननीय मंत्रीजी, यह धोद के बारे में है।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में जो रिक्त पद हैं, उनमें मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं, कम से कम हर सी.एच.सी. और पी.एच.सी. में एक-एक डाक्टर होगा तो मैं सोचता हूं कि उसका संचालन सही रूप से होगा। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि लोसल में 30 शय्याओं का जो पी.एच.सी., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसमें 30 शैय्या तो स्वीकृत हैं लेकिन उसमें मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उसका निरीक्षण किया तो वहां पर 7 या 8 शय्याएं मेरे को मिलीं। उसमें जो वहां की एम्बुलैंस थी, वह खराब थी। वहां पर यह कह सकते हैं कि स्टाफ की काफी कमी है। इस कमी के कारण ही मरीज वहां नहीं आते हैं और वहां पर एडमिट भी नहीं होते हैं और जो भी आते हैं तो वहां पर फर्स्ट-एड के बाद में वे सीकर रैफर हो जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से विशेषकर निवेदन रहेगा कि लोसल के इस, क्योंकि कस्बा बड़ा है और आसपास की संख्या भी ज्यादा है...।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये, आप सवाल कीजिये।

श्री गोरधन (धोद): इसलिये उसमें डाक्टर्स की और स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र में कुल 38 पद स्वीकृत हैं, चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों के, जिसमें आठ रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी धोद विधान सभा क्षेत्र में नर्स, ग्रेड-प्रथम से लेकर सफाई कर्मचारी तक 295 पद स्वीकृत हैं, 221 पद भरे हुए हैं और 74 पद खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा, चिकित्सकों की कमी है। पूरे राज्य के अन्दर जूनियर स्पेशलिस्ट 3011 पद हैं, 2208 भरे हुए हैं, 803 खाली हैं। इन सारी श्रेणियों को अगर मिला लूं तो पूरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में डाइरेक्टर से लेकर एम.ओ. तक 10999 पद हैं, 7798 कार्यरत हैं और 3201 रिक्त हैं। अब इन रिक्त पदों को भरने के लिये हमने कहीं इंसेंटिव की बात भी कही है। हमने लैटरल एण्ट्री की बात भी की है, हमें वाक-इन-इंटरव्यू के लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अधिकृत किया है। हम कोशिश करेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि ज्योंहि योग्यताधारी चिकित्सक हमें मिलेंगे तब उनको हम भर्ती करेंगे। माननीय सदस्य आपने जो शय्याओं की कमी की बात कही, 30 शय्याएं स्वीकृत हैं। मैंने मेरे उत्तर के खण्ड-चार में ही कहा कि 30 शय्याओं में, जिनका उपयोग सिर्फ पिछले साल 11.6 फीसदी रहा।

30 शय्या वास्तव में नहीं लगी हुई हो तो मैं वहां पर ज्वाइंट डाइरेक्टर स्तर के अधिकारी को इसी सप्ताह भिजवाऊंगा। आपके साथ जाकर आपके चिकित्सा संस्थाओं का इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें जो कमी खामी होगी, निश्चित तौर पर उसको दूर करेंगे और शय्याएं पूरी लगें इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि यह विधान सभा क्षेत्र धोद का है, बड़ा क्षेत्र है इसलिए इसको क्रमोन्नत करने की कृपा करें तो इससे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट- श्रीमती अलका सिंह।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली सामग्री की कालाबाजारी पर रोक

247. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना संचालित है? यदि हां, तो इसके तहत किन-किन को क्या-क्या सामगी कितनी-कितनी मात्रा में प्रदान की जाती है तथा इसका क्या माध्यम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री लाभार्थी तक न पहुंचकर बीच में ब्लैक में बेच दी जाती है? यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन-कार्ड के आधार पर प्रति-माह उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामग्री	**पात्रता**	**मात्रा**	**दर (रुपये)**
गेहूं	खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी	5 किलोग्राम प्रति यूनिट	2.00 प्रति किलोग्राम
	अन्त्योदय परिवार	35 किलोग्राम प्रति परिवार	
चीनी	बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवार	500 ग्राम प्रति यूनिट	10.00 प्रति किलोग्राम
कैरोसीन	बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ता	03 लीटर प्रति राशन-कार्ड	17.25 प्रति लीटर

(2) जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) एवं समस्त जिला रसद अधिकारियों से जांच कराई जाकर अनियमितता पाये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार पत्र निरस्त/निलम्बन/प्रथम सूचना दर्ज करने सम्बन्धी विधिक कार्यवाही सम्पादित की जाती है। इसके अलावा विशेष सतर्कता दल गठित कर जांच भी करवाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह। अच्छा, पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न। आपका पूरक प्रश्न मांगा है आपने। पहले वह हो जाए फिर आपको अवसर दूंगा। (व्यवधान) आप विराजिए, बाधा मत डालिए। कृपया विराजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अगला सवाल है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए। बाधा मत डालिए। कृपया विराजिए। अलका सिंहजी, पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो यह पूछ रहा हूं आपसे कि बटन अभी दबाया और अगले सवाल में आप पूरक प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब क्या करें, नोट कर लेता हूं, आप बटन वापस करते नहीं तो मैं नोट कर लेता हूं। हां, अलका सिंहजी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना बहुत अच्छी है और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी यह संकल्प लेकर आई हैं कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर पहुंचे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि जनरली होता यह है कि इन डीलर्स की शिकायत हो जाती है और जैसा कि इनका विभाग है, ऊपर से नीचे तक सेवा हो जाती है, रि-इंस्टेट हो जाते हैं। रि-इंस्टेट होने के बाद अगर नहीं हो पाते हैं, सस्पैंड हो जाते हैं तो उनके किसी रिश्तेदार को यह डीलर-शिप आबंटित हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ऐसा कोई विचार रखती है कि जी.एस.एस. के माध्यम से इस तरह का वितरण हो जाए और अगर सरकार का ऐसा कोई विचार है तो यह कब तक हो जाएगा और नहीं है तो क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह तो पुराना वाला करता आया है न इसीलिए तो रमेशजी कह रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उचित मूल्यों की दुकानों के आबंटन के बारे में बांदीकुई से आने वाली माननीया सदस्या ने बताया कि निश्चित रूप से विभाग की और सरकार की भी पहली प्राथमिकता ग्राम सेवा सहकारी समिति है और दूसरी प्राथमिकता है महिला स्वयं सहायता समूह। इनके उपरांत अगर यह नहीं मिलते हैं तो वरीयता में चयन के लिए आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शेष प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित आवेदकों को निम्नानुसार चयन किया जाता है- शिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जनजाति, महिला विधवा, परित्यक्त महिलाओं को, भूतपूर्व सैनिकों आदि-आदि को। पहली प्राथमिकता जी.एस.एस. को देनी थी लेकिन जो जी.एस.एस. की आबंटित दुकानें चल रही हैं और जहां पर जी.एस.एस. एन.ओ.सी. दे देता है वहां पर रिक्त होने के बाद प्राइवेट व्यक्ति को दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): खण्ड-ख का जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह प्रोसीजर बताया है। प्रोसीजर बहुत अच्छा है लेकिन इसको फुल-प्रूफ करने के लिए क्या कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है क्योंकि यह किताबों में या आपकी फाइल्स में है बट, इस तरह से जो जांच है वह जनरली नहीं होती है तो इसको फुल-प्रूफ करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिलकुल, प्राथमिक लेवल पर पी.डी.एस. स्तर पर ही हमने सतर्कता कमेटियों का गठन किया हुआ है और जिला स्तर तक समितियों का गठन है। पी.डी.एस. स्तर पर, जब माल वहां पर पहुंचता है तो ग्राम पंचायत के सरपंच, वहां के दो प्रतिनिधि, बी.एल.ओ. हो चाहे, जिला स्तर पर वहां पर अलग कमेटी बैठी हुई है और जिला स्तर पर अलग-अलग है और ब्लाक स्तर पर अलग है। अलग-अलग सतर्कता कमेटियां हैं और हमारी व्यवस्था रहेगी कि इस विभाग को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए अधिक सतर्कता दलों का गठन किया जाएगा और उनको लक्ष्य दिया जाएगा। जैसे डी.एस.ओज. को हमने लक्ष्य दे रखे हैं कि एक महीने में दस दिन क्षेत्रों में जाएगा और उनकी 15 जांच करेगा और सात दिन नाइट स्टे का प्रोग्राम है तो इसकी कम्प्लीट फालोइंग हो रही है या नहीं इसकी मानीटरिंग करने के लिए विभाग तुरन्त रूप से जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह बात पूछना चाहता हूं कि आपके जमा-खोरी और कालाबाजारी एक-दूसरे के पूरक है। जब तक जमा-खोरी नहीं होगी तब तक कालाबाजारी नहीं होती इस बात से तो आप सहमत हैं? एक आपके उच्च-स्तरीय कमेटी की आपने यह मीटिंग की और 8.7.2014 को मीटिंग हुई, उसमें सात दिवस में जमा-खोरी को रोकने के निर्देश जारी करने के लिए निर्णय लिया गया। एक तो सात दिवस के बाद में आप लोगों का क्या निर्णय हुआ, यह बता दें।

एक, गवर्नमैंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ कंजूमर अफेयर्स ने आपको पल्सेज, एडिबल आयल्स और आयल्स और एडिबल ऑयल सीड्स के ऊपर जो भी इनकी लाइसेंसिंग प्रणाली थी, जो स्टॉक की रेस्ट्रिक्शंस थीं वह खतम कर दी। यह एक दूसरे से विरोधाभास नहीं है क्या? कंट्राडिक्शन नहीं है क्या? और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अगर यह कंट्राडिक्शन है और आप यह बात मानते हैं तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार के पास में आगामी समय के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं और किस प्रकार से आप यह व्यवस्था देंगे, जिससे कालाबाजारी या जमा-खोरी नहीं हो और आम जन को सुविधापूर्वक सुनिश्चित एक मात्रा में सुनिश्चित वस्तु की उपलब्धि हो सके।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमा-खोरी और कालाबाजारी पर अभी जो 7 तारीख की मीटिंग का शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं। केन्द्र के फूड आपूर्ति मंत्री ने इस विभाग के हिन्दुस्तान के सभी मंत्रियों की बैठक चार तारीख को बुलाई और तीन तारीख को एक सर्कुलर/आदेश जारी किया कि जो एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट के तहत जो दो वस्तुएं हैं- प्याज और आलू, उन पर स्टाक सीमा तय की जाए ताकि जो आगे सम्भावनाएं हैं महंगाई बढ़ने की, उसी क्रम में पहले 2002 से असेंशियल कोमोडिटी एक्ट के अन्दर चना, नहीं सारी, दाल, तिलहन और खाद्य तेल पर जो पाबंदी थी उस पर भी 2003 में रोक हटायी गई जो कि हमारे राज्य में सितम्बर, 2013 तक प्रभावी थी। अभी हमने 7 तारीख को कमेटी गठित की है। वह कमेटी चयन कर रही है। अगर इस तरह का अप्रत्याशित कोई भाव बढ़ने की होगी तो निश्चित रूप से उस पर स्टाक सीमा निर्धारित की जाएगी। अभी स्टाक सीमा हम यहां पर निर्धारित करते हैं तो स्टाक सीमा माननीय अध्यक्ष महोदय, तब ही प्रभावित होगी जब हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी यह कानून लागू हो। अभी हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश ने या किसी भी राज्य ने इसका फालो-अप नहीं किया है। तब तक जैसे यू.पी. से हमारे यहां पर आलू आता है, पंजाब से आलू आता है, प्याज नासिक से आती है तो जब यह सीमावर्ती इलाके हैं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): टमाटर भी है?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नहीं, टमाटर इसमें नहीं है, साहब, बीच में नहीं।

सीमावर्ती इलाके हैं। जब तक वहां पर इसमें स्टाक सीमा तय नहीं होगी तो हमारे राज्य में भी स्टाक सीमा प्रभावी नहीं होगी। इसलिए हम इस पर मनन कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से स्टाक सीमा तय की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत, पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): राव साहब का सही जवाब नहीं आया। मंत्रीजी, फेल। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि जो रेवेन्यू विलेजेज हैं और चार-पांच किलोमीटर की दूरी तक राशन डीलर की दुकान नहीं है तो क्या वहां पर आप नई दुकान खोलने का विचार रखते हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं पूर्व में बता चुका हूं कि यह तो सतत प्रक्रिया है कि मापदंड है राशन-कार्ड, दुकान खोलने के। पांच सौ राशन-कार्ड या दो हजार यूनिट जो भी पहले फुल-फिल हो जाएगा उसकी संख्या के आधार, राशनकार्ड या तो 500 हो या दो हजार यूनिट हो, उसके होने के बावजूद और हमने एक नई अभी, यह मनन कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं कि जो डेजर्ट एरिया और आदिवासी एरिया है, जहां पर दूर-दराज में गांव हैं उनमें हो सकता है कि आगामी समय में हम दूरी का मापदंड भी रखकर दुकानें खोलने का विचार करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, सारे ही मापदंड पूरे करते हैं मंत्री महोदय, पांच सौ राशन-कार्ड भी हैं तो आप खोलेंगे वहां पर?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिलकुल खोलेंगे। यह तो मैं कह ही रहा हूं कि पांच सौ राशन-कार्ड होंगे तो।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी, पूरक प्रश्न तीसरा, जल्दी कीजिए, समय कम है।

श्री ओटाराम (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही क्षेत्र में पहले से ही आपकी जिस तरह से खाद्य सुरक्षा के अन्दर दुकानें खुली हुई हैं उसको देखकर पहले जिनको ब्लैक-लिस्ट किया गया, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): दुबारा बोलो।

श्री ओटाराम (सिरोही): ब्लैक-लिस्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से जितनी भी दुकानें खुलीं, कितनी ब्लैक-लिस्ट हुईं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। आप उनको लिखित में जवाब भेज देना।

(श्री अध्यक्ष)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से उप-निरीक्षक पुलिस परीक्षा, 2010 की लिखित परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस एक्ट, 1989 का कथित दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी इसी विषयक आपके स्थगन प्रस्ताव को दिनांक 23 जुलाई, 2014 को सदन के बाहर अग्राह्य कर चुका हूं।

(2) महाराज रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के किसानों की अफीम की फसल ओलावृष्टि के कारण बर्बाद होने तथा खराबे पर अभी तक राज्य सरकार और नारकोटिक्स विभाग द्वारा राहत प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी महाराज रणधीर सिंह भीण्डर को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. मंजू बाघमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में खोले गये राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन कर भवन का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद में पथ परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सोप स्टोन के अवैध खनन पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के 15-20 बीघा में ऐसे छोटे किसान, जो सैटलमेंट से पूर्व नहरी थे, सैटलमेंट की भूल के कारण चाही दर्ज हुए, उन्हें कैम्प लगा पुन: नहरी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित आपातकालीन एम्बुलैंस सेवा 108 में सरकार व संस्था के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार उपकरण व दवाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के निवासियों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(7) श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से जिला अलवर की तहसील रैणी के ग्राम पोस्ट भेजड़ा में बिहारी जी महाराज के मंदिर में प्राचीन पद चिन्हों को असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट करने का प्रयास करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कनवास तहसील की दांता, आंवा, लाडपुरा एवं किशोरपुरा एनीकटों को लघु सिंचाई परियोजनाओं में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री बाबूसिंह, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, बालेसर का नवीन पद सृजित करने के साथ सहायक अभियन्ता, चामू व सेतरावा एवं कतिपय कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई में उपखण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(12) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय फलौदी स्थित जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची :

(1) श्री सुखराम विश्नोई, राज्य में अल्पसंख्यकों के लिये खोले गये आवासीय स्कूलों व आई.टी.आई. केन्द्रों को सामान्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रेमचन्द बैरवा, बूंदी जिले में ईंट-भट्ठा उद्योग में कार्यरत उद्यमियों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, अधिकतम भूमि जोत अधिनियम, 1965 एवं अधिकतम भूमि जोत अधिनियम, 1971 पर चर्चा के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम, बाड़मेर दुग्ध उत्पादन सरस डेयरी की बालोतरा ब्रांच की डेयरी क्षमता बढ़ाने हेतु खरीदे गये उपकरणों के लगाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री महाराज रणधीर सिंहजी भीण्डर।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): मेरे चार दिन हो गये, चार दिन में एक भी प्रश्न नहीं आया। मैंने 295 भी लगाया था।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं आया, अगली बार ले लेंगे। आप विराजिये। आप मुझे कह देना चैम्बर में, विशेष रियायत देकर ले लेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

वल्लभनगर में अफीम की फसल ओलावृष्टि के कारण बरबाद होने तथा खराबे पर राज्य सरकार और नारकोटिक्स विभाग द्वारा राहत प्रदान नहीं करना

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान देश है और राजस्थान के किसानों ने अब की बार 163 सदस्य भारतीय जनता पार्टी को दिये, जो कि तीन-चौथाई होता है विधान सभा का, और अगर किसी को एतराज नहीं हो तो चार और सदस्य हम निर्दलीय हैं, अगर उनको गिना जाए तो 6 में से 5 हिस्सों में पांच हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाकर इस सरकार की ओर देख रहा है कि यह सरकार हमारे लिये क्या करती है? इतने बहुमत के बाद क्या क्रांतिकारी बदलाव हमारे लिये लाती है। वह गरीब किसान किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिये यह सरकार क्या करती है? हमारी सरकार किसानों की

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

इन समस्याओं की ओर ध्यान देगी, मुझे विश्वास है। सैंसेक्स ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, उससे किसानों को कुछ लेना-देना नहीं है। बजट घाटे में जाता है या प्रोफिट में जाता है, इससे भी किसानों को कुछ लेना-देना नहीं है। किसानों को तो यह है कि हमने जिनको जिताकर भेजा है, वह हमारे लिये क्या करते हैं, उस बात पर उनका ध्यान जाता है।

मैं मेरे विधान सभा की कुछ समस्याएं रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती होती है और करीब 100 हैक्टेयर में अफीम की फसल हमारे पिछली बार खड़ी हुई थी। फरवरी में 26 तारीख को ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ। कलक्टर ने पटवारियों से रिपोर्ट मंगवाई, 70 प्रतिशत खराबा उसमें आया। सरकार का कानून है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हो तो उसमें मुआवजा दिया जाता है। कलक्टर से अफीम अधिकारी चित्तड़गढ़ को भी लिखा, राज्य सरकार के सहायता विभाग को भी लिखा, लेकिन अभी तक न तो नारकोटिक्स विभाग की ओर से और न सरकार की ओर से इस खराबे के लिये कुछ मुआवजे की घोषणा हुई है। साथ ही उनके पट्टे भी निरस्त होने की तैयारी में है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुछ रोज पहले हमने सोयाबीन के बीज, जो अंकुरित नहीं हुए, उसके बारे में भी बात उठाई थी। मेरे क्षेत्र में भी दो हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के बीज की बुवाई हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अपने-अपने स्थान पर बैठिये कृपया। हां, माननीय विधायक बोलिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): 300-400 हैक्टेयर में जो बीज बोये गये, उनका अंकुरण नहीं हुआ। कोटा और नीमच की फर्मों के ये बीज थे, उन फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने के लिये सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई। न उन किसानों को मुआवजा देने के लिये कुछ कहा गया। जबकि यह एक्ट है Farmer may claim compensation from the producer, distributor or vendor under the Consumer Protection Act 1986. तो उन फर्मों से वसूली की जाए और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमारे उधर जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 25 हजार रुपये बीघा कर रखी है। किसान अब की बार दो-दो बार बुवाई कर रहा है। इस लिमिट को अगर बढ़ा दिया जाए तो किसानों से ही

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

वसूली होगी। वह कोई घर लेकर नहीं जाएगा। इस 25 हजार रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर इसको ज्यादा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने एक दिन जवाब दिया था कि सोलर पम्प लगाये। अब की बार बहुत प्रचलित हो गये हैं। लेकिन अब की बार के बजट में सोलर पम्प पर सब्सिडी कम कर दी गयी है। सोलर पम्प और आधा बीघा ड्रिप में जो 75 हजार में पड़ता था किसान को, अब वह 2 लाख 10 हजार में पड़ रहा है, जो आम किसान के लिये लेना बहुत मुश्किल है। मुझे आशा है कि सरकार इस सब्सिडी को वापस बढ़ाएगी।

इसी तरह से किसानों को पहले हस्तचालित एवं बैलचालित कृषि यंत्र जब खरीदते थे, तो उसमें से जो हिस्सा राशि थी, वही देनी पड़ती थी। बाकी का जो पैसा है, जो दुकानदार या वेंडर होता था, वह देता था और बाद में सरकार से वह अनुदान ले लेता था। लेकिन अभी किसान को पूरा पैसा देना पड़ता है एक बार। उसके बाद उसके खाते में वह पैसा आता है, तो किसानों के लिये पूरा पैसा देकर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि 2011-12 में 94.5 लाख, जो सैंक्शन हुआ था इसमें खर्च के लिये, उसमें से 81.5 लाख खर्च हुए हैं। 2012-13 में 21 लाख में से 18 लाख खर्च हुए, लेकिन 2013-14 में जब डायरेक्ट किसान को यह सब्सिडी दी जाने लगी तो 15.5 लाख में से केवल 2 लाख ही उपयोग में आ सके। इसलिए यह नीति भी बदली जानी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इन अफीम काश्तकारों को मुआवजा देगी। सोयाबीन के बीज वाली कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। के.सी.सी. को 25 हजार से बढ़ायेगी। सोलर पर सब्सिडी बढ़ायेगी और अनुदान यंत्रों पर निर्माताओं को देना फिर से शुरू करेगी। मुझे पूरी आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295 जो लिखित में दिया है ...

आप रेस्पोण्ड कर रहे हैं क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल एक ही विषय पर जो मेरे विभाग से सम्बन्धित है, आपदा प्रबन्धन से। आपदा प्रबन्धन 50 प्रतिशत से अधिक खराबा जब रिकार्ड पर आता है तभी किसान को सहयोग करता है और उदयपुर के अफीम की खेती बोने वाले किसानों का जो खराबा हमारे यहां आया वो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): साहब, मेरे पास रिपोर्ट है 70 प्रतिशत की, यह रही।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप मुझे दे दें, कलक्टर ने हमको जो सूचना दी है वो खराबा 50 प्रतिशत से कम बताया है इस कारण से हम आपदा प्रबन्ध से उनको सहायता नहीं दे पाये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): यह कलक्टर की ही रिपोर्ट है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन उनके खराबे के बारे में जो रिपोर्ट हमारे पास आयी वह हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जरूर भेजी है इस कारण से जो कुछ भी नारकोटिक्स विभाग से उनके बारे में सोचा जा सकता है वो रिपोर्ट जिला कलक्टर ने जो बनाकर भेजी वो हमने जरूर विभाग को भेजी है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): यह 70 प्रतिशत के खराबे की रिपोर्ट ही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर आपके पास वो फिगर्स हों तो आप हमें दे दें, हम दोबारा दिखवा देंगे। पर हमारे पास नहीं है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मेरे पास है, मैं दे देता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: आप यह रिपोर्ट माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत कर दीजिए।

डा. मंजू बाघमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जायल राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन कर भवन निर्माण व शिक्षक लगाना

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत जायल विधान सभा क्षेत्र में खोले गये राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन कर भवन निर्माण कार्य व शिक्षक लगाने के क्रम में निवेदन करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में विगत कांग्रेस शासन काल में आनन-फानन में जायल (नागौर) मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके फलस्वरूप महाविद्यालय पिछले वर्ष

(डा. मंजू बाघमार)

2013 से किराये के दो कमरों में चल रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय में कला संकाय में लगभग 300 छात्र अध्ययनरत हैं जिसमें कला संकाय में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य है।

स्वीकृत विषयों में से अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान के ही शिक्षक वहां कार्यरत हैं। संस्कृत, भूगोल, हिन्दी व अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक एवं प्राचार्य का पद भी रिक्त है जिसके कारण महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है।

जायल मुख्यालय से डीडवाना व नागौर राजकीय महाविद्यालय की दूरी 50 किलोमीटर से अधिक की है जिसके कारण क्षेत्र के बच्चों को विद्या अर्जन के लिए आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटित कर भवन निर्माण कार्य व शिक्षकों की नियुक्ति इसी बजट सत्र में करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन प्रधान। ठीक है। ठीक बोला हूं?

धोद में राजस्थान परिवहन निगम की बसों का संचालन

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र धोद में आजादी से लेकर आज तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं की जा सकी हैं। पहले कांग्रेस का शासन फिर सी.पी.एम. का शासन होने की वजह से एक भी बस इन मार्गों पर नहीं चल पायी है।

1. सीकर से डीडवाना वाया धोद, दीपपुरा चारण बल्लुपुरा, सरवड़ी, भैंरुपुरा, पूर्णपुरा, सिंगरावट तथा डीडवाना।

2. सीकर से नागौर वाया धोद अनोखु, जस्सुपुरा, गनाठु, सुजानपुरा, माण्डोली, शाहपुरा तथा डीडवाना नागौर।

3. सीकर से दांतारामगढ़ वाया हर्ष, मसण्डावरा, खोरी, चोखा का बास, बिडोली, माण्डेता, बानूड़ा, गोठड़ा, तेगलान वाया दांतारामगढ़ तक।

इन मार्गों पर कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी बसें संचालित नहीं की जा रही हैं जबकि इन गांवों की संख्या एक हजार से लेकर आठ-नौ हजार तक की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बसें चला कर जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय वल्लभनगर के विधायक ने ...

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, यह नई बात है, बोलो।

सूचना

सतत् शिक्षा में प्रेरकों की समयावधि कम करना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से बीस हजार लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

19 जुलाई, 2014 को निदेशालय, साक्षरता ने सतत शिक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा प्रेरकों के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रेरकों द्वारा पूर्णकालिक से निर्धारित समयावधि तक निर्धारित कम कर दिया गया जबकि निदेशालय द्वारा जब 2011 में इच्छित अभ्यार्थियों को अनुबंध के आधार पर पूर्णकालिक प्रेरक के रूप में आवेदन इनसे लिया था, जब इनकी नियुक्ति की थी तब इनसे यह आवेदन लिया था। इसका यह प्रारूप भी है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अनुबंध के आधार पर इनको पूर्णकालिक के रूप में काम करने के लिए दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: इन्फोर्मेशन दे दी आपने।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड से कुछ नहीं होता।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या राज्य सरकार इनके काम का समय कम करके इनकी उपयोगिता समाप्त करने जा रही है? इस पर मंत्रीजी थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि सहानुभूतिपूर्वक सुनकर विचार करें चूंकि प्रेरक संघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो पूरी कार्यकारिणी कल मुझसे आकर के मिली थी, उन्होंने कहा कि जो पेमेंट हमें मिल रहा है, उस पर उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने लिखकर दिया है कि अगर हम पूर्णकालिक, हम अगर पूरे समय काम करें तो हम यही पेमेंट में पूरे समय काम करने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): ऐसा मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक इनकी सुनें। बीस हजार लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इन्फोर्मेशन हो गयी, स्थान ग्रहण कीजिए।

आप रेस्पोण्ड कर रहे हैं क्या?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत, कोटा जिले को छोड़ कर, दो प्रेरकों को अनुबंध पर दो हजार रुपये मासिक मानदेय के आधार पर रखे जाने का प्रावधान है।

पूर्व में लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का समय प्रात: 9 बजे से 6 बजे तक निर्धारित था जिसमें प्रेरक स्थानीय आवश्यकतानुसार केन्द्रों का संचालन करते थे। प्रेरकों की शिकायत थी कि मात्र दो हजार रुपये में 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक कार्य कराया जाता है।

इसी बात को ध्यान में रख कर और प्रेरकों की मांग के आधार पर हमने यह निर्णय किया है कि महिला प्रेरक तो केवल प्रात: 11 बजे से एक बजे तक और पुरुष प्रेरक साढ़े तीन बजे से 6 बजे काम करेंगे, उनकी मांग थी।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस योजना में कार्यरत किसी भी प्रेरक को हटाया नहीं जायेगा। जिन लोक शिक्षा केन्द्रों में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन किया जा रहा है उन प्रेरकों को 500 रुपये मासिक अतिरिक्त मानदेय राज्य मद से दिया जा रहा है।

आप यह बिलकुल भ्रमित न हों, किसी को भी नहीं हटाया जा रहा।

श्री अध्यक्ष: आपका मन्तव्य हल हो गया है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि वल्लभनगर से आने वाले माननीय विधायक ने यहां अपना वक्तव्य देते हुए जिस रिपोर्ट का संदर्भ दिया है, वह इसको सदन की मेज पर रख रहे हैं, मैं इसको ग्रहण करता हूं, अग्रिम कार्यवाही तदनुसार होगी।

श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में

(श्री घनश्याम)

संचालित सोप स्टोन की खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से संचालित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: जो लिख कर दिया है वो पढ़िये आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हैं, सर।

श्री अध्यक्ष: जो आपने लिख कर दिया है वो पढ़िये, भाषण नहीं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

टोडाभीम में सोप स्टोन का अवैध खनन

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित सोप स्टोन की खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रुप से संचालित की जा रही हैं। जिससे सरकार को करोड़ों रुपये वार्षिक राजस्व का घाटा हो रहा है। खनन माफियाओं द्वारा आये दिन अपनी मनमर्जी के अधिकारियों को विभाग में लगवाकर अवैध खनन करवाया जा रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर क्षेत्र में चल रही अवैध खानों पर पाबंदी लगवाएं ताकि सरकार की करोडों रुपये की राजस्व हानि को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295 में इतना ही होगा। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

आहौर के किसानों की जमीनों को सैटलमेंट रिकार्ड में चाही से नहरी दर्ज कराना

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर, जिला जालौर के 22 गांव जो जवाई नहर से सिंचित होते हैं, पूरे कमांड क्षेत्र में हैं। इसमें सैटलमेंट के समय मजबूत एवं बड़े जागीरदारों द्वारा छोटे एवं गरीब काश्तकारों की जमीन को नहरी से चाही कर दिया। अब मौके पर वस्तु स्थिति यह है कि उनके खेतों में से नहर जा रही है लेकिन अधिकारियों और बड़े लोगों की मिलीभगत से पूर्व में उनको

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

चाही कर दिये जाने से पानी नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2007 में माननीय वसुंधराजी की सरकार में उनको सैटलमेंट की भूल सुधार करके पुन: नहरी के आदेश 136 में एसडीएम को पावर दिये गये। लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 2008 में हमारी सरकार चली गई इसलिए आदेश को पूर्व विधायक ने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए रूकवा दिया।

अत: मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि 15-20 बीघा में ऐसे छोटे किसान जो लगभग 500 के करीब हैं, उनके परिवार के भविष्य को देखते हुए जो सैटलमेंट से पूर्व नहरी थे तथा सैटलमेंट की भूल के कारण चाही हो गये, उन्हें कैम्प लगाकर पुन: नहरी दर्ज कराकर उन 500 परिवारों पर कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

एम्बुलेंस सेवा 108 में अनुबंध के अनुसार उपकरण व दवाएं उपलब्ध नहीं होना

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में संचालित आपातकालीन सेवा 108 को वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था। इस सेवा का संचालन सड़क आदि दुर्घटनाओं के समय त्वरित सहायता देकर जीवन बचाने के उद्देश्य से किया गया था। एक एम्बुलेंस की गाड़ी को बेस लोकेशन से दुर्घटना स्थल तक शहरी क्षेत्र में 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में पहुंच कर जीवन रक्षक उपकरणों सहित आवश्यक जीवन रक्षा हेतु 35 प्रकार की दवाइयां, 15 आइटम पट्टी आदि, सर्जिकल के 52 आइटम और नान मैडिकल जैसे मच्छरों से रक्षा के उपकरण, मैट, हाथ साफ करने का तरल, तौलिया आदि, 7 आइटम बैड शीट, रेन कोट, मग आदि, 44 आइटम स्टेशनरी, 31 मेडिकल इक्विपमेंट व 43 प्रकार के टूल्स उपलब्ध करवाकर इस सेवा को आम जन तक पहुंचा कर किसी भी आपातकाल जैसे दुर्घटना, आग व पुलिस की मदद के लिए शुरू किया था।

प्रारम्भ में 108 सेवा का संचालन दो वर्षों तक अच्छा रहा मगर इसके बाद 108 सेवा प्रदाता संस्था ने इस व्यवस्था को मात्र रोगी ढोने का साधन (ट्रांसपोर्ट) बनाकर रख दिया वह भी 150 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से।

(श्री शुभकरण चौधरी)

अब हालत यह है कि दुर्घटना स्थल तक एम्बुलेंस को पहुंचने में ही आधा घंटे से अधिक का समय लग रहा है और एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद रोगी को जो उपचार दिया जाना चाहिए वह गाड़ी में उपलब्ध ही नहीं है। अब 108 घायल व्यक्ति को केवल दुर्घटना स्थल से नजदीकी अस्पताल तक ही पहुंचाने का काम कर रही है।

दुर्घटना स्थल से बेस लोकेशन के बीच एम्बुलेंस ने कितना सफर तय किया तथा रोगी को क्या उपचार दिया गया? वाहन में सरकार द्वारा निर्धारित सामान, दवाएं आदि की व्यवस्था कैसी थी? इन चीजों को सरकारी स्तर पर कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इस कारण 108 सेवा प्रदाता कम्पनी सरकार को जो बिल प्रस्तुत करती है उसका भुगतान हो जाता है। एक गाड़ी पर सरकार का हर महीने 1 लाख 12 हजार 500 रुपया खर्च हो रहा है तथा प्रदेश में इस वक्त लगभग 649 गाड़ियां चल रही हैं, अर्थात सरकार का हर माह इस सेवा के संचालन पर 7 करोड़ 30 लाख 12 हजार 500 रुपया खर्च हो रहा है।

इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता संस्था के साथ सरकार ने अनुबंध में प्रत्येक गाड़ी को टार्गेट दे रखा है और संस्था ने प्रति गाड़ी 2 केस लाने का टार्गेट दे रखा है। यदि किसी दिन दो दुर्घटना केस नहीं मिलते तो एम्बुलेंस स्टाफ की तनख्वाह व नौकरी जाने का खतरा रहता है। ऐसी हालत में कई बार अपना टार्गेट पूरा करने के चक्कर में स्टाफ 108 पर फर्जी काल कर फर्जी केस बनाते हैं। फर्जी काल के आधार पर गाड़ी को इधर-उधर लगाकर व्यस्त कर दिया जाता है। यदि इस दौरान कोई वास्तविक दुर्घटना घटित हो जाए तो रोगी को समय पर उपचार नहीं मिलता।

सरकार की इस जन उपयोगी सेवा के बेहतर संचालन के लिए सरकार व सेवा प्रदाता संस्था के बीच किये गये अनुबंध में संशोधन किया जाना चाहिए। किलोमीटर व टार्गेट में सुधार कर किलोमीटर की दरें कम व टार्गेट को खतम करना चाहिए। बेस लोकेशन पर सीएमएचओ स्तर के अधिकारी को मानीटरिंग के लिए लगाया जाना चाहिए तथा प्रति ट्रिप व्हीकल लाग बुक व पेशेंट केयर रजिस्टर, जीवन रक्षक उपकरण एवं दवाइयों का स्टॉक व वैधता को सत्यापित किया जाना चाहिए। वाहनों व कर्मचारियों का बीमा सुनिश्चित कर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि एम्बुलेंस सेवा में लगी हर गाड़ी हर हाल में कार्य योग्य है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

जब सरकार हर माह करोड़ों रुपया इस सेवा पर खर्च कर रही है तो इन एम्बुलेंस गाड़ियों में सरकार व संस्था के बीच हुए अनुबंध के अनुसार उपकरण व दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं? इस लापरवाही के लिए अनुबंध अनुसार सेवा प्रदाता संस्था पर पैनल्टी क्यों नहीं की गयी? जब यह संस्था तय मापदंडों पर खरी नहीं उतर रही तो 150 रुपयों की दर से भुगतान क्यों? सड़क दुर्घटनाएं कोई व्यवसाय नहीं फिर प्रतिदिन टार्गेट क्यों दिया जाता है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र सिंहजी कृपया दो मिनट बाद। यह जवाब आ जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 108 सेवाओं के बारे में सदन में 295 के माध्यम से ध्यानआकर्षित किया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करुंगा कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इस प्रकार का इवेंट हो, शिकायत हो तो मुझे जरूर लिखकर दें। आपने जो पूरी बात कही है मैं इसकी समीक्षा करूंगा, चूंकि आउट सोर्स है, हमने निविदाएं आमंत्रित करके इनकी सेवाएं ली हैं इसलिए यह सेवाएं सुचारु रूप से चलनी चाहिंए। आपने जो आब्जर्वेशन दिया उनके बारे में कोई स्पेसिफिक कहां-कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे जरूर बतायें।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव। बस, बस बिराजें।

जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर में निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से व्याप्त आक्रोश

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के बाशिंदे पिछले 15-20 सालों से निरन्तर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग करते आ रहे हैं। परन्तु वास्तविक रुप में आज भी उस क्षेत्र की लगभग डेढ़ से दो लाख जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यहां तक बदतर है कि एक तरफ

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

राज्य सरकार उस क्षेत्र में बन चुके मकानों का नियमन करने की तो तैयारी कर रही है परन्तु दूसरी तरफ आज भी बिजली एवं पानी के कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा रखी है। यह उस क्षेत्र की आम अवाम के साथ नाइंसाफी है। क्या पृथ्वीराज नगर के रहवासी भारत के नागरिक नहीं हैं एवं क्या उनको संविधान में उल्लेखित मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार यह मानती है कि भारत का संविधान पूरे देश में लागू होता है तो फिर जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर एरिया में रहने वाली आम जनता के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि पृथ्वीराज नगरवासियों को उनके वाजिब हक से आज ही नवाजा जाये। बिजली एवं पानी के कनेक्शनों पर लगी रोक आज से हटाई जाए तथा उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ही उस क्षेत्र में बने मकानों आदि का नियमन जितनी कम से कम दर पर हो सकता है उस दर के हिसाब से किया जाये क्योंकि इस पूरे पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में अधिकांशत: निम्न एवं मध्यम तबके के नागरिक ही निवास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे इस इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुन: पुरजोर शब्दों में मांग कर रहा हूं कि जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की जनता के भले के लिए पानी एवं बिजली के कनेक्शन पर लगी रोक आज ही हटाई जाये। सड़कों का डामरीकरण करवाया जाये। पार्कों का विकास किया जाये। नालियां एवं पानी की टंकी बनाई जाये। घावास अंडरपास को पूरी तरह तैयार कर शीघ्र चालू करवाया जाये। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करवाया जाये ताकि वहां के नागरिक प्रदूषण की मार से भी बच सकें। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से आज ही जवाब के साथ-साथ कार्यवाही की भी अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल (अनुपस्थित)।

श्री हीरालाल नागर।

सांगोद की कनवास तहसील के दांता, आंवा, लाडपुरा एवं किशोरपुरा एनिकटों का लघु सिंचाई परियोजनाओं में परिवर्तन

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री हीरालाल नागर)

विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दांता, आंवा, लाडपुरा एवं किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजनाओं की राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 411-414 दिनांक 19.11.2001 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। जिसमें दांता लघु सिंचाई परियोजना में 98.88 लाख, आंवा सिंचाई परियोजना में 110.05 लाख, लाडपुरा सिंचाई परियोजना में 100.48 लाख एवं किशोरपुरा सिंचाई परियोजना में 111.10 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। जिसमें दांता में 93.83 हैक्टेयर भूमि, आंवा में 20.72 हैक्टेयर भूमि, लाडपुरा में 11.38 हैक्टेयर भूमि व किशोरपुरा में 13.26 हैक्टेयर वन भूमि डूब क्षेत्र में आनी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने उक्त परियोजनाओं को लाभ लागत की दृष्टि से अनुपयोगी मानते हुए आंवा, किशोरपुरा, लाडपुरा और दांता की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2011 में निरस्त कर दी एवं सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं को एनिकटों में तब्दील कर दिया। वन विभाग द्वारा आंवा (सारणेश्वर महादेव के पास) एनिकट के लिए 485.85 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं जिसमें जल संसाधन विभाग को कार्यकारी संस्था बनाया गया। इसी तरह किशोरपुरा एनिकट के लिए 302.93 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। आंवा एनिकट पर 254.53 लाख रुपये एवं किशोरपुरा एनिकट पर 231.96 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन इन एनिकटों से क्षेत्र के किसानों एवं जनता को सिंचाई एवं पेयजल का कोई लाभ नहीं मिल पाया है, वर्षा ऋतु के बाद सभी एनिकट सूखे रहते हैं। अगर इन चारों एनिकटों को लघु सिंचाई परियोजना में परिवर्तित किया जाये तो दांता लघु सिंचाई परियोजना में 52 मिलियन घन फीट, आंवा में 26 मिलियन घन फीट, लाडपुरा में 26 मिलियन घन फीट, किशोरपुरा में 23.65 मिलियन घन फीट जल उपलब्ध रहेगा जिससे दांता लघु सिंचाई परियोजना में 267.19 हैक्टेयर, आंवा में 187 हैक्टेयर, लाडपुरा में 191 हैक्टेयर और किशोरपुरा में 178 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी व किसानों एवं पशुओं को पेयजल हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त चारों सिंचाई परियोजनाओं का सम्पूर्ण एरिया पठारी होने के कारण बारिश के समय सम्पूर्ण पानी आसपास के गांवों की ओर बढ़ जाता है जिससे किसानों के खेत जलमग्न हो जाते हैं और भराव क्षेत्र होने के कारण किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। इन

(श्री हीरालाल नागर)

परियोजनाओं के बनने से किसानों को दोहरा लाभ होगा। किसानों की फसल भी बचेगी एवं भू जल स्तर भी बढ़ेगा।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि सरकार आंवा, लाडपुरा, दांता और किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि प्रत्यावरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कर समस्त स्वीकृतियां प्राप्त करते हुए अति शीघ्र उक्त सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह।

शेरगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नवीन पद सृजन

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के अधीन उप खण्ड शेरगढ़ व बालेसर, जिला जोधपुर में वर्तमान में सहायक अभियंता, शेरगढ़ व सहायक अभियंता बालेसर कार्यालय एवं इनके अधीन दो-दो कनिष्ठ अभियंता कार्यालय क्रमश: शेरगढ़, सेतरावा, बालेसर व आगोलाइ संचालित है।

इन दोनों उप खण्डों की करीबन 5 लाख की आबादी है तथा उक्त आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण वृहद पेयजल योजना (1) वृहत् जलप्रदाय योजना आर डी 134 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा व (2) वृहत् जलप्रदाय योजना आर डी 159.5 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-बालेसर-सिंहादा का कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय पेयजल योजना 54 मील-चाबा एवं क्षेत्रीय पेयजल योजना कलाऊ-सोमेसर-पाबूसर भी संचालित है। उक्त दोनों उप खण्डों में करीब 300 सरकारी नलकूप, 500 नलकूप जेजेवाई के तहत संचालित हैं तथा लगभग 5500 हैण्ड पम्प, जीएलआर लगभग 1000, ओपन वैल लगभग 30 हैं तथा 50 हजार किमी से अधिक की पेयजल पाइप लाइन बिछी हुई है।

उक्त वर्णित विभाग के अधीन वृहद पेयजल योजनाएं उप खण्ड शेरगढ़ व बालेसर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का पेयजल आपूर्ति करने को मद्देनजर रखते हुए अधिशासी अभियंता, बालेसर का नवीन पद सृजित करने के साथ सहायक अभियंता, चामूं व सहायक अभियंता,

(श्री बाबू सिंह)

सेतरावा एवं कनिष्ठ अभियंता तेना, खिरजा खास, देचू, चाबा, बोपालसर, नाथडाऊ, सेखाला में नवीन पद सृजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य प्रथम है लेकिन शिक्षा की दृष्टि से लगभग सबसे पिछड़ा है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र अभावग्रस्त होने से पिछड़ा रहा है। शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अन्य योजनाओं के उपरान्त भी राजस्थान में शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पाया है। ज्यादातर जनता को ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण अध्यापकों की अत्यधिक कमी है। सरकारी स्कूलों में तो हालात यह है कि माध्यमिक विद्यालय में एकमात्र अध्यापक है वह भी थर्ड ग्रेड का। प्रिंसीपल नहीं है, हैड मास्टर नहीं है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के विषयाध्यापक नहीं है। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से मिल सकती है? यहां के विद्यार्थियों, युवाओं के साथ एक प्रकार से यह घोर अन्याय हो रहा है।

समूचे राजस्थान में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की स्थिति देखी जाये तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त हैं। सरकार ने इन जिलों से स्थानान्तरण पर भी रोक लगा रखी है। बाड़मेर जिले में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है, 132 प्रधानाचार्य के पदों में से 101 रिक्त हैं, यानि 76.52 प्रतिशत रिक्त पद हैं। माध्यमिक शिक्षा प्रधानाध्यापक के 397 पदों में से 90 पद रिक्त हैं, व्याख्याता के 856 पदों में से 636 यानि 74.12 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के 2601 पदों में से 952 पद रिक्त हैं, यानि 36 प्रतिशत रिक्त पद हैं। तृतीय वेतन श्रंखला के 312 पदों में से 223 यानि 71.47 प्रतिशत पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में सैकिण्ड ग्रेड के 438 पद रिक्त हैं और थर्ड ग्रेड के 1984 पद रिक्त हैं।

(श्री हमीरसिंह भायल)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से विशेष आग्रह है कि विशेष बजट प्रावधान कर, विशेष आबंटन कर अध्यापकों के विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करें ताकि पिछड़े क्षेत्र भी देश की मूल धारा से जुड़ कर प्रदेश एवं देश की प्रगति में सहयोग प्रदान कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई में उपखण्ड कार्यालय खोलना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में अंराई प्रमुख कस्बे के रूप में है जिसकी आबादी लगभग 10,500 है। यह कस्बा सभी दिशाओं में सड़क मार्ग से किशनगढ़, श्रीनगर, अजमेर, नसीराबाद, सरवाड़, मालपुरा व दूदू तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की पृष्ठभूमि में 55 राजस्व ग्रामों की लगभग 70 हजार जनसंख्या जुड़ी हुई है तथा इस क्षेत्र की स्थानीय मण्डी एवं बड़ा हाट बाजार कस्बा अंराई ही है।

अंराई कस्बे में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ अधिकांशत: सभी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय संचालित हैं और आसपास के 18-20 पंचायतों के ग्रामवासियों का यहां निरन्तर आवागमन रहता है। पृष्ठभूमि में बसे ग्रामवासियों की मुख्य आजीविका कृषि ही है। यह क्षेत्र पैदावार की दृष्टि से अच्छा होकर सिंचित एवं दो फसली क्षेत्र भी है इसलिए कृषि भूमि सम्बन्धी कार्य एवं विभिन्न राजस्व सम्बन्धी कार्य बने रहते हैं। इन सभी छोटे-मोटे कार्यों के लिए अधिकांश क्षेत्रवासियों को 28 से 55 किलोमीटर तक का सफर कर उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ जाना पड़ता है जिससे श्रम, समय एवं कार्य का भार आमजन पर पड़ता है। यदि पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर नवीन उपखण्ड कार्यालय की स्थापना कर दी जाय तो यह दूरी 5 से 25 किलोमीटर तक ही रह जाएगी और क्षेत्रवासियों एवं गरीब ग्रामीणों के उपखण्ड स्तरीय कार्य सुगमता एवं सहजता से निपटाये जा सकेंगे।

मान्यवर, वर्तमान में अजमेर जिले की 8 पंचायत समिति मुख्यालयों में से 5 यथा पीसांगन, केकड़ी, मसूदा, भिनाय, किशनगढ़ पर उपखण्ड कार्यालय स्थापित हैं। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना

(श्री भागीरथ चौधरी)

चाहता हूं कि पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर वर्तमान संसाधनों एवं अन्य उपखण्ड स्तरीय सुविधाओं की पर्याप्तता एवं बेहतर क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से की जा रही उपखण्ड कार्यालय स्वीकृति की मांग को अविलम्ब स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम। (अनुपस्थित) श्री सुखराम विश्नोई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आवासीय स्कूलों व आई टी आई केन्द्रों को सामान्य करना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से जानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि पिछले विधान सभा चुनाव में जैसा कि सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने एक राय से बात रखी कि सत्ता पक्ष में दो अल्पसंख्यक विधायक जीतकर आये हैं और जिन अल्पसंख्यकों के लिए आप पैरोकारी कर रहे थे उस विपक्ष का एक भी विधायक जीतकर नहीं आया।

माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 2011-12 में 11 होस्टल कम स्कूल और 15 आईटीआई केन्द्र केवल माइनोरिटी के लिए खोले थे। उसमें से मेरे पड़ोस बाड़मेर में चौहटन में रमजान की गफ, शिव में बाबीसर और तीसरा अभय का पार, तीन जगह जमीन आबंटित कर दी और जमीन आबंटन के बाद में जो आगे की कार्यवाही होती है उस कार्यवाही के लिए कुछ नहीं हुआ। जो 5 साल का विजन पेश किया गया और एक साल का बजट पेश किया गया इन होस्टल कम स्कूल के बारे में एक रुपया भी आबंटित नहीं किया गया। जो 15 आईटीआई केन्द्र खोले उसमें से 6 चालू हुए और 9 अभी चालू नहीं हुए। एक बाड़मेर का जो चालू हुआ वह तीन साल से चालू है, रेगुलर जो आईटी का केन्द्र है बाड़मेर वहां तीन साल से प्रवेश मिल रहा था, परन्तु उन कालेजों को, इंस्टीट्यूट्स को जनरल करने से एक भी अल्पसंख्यक बच्चे का सलैक्शन उस स्कूल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनोरिटी के लोग पहले से ही पढ़ाई कम कर रहे हैं, वहां स्कूलें कम हैं, उनके नम्बर कम आते हैं, परसेंटेज कम होने की वजह से जो आईटीआई केन्द्र हैं उनको सामान्य करने से एक भी अल्पसंख्यक बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो 21 होस्टल कम स्कूल खोले गये थे उनके साथ एक तरफ अल्पसंख्यकों को शिक्षा में मजबूत करने के लिए या उनको हर तरीके से कुशल करने के लिए तैयारी की जा रही है ताकि वे आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़े और एक तरफ उनके लिए जो स्कूल कम होस्टल खोले थे उनको सरकार बंद करने जा रही है।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन है कि एससी, एसटी के जो होस्टल हैं, एसबीसी के जो होस्टल हैं उन होस्टलों को सामान्य नहीं किया जा रहा है जबकि अल्पसंख्यकों के लिए जो आईटीआई के केन्द्र खोले गये उनको क्यों सामान्य किया जा रहा है? मैं इसका जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द बैरवा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने दो पाइंट उठाये हैं। एक तो अल्पसंख्यकों के लिए खोले गये आवासीय स्कूल और एक आईटीआई केन्द्रों को सामान्य किये जाने की बात। जो आवासीय विद्यालय हैं उनके बारे में वस्तुस्थिति बताना चाहूंगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए बालिकाओं के 14 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, इसमें 75 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान हे। सत्र 2013-14 में इन 14 आवासीय विद्यालयों में कुल नामांकन 1385 के विरुद्ध 725 बालिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित थीं। सामान्य सीटों के रिक्त रहने पर अन्य वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, यह कानून है।

दूसरा, 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, जो अलवर जिले में संचालित हैं, इनमें 50 परसेंट सीटों पर अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 में इन विद्यालयों में 500 बालिकाओं की क्षमता के विरुद्ध 475 बालिकाएं नामांकित हुई। इन बालिकाओं में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हैं।

जहां तक आईटीआई का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आईटीआई

(श्री कालीचरण सराफ)

योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तिजारा (अलवर), खौ नागोरियान, जगतपुरा जयपुर, पदमपुर, मकराना शहर, बाप, पहाड़ी, रामसर, संगरिया, किशनगढ़ बास तथा छत्रगढ़ में क्षेत्रीय आरक्षित वर्ग अल्पसंख्यक को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शेष रहे रिक्त स्थानों को क्षेत्रीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरीयता प्रदान की जाएगी, तत्पश्चात सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमांक में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार धर्म के आधार पर इन्होंने ये आईटीआई खोले। वर्तमान सरकार का यह मानना है...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इनमें केवल मुसलमान को लेते हैं या जो भी अल्पसंख्यक आते हैं उन सबको लेते हैं, यह पूछना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वर्तमान सरकार का यह मानना है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए इसलिए हमने यह आदेश निकालकर कहा है कि जितने भी आईटीआइज् हैं इनमें अल्पसंख्यकों का भी प्रवेश होगा और बहुसंख्यकों का भी प्रवेश होगा, धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी तो राजनीति ही धर्म के आधार पर है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपकी तो राजनीति ही धर्म से शुरू हुई है और धर्म की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप लोग धर्म के आधार पर विभाजित करके अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में नहीं लाने का प्रयास कर रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं और हम यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, पिछड़ा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, हर व्यक्ति को आईटीआई करने का अधिकार है। और इसी आधार पर हमने यह डिस्क्रिमिनेशन बन्द किया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बाड़मेर में आई.टी.आई. में एक भी लड़का भर्ती नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके ही कर्म हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हमारे किस बात के कर्म हैं, आप कौनसा नया कर रहे हो, आप भी वो ही कर रहे हो। आप कौनसा नया करने जा रहे हो? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जो भी अल्पसंख्यक आया उसको मना नहीं किया और अब कोई आये ही नहीं तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पाली के माननीय विधायक, आप कुछ कह रहे हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि पहले वाली सरकार ने हमारे पाली बांगड़ महाविद्यालय और पाली कन्या विद्यालय में भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से हास्टल के लिए जमीन का प्रावधान किया है जिसका वहां विरोध हो रहा है। हास्टल खोलो, मना नहीं है लेकिन आप उसमें सबको एडमिशन दो। (व्यवधान) सबको एडमिशन मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये, विषय आ गया।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप मुझे पूरी जानकारी देना, निश्चित रूप से सबको एडमिशन मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पाली के माननीय विधायक प्रश्न का जवाब आ गया। श्री प्रेमचन्द बैरवा। (व्यवधान) नहीं, आप विराजिये। इतना लम्बा विषय नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बूंदी जिले का है इसलिए मैं माननीय बाबूलालजी वर्मा को बोलने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बाबूलालजी वर्मा। एक मिनट विराजिये।

सूचना

सूरसागर क्षेत्र में पानी का भराव

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जोधपुर से सूचना आई है कि मेरे सूरसागर क्षेत्र में डर्मी टैक्स्टाइल के पास इतना पानी भर गया है कि लोग वहां से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह प्रताप नगर में, हाउसिंग बोर्ड में, कमला नेहरू नगर, सारी जगह यही हाल है मगर अभी तक वहां पर कोई अधिकारी पहुंचा नहीं है। मैं यह चाहूंगी कि ऐसी व्यवस्था में क्योंकि बोर्ड हमारा नहीं, वहां पर कांग्रेस का बोर्ड है मगर सफाई करने में कोई कांग्रेस-बीजेपी नहीं होती है, उनको सफाई करनी चाहिए। वहां पर ऐसी गंदगी है और नाले बुरी तरह से भरे पड़े हैं। वो हैं तो नहरें लेकिन उनका नाम नाला रख दिया है और सारी नहरों, नालों का पानी बाहर आकर इन सारे

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

घरों और कालोनियों के अन्दर घुस गया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि मुझे मंत्री महोदय या तो जोधपुर इत्तिला करें या मुझे यह बतायें कि कब तक ठीक कर देंगे क्योंकि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं जीरो आवर के बाद अपने विभाग के सारे अधिकारियों से बात करके, जोधपुर बात करके, जो भी वस्तु स्थिति है और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नहीं, अब यह विषय नहीं, डिस्कसन नहीं। बाबूलालजी वर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बूंदी जिले में ईंट भट्टा उद्योग में कार्यरत उद्यमियों को राहत

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सैण्ट्रल जोन बैंच, भोपाल में कुछ लोगों ने एक प्रार्थना पत्र लगाया और उसमें डिसीजन यह हुआ कि:- "Rajasthan State Pollution Control Board. as well as the District Collector Bundi, shall file a compliance report with the full details of the bricks kiln sanctioned by the District Administration/Revenue Department for whom concerned to operate was granted by the RSPCB and the bricks kiln orders to be closed." माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे-छोटे ईंट-भटटा लगाते हैं कजावे के रूप में वो अपनी 2-4 बीघा जमीन पर अपने जीवन-यापन के लिए रोजगार के लिए कर रखा है और लगातार 50 साल से कर रखे हैं। बूंदी जिले में लगभग 400-500 ऐसे-ऐसे उद्यमी हैं जो अपनी-अपनी जमीन पर या जो सरकार की जमीन है उस पर नियमानुसार पैनल्टी जमा कराकर काम करते हैं। आज स्थिति यह हो रही है और इस आर्डर के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलक्टर, तहसीलदार, एसडीएम 31 जुलाई के पहले-पहले उन धंधों को बन्द कराकर कम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि यह आर्डर क्लीयरली जो चिमनी पर आधारित ईंट उद्योग धंधे हैं उन धंधों पर लागू होता

(श्री बाबूलाल वर्मा)

है और इसके लिए निश्चित रूप से उद्योग विभाग ने नीति भी बना रखी है। आज जब 18-20 हजार मजदूर उन 400-500 उद्योग धंधों पर आधारित है उनके जीवन-यापन के सामने आज संकट खड़ा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि कल की तारीख में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सब लोग वहां जाएंगे और उनकी जो ईंटें वहां जमी हुई हैं, किसी का 4 लाख का किसी का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हैं, ऐसी स्थिति में यदि इन उद्योग-धंधों को तोड़-फोड़ कर उनके एस्टेब्लिशमेंट को रिमूव किया गया तो ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां किसी ने 2 लाख रुपये का कर्जा ले रखा है, किसी ने कितने का ले रखा है। छोटे आदमी के पास पैसा नहीं है, आज वह लोगों ने कहां-कहां से करके अपने धंधे को लगातार कई सालों से चलाते आ रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो कजावे के रूप में काम कर हैं उनके लिए नीति बननी चाहिए और जो इस बैंच का आर्डर है उसके तहत जिला प्रशासन कल की तारीख में जो कार्यवाही करने जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्रपाल सिंह। आप एक मिनट विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बूंदी जिले में ईंट भट्टों को नोटिस देने की बात कही है उसके सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि एक फैसला हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सैण्ट्रल बैंच, भोपाल का। अध्यक्ष महोदय, 21.4.2014 को यह फैसला हुआ और इस फैसलें में इन्होंने कहा कि बूंदी जिले के अन्दर जो ईंट-भट्टे संचालित हो रहे हैं वो बिना पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के हो रहे हैं, बिना एन.ओ.सी. के हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 353 भट्टे हैं और इन सब भट्टों को 27.5.2014 को नोटिस दिया गया है और 15 दिन का इनको समय दिया गया है। इन सारे भट्टों में सिर्फ तीन भट्टे ऐसे थे जो पाल्यूशन बोर्ड की सहमति से चल रहे थे। माननीय सदस्य ने कहा कि कजावा के रूप में जो छोटा काम करते हैं उनको भी इस श्रेणी में लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 58 है इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तहत जो मिट्टी खोदने का काम करते हैं उनको भी पाल्यूशन बोर्ड से अनुमति लेनी आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनी हुई है और यह एज ए सुप्रीम कोर्ट एक्ट करती है। उसके पश्चात् भी अगर बिना चिमनी के ईंट-भट्टों का इसके नियमों में कहीं प्रावधान नजर आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी और हम कभी नहीं चाहते कि जो छोटे उद्यमी इसमें लगे हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्रपाल सिंह। नहीं, नहीं। श्री सुरेन्द्रपाल सिंहजी। (व्यवधान) आप विराज जाइये, ऐसे नहीं। (व्यवधान) बिलकुल नहीं। श्री सुरेन्द्रपाल सिंहजी। बैठिये। (व्यवधान) आपने निवेदन कर दिया और अब आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह विषय बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गम्भीर है तो दूसरे तरीके से लाइये। बहुत तरीके हैं यहां। (व्यवधान)

अधिकतम भूमि जोत अधिनियम 1965 व 1971 के अन्तर्गत भूमि की सीमा पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान भूमि अधिकतम जोत अधिनियम, 1965 और 1973 की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह अधिनियम 1965 में बना और इसके अन्दर अधिकतम जोत की सीमा 46 बीघा 8 बिस्वा रखी गई और बाद में 1973 में यह सीमा कम करके 45 बीघा कर दी गई। गंग नहर के अन्दर यह थी, राजस्थान में अलग है और बारानी की जोत की अलग सीमा रखी गई। उसमें यह भी प्रावधान था कि परिवार में 18 साल का कोई भी सदस्य होगा तो उसकी अलग यूनिट होगी और 5 से ज्यादा सदस्य होंगे तो 20 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि उस जोत में वो रखने का हकदार होगा। बहुत किसानों की जमीन इस अधिनियम के कारण अधिग्रहीत की गई और बहुत से किसान जिनकी या तो पटवारियों ने गलत रिपोर्ट की या तहसीलदारों ने गलत रिपोर्ट

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

की तो वो रेवेन्यू अदालतों में चले गये। मान्यवर, लगभग 45-46 साल हो गये और आज भी उनके सीलिंग के केस चल रहे हैं। उस समय जिस आदमी को नोटिस दिया उसकी भी मृत्यु हो गई, उसके लड़के की भी मृत्यु हो गई और चौथी पीढ़ी चली गई। उस समय 60 बीघा थी और आज उनके पास 6-6 बीघा जमीन रह गई। अगर आज उस डेट को आधार मानकर उसका फैसला करते हैं तो 6-6 बीघा जमीन वाले सब सड़क पर आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो अधिकतम जोत अधिनियम है यह व्यावहारिक ही नहीं रह गया है क्योंकि 50 हो गये परेशान होते-होते और अब कोई किसान इसमें बचा ही नहीं है।

(13.00 बजे)

तो मेरा एक तो निवेदन है कि जो केसेज चल रहे हैं, उनको आज की तारीख का आधार मानकर उस परिवार की जितनी यूनिट हैं, उनकी सीलिंग जोत की जो सीमा है, उसके मुताबिक आधार मानकर उसका निर्णय हो। मान्यवर, यह जो जोत कम हो रही है, इससे उत्पादन पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब सीलिंग सीमा व्यावहारिक इसलिए नहीं रह गई, गांव के अन्दर लेबर मिलती नहीं और किसान जब मैकेनाइज्ड खेती करेगा, 15-16 बीघा के अन्दर कोई किसान अगर मैकेनाइज्ड खेती करे तो पहले तो 10 लाख रुपये का ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स वह रख नहीं सकता, इसलिए मैं समझता हूं, यह जो एक्ट है वह व्यावहारिक नहीं रह गया।

जैसे अरबन सीलिंग एक्ट था, वह खतम कर दिया। डीपीसीएण्डआर, 1954 में बना, उसकी व्यावहारिकता नहीं रही, वह खतम हो गया तो मैं समझता हूं, आज सीलिंग एक्ट की व्यावहारिकता नहीं रही, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है और किसान 50-50 सालों से अदालतों में चक्कर काट रहे हैं, उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है। एक तरफ तो किसान के ऊपर 45 बीघा की तलवार लटक रही है और पिछली सरकार में 10,000 बीघे तक के लोग नकली किसान बनकर यहां बीकानेर में आकर जमीन ले गये, बेच गये, उनके ऊपर कोई सीलिंग एक्ट नहीं था। यह किसान के साथ अन्याय नहीं है क्या? एक आदमी आज राजस्थान में जमीन खरीदना चाहे, उनको 1973 की वोटर लिस्ट चाहिये। इसके साथ-साथ उनको मूल निवासी का प्रमाण पत्र चाहिये वर्ना उसको जमीन नहीं खरीदने देते लेकिन दिल्ली से आये +++ जी और 10,000 एकड़ जमीन ले गये। उस समय सीलिंग एक्ट कहां था? यह केवल किसान को मारने के लिए सीलिंग एक्ट है? तो मेरा यह निवेदन है कि आज की जो

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से यह जो सीलिंग एक्ट है, इसकी बिलकुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से अरबन सीलिंग एक्ट खतम किया गया है और जिस तरह से 1954 का डीपीसीआर एक्ट खतम किया गया है तो इसको भी खतम कर देना चाहिए और जोत वैसे ही किसान की कम हो गई, परिवारों में भूमि बंट गई। आंकड़े बता रहे हैं, एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 16 एकड़ से ज्यादा जमीन है, नहीं तो जोत छोटी हो गई और उत्पादन कर रहा है। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया, मैं चाहता हूं कि एक दिन दो घंटे का समय आप रेवेन्यू पर जरूर देते क्योंकि रेवेन्यू की इतनी समस्या है। आज देखो, कितने लोग टीसी से पुख्तावाले उनको मिल नहीं रही है हमारी खातेदारी। हमारे 6-ए के मामले पड़े हैं। हमारे जागीरदारी एक्ट के पड़े हैं। इस पर बहुत सारे माननीय सदस्य चर्चा करना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो यह जो सीलिंग एक्ट बना था, वह उस समय इसलिए बना था कि उस समय लोगों के पास जमीनें ज्यादा थीं, अब 50 साल से परेशान हो गये। मैं समझता हूं, इनकी व्यावहारिकता अब कोई नहीं रही और इसको खतम किया जाये और जो केसेज लोगों पर चल रहे हैं, वह आज की तारीख में जिस प्रकार की यूनिट्स किसान की हैं, उसी आधार पर उनके फैसले हो जायें। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा समय देकर राजस्व पर चर्चा जरूर करायें ताकि बहुत ज्यादा जो किसानों की समस्याएं हैं, वह सरकार के सामने आ जायें। आपने समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम। आप जवाब देंगे क्या? अमरारामजी, एक मिनट विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। आपको मालूम है लैण्ड टीनेंसी एक्ट 1955 में आया और उसी समय इसके चैप्टर 3(बी) के अन्दर संशोधन करके सीलिंग एक्ट का प्रावधान आया। 1960 तक यह प्रावधान चलता रहा और उसके बाद यह नया सीलिंग एक्ट, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, 1973 में आया।

अध्यक्ष महोदय, जब सीलिंग एक्ट आया, उसके अन्दर यूनिट का निर्धारण भी हुआ। पहले अधिकतम जोत के बारे में जो आपने कहा, तो दो फसली इलाके के लिए 46 बीघा, एक फसली के लिए 56 बीघा और डेजर्ट के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए 59 बीघा, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट रि-पील हुआ। इससे पहले कुछ मामले चल रहे थे। आज गंगानगर जिले में ऐसे 36 मामले हैं कानून यह कहता है कि जो वाद जिस समय चला और जिस समय जो एक्ट था, उसी के अनुसार उनका निर्धारण होगा। ऐसे 36 मामले गंगानगर जिले में पुराने एक्ट के तहत चल रहे हैं और 47 मामले इस नये एक्ट के तहत चल रहे हैं।

यह सही है अध्यक्ष महोदय, कि कुछ उसमें बदलाव की आवश्यकता थी परन्तु चूंकि कानून की पेचीदगियां हैं, पर फिर भी आपने जिस 6-एएए की बात कही, आपने टीसी से पुख्ता की बात कही। बीकानेर सम्भाग में सरकार गई थी। एक-एक विषय पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने ध्यान दिया। आप यह जो ध्यान में लेकर आये हो, ये पुराने मामले, आप यह चाहते हो, उस समय परिवार की संख्या और यूनिट की संख्या बढ़ती चली गई, जोत बंटती चली गई, आज यह व्यावहारिक नहीं है तो निश्चित तौर पर इनको किस तरह जल्दी निष्पादित किया जाये, परन्तु चूंकि ये पुराने कानून के तहत दर्ज हुए थे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि तीन पीढ़ियां चली गईं और इसीलिए आज कानून के अन्दर गरीब आदमी लड़ता-लड़ता, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। इनको हम किस तरह फास्ट ट्रैक या किस तरह कर सकें, निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, विराजिये आप। अब यह विषय नहीं लिया जा सकता।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): ...हजारों बीघा जमीन खरीदने के लिए दिल्ली से आकर वह सीलिंग एक्ट में नहीं आये, उसका तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे दें, क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष: बहस का विषय नहीं हो सकता। बहस का विषय नहीं हो सकता। आ गई आपकी बात। माननीय अमरारामजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप जांच करा लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, पिछली सरकार सीलिंग एक्ट के अन्दर एक संशोधन लेकर आई थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं दिल्ली के लोगों पर, मैं समझ रहा हूं, किसकी तरफ आरोप लग रहे हैं। आपकी सरकार है, सारे कागजात आपके समक्ष हैं, आप जिस प्रकार चाहें, जैसी चाहें, जांच कराइये और कानून व नियमानुसार कार्यवाही करें, यह मेरी आपसे मांग है, सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार जिस तरह चाहे, उसकी जांच कराएं। आप सदन में नहीं थे। पिछली सरकार के समय में सीलिंग एक्ट में एक अमेंडमेंट इसी सदन में लेकर आये। उन्होंने कम्पनी को अलग से अधिकृत कर दिया, अधिकतम जोत की उसकी कोई सीमा नहीं छोड़ी जबकि नियमानुसार कम्पनी एक आइडेंटिटी है। आप जो जांच की बात कह रहे हो, मुझे मालूम है, दिल्ली आलाकमान से जब से आपके रिश्ते बदले हैं, बिगड़े हैं, तब से आप चाहते हो कि हम उसको जांच में लायें क्योंकि बोर्ड आफ डाइरेक्टर में +++ और उसके परिवार के लोगों के नाम हैं... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इण्डस्ट्रिलाइजेशन के लिए आवश्यक है, जब आप यहां पर...

श्री अध्यक्ष: +++ का नाम आया है, उसको ड्रोप किया जाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं अध्यक्ष महोदय, कौन प्रतिपक्ष का नेता बने, कैसे बने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस विषय में यह नहीं लिया जा सकता, आप भी बैठिये। यह जो नाम आया है, उसको मैं ड्रोप कर रहा हूं। विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ठीक है, थैंक्यू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं अध्यक्ष महोदय, कौन प्रतिपक्ष का नेता बने, कौन नहीं बने, इसकी आड़ के अन्दर यह हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं कि हम राबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करें तो हम जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष: +++ का नाम ड्रोप किया जाये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप स्वतंत्र हैं।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री अमरारामजी।

बाड़मेर सरस डेयरी की बालोतरा ब्रांच की क्षमता बढ़ाना

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भाग्य की पर्ची पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं और अब भाग्य निर्भर है हमारे मंत्रीजी के जवाब पर।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार में घोषणा बिन्दु संख्या-155 पर 2013-14 के बजट में उन्होंने यह घोषणा की थी और वह घोषणा यह की थी कि हम डेयरी को बढ़ावा देंगे, हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति को बढ़ावा देंगे और उसी के तहत उन्होंने यह घोषणा की थी कि सहकारी क्षेत्र से जुड़े पशुपालकों के कल्याणार्थ एवं दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी वर्ष विभिन्न जिला दुग्ध संघों में 500 बल्क मिल्क कूलरों की व्यवस्था की जायेगी, जिन पर करीब 40 करोड़ रुपये की लागत लगेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 40 करोड़ रुपयों की घोषणा की और बाड़मेर के लिए चार करोड़ रुपये की इन्होंने घोषणा की कि बाड़मेर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए हम चार करोड़ रुपये मंजूर करते हैं लेकिन बाड़मेर डेयरी की ब्रांच बालोतरा में चिलिंग प्लांट जो 1975 से पहले लगा था, उसकी हालत, उसके उपकरण खराब हो चुके थे। इन्होंने 50 लाख रुपये के उपकरण तो बाद में भेजे हैं, लेकिन 3.50 करोड़ रुपये उनकी लागत आयेगी, वह पैसे अभी तक नहीं भेजने से आज हमारा काम अधूरा पड़ा है। सरकार के द्वारा जो उपकरण भेजे हुए हैं, वह भी खराब हो रहे हैं और पुराने खराब होने से जिस प्रकार से हमारा चिलिंग प्लांट चलना चाहिए, वह नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घोषणा में लिखा गया है, यह चार करोड़ रुपये की लागत से इन्होंने बाड़मेर में 25,000 किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जायेगी लेकिन यह घोषणा इनके कागजों में रही है। इसलिए मैं मेरी सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो काम अधूरा है, इस अधूरे कार्य को पूरा करने का आप निर्देश फरमावें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, रेस्पोण्ड करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार चिंता व्यक्त की है। वास्तव में बजट घोषणा 2013 में जो घोषणा हुई, उसके अन्तर्गत नेशनल मिशन फोर दी प्रोटीन के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2013-14 में इस बालोतरा दुग्ध अवशीतन केन्द्र के लिए मात्र 26 लाख रुपये स्वीकृत हुए और इन्होंने रेफ्रिजरेशन जो इनका प्लांट था उसके सुदृढ़ीकरण के लिए कूलिंग टावर के कंडेंनशर आयल आईबीटी एण्ड कम्प्रेशर के लिए राशि स्वीकृत हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय इसका जो टेण्डर हुआ वो 3.10.2013 को इन्होंने आमंत्रित किए और उसके बाद 12.12.2013 को माननीय अध्यक्ष महोदय यह सामान भी वहां उपलब्ध करा दिये गये। लेकिन मुझे अभी अवगत कराया गया है, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि अभी इसको सर्वो टेक इण्डिया प्रा.लि., दिल्ली के द्वारा ही यह सामान तो इन्होंने खरीद लिए थे। लेकिन आज दिन तक भी उनकी वहां पर स्थापना नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वहां के अवशीतन केन्द्र की और वहां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के बाद जैसी अभी सूचना मिली है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि दो महीने में चाहे वित्तीय प्रावधान यहां से करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे और उसको चालू करेंगे। जो उपकरण खरीदे गए हैं उनका सुचारु रूप से उपयोग दूध के अवशीतन केन्द्र के रूप में हो यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री राजेन्द्रजी, आप बिल इण्ट्रोड्यूस कीजिए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री, पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री बंशीधर।

स्पष्टीकरण

रामेश्वर लाल डूडी, श्री, नेता, प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पर जो 26 तारीख को व्यक्तिगत आरोप लगाया गया माननीय सदस्य सुमेरपुर से आने वाले ने, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं मेरी गाड़ी के साथ में एक अपराधी को लेकर के यहां सदन के अन्दर आया, विधान सभा में आया, चैम्बर में ले गया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। आप इसकी जांच करवा लें। मेरे साथ में वह गाड़ी में कहीं नहीं आया। आज सैकड़ों लोग विधान सभा में आते हैं और अपनी समस्या लेकर आते हैं कि मेरी यह दिक्कत है, कोई भी एप्लीकेशन देता है उसको हम सुनते हैं और उसमें उचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारी को या सरकार को लिखते हैं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है रामचन्द्र खिलेरी। जिस तरीके से उन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए, नियम-273 के तहत नोटिस देना चाहिए था, उस नोटिस के बगैर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, मैं सिरे से खारिज करता हूं, मैं मोस्ट वांटेड का और अपराधी का रिकॉर्ड लेकर आया हूं। मैंने उसकी पूरी डिटेल मंगवाई है सम्बन्धित थानों से। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका आपसी घरेलू जो है प्रोपर्टी को लेकर विवाद था। उस विवाद के अन्दर इनके करीब 16-17 मुक़दमे आपस में हुए। इनकी तरफ से अपने घरवालों से चाचा, चाची, जो भी हैं इनके घरवालों का प्रोपर्टी का मामला था और उसमें कई मुक़दमे हुए। उनके अन्दर माननीय सदस्य ने टी.वी. के अन्दर, डिबेट के अन्दर सब जगह कहा कि इस रामचन्द्र के खिलाफ 17 मुक़दमे हैं। मैं उसकी पूरी डिटेल लेकर के आया हूं। 14 मुक़दमों के अन्दर उसमें एफ.आर. लगी हुई है, कोर्ट से वह बरी हुआ है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उसके तीन मुक़दमे हैं वो भी राजनीतिक वजह से हैं। क्योंकि मेरे चुनाव के वक्त में उसने काम किया था और उस चुनाव के चलते हुए हमारे सामने जो कैंडिडेट थे वो एक्स. एमएलए थे। उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा कराया कि मेरे लड़के से मोबाइल छीन लिया, मेरे लड़के की अचानक गाड़ी रूकवाकर उस पर गोली चलाई। यह मुकदमा, थाना नोखा के अन्दर उसमें एफ.आर. लगी। अब यह होने के बाद इसकी जांच सम्बन्धित एडिशनल एस.पी. को देकर और मैं अभी जो निवेदन करना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल झूठा मुकदमा है और उसमें वो चालान करेंगे उसका। सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश की वजह से, राजनीतिक रंजिश की वजह से, यह बहुत गलत है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष: आपने स्पष्टीकरण दे दिया है, आ गया है रिकार्ड पर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि सदन के अन्दर उसको लेकर आ गया। आपकी अनुमति के बगैर कोई सदन में आ सकता है क्या? यह प्रोसीडिंग है...

श्री अध्यक्ष: आपने स्पष्टीकरण दे दिया ना, विराजिए। इसीलिए मैंने अलाउ किया है आपको, आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मेरी तरफ से आज यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इसकी बिलकुल निष्पक्ष जांच करवाएं। मैं कहीं दोषी हूं तो मुझे आप दोषी मानें, नहीं तो इसकी बिलकुल निष्पक्ष जांच करायें, नहीं तो विशेषाधिकार का हनन करना, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: स्पीकर जो है जांच नहीं करा सकता। आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बड़े आहत हुए कि उन पर एक आरोप लग गया। कुछ आपके टी.वी. कैमरे भी इतने सेंसेटिव हैं कि उन्होंने आते जाते सब चीजों को, पिक्चर को कैद कर लिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर यहां एक चर्चा यह भी चली थी जब बीकानेर की बात चल रही थी। बीकानेर केन्द्रीय कारागृह में मंत्री मिलने गए अपराधियों से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करुंगा कि आप ही व्यवस्था करें। कई ऐसे हादसे होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिनकी बात बड़ी दूर तक जाती है। सामाजिक समरसता में भी कहीं न कहीं वह आता है। मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इन दोनों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मामलों में जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि मैं लेकर नहीं आया, मेरा सम्बन्ध नहीं है, वो तो बड़े पाक साफ हैं, परिवार के ही मुक़दमे हैं और दूसरा जो इन्होंने आरोप लगाया था ई.टी.वी. में पट्‌टी आई, मंत्री गए, इन दोनों की जांच मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से चेयर से रूलिंग आये। दोनों की जांच एडिशनल डी.जी. स्तर का अधिकारी करे। यह जनता के सामने जानी चाहिए कि कौन मंत्री गया था अपराधियों से मिलने? यह जनता के सामने जानी चाहिए कौन किसको लेकर आया था? मैं आपकी तरफ से रूलिंग चाहता हूं अध्यक्ष महोदय और प्रोटक्शन चाहता हूं आपसे यह मैं निवेदन करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कोई चीज छिपाई नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय आपने उठा दिया। इस गम्भीर विषय पर अगर आप चाहें तो चर्चा करा लें कि वह अपराधी है या नहीं है। उस पर किस प्रकार के कितने गम्भीर मुक़दमे लगे हुए हैं। कई अपराधी जिस ढंग से केस को रफा-दफा कराते हैं ये उसी में से हैं और इसके कारण से आप उसको बिलकुल क्लिन-चिट यहां दे दो कि वो बिलकुल निर्दोष और बड़ा अच्छा आदमी है, यह इस सदन का दुरुपयोग होगा। उस आदमी के बारे में अच्छे बुरे का फैसला आप और मैं यहां बैठकर के नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो बहस के आधार पर करें। आप यहां क्लिन-चिट उस आदमी को नहीं दे सकते जिस पर 16 मुक़दमे लगे हुए हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, हमने मंत्रीजी किसी को क्लिन-चिट नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। इस विषय पर यहां बहस नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मेरी बात कहूंगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, यह बहस का मुद्दा नहीं है, न अदालत है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं न उसकी जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष: जांच क्या? आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह बहस का मुद्दा नहीं है, यहां बहस नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आपका हो गया है। इसके अलावा इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं, अब आप विराजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बात जो अभी सदन में कही गई हैं इसकी पूरी जांच अपने वरिष्ठतम अधिकारी को लगाकर के इस सदन में उसकी रिपोर्ट पेश करुंगा कि वस्तु-स्थिति क्या है?

श्री अध्यक्ष: स्वागत है, विषय समाप्त। श्री बंशीधर,

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह बहस का मुद्दा नहीं है। यहां आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। आपका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आ गया है वह रिकार्ड पर है। बस इससे आगे इस पर बहस नहीं होती है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिए। अब आप विराजिए। आप गुलाबजी, को दे दीजिए जो भी सामग्री है। आप विराजिए, नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने यहां जांच कराने की घोषणा की है। आपके पास जो कुछ भी सामग्री हो, गृह मंत्री तक पहुंचा दें यह मेरा आपसे निवेदन है। विराजिए, दुराग्रह नहीं। श्री बंशीधर।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर वाली भी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय गृह मंत्रीजी ने यही कहा है कि दोनों ही प्रकरणों की जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगे, यह पर्याप्त है आज के लिए। श्री बंशीधर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिए। आपका अंकित नहीं होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नगरपालिका खण्डेला द्वारा नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में अवैध पट्टे

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 131 के तहत मेरे को बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं खण्डेला नगरपालिका के खसरा नम्बर 1052, 1053 के बारे में बात करना चाहूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान के केस में एक प्रकृति को बचाने का काम किया है। जहां-जहां नदी-नाले ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका खण्डेला क्षेत्र में खसरा नम्बर 1052 और 1053 जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन नाला दर्ज है। नगरपालिका खण्डेला द्वारा खसरा 1052 में कुल सात पट्टे जारी किये गये और खसरा नम्बर 1074 जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन टीबा दर्ज है एक पट्टा जारी किया गया है। नगरपालिका खण्डेला द्वारा खसरा नम्बर 1053 में रिकार्ड के अनुसार कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में गैर मुमकिन नदी नाला भूमि पर नगरपालिका द्वारा अवैध रूप से पट्टे जारी करने की शिकायत प्राप्त होने पर उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1052, 1053 गैर मुमकिन नाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित निर्णय के अनुसार उक्त पट्टों को अवैध माना गया। उक्त गैर मुमकिन नाला भूमि पर दिये गये उक्त आठ पट्टे पूर्ण रूप से अवैध हैं इसके लिए पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल हई, पूर्व अध्यक्ष श्री गुलजारी लाल तथा तत्कालीन एवं वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती फातिमा मलकान एवं तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री नारायण सिंह और श्री हरिसिंह को दोषी माना गया था। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने आदेश क्रमांक 1266 दिनांक 27.7.10 द्वारा नियम विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने के आदेश नगरपालिका खण्डेला को दिये गये हैं व पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल हई, पूर्व अध्यक्ष श्री गुलजारी लाल तत्कालीन और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती फातिमा मलकान के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 31.10.12 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित किया गया था। प्रकरण में न्यायिक जांच रिपोर्ट अपेक्षित है एवं श्री नारायण सिंह और श्री हरिसिंह तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 3.12.12 को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी प्रक्रियाधीन है।

आगे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं ताकि इनके मन में कोई संदेह नहीं रहे कि हमने कोई चीज छिपाई, हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं जो गलत है वो गलत है।

नगरपालिका खण्डेला द्वारा जारी पट्टों का विवरण तथा निरस्तीकरण बाबत सूचना। जो पट्टे जारी किये हैं श्री शिव कुमार पुत्र श्री देवी प्रकाश, पट्टा संख्या 1045, दिनांक 31.5.94, क्षेत्रफल है और खसरा नंबर वो ही जो आपने बताया 1052 है। कमल कुमार/शिवकुमार शर्मा है इसको भी वो ही 31 तारीख एक ही तारीख में ये पट्टे जारी हुए हैं 31.5.94 फिर उसके बाद सज्जन कुमार का भी इसी 31.5.94 को जारी हुआ। सत्य नारायण/रामस्वरूप का 27.6 को हुआ अगले महीने में। एक ही चेयरमैन की चेयरमैनशिप में। उसके बाद केदारमल/सागरमल ये भी 14.7.94 को एक ही चेयरमैन के हुए फिर छठा है मुस्ताक/मुनीर खां का 21.11.96 को हुआ। फिर याकुब खान इसको भी 26.11 में हुआ और लास्ट सुरेन्द्र कुमार/सुभाष चन्द्र इसका 27.8.2001 को हुआ। ये तीन चेयरमैन्स के समय में पट्टे जारी हुए। नगरपालिका खण्डेला द्वारा जारी उक्त अवैध पट्टों को अब्दुल रहमान बनाम सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित निर्णय के अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन नाला गैर मुमकिन टीबा राजस्व रिकार्ड में होने के कारण इस क्षेत्र में जारी किये गये कुल आठ पट्टों में से पांच पट्टों को निरस्त किया जा चुका है। शेष रहे तीन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय, श्रीमाधोपुर द्वारा पट्टे निरस्त नहीं करने एवं किये गये निर्माण को क्षतिग्रस्त नहीं करने के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त तीनों प्रकरणों में माननीय सिविल न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में पालिका अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है। जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है उनके स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु नगरपालिका में पैनल अभिभाषक से सम्पर्क कर कार्यवाही करायी जा रही है। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

श्री अध्यक्ष: कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न करना है आपको?

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें बता दीं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो पट्टे न्यायालय में विचाराधीन हैं वो 2010

(श्री बंशीधर)

से हैं और 2010 से अभी तक एक भी तारीख पर वकील उपस्थित नहीं हुआ। जो वकील नगरपालिका का है उसको हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: बस बिराजिये। श्री सुरेन्द्र पारीक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो उनकी भावना है उसके अनुसार ही इस पर कार्यवाही भी होगी और इसमें जिन अधिकारियों के कारण से डिले होकर के इस पर कार्यवाही नहीं हुई उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

हवामहल क्षेत्र के गन्दे नालों की सफाई

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत हवामहल विधान सभा क्षेत्र के गन्दे नालों की सफाई के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसिंहपुरा खोर नाला सिंचाई विभाग की नहर है। जिसका संधारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। इस वर्ष समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जयसिंह पुरा मुख्य सड़क पर स्थित नहर की पुलिया और आस-पास की सफाई करायी गयी है। निगम द्वारा इस नहर की सफाई हेतु माह जून और जुलाई में करीब सौ मानव दिवस श्रमिक जेसीबी और दो ट्रैक्टर मय ट्रोली लगायी जाकर सफाई कार्य करवाया गया है। इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि इस नहर का तला कच्चा है तथा मुख्य सड़क की पुलिया अवरुद्ध हो जाने से ही जयसिंहपुरा क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा मुख्य सड़क के आस-पास निर्मित छोटी पुलियाओं को भी साफ करवाया गया है। वर्तमान में नहर में बहाव में कोई व्यवधान नहीं है।

दूसरा नाला, नागतलाई का नाला कच्ची बस्ती से प्रारम्भ होकर जल महल की ओर मिलता है। नाले की सफाई का कार्य गत वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012-13 में राशि 1 करोड़ 79 लाख 18 हजार रुपये और 2013-14 में 2 करोड़ 18 लाख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रुपये व्यय कर सफाई करायी गयी है। इस वर्ष इस नाले की सफाई का कार्य जयपुर नगर निगम की गैराज शाखा के संसाधन से 6 जून से कराया जा रहा है। जिसमें दो जेसीबी, बीस ट्रैक्टर, एक पोकलेन मशीन का उपयोग किया गया है। दिल्ली बाइपास रोड से बदनपुरा तक नाले पेंदे तक साफ करवाया गया है। इस कार्य पर इस वर्ष निगम द्वारा लगभग बीस लाख रुपये का व्यय किया गया है। नागतलाई नाले के आस-पास ढलान क्षेत्र में घनी आबादी बसी होने के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार की एक घटना वर्ष 2011 में घटित हो चुकी है जिसमें एक बच्चे की नाले में बह जाने से मौत हो गयी थी। वर्तमान में इस नाले में पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं है तथा विगत दिनों में हुई वर्षा के दो-तीन दौर में भी इस नाले की पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं हुई।

तीसरा नाला, बासबदनपुरा का नाला गंगापोल से दिल्ली रोड तक सड़क के दोनों तरफ स्थित है। यह छोटा नाला है जिसकी सफाई प्रतिवर्ष नगर निगम, जयपुर द्वारा मानसून से पूर्व और समय-समय पर आवश्यकता होने पर करायी जाती है। इस वर्ष इस नाले की सफाई मानसून से पूर्व करीब सौ मानव दिवस श्रमिक लगाकर करायी गयी है। यह नाला छोटा होने एवं ढका होने के कारण कोई जनहानि होने की संभावना नहीं है विगत पांच वर्षों में इस नाले की सफाई और मरम्मत पर लगभग दस लाख रुपये का व्यय किया गया है। वर्तमान में इस नाले में पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं है। वर्षा के दौरान आने वाली अस्थायी रुकावटों को हटाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त नाले एवं रुके हुए पानी को नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं एंटी लार्वा के लिए मेटाफाश और बदबू के लिए फिनायल का छिड़काव वाटर टैंकर के माध्यम से करवाकर मलेरिया और डेंगू की रोकथाम का कार्य करवाया जाता है और अभी भी करवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: कोई सवाल पूछना है स्पष्टीकरण के लिए ?

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): पूछना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री महोदय को भेजा गया है यह पूर्ण रूप से असत्य है। नागतलाई के नालें में इस साल बिलकुल भी सफाई नहीं हुई है। जो बासबदनपुरा का नाला था उसमें आज भी तीन-तीन, चार-चार फुट मलबा भरा हुआ है। यह जवाब जिस भी अधिकारी ने भेजा है वह गलत भेजा है, तो माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा जिस भी अधिकारी ने यह जवाब भेजा है

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

उसके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जाए। जांच कराकर इसमें क्या कार्यवाही करेंगे बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप चैम्बर में भी मिल लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर मेरे इस दिए हुए जवाब में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है तो जांच भी करूंगा और जवाब देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा।

श्री अध्यक्ष: मोहन लाल गुप्ता, एक सवाल वह भी करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात आने वाली है, थोड़ी-थोड़ी आ गई जयपुर शहर में और भारी बरसात की सम्भावना है। जयपुर शहर में बरसात के दौरान जिस प्रकार की स्थिति होती है वह बहुत गम्भीर है,, चिंतनीय है। जयपुर नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जयपुर में जब भी बरसात आती है, चाहे आप सचिवालय में देख लीजिए, चाहे आप कलक्ट्रेट में देख लीजिए, चाहे आप एमआईरोड पर देख लीजिए, चाहे आप मानसरोवर में देख लीजिए, चाहे आप हवामहल के आस-पास देख लीजिए, जयपुर शहर के किसी भी...

श्री अध्यक्ष: सारे जयपुर में देख लेंगे, आपने ध्यानकार्षण कर दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सारे जयपुर शहर में नालों की सफाई की बहुत बड़ी प्रोब्लम है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर नगर निगम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये इसमें खर्च करता है।

श्री अध्यक्ष: बस, विराजिए, आपने ध्यानाकार्षण कर दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): निवेदन यह है आप एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा करें वह देखे कि नालों की सफाई होने के बाद में पानी क्यों भर रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पूरा खजाने वालों का रास्ता जाम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पूरा एमआईरोड जाम हो जाता है, कलक्ट्रेट जाम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, एम आई रोड जाम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आ गया ध्यान में। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति-क (2014-15) (क्रम सं. 1)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति-क (2011-12) के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति-क 2014-15 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। प्रस्तुत कीजिए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा भी।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायकगण, अब बहुत गम्भीर चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में मैं चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की ओर से श्री राजपालसिंह शेखावत बोल लें, श्री राव राजेन्द्र सिंह बोल लें, उसके बाद प्रद्युम्न सिंहजी राजाखेड़ा से आने वाले बोलेंगे, फिर, श्रीमती किरण माहेश्वरी, फिर श्री प्रहलाद गुंजल, उसके बाद लूणकरणसर से आने वाले विधायक श्री मानिकचन्दजी बोलेंगे, उसके बाद बचेगा तो अपन आगे बढ़ेगे, यह मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। श्री राजपाल सिंह शेखावत। ठीक है ना। आप पहले बोलेंगे क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो सिक्वेंस रखा है वह मुझे स्वीकार है, आप विराज जाएं तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। पहले किस बिल को कन्सीडरेशन में ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही साथ चलेंगे। दोनों बिलों पर चर्चा साथ होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन काल एंड शकधर में कुछ और लिखा हुआ है इस कारण से मैं कह रहा था। कहीं नियमों का उल्लंघन न हो जाए, यह आप ध्यान रख लें। सिक्वेंस में कौनसा रहेगा, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस व्यवस्था की तरफ श्रीमान।

श्री अध्यक्ष: आप भी ध्यान आकर्षित करेंगे?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, चाहे पहले विपक्ष बोले या सत्तापक्ष बोले, दोनों के बोलने के बाद मेरा नम्र निवेदन है कि वित्त विधेयक पर प्रस्ताव सिर्फ मेरे हैं। इसलिए यह उचित होगा कि उन दोनों के बोलने के बाद आप मुझे अवसर प्रदान करें ताकि जो संशोधन मैंने दिए हैं उनके संदर्भ में और जो संशोधन आपने अस्वीकार किए हैं उनके संदर्भ में मैं कुछ सदन को निवेदन कर सकूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल वैसा ही होगा। आज तक दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा होती आई है, ऐसी मुझे अभी सचिवालय से जानकारी दी गई है। श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुखबंद के बाद बजट की सारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। सरकार ने एप्रोपिएशन बिल भी पेश किया है, फ्रेश बिल भी पेश किया है। पूरे बजट की बहस के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दरमियान एक चीज बड़ी स्पष्ट होकर नजर आई। बजट पर कोई भी प्रभावशाली आरोप विपक्ष नहीं लगा सका। वस्तुत: बजट के खिलाफ कोई आलोचना नहीं हुई। यह आलोचना केवल इसलिए नहीं हुई कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला बजट है जो राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलेगा, राजस्थान की दशा को बदलेगा। यह बजट ट्रान्सफोरमेशनल बजट है, इस बजट ने राजस्थान की इकोनोमी को प्रिवेन्टिव इकोनामी से बहुत ही डवपलप इकोनोमी में तब्दील करने का जो इकनोमिक डिक्शन है, आर्थिक शैली है, उसका दर्शन करवाया है। हम सब जानते हैं, राजस्थान की बैकवर्डनेस के बारे में कारण जानते हैं, राजस्थान की तकलीफों को जानते हैं। राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़ा प्रदेश हाने के बावजूद 89 परसेंट हिन्दुस्तान का डेजर्ट कहीं बसता है तो राजस्थान में बसता है। 31-32 परसेंट हमारी शिडयुल कास्ट की पापुलेशन है। 40 परसेंट पापुलेशन अरावली के वेस्ट में रहती है, डेजर्ट में रहती है। 75 हजार से ज्यादा ढाणियां, कास्ट आफ डिलीवरी बहुत ऊंची है। पापुलेशन हमारा साढ़े पांच परसेंट से ज्यादा है, हिन्दुस्तान का 11 परसेंट हमारा एरिया है, पानी केवल एक परसेंट। राजस्थान को विकसित करना ही बहुत बड़ी चुनौती है।

लेकिन 1947 की आजादी के बाद हिन्दुस्तान की सरकार ने और राजस्थान की सरकार को, जिस प्रकार के आर्थिक दर्शन के साथ में राजस्थान का विकास करना चाहिए था दुर्भाग्य से वह नहीं हुआ। इसी का परिणाम है कि हिन्दुस्तान की 67 साल की आजादी के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम हिन्दुस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा लूले-लंगड़े लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम हिन्दुस्तान है। दुनिया में सबसे ज्यादा तपेदिक के रोगी जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम हिन्दुस्तान है। हम हिन्दुस्तान की तकदीर नहीं बदल पाए, हम हिन्दुस्तान की तस्वीर नहीं बदल पाए और राजस्थान तो हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ है। यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाना चाहती है तो पहले पेड़ को तय कर लेती है कि मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाना है। लेकिन हम इतने साल में यह तय नहीं कर पाए कि हिन्दुस्तान और राजस्थान को किस प्रकार की अर्थनीति चाहिए। हिन्दुस्तान की आजादी के समय हमने कहा सोशियलिस्ट इकानोमी चाहिए, प्लांड इकनामिकी चाहिए। रशिया से बड़े इनफेस्ट थे, नेहरूजी रशिया के इनफेस्ट, हम प्लान इकोनोमी लेकर आए। हमको धीरे-धीरे 90 तक आते आते पता चला कि प्लांड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इकोनोमी का काम नहीं चलेगा, तो हम अमेरिका के माडल की तरफ जाने लगे, हम रिफोर्म्स के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सीधे अमेरिकन माडल की तरफ मुड़ते चले गए। किसी भी अर्थव्यवस्था, अपने आप में एक प्रिक्योरिलिटी है। हिन्दुस्तान एक अलग है। राजस्थान, हिन्दुस्तान बिलकुल अलग है। जो राजस्थान का माडल है और जो हिन्दुस्तान का माडल है वह हरेक का स्पेसिफिक माडल है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना खुद का माडल इनवाल्व करना चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हिन्दुस्तान को अपना खुद का आर्थिक माडल डवलप करना चाहिए था। हिन्दुस्तान की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, हिन्दुस्तान और राजस्थान की जरूरत के अनुरूप राजस्थान में करना चाहिए था, नहीं हुआ। कभी तो हम चले जाते हैं रूस के माडल की तरफ, कभी चले जाते हैं अमेरिका के माडल की तरफ, कभी मिक्स इकोनामी लेते हैं, थोड़ा इधर से ले लो, थोड़ा उधर से ले लो, यह मिक्स इकोनोमी है। हालत यह हुई कि आज राजस्थान की हालत इतनी खराब हो गई कि, अभी थोड़ी देर पहले बजट के भाषण पर मैंने कहा था, 4 परसेंट पर ग्रोथ रेट आकर टिक जाए। जहां पर 52 परसेंट जनता 19 परसेंट जीएसडीपी पर जिंदा हो, हिन्दुस्तान की आजादी के 67 साल बाद। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माडल हम गये 50-60 साल में लेकर चलते रहे वह हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला माडल नहीं था।

इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहला बजट था जिस बजट ने राजस्थान की वास्तविक जरूरत को समझा। राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो सकता है यह समझ सकते हैं। राजस्थान में पानी नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा हूं हिन्दुस्तान का 89 परसेंट डेजर्ट राजस्थान में है। पानी नहीं है इसका मतलब बिजली नहीं। पानी नहीं तो हाइडल प्रोजेक्ट नहीं, उसका कोयला नहीं, बिजली पैदा नहीं हो सकती, बिजली कहीं और से लानी पड़ेगी, कोयला लाना पड़ेगा कहीं और से। बिजली लानी पड़ेगी, नेशनल ग्रिड से लानी पड़ेगी, ट्रान्सपोर्ट करनी पड़ेगी। पानी नहीं हो, एग्रीकल्चर के विकास की भी एक स्थिति, एक सीमा हो सकती है, उसके बिना एग्रीकल्चर डवपलपमेंट नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर डवपलमेंट एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। पानी नहीं होने के कारण, बिजली नहीं होने के कारण इण्डिस्ट्रयलाइजेशन उस तेजी से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, फिर राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है। राजस्थान पर तीन पोजिटिविटिज आफ लैंण्ड राजस्थान, हिन्दुस्तान पर सबसे ज्यादा जमीन, टेलेंट। हिन्दुस्तान जब 47 में आजाद हुआ तो हिन्दुस्तान के पहले 100 इण्डस्ट्रीयलिस्ट थे उसमें टाटा को छोड़कर 99 के 99 राजस्थान के लोग थे। इतने टेलेण्टेड लोग। राजस्थान की जनता को ह्यूमन रिसोर्स में कैसे तब्दील करना है इसकी चिन्ता हिन्दुस्तान में 67 साल से नहीं हुई। राजस्थान की लैण्ड का अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसकी चिन्ता हम नहीं कर पाये। राजस्थान की इकानोमी के अन्दर इनवेस्ट को पैदा करके, इनवेस्टमेंट का इंफ्यूजन कैसे किया जाए, उस इनवेस्टमेंट के सोर्सेज क्या हैं, उसकी चिन्ता किसी ने नहीं की। हमको जब पैसे की जरुरत पड़ी, हम कर्जा ले आये। लगातार 66 साल से कर्जे पर कर्जा। हर सरकार ने लिया, हमारी सरकार ने भी लिया। पैसा कम पड़ा, कर्जा आ गया, फिस्कल डेफिसिट आ गया। लेकिन कर्जे से राजस्थान की इकानोमी का डवलपमेंट हो सकता होता तो आज सवा दो लाख के करीबन हमारा कर्जा हो गया, सवा दो लाख करोड़ के आसपास कर्जा पहुंच रहा है। सवा दो लाख करोड़ का कर्जा, जिसमें कांग्रेस के राज में लिया कर्जा, वह भी शामिल है, अधिकतम तो वही है। हमारे राज में भी हमने कर्जा लिया है। केवल कर्जे से विकास हो चुका होता तो हिन्दुस्तान और राजस्थान का विकास हो चुका होता।

(13.41 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

लेकिन कर्जे से हम इन्वेस्टमेंट क्रियेट नहीं कर सकते। कर्जा एक तरीका है। यह सही है। एडम स्मिथ के जमाने में, जिन्हें फादर आफ इकोनोमिक्स कहते हैं, रिकार्डो कहता था कि कर्जा डवलपमेंट का एक इनस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्यों लें कर्जा। केवल कर्जे के भरोसे सरकार चलेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि पहली बार ऐसा बजट आया है, सबसे बड़ा बजट। आज तक के राजस्थान के इतिहास का सबसे पहला बजट है और मैं सदन को भी इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं, यह पहला बजट है जिसके अन्दर एक लाख करोड़ से ऊपर की प्राप्तियां राजस्थान को हुई हैं। एक लाख 13 हजार करोड़। इससे पहले कभी एक लाख करोड़ से नीचे ही रहा है हमारा बजट। हमारा बजट एक लकीर, रिसीप्ट जो हो रही है, वह एक लाख करोड़ से नीचे रहा। पहली बार एक लाख 13 हजार करोड़ से ऊपर का ज्यादा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

खर्चा इस बजट में होगा। केवल यह खर्चा बजट से होगा, इतना ही काफी नहीं है। इतना हो जाए तो हर बार होता है। बजट पेश करते हैं, बजट में बताते हैं हमारा इतना एक्सपेंडीचर है, प्लान पेश करते हैं, प्लान में बताते हैं इतना एक्सपेंडीचर है। प्लान का खर्चा हो जाएगा, बजट का खर्चा हो जाएगा। लेकिन हम इस बजट के माध्यम से केवल बजट का खर्चा नहीं करना चाहते। हम इस बजट के माध्यम से केवल प्लान का खर्चा नहीं करना चाहते। हम इस बजट के माध्यम से राजस्थान के अन्दर उस इनवेस्टमेंट को लाना चाहते हैं जो बजट से बाहर, प्लान से बाहर होगा और यह इनवेस्टमेंट होगा जो राजस्थान का फार्च्यून चेंजर होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह बजट, जिसे पहली बार हम लेकर आये हैं, यह राजस्थान का फार्च्यून चेंजर बजट है, राजस्थान की अर्थ व्यवस्था केवल बजट पर आधारित नहीं होगी, केवल प्लान पर आधारित नहीं होगी लेकिन राजस्थान की अर्थ व्यवस्था का विकास मल्टी-डाइमेंशन इनवेस्टमेंट इंफ्यूजन, हेवी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंफ्यूजन से पैदा होगा।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से तब, जब हमें लगा, मैंने बजट के भाषण पर गई बार भी कहा था कि राजस्थान की हालत तो बहुत खराब है, अभी, जो हमको विरासत में मिली। गई बार के राज में 08-09 प्रतिशत से ऊपर की ग्रोथ-रेट चल रही थी, वह 4 प्रतिशत पर आकर टिक गई। जो हम रेवेन्यू सरप्लस में हुआ करते थे, रेवेन्यू डेफिसिट हमारे जमाने में खतम हो गया था। वह दुबारा रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। माननीय प्रद्युम्न सिंह साहब यहां विराजे हुए हैं, मानिक चन्दजी सुराणा साहब विराजे हुए हैं। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब इसी सदन के अन्दर बहस हुआ करती थी, फिस्कल डेफिसिट की जब हम चर्चा करते थे, राजकोषीय घाटे की चर्चा करते थे। राजकोषीय घाटे की चिंता दो चीजों की करते थे। क्वालिटी आफ फिस्कल डेफिसिट, यह फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट डवलपमेंट इकोनोमी में होता है। जब हम विकास करेंगे, हमें पैसा चाहिएगा, पैसा चाहिएगा तो कर्जा भी आएगा, कर्जा आएगा तो फिस्कल डेफिसिट होना लाजिमी है। लेकिन उस फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी क्या है, तो हम कहते थे, दो चीजें नहीं होनी चाहिए फिस्कल डेफिसिट में। राजकोषीय घाटे में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो उसमें राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए, राजस्व घाटा फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। यह पाप है। उससे भी बड़ा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पाप है नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं आपके बजट के भाषण के बाद की चर्चाओं को पढ़ रहा था। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी। तब, राजस्थान में दिक्कत नहीं थी, नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट, फिर रेवेन्यू डेफिसिट और फिर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कर्जा। फिस्कल डेफिसिट को पूरा किसने किया, रेवेन्यू अकाउण्ट के खर्चे को पूरा करने के लिये नान प्लान रेवेन्यू अकाउण्ट के डेफिसिट को पूरा करने के लिये। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के टाइम में पहली बार राजस्थान के इतिहास में नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट को खतम किया और यह वसुंधराजी के राज में हमने रेवेन्यू डेफिसिट को भी खतम कर दिया। इसलिये हमारे टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट हुआ, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी एण्ड डवलपमेंट ओरिएंटेड फिस्कल डेफिसिट, विकास केन्द्रित राजकोषीय घाटा, लेकिन आपके राज में चार साल में फिर वही हो गया, फिर रेवेन्यू अकाउण्ट का डेफिसिट पार्ट हो गया, फिस्कल डेफिसिट का। फिर फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी गिर गई। आज हालत यह है कि जब आपने हमको सरकार सौंपी तो 14-15 प्रतिशत के आस-पास तो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू अकाउण्ट के डेफिसिट का था। यह फिस्कल डेफिसिट होना, इतना बड़ा गम्भीर नहीं है, अच्छी बात भी है कई बार। फिस्कल डेफिसिट तो कंटेंन होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन इस बार तो फिस्कल डेफिसिट के अन्दर रेवेन्यू अकाउण्ट का डेफिसिट था और रेवेन्यू अकाउण्ट का डेफिसिट होने के कारण 15 प्रतिशत पार्ट तो रेवेन्यू अकाउण्ट के डेफिसिट का था। कर्जा, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं, कर्जा पाप नहीं है। कर्जा पाप बन जाता है। कर्जा अगर प्रोडक्टिव है, कर्जा अगर विकास के लिये काम में लिया जाए, कर्जा अगर कैपिटल फार्मेशन के लिये काम में लिया जाए, कर्जा अगर विकास, असैट्स क्रियेट करने में किया जाए तो कर्जा इकोनोमी के विकास को गति देता है। लेकिन अगर कर्जा इसमें काम नहीं आ रहा, कैपिटल फार्मेशन में काम नहीं आ रहा, असैट्स क्रियेशन में काम नहीं आ रहा, अगर इकोनोमी के अन्दर मूमेंटम क्रियेशन में काम नहीं आ रहा, अगर स्टेंगनेंट इकोनोमी में मूमेंटम पैदा नहीं कर रहा है तो वह कर्जा काउण्टर प्रोडक्टिव है। कर्जा लेना कितना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं आज कर्जा लेने जाऊंगा तो बैंक मुझसे पूछेगा कि कर्जा तो आपकी मर्जी आए उतना ले लो, पहले बताओ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चुकाओगे कैसे। अब डेट ले लो, डेट की सस्टेंबिलिटी, आप डेट, एक इकोनोमी कितना डेट सस्टेंन कर सकती है। कौनसी अर्थ व्यवस्था के अन्दर कितना कर्जा लेने की क्षमता है, यानी कर्जा चुकाने की क्षमता है। अगर कर्जा चुकाने की आपमें क्षमता नहीं है तो डेट आपको दिवालियेपन की ओर ले जाएगा। डेट चुकाने की क्षमता आपकी अर्थ-व्यवस्था में है या नहीं, यह कैसे मालूम पड़ेगा। मैं पैसे उधार लिये जा रहा हूं, लिये जा रहा हूं और पैसा चुकाऊंगा कैसे। पैसा चुकाऊंगा कमाकर। अगर मैं पैसा लाऊंगा, इनवेस्टमेंट में लगाऊंगा, मकान बनाऊंगा, मकान का भाव बढ़ेगा। फैक्टरी लगाऊंगा, फैक्टरी से कमाऊंगा, चुकाऊंगा। यानी मैं उस पैसे का, उस कर्जे का कितना उपयोग इकोनोमी को डवलप करने में लगा रहा हूं, यह तय करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कर्जा लिया सवा लाख के आसपास, पांच साल में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कितना?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सवा लाख, एक लाख 22 हजार के आसपास, दोनों कर्जे। गारण्टी लोन के साथ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका मतलब है, हमने लिया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हुकुम?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने कहा ना कि आपने एक लाख 22 हजार करोड़ कर्जा लिया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां, हां। एक लाख 22 हजार करोड़ रुपया कर्जा तो आपने ही ले लिया, हुकुम।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमारा लिया हुआ है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां, पांच साल का बता रहा हूं मैं आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आ जाइये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं बता रहा हूं। साठ हजार करोड़ से ऊपर का तो आपकी पावर कम्पनियां ही ले गईं, हुजूर।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कर्जा याद रखो, साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): साठ हजार करोड़ रुपये से ऊपर का कर्जा तो आपकी पावर कम्पनियां ही ले गईं पांच साल में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पावर कम्पनियां ले गईं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): तो मैं यही तो कह रहा हूं, ज्वाइंट। अच्छा मैंने आज कर्जे की गारण्टी दी। मैं यही तो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जो पाप पांच साल में आपने किया, वह यही पाप है। वरना राजस्थान की इकोनोमी में कर्जा लिया जाता था, कर्जा बजट में रिफलेक्ट होता था, बजट में दिखता था। आजकल आप बजट से बचाने लगे हैं। कर्जा लेना चाहते हैं, कर्जा लिया, बजट में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते। यह परम्परा गये पांच साल में जितनी तेजी से चली, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यजी को, कर्जा लेना, लेकिन छिपा कर कर्जा लेना, पिछले दरवाजे से कर्जा लेना, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कर्जा लेना, उस कर्जे का दुरुपयोग कर लेने का कोई इतिहास बना है तो कांग्रेस के पांच साल के इतिहास में बना है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Sorry to interrupt you. Its an interesting debate. क्या बिजली कम्पनीज सक्षम नहीं हैं कर्जा लेने के लिये। कारपोरेशंस क्या सक्षम नहीं हैं कर्जा लेने के लिये, छिपा कर लेने की उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी ना। इतना मैं खाली आपसे कहना चाहता हूं। सक्षम थीं, जब उनकी वायबिलिटी खतम होने लगी तो स्टेट गवर्नमेंट को गारण्टी देनी पड़ी उसके अन्दर, सीधी सी बात यह है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता, अगर बिजली कम्पनियां आपके राज में कर्जा लेने के लिये सक्षम होतीं। आपके राज में पहली बार हुआ कि जहां बिजली कम्पनियां कटोरा लेकर बैंकों के सामने गईं और बैंकों ने मुंह मोड़ लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हिन्दुस्तान के कई राज्यों की बिजली कम्पनियां, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। देखिये, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। राजपालसिंहजी बहुत, मुझसे अधिक ज्ञानी हैं। ना, ना, ईमानदारी की बात है। इसमें कहीं कुछ नहीं है। एक श्रीमान शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे भी ज्ञानवर्द्धन होगा, और मानिकचन्दजी सुराना तो हैं ही।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं तो ऐसे ही निवेदन कर देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, ना। आप आधी बात कहते हैं, आधी बात आप छुपा जाते हैं। वह मैंने निकाल लिये हैं सब। ऐसा नहीं था, राजपालसिंहजी कि खाली राजस्थान की हालत थी, बहुत सारे प्रान्तों की बिजली कम्पनियों की हालत ऐसी ही थी कि भारत सरकार को रिस्ट्रक्चरिंग की नौबत आई। शार्ट टर्म लोन को लोंग टर्म में कन्वर्ट किया गया। बहुत-सा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शार्ट टर्म लोन बिजली कम्पनियों का राज्य सरकार को अपने ऊपर लेना पड़ा तो, खाली मेरा मतलब यह है कि लार्जर पर्स्पेक्टिव में, मैं आगे कहूंगा I am sorry. I am interrupting you. I am very sorry.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिन्दुस्तान के अन्दर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है जनता के बीच में जवाबदारी। लोकतंत्र का मतलब है सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता। बिजली कम्पनियों ने लोन लिया होता, उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन किया होता, वह सारी सैल्फ-सस्टेनेबल हो जाती तो आज हमें डिसइनवेस्टमेंट करने की बात या पी.पी.पी. मोड पर जाने की बात नहीं करनी पड़ती। हमें रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात नहीं करनी पड़ती। हमें शार्ट टर्म लोन को लोंग टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। यह इसीलिए जरूरत पड़ रही है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि फाइनेंशियल कम्पनीज ने आपकी बिजली कम्पनियों को पैसा देने से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है।

इसकी आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। दिल्ली ने आपको फोर्स किया। दिल्ली की आपकी सरकार ने आपको फोर्स किया कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाएं। दिल्ली की आपकी खुद की सरकार ने आपको फोर्स किया कि अब कर्जा नहीं लें। कर्जा सस्टेनेबल नहीं है और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जा आप ले रहे थे यह आपकी इकानोमी सस्टेनेबल थी या नहीं थी? कर्जा हमने भी लिया है, इस साल भी ले रहे हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने कर्जा लिया तो हम कहना चाहते हैं कि कर्जा चुकाने की, अभी जैसा मैं कह रहा था 1 लाख 13 हजार करोड़ का हमारा बजट का वोल्यूम हो गया, लेकिन कितना पैसा विकास में लगेगा इसमें से? कितना पैसा ऐसा होगा जो राजस्थान की इकोनोमी के अन्दर रेवेन्यू जनरेट करेगा? कितना पैसा ऐसा होगा जो जी.डी.पी. की वृद्धि दर को तेज करेगा? कितना पैसा ऐसा होगा जो एम्प्लायमैंट जनरेट करेगा? यह कौनसा पैसा है? यह पैसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैपिटल आउट-ले। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लगातार घट रहा है। आपका लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा है। आपका पूंजीगत व्यय, हमारे टाइम में, पूंजीगत व्यय, जितना हमने कर्जा लिया उससे 109 परसेंट ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हमने। कैपिटल आउट-ले, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी छोटा पार्ट है यानी, वह कलेजा है इसका। वह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कलेजा है, यह वह कलेजा है जो कलेजा ताकत देता है इकोनोमी को आगे बढ़ने की, वह है कैपिटल आउट-ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐसा पार्ट। कैपिटल आउट-ले बढ़ रहा था हमारे जमाने में, 36.31 प्रतिशत की रफ्तार से। यानी, कि गये पांच साल की बात हम कर लें तो पांच साल के अन्दर जो हमारा टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का 14.7 परसेंट था, हमारा कैपिटल आउट-ले, एक्सपेंडिचर तो और भी ज्यादा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो और भी ज्यादा था। आपके पांच साल में कैपिटल आउट-ले घट कर क्या हो गया, 12.39 परसेंट आफ टोटल वोल्यूम।

इसका मतलब, आपकी इकोनोमी की कर्जा चुकाने की ताकत घट रही थी। आप यह कर्जा लिये जा रहे थे, लिये जा रहे थे, लिये जा रहे थे और पीए जा रहे थे, यह राजस्थान की इकोनोमी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां कर्जे को चुकाने की, एक अर्थ-व्यवस्था की ताकत लगातार घटती जा रही थी, कर्जे के द्वारा राजस्थान की जी.डी.पी., वृद्धि के अन्दर गति देने की ताकत घटती जा रही थी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जैसा मैंने पहले कहा कि राजस्थान की समस्याओं को देखकर राजस्थान की अर्थ-नीति को कभी तय नहीं किया गया। इस राजस्थान की अर्थ-नीति को तय करने के लिए पहली बार, राजस्थान के बजट के अन्दर यह दर्शाया गया है कि राजस्थान की आम-अवाम, राजस्थान की गरीब जनता और राजस्थान की इकॉनोमी को आगे बढ़ाने के लिए हरेक दिशा से, हरेक आयाम से किस प्रकार से यह इंटेंसिव कैपिटल इनफ्यूजन इकोनोमी में लाया, पैदा किया जा सकें। चाहे वह प्राइवेट सैक्टर से लाएंगे, कल राजेन्द्रजी राठौड़ जवाब दे रहे थे और बता रहे थे, इंडस्ट्रीज के बारे में माइनिंग के बारे में बता रहे थे। हमने भी किया। हम गयी सरकार में आये। हमने एम.ओ.यू. किया। हमने रिसर्जेंट राजस्थान किया। हमारा एम.ओ.यू. हुआ डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर का। केपिटलाइज ही नहीं कर पाये उसको आप। आप काम करना तो बहुत दूर की बात है हम जो खाना परोस गये, वह आप खा भी नहीं पाये। डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर का हमारा एम.ओ.यू. तय किया हुआ था। लोगों को तैयार किया हुआ था। आप उसको, कैपिटल इंवेस्टमैंट में तब्दील नहीं कर पाये। आपने भी किया था एक यह। बाद में लगा आपको कि कोई टका देने वाला नहीं था तो आपने कहा कि नहीं-नहीं, हम तो भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों से जो बाहर चले

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गये। हिन्दुस्तान से बाहर चले गये हैं। उनसे मुलाकात हो जाए, आ जाए पर राजस्थान के पैसे की बर्बादी की।

राजस्थान इतना धनाढ्य प्रदेश कभी भी नहीं रहा कि उस जगह से लगातार जिस ढंग से आपने काम किया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे टाइम में इंवेस्टमैंट में राजस्थान का स्थान छठा था देश में और आपके राज में वह घटकर 13वें स्थान पर आ गये हम। आपके जमाने के अन्दर 25 परसेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। दो लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गये और इसी इंडस्ट्रियल सैक्टर के अन्दर जब हम कहते हैं कि राजस्थान में 15 लाख लोगों को आने वाले टाइम में हम रोजगार देंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसी बजट के माध्यम से सरकार से भी रोजगार देंगे और प्राइवेट सैक्टर के अन्दर इतनी ज्यादा तेज गति से रोजगार में वृद्धि करेंगे कि 15 लाख की लिमिट को हम आगे बढ़ा देंगे।

आपका खुद का फेल्योर का स्टेटमैंट। आपने कहा कि हम तो बढ़े हुए थे, आपका इतना प्लान बढ़ा दिया, इतना हमने बजट बना दिया। यह हम गये थे जब, तब हमारी सरकार हमने आपको जब सौंपी थी तब चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो उस वक्त हम गये तो, अब उसके बाद में आपने इवेल्यूशन करवाया उसका। आपने जब इवेल्युएट करवाया, जो आपकी सरकार ने इवेल्युएट करवाया हमारे जाने के बाद तब उसने क्या कहा? इवेल्युएट करवाया, आपकी यह रिपोर्ट है। "The current Five Year Plan started with fairly comfortable financial situation for the State Govt. There was a revenue account surplus, the fiscal deficit was at a low level of less than 2% of GSDP with primary balance at that surplus. This translated into a positive and significant BSBCR for the plan. Total plan expenditure excluding Central Sponsored Schemes i.e. C.S.S. was at the relative high level of 5% of GSDP which was about a quarter of total expenditure excluding which are liabilities in that cadre." यह क्या कह रहा है? आपकी रिपोर्ट में भी, जब हमने आपको सरकार सौंपी और जब 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू थी तो पंचवर्षीय योजना का जो पहला साल हमारे राज में गया, उसमें हमारी फाइनेंशियल कंडिशन इतनी जबरदस्त थी कि बेलेंस फ्राम करेंट रेवेन्यू, B.C.R. हाई था। रेवेन्यू सरप्लस के अन्दर थे, प्लान को हम, प्लान फंडिंग को सस्टेनेबल लेवल पर ले गये। फिर क्या हुआ? आपका राज आया, पांच साल आपका बट्टे खाते चला गया, इस प्लान के आब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। इस प्लान के आब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए और आपके राज में। 12वां प्लान शुरू हो गया। 12वां प्लान शुरू हो गया तो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय सभापति महोदया, 11वें प्लान के आब्जेक्टिव थे, 11वें प्लान के जो हम इनको देकर गये थे और इनकी वायबल सिचुएशन देकर गये थे जो इनकी खुद की रिपोर्ट कह रही है-11th Five Year Plan, 2007 to 2012 उसके आब्जेक्टिव क्या? Average inclusive growth towards faster sustainable and more inclusive growth. चलो, क्या कह रहे हैं? Average inclusive growth rate of 9%. यह एचीव करेंगे। with 4.1% growth rate in agriculture, 10.5% growth rate in industries and 9.9% growth rate in the service sector and to double per capita income. यह आब्जेक्टिव था इलेवन फाइव ईयर प्लान का, जिसको हम देकर गये थे। क्या हुआ? प्लान पूरा आपके राज में हुआ। क्या हुआ? 9 परसेंट ग्रोथ रेट का इनका आब्जेक्टिव था जो हम छोड़कर गये थे वह आ गई 4 परसेंट पर ही। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो कह रहे थे 10.5 परसेंट बढ़ा देंगे, हमारे टाइम में 35 परसेंट की रफ्तार से एग्रीकल्चर बढ़ रही थी। इनके यहां पर गई साल तो आते -आते नेगेटिव ग्रोथ रेट में तब्दील हो गयी। इंडस्ट्री 9.9 परसेंट की ग्रोथ नहीं कर पायी। हुआ क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना में जक-मार के इनको वही आब्जेक्ट रखने पड़े, घटाने पड़े। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर आब्जेक्ट आप पूरे नहीं कर पाये। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उन्हीं आब्जेक्ट को रिपीट करना पडा और रिपीट करते टाइम टार्गेट को कम करना पडा। तो यह पांच साल तो बट्टे खाते ही गये हुजूर। पांच साल क्या किया? कर्ज लिया और घी पीया। आपने 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके आपने क्या आब्जेक्ट रखे? वह के वह आब्जेक्ट है। टार्गेट तो एचीव होते नहीं है। आपने भी रियलाइज कर लिया। Faster sustainable and more inclusive growth. वह का वही आब्जेक्ट। क्या करेंगे? Average inclusive growth rate of 9%. जो अटेन नहीं कर पाये आप। Along with 4% growth rate of agriculture यह पाइंट वन परसेंट गिरा लिया खुद ने ही, and 9.6% growth rate in indinstries. यह भी गिरा लिया आपने और सभी सैक्टर्स की ग्रोथ रेट भी गिरा ली आपने। यानी, कुछ नहीं बना तो आपने एक अच्छा काम किया, आपने स्वीकार कर लिया पब्लिकली कि हमारा कोई फिस्कल कंट्रोल नहीं है, कोई फिस्कल फिलोसो नहीं है। सरकार का कोई कमिटमेंट नहीं है। सरकार में एक्सीलेंस नहीं है। सरकार फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है, यह ग्लूमिंग सरकम्सटांसेज है, यह डूम्ड इकोनोमी है।

हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के आब्जेक्ट्स पूरे नहीं कर पाये। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर वही की वही आब्जेक्ट रखा और आब्जेक्ट के टार्गेट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

को घटा दिया इससे बड़ी स्वीकारोक्ति राजस्थान के इतिहास में, प्लान के इतिहास में हो नहीं सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना आपने सौंपी है हमको। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह 2012 से 17 तक चलेगी। यह 2014-15 का बजट है। यह 2014-15 में हमको दी है आपने। आपका टार्गेट क्या है 9 परसेंट ग्रोथ रेट और हमारा विजन डाकुमेंट क्या कहता है सरकार का? 12 परसेंट ग्रोथ रेट। हम इस राजस्थान को 4 परसेंट ग्रोथ रेट से उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां पर 12 परसेंट हम जी.एस.डी.पी. ग्रोथ रेट में हम तब्दील करेंगे आने वाले टाइम में। आपका टार्गेट ही 9 परसेंट का था। गई बार भी 9 परसेंट का ही था। एचीव ही नहीं कर पाये, 4 परसेंट पर आकर टिक गये।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया, कि राजस्थान के साथ में गये पांच साल में जितना बड़ा आर्थिक धोखा हुआ है, राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के साथ, पूरे पांच लाख करोड़ का बजट और प्लान एक्सपेंडिचर के बावजूद, उसके बाद भी राजस्थान की ग्रोथ रेट को 4 परसेंट पर लाकर टिका देना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप था। पांच लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट और प्लान एक्सपेंडिचर करने के बावजूद एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ रेट को नेगेटिव लाकर छोड़ देना यह पाप था।

(14.00 बजे)

पहली बार यह बजट आया है, यह किसी फाइनेंशल विजार्ड का आया है। यह वह विजडम है जिसमें कलेक्टिव विजडम भी नजर आती है और फाइनेंस मिनिस्टर की विजडम भी नजर आती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस विजनफुल विजडम का जो डाक्यूमेंट हमने पेश किया, जिसको एप्रूव किया है डिमांड्स के माध्यम से अभी तक सदन में, उसमें आपने देखा होगा, कल की प्रोसिडिंग आपने देखी होगी इसीलिये आप इसकी खिलाफत नहीं कर पाये। अब मैसिव रिफार्म्स, हर डायमेंशन में रिफार्म, हर दिशा में रिफार्म, आपने अभी कहा ki employment generation is important. हमने कहा एक ग्रोथ। थोडी देर पहले मैंने कहा था, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। हम 12 प्रतिशत ग्रोथ पर ले जाएंगे और ग्रोथ कौनसी, कैंसियर्स ग्रोथ नहीं। राजस्थान के किसी सैग्मेंट में भी ग्रोथ नहीं। राजस्थान की जी.डी.पी. का जो कम्पोजिशन है, उस कम्पोजिशन को ज्यादा इंक्लूजिव कम्पोजिशन में तब्दील करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं हो कि राजस्थान

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की 52 प्रतिशत जनता 19 प्रतिशत जी.डी.पी. पर जिंदा रहे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। यह ग्रोथ होगी इंक्लूजिव, यह ग्रोथ होगी सस्टेनेबल। यह इंक्लूजिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ पैदा करेगा, जो एम्प्लायमेंट पैदा करेगा। इस एम्प्लयमेंट से और जिस इन्वेस्टमेंट से जो हम बोएंसी पैदा करेंगे इकोनोमी के अन्दर, और इससे लगाकर इन्वेस्टमेंट पालिसी हमारी सरकार लाने वाली है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिफार्म्स के जरिये जो इकोनोमी लगातार स्टेगनेंट पड़ी थी पिछले पांच साल में, सुस्त, मृतप्राय:, पैरासाइट इकोनोमी, परजीवी इकोनोमी, इस परजीवी इकोनोमी को सैल्फ सस्टेनेबल इकोनोमी में तब्दील करेंगे माननीय सभापति महोदय, इसीलिये आपने कहा अभी थोड़े दिन पहले, कम्पनियां क्या कर्जा लेने की हैसियत नहीं रखतीं? हम इन कम्पनियों को ऐसी स्थिति में पहुंचाएंगे, हम इस स्थिति में पहुंचाएंगे और इसीलिये राजस्थान की इकोनोमी को तेज करने के लिये हमने इकोनोमी को सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में जोड़ दिया। हम डवलपमेंट कैसे करें माननीय सभापतिजी, पूरी दुनिया के अन्दर दो तरीके हैं, एक तो 66 साल में जो हमारे वहां गरीब, गरीब, गरीब, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, क्या करें, कैसे हटाओ, इंजेक्शन लगा दिया। काहे का? साड़ी का लगा दो, दो रुपये किलो अनाज का लगा दो, जिंदा रखो, किसको? उस मरे हुए को, अधमरा जिंदा है। उसको स्वावलम्बी मत बनाओ, उसको मजबूत मत बनाओ। नरेगा में काम दे दो। साड़ी दे दो, फोकट में दवाई दे दो। राजस्थान का आदमी कब तक इलाज के लिये सरकार की ओर देखता रहेगा? राजस्थान की नारियां अपनी साड़ियों के लिये कब तक सरकार की तरफ देखती रहेंगी? राजस्थान का नौजवान दो जून की रोटी के लिये नरेगा का मजदूर बनने के लिये सरकार की तरफ टकटकी बांधकर कब तक देखता रहेगा? इस तस्वीर को बदलना पड़ेगा, राजस्थान की तकदीर को बदलना पड़ेगा, राजस्थानी की तकदीर को बदलना पड़ेगा।

इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, हमने एक बहुत ही जबरदस्त इन्फ्यूजन तैयार किया है। एक तो सोशल सैक्टर के अन्दर सीधा इन्फ्यूजन और दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूं 12 प्रतिशत ग्रोथ तक ले जाएंगे। बड़ी नोन स्ट्रेटेजी है इकानोमिक्स की। बरसात का मौसम चल रहा है माननीय सभापति महोदय, पानी आसमान से आ रहा है। लोग कह रहे हैं पानी आना चाहिये। क्यों? वाटर टेबल बढ़ेगा, वाटर टेबल। वाटर टेबल तो 500 फीट नीचे है। पानी आसमान से आ रहा है। आसमान का पानी वाटर टेबल को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बढ़ाएगा, यही इकानोमी में होता है। इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी। इतना तेज इकोनोमिक बोएंसी पैदा करो, इतनी तेज इकोनोमी एक्टिविटी पैदा करो, इतना तेज कैपिटल फोरमेशन पैदा करो, इतनी तेज प्रोडक्टिविटी पैदा करो इकोनोमी के अन्दर, कि वह ट्रिकल डाउन, वह डवलपमेंट नीचे जाएगा। नीचे कब तक? उस तक, जिसको साड़ी बांट रहे हैं आप। उस तक, जिसको दो-दो रुपये के लिये मोहताज कर दिया आपने आपके 66 साल के राज में, उस तक। इसलिये 12 परसेंट की ग्रोथ रेट जब वह अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी के तहत यह 12 परसेंट की ग्रोथ रेट उस तक पहुंचेगी और जिस दिन उस तक पहुंचेगी, उस दिन 19 परसेंट जी.डी.पी. का 52 परसेंट, राजस्थान की जनता जिंदा नहीं रहेगी। तब न तो राजस्थान का डवलपमेंट होगा, न राजस्थान का विकास होगा, बल्कि हर उस राजस्थानी का विकास होगा, जो 75 हजार दूर ढाणियों में बैठा हुआ है। जहां हम अभी तक न ढंग की बिजली पहुंचा पाए न ढंग का पानी पहुंचा पाए, न हैल्थ की मशीनरी पहुंचा पाए, न ह्यूमन डवलपमेंट के कोई कंडीशन एनवायरनमेंट पैदा कर पाए। यह जो प्रिकेरियस इकोनोमी कंडीशन आपने हमको विरासत में दी है, इसको हम तब्दील करेंगे, इसको हम ट्रांसफोर्म करेंगे। इस मिस-फोर्चून को हम फोर्चून में ट्रांसफोर्म करेंगे। इस ग्लूम को हम बूम में ट्रांसफोर्म करेंगे, जूम में ट्रांसफोर्म करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इसका आपने रिफ्लेक्शन देखा होगा और आपके मन ने स्वीकार कर लिया। मुझे खुशी है इस बात की, कि पूरे के पूरे विपक्ष ने अपने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिये पूरे बजट और डिमांड पर बहस के दौरान बजट पर किसी प्रकार की कोई मोटी आपत्ति इन्होंने दर्ज नहीं करवाई। इन्होंने पहली बार स्वीकार कर लिया कि यह वह बजट है जो राजस्थान की तकदीर को बदलेगा, यह वह बजट है जो राजस्थान की तस्वीर को बदलेगा। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का इकोनोमिक एण्ड सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर इस बार जोड़ दिया गया, यह एक्सपर्ट बजट है, शानदार है। गांव-गांव तक उसकी दवा पहुंची? यह जो 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हम कर रहे हैं। इस 20 हजार किलोमीटर की सड़कों की बात करें तो सड़कें नहीं पहुंचेगी। 70 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश तो इसके माध्यम से अपने आप ही पहुंच जाएगा बाहर से। Over and above the budgetary expenditure, over and above the investment of budget and plan. 70 हजार करोड़ का इन्फ्यूजन इन इकोनोमी केवल इसके माध्यम से होगा। न तो अभी यह सड़कें पहुंचीं, सड़कों की जगह सड़कें पहुंचेंगी, परिवहन तेज होगा,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किसान को फायदा होगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही 70 हजार करोड़ रुपये का जो इन्फ्यूजन होगा इकोनोमी में, अकेला इकोनोमी में सड़कों के माध्यम से, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते यहां बैठकर अभी, कि किस प्रकार से राजस्थान की इकोनोमी के ट्रांसफोरमेशन के अन्दर, राजस्थान के एम्प्लायमेंट जनरेशन पर उसका असर पड़ेगा।

आपने पावर की बात की। इसमें कोई शक नहीं है पावर राजस्थान की समस्या है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान में पानी नहीं है। राजस्थान के पास कोयला नहीं है। राजस्थान के पास पानी नहीं है इसलिये हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे आ नहीं सकते। कोयला नहीं है, यह कोयला लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। कोयला यहां लायेंगे, बिजली पैदा करेंगे, तो बिजली मंहगी बनेगी। ज्यादातर बिजली हम बाहर से लाते हैं। ट्रांसमिशन लोसेज इसीलिये भी हमारे ज्यादा हैं कि बिजली को वहां से लाकर यहां डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत लम्बा काम है। इसीलिये राजस्थान में हमने जब राज छोड़ा था तो पावर के कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, जो पाइप लाइन में थे? आप जानते हैं राजस्थान के विकास के लिये पावर कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे किसान का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, बिजली लाइफलाइन है। बिजली विकास का पावर हाउस है। यह जानने के बावजूद केवल इन पांच सालों में उन्हीं प्रोजेक्टों के फीते काटते रहे, जो प्रोजेक्ट वसुन्धरा राजेजी के पुराने राज के पाइपलाइन में थे। अब एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, जिसको कंसीव ही आपने किया होता, डवलप भी आपने ही किया होता और उसको क्रिटिकल भी आपने ही बनाया होता। आप कुछ नहीं कर पाये। इसीलिये यही कारण हैं आप केवल एक काम करते गये, कर्जा लेते गये। 60 हजार करोड़ का कर्जा बिजली कम्पनियों ने लिया, लेकिन क्या बनाया? कितने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसीलिये बार-बार कहना चाहता हूं गये पांच साल का आपका काल राजस्थान के इतिहास में आर्थिक कलंक के रूप में याद किया जाएगा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि पावर सैक्टर के अन्दर हम आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। उस पावर सैक्टर को रि-स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। पावर जनरेशन के क्षेत्र के अन्दर हम रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि कोयला नहीं है। प्रद्युम्न

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सिंहजी साहब भी जानते हैं। आप जानते हैं कि पानी नहीं है और आपका पानी तो बिलकुल ही पांच साल में मर गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान) इसीलिये आपने देखा होगा कि पावर सैक्टर के अन्दर तो हम वैसे रिफोर्म कर ही रहे हैं। ट्रांसमिशन के क्षेत्र को पी पी पी माडल पर एक्सपेरिमेंट पर ला रहे हैं। कुछ इसमें इन्वैस्टमेंट भी कर रहे हैं। साथ ही हम राजस्थान की पावर के कम्पोजिशन को बदलना चाहते हैं।

सोलर एनर्जी के क्षेत्र के अन्दर हम 25 हजार मेगावाट का प्रोडक्शन आने वाले टाइम में करना चाहते हैं। यहां भी वही चमत्कार होगा, जो रोडों में चमत्कार होगा, 1 लाख 25 हजार करोड़ का विनियोजन इसी के माध्यम से हो जाएगा। एक तरफ राजस्थान की पावर की कमी खतम होगी, दूसरा राजस्थान के पावर का कम्पोजिशन कितना कोल है, कितना न्यूक्लियर है, कितना थर्मल है, कितना हाइडल है, उसमें एक डायमेंशन और जुड़ेगा, कितना सोलर है। और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के सैक्टर के अन्दर नया इकोनोमिक डायमेंशन भी आएगा, प्रोडक्शन का डायमेंशन भी आएगा और इकोलोजिकल डायमेंशन भी आएगा। इन तीनों डायमेंशंस को इन-कारपोरेट करते हुए राजस्थान की एनर्जी, जिसको सोलर करने का कोई विजन डाक्यूमेंट कहीं पर आया है, तो पहली बार यह बजट के माध्यम से आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गये 66 साल के राज में क्या हुआ? आपने नये-नये डिपार्टमेंट खोल दिये। एक ही डिपार्टमेंट, चार डिपार्टमेंट का काम एक ही कर रहा है। जैसी पालिटिकल इनएफिशिएंसी है, वैसी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी पैदा कर दी। हम उस हर डिपार्टमेंट को इन्टीग्रेट करना चाहते हैं, हमने इन्टीग्रेट करने की कोशिश की है। हमारा यह मानना है कि एफिशिएंसी का इंडैक्स, गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का सूचकांक ऊपर रहना चाहिये।

डिलीवरी का इंडैक्स सबसे ऊंचा रहना चाहिए और इसीलिए हमने देखा कि कहां-कहां ऐसे इलाके हैं जहां मल्टीप्लिसिटी आफ एजेंसीज हैं, उन मल्टीप्लिसिटी आफ एजेंसीज को हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है और इंटीग्रेट करके हम उस सैक्टर के अन्दर थ्रस्ट पैदा करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए आरयूआईएफडीसीओ मतलब आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर के हमने जो बनाया है राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन जो बनाया है यह उसी दिशा में एक प्रयास है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जहां पर हम मल्टीप्लिसिटी आफ एजेंसीज को खतम करके इंटीग्रेटेड सोर्स बनाना चाहते हैं, एक इंटीग्रेटेड एजेंसी बनाना चाहते हैं जो इकोनोमी के अन्दर थ्रस्ट पैदा कर सके अपनी एक्टिविटी को चेस करके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था हमें केवल ग्रोथ नहीं चाहिए। हमें ग्रोथ चाहिए पर इन्क्लूसिव ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए हमें इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए और इक्विटेबल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा कम्पोनेंट है एम्प्लायमेंट। एम्प्लायमेंट कैसे आयेगा? जब बहुत बड़ी तादाद के लोग एम्प्लायड नहीं होंगे या अण्डर एम्प्लायड होंगे तब तक किसी भी ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हमने पहली बार, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कल जब राजेन्द्र जी राठौड़ इण्डस्ट्रीज की पालिसी की बात कर रहे थे, इण्डस्ट्रीज पर जवाब दे रहे थे, आपको पता है कितना बड़ा एम्प्लायमेंट वो इण्डस्ट्रियल सैक्टर के अन्दर कितना बड़ा एम्प्लायमेंट वो माइनिंग के सैक्टर में पैदा करेंगे। मैं आपको आज कह सकता हूं अगर यह सारी की सारी योजनाओं को जिस ढंग से हम पूरा करना चाहते हैं उस ढंग से पूरा कर दिया तो 15 लाख नहीं, 15 लाख से ज्यादा रोजगार राजस्थान की सरकार क्रिएट करेगी आने वाले पांच साल में।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस पूरे बजट के माध्यम से मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह ट्रांसफोर्मेशनल बजट है, यह जीएसडीपी के कम्पोजिशन को बदलेगा। एग्रीकल्चर सैक्टर के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो डिपेंडेन्ट हैं। जीएसडीपी का बहुत बड़ा, छोटा हिस्सा एग्रीकल्चर सैक्टर से आता है। इस प्रकार का इम्पेटस हम पैदा करना चाहते हैं। हम राजस्थान के एग्रीकल्चर सैक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उस प्रोडक्टिविटी को पंजाब और हरियाणा की प्रोडक्टिविटी के बराबर ले जाना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस कर्जे पर आपने राजस्थान को कर्जे में डुबोया है उस कर्जे को चुकाने की ताकत राजस्थान की इकोनोमी में कोई पैदा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में पैदा करेगी। हम चाहेंगे कि जीएसडीपी की 12 परसेंट की ग्रोथ वाला ट्रेंड, जो कैपिटल एक्सपेंडीचर आपका घट गया है, जो कैपिटल आउट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

-ले आपका घट गया है जो 2.9 परसेंट पर आकर टिक गया है, जिससे राजस्थान की इकोनोमी लूली-लंगड़ी इकानोमी में तब्दील हो गयी है उसको बढ़ा कर हम जीडीपी के साढ़े तीन परसेंट से ज्यादा ले जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार एग्रीकल्चर सैक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ायेंगे वैसे ही पशुपालन के क्षेत्र के अन्दर हम दोगुना दूध का उत्पादन करेंगे।

इस प्रकार मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वो 33 लाख बेरोजगार जो वर्तमान के अन्दर राजस्थान सरकार की तरफ टकटकी बांध कर देख रहे हैं उनको इस 12 परसेंट की ग्रोथ रेट के साथ में 15 लाख से ऊपर का एम्प्लायमेंट जनरेट करके आने वाले समय में यह बजट राजस्थान की इकोनोमी को ट्रांसफोर्म करते हुए, राजस्थान के भाग्य को बदलते हुए एनर्जी पैदा करेगा, एम्प्लायमेंट पैदा करेगा और यह केवल एनर्जी इंडस्ट्री चलाने के लिए पैदा नहीं करेगा, राजस्थान की इकोनोमी में एनर्जी पैदा करेगा और राजस्थान के जन-जन के हाथों में और पैरों में एनर्जी पैदा करेगा। यह एनर्जी देने वाला बजट है।

इसी के माध्यम से यह फाइनेंस बिल जो आप लाये हैं यह फाइनेंस बिल है इस फाइनेंस बिल के अन्दर पूरा का पूरा रिफ्लैक्शन इस बात का है कि हम तो इकोनोमी को ट्रांसफोर्म करना चाहते हैं, जो मेक-शिफ्ट करना चाहते हैं, जो इकोनोमी की दिशा बदलना चाहते हैं और दिशा बदलने के साथ राजस्थान की जनता की तकदीर बदलना चाहते हैं। वो इसका रिफ्लैक्शन कहीं मिल सकता है तो यह रिफ्लैक्शन आपको साफ तौर से मिल सकता है। राजस्थान के तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के जिस तरह के हम रिफार्म्स ला रहे हैं, लेबर सैक्टर में रिफार्म्स ला रहे हैं वो लेबर सैक्टर के रिफार्म्स एक प्रकार का रिफ्लैक्शन देते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर किस प्रकार की होगी। मैं उम्मीद करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं वसुन्धरा जी को, जिस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है वो बजट गये पांच साल के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों के असर को निगेट करते हुए राजस्थान को उस दिशा में ले जायेगा जहां राजस्थान एक खुशहाल, स्वाभिमानी और मजबूत राजस्थान के रूप में हिन्दुस्तान के नक्शे में जाना जायेगा।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं, आपसे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक बात निवेदन करना चाहता हूं। संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुरूप हम सदन के माध्यम से जिस कर्तव्य और निष्ठा से इस राज्य के 6 करोड़ से भी ज्यादा, 6 करोड़ 85 लाख लोगों के भविष्य के लिए उस वित्त व्यवस्था को विभूषित करने जा रहे हैं जिसको हम एप्रोप्रिएशन के माध्यम से उस आम जन के घर की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम इस पर वाद-विवाद में फस कर कोई बहस करें, इसका सकारात्मक अर्थ अगर आप संविधान की मर्यादा को ध्यान में रख कर और परिभाषा को मद्देनजर रख कर आप करें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संविधान के उस अनुच्छेद पर या उस आर्टिकल पर, आर्टिकल 204 एप्रोप्रिएशन की बात करता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? Appropriate amount given for utilization for public purpose with the consent of this House. अब मुझे आप यह बताइये, आदरणीय सभापति महोदय, अगर ऐसा अमाउंट हमने एप्रोप्रिएट कर दिया न तो सदन ने कभी चर्चा की हो, न सदन ने जिस पर आज्ञा दी हो, न सदन में वो कभी आया हो और न इस सदन ने कभी उसको स्वीकार किया हो तो क्या वो एप्रोप्रिएशन अन-एप्रोप्रिएट नहीं होगा?

इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब हमने 2005 में एफ.आर.बी.एम. एक्ट लागू किया था उस एफ.आर.बी.एम. एक्ट के विस्तृत परिशिष्ट पर गारंटीज, हमने परिभाषित किया था। गारंटीज का क्या मतलब होता है, गारंटीज की जो परिभाषा है वो मैं उस एक्ट को पढ़कर आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं। गारंटीज मीन्स, ठीक वो ही बात है जो कि झोटवाड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य फरमा रहे थे, "Guarantee means liabilities (except outstanding guarantees against State Insurance and Provident Funds, which are included in total explicit liabilities), undertaken by the State Public Sector Undertakings ..." लायबिलिटीज का मतलब "... undertaken by the State Public Sector Undertakings or Special Purpose Vehicles. Where servicing and repayment liabilities fall on the State Government in the event of default by the primary borrower." अब मैं अगर यह बात करूं तो मैं उल्लेख करना चाहूंगा तत्कालीन वित्त सचिव के उस लैटर को जो उन्होंने सी.ए.जी. को जब सी.ए.जी. ने यह बात बार-बार कही कि यह आपकी आउट स्टेंडिंग लायबिलिटीज हैं यह आपके टोटल लायबिलिटीज में आएंगी कि सरकार को एक न एक दिन इन लायबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, यह आपके आउटस्टेंडिंग्स में आयेंगी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, यह चिट्ठी 18

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दिसम्बर, 2009 को लिखी हुई है 2009, 598. The F.D. has replied to the observation of PAC, that has now been complied और उसमें यह लिखा कि यह वो ही संस्थाएं जिन्होंने यह कर्ज लिया है वो सक्षम हैं, इसकी वो पूर्ति करती हैं। 2009 में तो, सर, आप यह करते हैं और यह करके दिसम्बर, 2012 में गवर्नमेंट आफ इंडिया की पावर सैक्टर रिफार्म्स के बारे में पावर फाइनेंस रि-स्ट्रक्चरिंग के लिए राजस्थान को भी बुलाया जाता है। राजस्थान को जब बुलाया जाता है तो एक लाख 90 हजार करोड़ की जो लायबिलिटीज हैं, जो पूरे के पूरे इस देश की लायबिलिटीज थीं डिस्काम्स पर। उसमें राजस्थान का 39,710 करोड़ रुपये का लायबिलिटी के हिस्से को रि-स्ट्रक्चरिंग के लिए कहते हैं और किस कमिटमेंट में कहते हैं? निवर्तमान सरकार जब दस्तखत करके आयी तो किस कमिटमेंट पर दस्तखत करके आयी? This comes with the caveat, केविएट का मतलब राइडर- This comes with the caveat that restructuring will be accompanied by steps- अब यह आप पर और हम पर, इस वर्तमान सरकार पर लागू होगा क्योंकि आपकी सरकार अब है- comes with the caveat accompanied by steps such as tariff revision टैरिफ रिविजन का मतलब क्या होता है? आप बिजली की कीमत बढ़ाओगे। सभापति महोदय, दस्तखत हमने नहीं किये, दस्तखत निवर्तमान सरकार ने किये हैं। यह जो बात झोटवाड़ा से आने वाले सम्मानीय सदस्य कह रहे थे न, वित्तीय संस्थाओं ने आर.बी.आई. की गाइडलाइन्स के हिसाब से डिस्काम को पैसा देना बंद कर दिया। जब डिस्काम को पैसा देना बंद कर दिया, सरकार की माली हालत इतनी रही नहीं कि इन डिस्काम्स को दे सकें तो सरकार ने जाकर केन्द्र सरकार के साथ में कड़ी से कड़ी जो जुड़ी हुई थी उसके आधार पर जब समझौते की बात कही और फाइनेन्स की री-फाइनेन्स की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप इन-इन चीजों का कमिटमेंट करोगे तो हम आपको पैसा देंगे। इसमें टैरिफ रिविजन, मीटरिंग, पेमेंट आफ सब्सिडीज। अब आ गया यहां।

Payment of subsidies by the state government यानी जो गारंटी आपने दी हुई हैं, डिस्काम के लासेज क्यों हैं, क्योंकि डिस्काम जिस रेट पर बिजली खरीद रही है उस रेट पर बिजली किसी को वितरण नहीं कर रही। वह सब्सिडीज जो लायबिलिटीज के रूप में डिस्काम की थी, वह स्टेट को लेने के लिए बाध्य कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर एप्रोप्रिएशन की व्यवस्था कानून के कायदे से बाहर है क्या? क्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस सदन की बगैर अनुमति से एक पैसा भी खर्च हो सकता है क्या? जितने अभिलेख आपने आज पेश किए, अगर उन अभिलेखों को नौकरशाही तोड़-मरोड़ कर दुबारा यहां पेश कर दे और सदन की अनुमति प्राप्त कर ले तो इससे बड़ा असंवैधानिक कृत्य हो सकता है क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मैं तवज्जोह चाहूंगा राजाखेड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य का कि यह कृत्य हुआ या नहीं हुआ। वह आप अपनी योग्यता के हिसाब से जरूर फर्माएं। हमने 2007 में FRBM act में गरीबी उन्मूलन निधि और विकास निधि का एक कोष बनाया था। यह कोष की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कोष को आप दुबारा आज इस फाइनेन्स बिल के साथ में री-इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जब यह कोष बना था तो इस कोष में 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की आय, इन तीनों वर्षों में जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स थीं, उसमें से हमने इस कोष में 850.96 करोड़ रुपया अलग-अलग वर्षों में डाला। 100 करोड़ रुपया हमने 2006-07 में डाला, 531.75 करोड़ हमने 2007-08 में डाला और 219.81 करोड़ रुपये हमने 2008-09 में डाला।

माननीय सभापति महोदय, अब मुझे यह बताइए कि यह पैसा हमने अपनी आय से Poverty alleviation and development programmes के लिए FRBM act के उस प्रोविजन के माध्यम से हमने यह पैसा डिपोजिट किया। यह इन-इन वर्षों में आय के रूप में इस सदन के बीच में आ चुका है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे वित्त विभाग वाले इस पैसे को घुमाते हैं। यह हम निधि छोड़कर गये, हमने खर्च नहीं किया। यह निधि कहां से आई कि अगर किसी भी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट का लक्ष्य साढ़े 17 परसेंट से ऊपर चला जाता है तो वह जो बची हुई राशि है वह इस निधि में आयेगी जो किसी विकास के काम में ली जाएगी, किसी नान प्लान के काम में नहीं ली जाएगी। ऐसे किसी विकास के कार्य में ली जाएगी जिससे कि गरीबी दूर हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह पैसा गया कहां? 2009-10 के अन्दर जो हमारा बजट आया उस बजट में हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट जो दर्शाया गया है वह 4500 से कुछ ज्यादा का है, 4747.48 करोड़ रुपया हमारा घाटा है। अब स्मरण रहे कि 2009 में इन्होंने इस फंड को FRBM से अमेंड करके बाहर निकाल दिया। 860 करोड़ रुपया निकाला और इन्होंने कहां डाला, इन्होंने उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

साल का जो रेवेन्यू है 35385 करोड़, इसमें 1000 करोड़ रुपया तो इस फंड का है जो पहले से ही आय के अन्दर यहां आ चुका था। आपको रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं डालना चाहिए था। अगर आप लेकर आए तो कैपिटल रिसीट्स के मिसलेनियस अकाउंट्स से लेकर आना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन को गुमराह किया गया या नहीं किया गया? जब आपकी आय 35 हजार करोड़ नहीं थी, आय 34 हजार करोड़ थी, आपका रेवेन्यू डेफिसिट 4547 करोड़ नहीं था, आपका रेवेन्यू डेफिसिट 54 से 5500 करोड़ रुपये था। हम किस फाइनेन्स बिल पर बात कर रहे हैं आज भी। आखिर यह सदन सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए है क्या कि जो चाहे जो एप्रोप्रिएशन में डाल दो। जो चाहे जो फाइनेन्स में डाल दो और सत्ता पक्ष और विपक्ष को धड़ों में बांटकर इस सदन के अधिकारों पर अतिक्रमण होता रहे। जब सदन के अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो आम जनता के विकास पर अतिक्रमण होता है। आम जनता के अधिकार पर अतिक्रमण होता है। क्यों न सदन कम से कम मिल-बैठकर यह तो करे कि आज 60 साल के इतिहास में इस सदन के किन-किन अधिकारों पर अधिकारियों से अतिक्रमण करके ऐसे काम करवाये गये हैं जो असंवैधानिक हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा मेरे से बहुत से वरिष्ठ सदस्य यहां मौजूद हैं। आदरणीय मैं, आपको ले जाना चाहूंगा कि आखिर यह देश सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? Angus maddison करके एक व्यक्ति हुए हैं जो अर्थशास्त्र के इतिहासकार हैं। इतिहासकार हैं लेकिन अर्थशास्त्र के हैं। उनका वह आर्टिकल मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था का संसार में क्या योगदान था? उसके भी उन्होंने आंकड़े दिये हैं। sixteenth century यानि पंद्रह सौ ईस्वी में सम्पूर्ण संसार की जनसंख्या का 24 परसेंट हमारी भारत की जनसंख्या थी और संसार की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान कितना था, 25 परसेंट। जितने हम प्रतिशत में थे उतने ही प्रतिशत में हम संसार की अर्थव्यवस्था में योगदान करते थे।

1900 में आते-आते क्या हो गया? संसार की तुलना में हमारा पापुलेशन का योगदान, परसेन्टेज 16 पर आ गयी लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान 10 परसेंट पर आ गया। यह था उपनिवेशन काल में ब्रिटिश सरकार के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन हुआ, कि पैसा तो यहां से गया लेकिन दर्शाया किसी और देश में गया।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आज परिस्थिति यह है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का संसार की अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 5 फीसदी है। यह 2020 और 2025 का विजन है, उसमें कोशिश यह करनी है कि हम 14 से 15 परसेंट पर जायें। जब तक 14 से 15 परसेंट तक हम नहीं जायेंगे तब तक गरीब की गरीबी के नाम से उसको दलित के रुप में आप पुकार लो, उसको शोषित के नाम से पुकार लो, उसको अनुसूचित जाति के नाम से पुकार लो, उसको ओबीसी के नाम से पुकार लो, लेकिन जब तक उसकी थाली में दो वक्त के निवाले के अलावा उसके बच्चे का सुनिश्चित विकास ना हो, उस बच्चे को हम पढ़ाई कराकर सुनिश्चित रोजगार की तरफ ना ले जायें, उसके शरीर में पौष्टिक आहार ना दें, सिर्फ जीता-जागता सांस लेता हुआ जीव नहीं, जीता-जागता स्वस्थ जीव स्वाभिमानी और स्वावलम्बन से परिपूर्ण हो तब तक हमारा और आपका काम पूरा नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अचरज तो इस बात का होता है कि कहां तो आप और हम इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि इस राजस्थान पर कितना कर्जा हो गया और कहां इस राजस्थान के खजाने को लेकर बैठे हुए लोग, जिनको हम अफसरों के नाम से पुकारते हैं, मैं उनका एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 1990 में आपको ले जाना चाहता हूं। 1990 में आपने एक फंड क्रिएट किया था, Rajasthan famine relief fund. 14 करोड़ 34 लाख रुपये 1990 में आपने इस फण्ड में डाल दिये। आदरणीय, 18 वर्ष तक किसी व्यक्ति को पता ही नहीं रहा कि यह 14 करोड़ रुपये उस फण्ड में पड़े हैं, 14 करोड़ रुपये 1990 में मायने रखते हैं। आदरणीय, आपके पंचवर्षीय योजना जो थी न उसके अगर अनुपात में लगायेंगे तो कितना प्रतिशत पैसा था यह? अगर 6 परसेंट भी लगाते हैं तब भी डबल हो जाता है। यह 1990 से लगातार 2008 तक वहां पड़ा रहा, न तो किसी को यहां मालूम, न किसी को वहां मालूम कि यह पैसा है कहां? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य, आप कहां से खोज लाए?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ऐसे खोजने की भी संवैधानिक एजेंसियां हैं। यह अगस्त 2008 में सीएजी के पकड़ में आ गया, सीएजी ने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह बात कही है कि अगर 6 परसेंट से भी इण्टरेस्ट कैलकुलेट करें तो 14 करोड़ 34 लाख पर 15 करोड़ 49 लाख का तो सिर्फ ब्याज हो जाता है। 6 परसेंट पर हमने 18 ईयर्स का पीरियड लिया है, और बाजार दर पर करें और कमाउण्ड करें एनुअली तो आदरणीय, आपका जितना राजस्व घाटा है आज का वह तो यही पूरा कर देता है। (व्यवधान) अब तो आदरणीय, कम्पाउण्डिंग का भी है और काम्प्लैक्सेज का भी एज है और इन दोनों के अलावा एक और है मेट्रीटिक्स का भी एज है। लेकिन हम मेट्रीटिक्स में तो पहुंचे ही नहीं है। यह देश जिसने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जैसे अर्थमेटिक्स जैसे अर्थशास्त्रों को जन्म दिया आज यह खुद की फाइनेंशियल मेट्रीटिक्स को पूरा नहीं कर पाया है। आखिर कारण क्या है?

जब बीकानेर में सरकार गई थी तो आलोचनात्मक लोगों ने एक बात कही थी कि 15 दिन के उस कार्यकाल में क्या निकलकर आया? एक राष्ट्रीय पशु निकलकर आया जिसको हम 'ऊंट' कहते हैं। लेकिन आदरणीय, नन्दन नीलेकणि जितना आपके पास में फाइनेंशल माइण्ड नहीं हो सकता, उसने भी अपने एक लेख में ऊंट निकाला है और मैं उस ऊंट की बात करना चाहता हूं। जब हम ऊंट निकाल रहे थे रेगिस्तान में तब तो आप हमारी आलोचना कर रहे थे लेकिन उसने जो ऊंट निकाला उसका मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 'द डाक्टर आर्डर्ड फार बीमारू', उसका हैडिंग है। आप सोच रहे होंगे कि अप्रोप्रिएशन फाइनेंशियल बिल पर ऊंट का क्या लेना देना, उन्होंने अर्थव्यवस्था की तुलना ऊंट के हम्प से की। उन्होंने यह कहा कि एक्सीडेंटली ब्रिक्स नेशन्स में, मैं पहले देश की बात करके फिर राजस्थान पर लाऊंगा वर्ना यह बात समझ में नहीं आयेगी। ब्रिक्स नेशन्स में भारत की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अन्तरराष्ट्रीय स्तर के विदेश, संसार की अर्थव्यवस्था में आगामी 2020 तक होने वाला है और क्यों? उन्होंने यह बात कही है, उनकी किताब का नाम है, 'इमेजिनिंग इण्डिया'। आप इमेजिन कीजिये इण्डिया का क्या होगा? इस बुक का नाम है, अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही हो कि पता नहीं मैं कहां से कोई निकाल लाया, मेरे कोई थिंकमंटेशन और इमेजिनेशन नहीं है। उन्होंने यह कहा कि आज जब हम यह बात कर रहे हैं तो हमारे देश की औसत आयु, यहां के लोगों की औसत आयु 25 वर्ष 9 महीने, इसकी तुलना में ब्रिक्स में हमारे साथ जो नेशन्स हैं ब्राजील और चाइना, उसकी औसत आयु 28 वर्ष 9 महीने है, चाइना 35 वर्ष पर है, रशिया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और यूएसए 35.8 पर है, जापान 44 पर चला गया, मोनाको 48.9, जब 2020 तक हम आ जायेंगे तो 2020 में क्या परिस्थिति रहेगी? 2020 में हमारी आ जायेगी औसत आयु 26 से 27 साल। उनकी चली जायेगी 35, 40, 45 और 50 साल। अब आप बताइये कि इस भारत की एज से राजस्थान का क्या ताल्लुक? वैसे भारत की व्यवस्था है वैसे ही हम पूरे भारत को लें तो भारत में जितने प्रदेश हैं, उनमें अगर सबसे कम किसी प्रदेश की मीडियन एज होगी तो उसमें एक राजस्थान होगा। 2020 में आपकी मीडियन एज 25 वर्ष की होगी। जब-जब यह मीडियन एज यंगर जनरेशन के पास रही है, यूरोप ने उस वक्त कमाल किया क्योंकि उनकी मीडियन एज 26 से 28 वर्ष की थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस वक्त सिलीकोन वैली जैसी चीज को जन्म देकर पूरी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया उनकी मीडियन एज 28 वर्ष की थी। आज आपको बाई डिफाल्ट नोर्दर्न स्टेट्स के अन्दर राजस्थान स्टेट एक ऐसा है जिसको यह मीडियन एज मिलने वाली है। आपको 2020 में आते-आते 47 मिलियन लोगों को वर्क फोर्स की आवश्यकता पडेगी। अकेला भारत 47 मिलियन वर्क फोर्स पैदा कर सकता है और 47 मिलियन वर्क फोर्स पैदा कर सकता है तो उसमें राजस्थान की अग्रणी भूमिका होगी। अब आप इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? उन्होंने यह बात कही है कि हर साल 9 हजार लोग पीएचडी करते हैं। 3 लाख बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 2.1 मिलियन इन्जीनियरिंग ह्यूमन स्टाक आलरेडी हमारे पास मौजूद है, 15 हजार बच्चे ला करके आते हैं। मैं आपको यह बात बताऊं तो आपको अचरज होगा कि जितने भी अमेरिका में आडिट फर्म्स हैं और बड़ी कम्पनियां हैं इनके लेखे-जोखे बैंगलूर में तैयार होते हैं। वहां हमारा ही वह बच्चा जो चार्टर्ड अकाउण्टेंट, कम्पनी सैक्रेटरी और इन्टरनेशल ला करके आया हुआ है, वह उनकी फर्म का आडिट करके आनलाइन वहां पेश करता है और सिर्फ मिनिट्स के वह एजेण्डा वह अपने पास रखते हैं जिस पर उनको आगे जाकर भविष्य में कोई निर्णय करना है, उसको वे डिसक्लोज नहीं करते। अगर इस अर्थव्यवस्था में विकास के उन्मुक्त संसाधन को हमने भावी पीढ़ी और वर्तमान नौजवान को शिक्षा और रोजगार के माध्यम से उस पृष्ठभूमि की श्रेणियों में नहीं दिये तो यह सारे के सारे बच्चे पढ़े लिखे तो हो जायेंगे लेकिन उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता संसार की अर्थव्यवस्था में नगण्य होगी। इसलिए अगर हमको पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करनी है तो उस पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करनी है जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से बगैर किसी संसार के किसी देश पर युद्ध किये बगैर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उसकी इकोनोमिक्स और इकोनोमी को अपने हाथों में कर ली और आपका बच्चा वहां जाकर बैठ गया तो पूरा संसार आपकी मुट्ठी में होगा और जिसको हम विश्व गुरु के वैभव से परिपक्व भारत की परिकल्पना करते हैं, एकमात्र संसाधन और साधन है तो शिक्षा का वह द्वार है जो यह सुनिश्चित करता है कि भावी पीढ़ी को क्या आवश्यकता है।

मैडम, आप मुझे बता दीजियेगा because I have lost my track for what I was.

श्री सभापति: नाउ यू हैव कम टू द स्टेट। अब स्टेट के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा था। हम एप्रोप्रिएशन किस बात का कर रहे हैं? मैं तो सीएजी की 2013 की रिपोर्ट की ही एक व्याख्या कर देता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह अंक गणित कहां से लाते हैं और मुझे यह नहीं मालूम कि इतना बड़ा यह लवाजमा फाइनेंस डिपार्टमेंट लेकर बैठा है, यह क्या करता है और क्या करने जा रहा है। एक छोटी सी चीज जो मेरे ध्यान में लाई गई, मैं उस बात को आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आखिर जो हमारी पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं उनमें आउटस्टैण्डिंग कितना है? अब फाइनेंस अकाउंट्स तो यह कहता है Outstanding in respect of equity loans and guarantees. मैं गारंटी पर आ जाता हूं। फाइनेंस अकाउण्ट्स वाले तो कहते हैं 71584.26 और पब्लिक सैक्टर यूनिट्स की आडिट को देखें तो वे कहते हैं 70635, अब यह 1219 करोड़ रुपया कहां है, यह तो कोई बताए। यह तो 2013 तक की ही पोजिशन है, आडिट हो चुकी है आदरणीय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये रीकंसिलिएशन के जरिये बैठ जाते हैं। समटाइम्स रिजर्व बैंक के अकाउंट्स में भी दो-चार करोड़ रुपये का फर्क आता है, रीकंसिलिएशन से हो जाएगा। 1200 करोड़ का अमाउंट है Its an amount. CAG has pointed out. It is a good thing. The Govt. will have to do it.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): राजाखेड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो बात अभिव्यक्त की, ठीक यही एजी का भी मत था। एजी भी ये चाह रहे थे कि आखिर निरन्तर डिफरेंसेज क्यों चल रहे हैं? आप फिगर्स को रिकंसाइल क्यों नहीं करते? जब तक आप फिगर्स को रिकंसाइल नहीं करेंगे तो आखिर इस सदन को कौनसा फिगर बताएंगे? इस सदन को एक्जेक्ट फिगर बताने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो डिपार्टमेंट आफ फाइनेंस की है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह तो बताओ कि आखिर देनदारियां कितनी हैं? आपकी जितनी पीएसयूज् हैं, आदरणीय सभापति महोदय, आपकी रूल बुक पड़ी हुई है, रूल बुक का 126 रूल पढ़िए, आदरणीय उस रूल बुक में ऐसे-ऐसे उपक्रम हैं जिनका आप स्वरूप ही बदल चुके हो। उस 126 की सूची में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है, इस बोर्ड को खतम हुए ही कितने वर्ष हो गये। उस सूची के आधार पर अनिवार्य है कि आपके आडिट, अकाउंट्स इस सदन में पेश हों। आपके अकाउंट्स कभी 2011 के पेश हो रहे हैं, कभी 2012 के पेश हो रहे हैं, कभी-कभार 2013 के भी पेश हो रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैट्रो रेल का जन्म कौन से अध्यादेश से हुआ? यह बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। मैट्रो रेल के जन्म होने के उपरांत मैट्रो रेल दिल्ली मैट्रो रेल कोरपोरेशन के अधीनस्थ है। मैं भी तीसरी बार हूं, यहां पांचवीं बार भी हैं, चौथी बार भी हैं, इस सदन को तो कभी यह नहीं बताया गया। मैट्रो रेल इतनी बड़ी पब्लिक सैक्टर यूनिट है, आदरणीय उसके अकाउंट्स यहां इस सदन में क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? दो बार तो आसन की तरफ से आदेश तक हो गया कि अकाउंट को पेश करो, तो बहुत चतुराई से पेश किये गये।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं इस बात पर आपकी तवज्जोह चाहूंगा, पहला अकाउंट जब पेश हुआ तो दिसम्बर, 2010 तक का हो गया। हमने जब याद दिलाया कि आपको ये अकाउंट्स पेश करने हैं तो अकाउंट प्रगति प्रतिवेदन 2013 का आ गया, 2011, 2012 का पता ही नहीं। अब आप पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के एम्प्लाइज की बात करें तो ये तो यह कहते हैं कि 472 लोग-बाग़ हमारे यहां एम्प्लायड हैं और सीएजी यह कहता है कि इनके पास 356 ही हैं। उसके अलावा इण्डियन पुलिस फोर्स के आईपीएस आफिसर्स और आरपीएस आफिसर्स भी यहां काम कर रहे हैं। अब आप मुझे यह बताइए, उनकी तनख्वाह तो कंसोलिडेटेड फण्ड से उठ रही है। वह आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है, चाहे नान-प्लान का हो। वे तनख्वाह तो उठा रहे हैं राजस्थान की जनता के खजाने से और काम करें मैट्रो में, मैट्रो भी वो जो अभी तक चली भी नहीं है। तो आखिर इस राजस्थान की इस खरी कमाई पर अतिक्रमण नहीं है तो क्या है?

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों नहीं मैट्रो को बाध्य किया जाय कि आपने चार एनुअल रिपोर्टस पेश कर दीं, आरओसी को

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पेश कर दीं, ऐसी कौनसी बात है जो आपको रोकती है वह रिपोर्ट इस सदन में पेश नहीं हो। मैंने पिछली बार भी हवाला दिया था कि आप ये रिपोर्टस पेश कराएं वर्ना यह जनता आपसे पूछेगी कि आखिर ये रिपोर्टस कहां गयीं। अब यह चौथी रिपोर्ट है, मैंने पिछली बार बजट सैशन में भी कहा था, इससे पहले तीन रिपोर्ट आ चुकी होंगी। एजी ने साफ लिखा है, हमने समस्त अभिलेखों की जांच नहीं की, इसलिए हम कोई भी टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए जो कुछ ये कह रहे हैं उसी को हम सच मानते हैं। ये तो हालत तब है जब एजी अकाउंट्स की बात कर रहा है। आपके सदन में जिस रिपोर्ट को आ जाना चाहिए था वो क्यों नहीं आयी?

आदरणीय, आपने रिफाइनरी की तो बहुत बात की, छोटू सिंहजी भाटी भी यहां मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे आज्ञा नहीं है कि किसी सदस्य का नाम लिया जाय, रिफाइनरी की बात की, लेकिन लूणकरणसर से आने वाले आदरणीय सदस्य, हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपने तो वो जमाना भी देखा है जब 1977 में आपने बाड़मेर में बंदरगाह बनाने की बात भी कही थी। 1977 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो इस देश के उप राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था कि रण आफ कच्छ से अगर हम ड्रेजिंग चालू करें तो बाड़मेर-सांचोर के बीच के एरिया में हम अरेबियन-सी को ला सकते हैं। 1377 करोड़ की योजना थी। 2007 में जब हम कोलकता के अन्दर इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटीज् के लिए डिपार्टमेंट आफ इण्डस्ट्रीज, रीको के माध्यम से गये तो इस योजना का आकार तकरीबन 13 से 15 हजार करोड़ का था। 40 परसेंट हिस्सा गुजरात का पड़ेगा, 40 से भी कुछ ज्यादा। योजना को क्रियान्वित कर दोगे तो यह रिफाइनरी सोना नहीं, सोने के साथ-साथ सब कुछ उगल देगी और राजस्थान के इस भूभाग की अर्थव्यवस्था पूरे देश में अग्रिम पंक्ति की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर 50 करोड़ रुपया लगकर भी बंदरगाह की भूमिका में बाड़मेर आ सकता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कब कलियुग में नारायण कहां उत्पन्न हो जाए, इससे बड़ी सार्थक योजना नहीं हो सकती।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसका जिक्र है, क्योंकि उस संकल्प पत्र को बनाने में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका थी। मैं कहना चाहता हूं डीएमआईडीसी के बारे में खूब बात हो रही है, देहली मुम्बई इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कोरीडोर। आप बताइये यह कारिडोर है क्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चीज? इस डीएमआईडीसी के बारे में जो हमारे अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स में से ऐसे कितने हैं जिन पर क्रियान्विति हुई। हमारे पास बिजली की कमी है, हमारे पास में पानी की कमी है, हमारे पास में अगर कुछ बहुतायत में है तो जमीन ही तो है। जमीन है इसलिए इस राष्ट्र का जमीर भी जिन्दा है। अगर जमीर जिन्दा नहीं होता तो पूरे के पूरे इस भारत के अन्दर सबसे ज्यादा जनसंख्या के प्रतिशत में अगर कोई सैनिक हैं तो वे राजस्थान के हैं। जब जमीर है, जब 2008 में आज की इस सरकार का वो कार्यकाल था जब हमने सीकर-जयपुर बार्डर पर एयरोपोलिस जैसी योजना को जन्म देकर उस पर एमओयू किया था, पांच साल तक यह सरकार उस पर क्यों बैठी रही? जब आप एविएशन हब बनाते हैं तो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता। एयरपोर्ट तो उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की तरह होता है, थ्रेपोट कम्पनी थी, सोमाची जापान का बैंकिंग था, बोइंग वाले थे, वे एविएशन के लोजिस्टिक हब के साथ-साथ एविएशन हब तैयार करना चाहते थे, शेखावाटी और जयपुर की उस तलहटी पर जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भी आदमी अपने आपको सम्पन्न नहीं कर सकता। कृषि जोत से उस धरती को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था से हम सुसज्जित कर सकते थे। आखिर वो सैंक्शन क्यों नहीं हुआ? वो तो यूपीए-वन का ही सैंक्शन किया हुआ था। हम तो सैंक्शन यूपीए-वन से कराकर लाये थे। पिछली सरकार और यूपीए-टू की सरकार में ऐसी क्या बात हुई कि उस योजना को आपने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। यह आपकी पहली पांच योजनाओं में से एक योजना थी जो आपके मिनिट्स में भी है। अगर मैं मिनिट्स पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।

इसी के साथ में क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी मामला आता है, इस एयरोपोलिस का एक हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र में ठीक त्रिवेणी के पीछे से चालू होता था और आदरणीय दांतारामगढ़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य, पूरे शेखावाटी के अन्दर जा रहा था। यह ऐसा हिस्सा है जिसमें 3400 हैक्टेयर जमीन तो सरकार की है, उन्होंने बगैर किसी सरकार के निवेश से और बगैर सरकार को यह कहे हुए कि हमें कोई मुफ्त दे दो, डीएलसी रेट पर सरकार की जमीन लेना और सरकार का इसके अलावा 5 प्रतिशत हिस्सा सुसज्जित करने का एमओयू किया था। उसके साथ-साथ डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर रेवाड़ी से मनोहरपुर लाने का रेलवे ट्रेक की भी बात थी जो इसी मिनिट्स में है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिये कि ये मिनिट्स होते हैं, इन मिनिट्स पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आप दस्तखत अंकित करते हैं, मंत्री मण्डलीय समिति के आवरण में, मंत्रीजी की मौजूदगी में ये मिनिट्स होते हैं और उन्हीं में से एक सैक्रेटरी जाकर गवर्नमेंट आफ इण्डिया को एक चिट्ठी लिख देता है जिसके दस्तखत भी उस मिनिट्स में हैं कि हम एरोरोपोलिस को पीपीपी मोड पर करना चाहते हैं। आप वहां तो एमओयू पर दस्तखत कर रहे हैं और एमओयू की बात कर रहे हैं और ठीक उस मीटिंग से निकलने के 24 घंटे बाद आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया को इस प्रकार की चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या इन अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? उस एक चिट्ठी की वजह से यह हुआ कि पांच साल में आपको दूसरी जगह किसी की एनओसी ही नहीं मिल पाई। एवियेशन का मतलब समझते हैं कि क्या होता है? गवर्नमेंट आफ इण्डिया के डिफेंस डिपार्टमेंट की भी यह बाध्यता है कि डिफेंस का 25 प्रतिशत जो हम उपकरण काम में लेते हैं चाहे एयर के हों, चाहें आर्मी के हों, चाहे नेवल के हों, वो इस देश की धरती पर ही मैन्यूफैक्चर होने चाहिए वर्ना युद्ध के समय दिक्कत आती है। इसमें बोइंग तो बहुत बड़ी कम्पनी है, जितने जहाज हैं उनमें सारे बोइंग का लगता है। अगर वो अपना सर्विस हब बना देता, वो राजस्थान में बना देता तो न तो उसको बिजली की जरूरत है, न उसको पानी की जरूरत है। जब स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो फिर हम साइंटिफिक सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? स्मार्ट हम तब बनेंगे जब हम वैज्ञानिक शहर की बात करेंगे। साइंटिफिक सिटी की परिभाषा में राजस्थान को उल्लिखित कार्य करने के लिए जब तक हम अर्थव्यवस्था से बाध्य नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का विकास सिर्फ सपनों का विकास होकर रहेगा।

मैं यह मानता हूं कि पांच वर्ष के इस कार्यकाल में भविष्य इस बात को अपने गर्भ में छिपाये हुए है कि वर्तमान सरकार के हाथों उस कीर्तिमान की स्थापना होगी जिसको लोग विकास के नाम से जानते तो हैं लेकिन विकास के नाम से अनुभव भी करेंगे और अनुभव करके आज की इस सरकार को विकासोन्मुख सरकार का दर्जा भी देंगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े गौर से झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य राजपाल सिंहजी का और आदरणीय राव राजेन्द्र सिंहजी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने जो बजट पेश किया है उसका बहुत शानदार तरीके से बखान किया, गुणगान किया, सपोर्ट किया। करना भी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, मुख्य मंत्रीजी को मेंडेट मिला, वो वित्त मंत्री भी हैं और उन्होंने अपने विजन को सामने रखकर बजट बनाया। बनाने का उनको अधिकार है, हर सरकार जो आती है उसको अधिकार होता है। लेकिन इसमें मुझे जो एक बात आखरी कि पिछली सरकार के कार्यकाल और खासतौर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए गवर्नर साहिबा से कहलवाया कि बीमारू, फिर उसके बाद जो वोट आन अकाउंट पर अपने विचार प्रकट किये उसमें भी कुप्रबन्धन, बजट में भी एक नेगेटिव और ग्लूमी पिक्चर पिछली सरकार के कार्यकाल की पेश करने की कोशिश की है।

झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो इकानोमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने अपने रूप से यह बात कही। मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बड़ी अजीब हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर आमतौर से फाइनेंशियल मैटर्स का कभी जिक्र होता नहीं है, यह पहली दफा कहलवाया गया है राज्यपाल महोदय से। मुझे काफी लम्बा अनुभव है, काफी भाषण सुने हैं, सत्ता पक्ष के भी सुने हैं, विपक्ष में रहकर भी सुने हैं पर राज्यपाल महोदय से फाइनेंस के बारे में कभी कुछ कहलवाया जाता नहीं है। उनसे ऐसी-ऐसी बातें फाइनेंस के बारे में, राजस्थान के बारे में कहलवा दी गईं, किसने कहलवाईं? फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग ही जिम्मेदार होंगे क्योंकि वित्त मंत्रीजी को आंकड़े दिये जाते हैं और राज्यपाल का जो भी भाषण होता है वो सरकार बनाकर भेजती है और सरकार को आंकड़े अलग-अलग विभाग के अधिकारी देते हैं। मंत्री मण्डल के अनुमोदन के बाद ही राज्यपाल महोदय यहां पर अपना अभिभाषण पढ़ती हैं। जल्दी के अन्दर नई सरकार आई थी, राज्यपाल के भाषण में 7 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व घाटा कहलवा दिया और 28 हजार करोड़ रुपये का फिस्कल डेफिसिट कहलवा दिया पर ब्रेक-अप नहीं है। अब राज्यपाल को तो जो सरकार देगी, वह कह जाएंगे।

उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर वोट आन अकाउंट के वक्त जो आंकड़े प्रस्तुत किये जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, 18301 करोड़ रुपये का फिस्कल डेफिसिट बताया। विदिन ए गैप आफ वन मंथ 10 हजार करोड़ का डिफरेंस आ गया और बजट में 2500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा बताया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

गया। अब आप कह सकते हैं कि हमने दो महीने के अन्दर इतना सुप्रबन्ध कर दिया, बढ़िया मैनेजमेंट कर दिया कि इकोनोमी को टर्न अराउण्ड, फाइनेंसेज को टर्न अराउण्ड कर दिया। कह सकते हैं आप, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी तो वह भी आएगी। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि इतनी ग्लूमी, नेगेटिव पिक्चर, आप विकास की बात कर सकते हैं, कांग्रेस का डिफरेंट सोच है। क्योंकि यह बजट है, बीजेपी का क्या सोच है, जो सोच था चुनाव के अन्दर कार्पोरेट हाउसेज का, जो देश के बड़े-बड़े पूंजीपति घराने हैं उनके प्रभाव के अन्दर ही केन्द्र का बजट और इस बजट में आपको झलक दिखलायी देती है। हम ग्रोथ की, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात, प्राइवेट कैपिटल को इन्वेस्ट करायेंगे या लोगों को रोजगार देने की बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस का सोच दूसरा है। कांग्रेस भी विकास की बात करती है लेकिन कांग्रेस यह बात कहती है कि जो समाज का गरीब तबका है...

(14.57 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यहां पर कहा गया कि आप बच्चों को ये दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, आप...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सबसे गरीब तो राबर्ट है।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: सम्मानित सदस्य, देखिये, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप व्यवधान न डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने किसी ने व्यवधान नहीं डाला और आप इतने पुराने सदस्य होकर व्यवधान डालेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह सोच का फर्क है, मैं उसके ऊपर आगे आऊंगा। अभी तो मैं खाली फाइनेंसेज की बात कर रहा हूं जो ग्लूमी पिक्चर यहां पेश करने की कोशिश की गई। आप देखेंगे 2010-11 में रेवेन्यू सरप्लस 1,054 करोड़ रुपये था, 2011-12 में 3,357 करोड़ रुपये था ओर 2012-13 में 3,451 करोड़ रुपया, क्यों? यह है क्योंकि यह सीएजी की रिपोर्ट है, कोई मेरे आंकड़े नहीं हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट है।

अब माननीय, यह सब बातें क्यों मैं आपके समक्ष ला रहा हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने यहां अपने बजट भाषण में कहा कि ''वर्ष 1998-2003 के शासन में जितनी वित्तीय स्थिति पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी, उससे भी खराब स्थिति अबकी बार वर्ष 2008-2013 के शासनकाल में हुई है।'' यह मुख्य मंत्रीजी ने कहा है और कहलवाने वाले सब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ही हैं। मैं बजट में रहा हूं, मैंने बजट पेश किये हैं। सारे आंकड़े फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग लाकर देते हैं।

मैं आपको एक चीज और बताऊं, बड़ी इंट्रेस्टिंग है। उस दिन, मैंने आपसे कहा था। आपने बड़ी चतुराई से कुछ बात कही, माननीय सदस्य छिपा गये कुछ बात को, मैंने उस बात को पकड़ लिया और पकड़कर मैंने वह ढूंढी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक अनाड़ी को जो समझता नहीं है, कम्प्यूटर और वैबसाइट के बारे में समझता नहीं है। 13 दिसम्बर, 2013 को एज्यूम किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। चलिये, पांच-सात दिन तो लगे होंगे उसके अन्दर लेकिन मैं आपको दिसम्बर, 2013 के आंकड़े दे रहा हूं। दिसम्बर, 2013 के अन्दर आपने, यह मेरे पास प्रोविजनल फिगर हैं, अभी बाकी जो सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा। बड़े चौंकाने वाले फिगर हैं माननीय, आप भी चौंके तो होंगे लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से, अब यही तो चतुराई है कि मतलब की बात निकाल लो और बाकी बात को छोड़ दो। श्रीमान्, दिसम्बर, 2013 के अन्दर रेवेन्यू डेफिसिट एस्टीमेट किया था 2,066.68 करोड़ रुपये and it turned out to you what? 2,430.32 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस में हुआ, मैं कहना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों से, क्यों बार-बार यह बात कही जा रही है और फिर 31 मार्च, 2014 का और देख लीजिये। दिसम्बर, 2013 तक का जो फिस्कल सरप्लस का था, वह पोजिशन बता रहा हूं आपको। फिस्कल सरप्लस था 17,239.72 करोड़ रुपये का एस्टीमेट किया था, वह रह गया 6,468 करोड़ रुपये। अब ये आपको एज आन 31 मार्च, 2014, जब आपकी गवर्नमेंट फर्मली सैडल में आ गई, यह तब की बात है जब आपकी सरकार को आये हुए चार महीने हो गये। उस वक्त की स्थिति थी, इन्होंने एस्टीमेट किया था, रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट किया था 5,328.97 करोड़ रुपये का। आपने देखा है। आपने यही चीज कही थी, बाकी आप छोड़ गये। लेकिन it turned out to be revenue surplus 73 करोड़ रुपये का था। वेरी मार्जिनल, 73.67 प्रतिशत।

इसी तरह फिस्कल डेफिसिट एन्विसेज किया था, वह था 22,440

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करोड़ रुपये का और वास्तव में रहा 14,364 करोड़ रुपये का। माननीय सभापति महोदय, even then there are 4 years और आपके एफआरबीएम एक्ट के भी जो नोर्म्स थे, वह 2013 तक पूरे किये। मेरे कहने का मतलब है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सदन के बाहर यह बात जाये। सदन की मार्फत पूरे राजस्थान की जनता जाने कि जिस प्रकार से यह दर्शाने की कोशिश की कि राज्यपाल महोदया से कहलवाया गया, वोट आन एकाउंट के ऊपर कहा गया, बजट भाषण में कहा गया कि राजस्थान को बहुत बुरे हाल के अन्दर छोड़कर गये हैं। बार-बार 2003-2008 की बात की जाती है कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन, 2007-2008 और 2008-2009 में मुझे बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला था, तब भी मैंने फाइनेंस बिल के ऊपर कहा था और निकलवा लिये थे। रिजर्व बैंक के सारे कम्पेरेटिव आफ द स्टेट्स के आंकड़े आते हैं, स्टेट फाइनेंसेज के ऊपर रिजर्व बैंक की किताब आती है, वह मैंने वहां उद्धरण पेश किये थे और मैंने मुख्य मंत्रीजी से उस वक्त भी, वित्त का भार मुख्य मंत्रीजी के पास था, वह भाषण निकलवा लिया। मैंने कहा था, अगर मेरे ये फिगर्स गलत हों तो मैं सदन के सामने माफी मांगूगा। सदन में असत्य बोलने का मतलब क्या है, आप कोंट्राडिक्ट कीजिये। मैंने कहा, मैं माफी मांगूगा लेकिन आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने उन आंकड़ों पर कोई जवाब नहीं दिया और तत्कालीन अध्यक्ष महोदया ने बोलने से रोक दिया।

2003-2008 के कार्यकाल के जिस वित्तीय मैनेजमेंट की, प्रबन्धन की बात बार-बार दोहराई जाती है कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन ऐसा था। मैं 1998-2003 की बात करता हूं मान्यवर। सारी की सारी सरकारें दो राज्यों को छोड़कर, कर्नाटक और हरियाणा को छोड़कर, उस सीमा तक सारी सरकारों की हालत खराब थी और देश के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दिल्ली में एकत्रित हुए। बंगाल के वित्त मंत्रीजी भी आये। कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों की बैठक थी। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी भी उसमें आये और हम जाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी से मिले और जहां तक मेरा ख्याल है, यशवन्त सिन्हा साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे। सबने जाकर अपनी तकलीफ कही कि हमारी स्थिति यह है। पे-कमीशन का भार हमारे ऊपर आया है। राज्यों के जुडीशियल आफिसर्स के पे-कमीशन का भार आया है और आप हर साल डीए बढ़ाते हैं, हमको डीए बढ़ाना पड़ता है। ये सारी बातें कहीं। तो वे बोले, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मत दीजिये, आप पे-कमीशन से बाध्य नहीं हैं। इन्होंने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहा कि जो पे-कमीशन बनता है, स्टेट्स को भी पावर है कि वह अपना पे-कमीशन बनायें। लेकिन चूंकि परम्परा पड़ी हुई है, जिस हिसाब से पे-कमीशन से तनख्वाह बढ़ती है, वही राज्य आम तौर से बढ़ा रहे हैं सिवाय एक दफा का एक्सेप्शन है मध्य प्रदेश का, जबकि मध्य प्रदेश के अन्दर उन्होंने अपना पे-कमीशन बनाया और अपने हिसाब से उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई। यहां परम्परा है, अब कर क्या सकते हैं। जो हमने उनसे कहा उस वक्त, कहने का मेरा अभिप्राय यह है श्रीमान्, उस वक्त सारे राज्यों की स्थिति खराब थी।

(15.09 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

उसके बाद यूपीए-1 का कार्यकाल आया और कंट्री के अन्दर धीरे-धीरे आर्थिक गति पकड़ने लगी थी, आपकी जीडीपी करीब नौ प्रतिशत पर जाकर पहुंच गई और उस कारण से राज्यों को फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के अनुसार जो डिवेल्यूएशन मिलना था, जो केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी थी या दूसरी योजनाओं के लिए पैसा मिलना था, उम्मीद से ज्यादा, जिसे राज्य खर्च नहीं कर पा रहे थे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि, 2008 के अन्दर 5,500 करोड़ रुपये राजस्थान का रिजर्व बैंक की सिक्योरिटीज में जमा था यह रिकार्ड है और हमारा 2013 की कैश रिजर्व की पोजिशन थी, 12 हजार 127 करोड़ रुपया राजस्थान का 31 मार्च को रिजर्व बैंक की कैश सिक्योरिटीज में जमा था 15 दिन, 90 दिन और 120 दिन। आप राजस्थान को कंगाल करके, दिवालिया निकाल के, बीमारू करके, बुरा प्रबंधन, कुप्रबंधन करके आप यह कैसे कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते, क्योंकि सोच-सोच का फर्क है। झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रोथ की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, मेरा व्यक्तिगत सोचना है और हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है। मैंने भी थोड़ी बहुत इकोनोमिक्स पढ़ी है Fair and Free Economy, Low Interference of the Govt. आज श्रीमान् अगर हमारे देश के अन्दर जो हाल अमरीका का हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज का हुआ है, अगर अपने यहां थोड़ी बहुत रेगूलरेटेड इकोनोमी नहीं हुई होती तो अपने देश की हालत भी अमरीका से बुरी ही होती। क्योंकि वहां तो आंख मींच करके कर्ज दे रही थी बैंक के, सारा झगड़ा हुआ प्रोपर्टी लोन से। लोगों ने मांगा कुछ, मांगे 100 रुपये, लेजा 150 रुपये, घूम आना विदेश जाकर के और उसी का नतीजा हुआ कि अमरीका की बड़ी-बड़ी फाइनेंस कम्पनीज का, बैंक्स का दिवाला निकल गया। अमरीका के दिवाला निकलने की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बाद की बात है। आज मैं यूपीए-1 की बात कर रहा हूं। जिस वक्त आपका राज था, आपको इतना पैसा मिला। आपका भी साढ़े पांच हजार करोड़ रुपया जमा था आखिरी में, फ्लक्चुएट होता रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय यह। उस चैप्टर को खतम करके कि राजस्थान के पिछले कार्यकाल में वित्तीय दशा बहुत बढ़िया थी। सीएजी ने माना है और 31 मार्च, 2013 को 12 हजार 127 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के ट्रेजरी बाण्ड्स में हमारा इन्वेस्टेड था। इसलिए यह कहना कि राजस्थान को कंगाल करके, कुप्रबंधन करके, बीमारू छोड़कर के कांग्रेस गई है, यह बिलकुल तथ्यों से परे है, मैं इसका यहां खण्डन करता हूं।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और कुछ पैरामीटर्स मैं आपके सामने देना चाहूंगा। दूसरा पैरा मीटर होता है कि आप ओवर ड्राफ़्ट में आ गये। आपने वेज एण्ड मीन्स का इस्तेमाल किया है। हम एक दिन ओवर ड्राफ़्ट में नहीं आये, एक दिन वेज एण्ड मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया तो यह भी एक इंडिकेटर होता है आपके बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कुप्रबंधन था? माननीय, सम्माननीय मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे कभी-कभी बात होती है, मुलाकात होती है। इन्होंने भी कोई हिन्दी का बहुत बड़ा एक शब्द इस्तेमाल किया था। मुझे सख्त एतराज है इसके ऊपर। Its not an unparliamentary. Nothing is an unparliamentary. मैं आपको एक मिनट और बता दूं अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं श्रीमान् यह ए.जी. की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो यह बता दें कि कंसोलिडेटेड फण्ड में 31 मार्च को आप कितना रुपया छोड़कर गए थे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिए वह फीगर मैं लाया नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो ही तो इंडिकेटर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिए, इंडिकेटर सवाल ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फण्ड में कोई पैसा, सारा पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड में आता है और सारा खर्चा कंसोलिडेटेड फण्ड से होता है। वही तो फिर जाकर के अल्टीमेटली आपके सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट के अन्दर यह आता है, कैपिटल अकाउंट है It's a long process. वह फिगर मेरे पास नहीं है। बिना फिगर्स के मैं यहां पर असत्य बोलने की स्थिति में नहीं हूं। ऐसा तो मत कीजिए कि पिछली विधान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सभा में मेरा इम्तिहान लेने के लिए, वित्त मंत्री का इम्तिहान लेने के लिए मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य व्यासजी ने मुझे पूछा कि फिस्कल डेफिसिट की जरा डेफिनेशन बता दीजिए। Sorry, he is not here. खैर, मैंने बता दिया तो वो अपनी व्याख्या करने लगे। इसलिए तिवाड़ीजी, आप बहुत अनुभवी और सम्माननीय हैं, अगर आप मुझे पहले इंडिकेट कर लेते तो मैं ले आता, सारे फिगर्स हैं मेरे पास। हालांकि भूल गया हूं, महकमा छोड़े मुझे आज दस-ग्यारह साल हो गए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप फिगर क्यों ला रहे हैं, आप तो खुद ही फिगर हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आप देखिए टोटल रिसीट्स की बात, यह भी एक इंडिकेटर है। अच्छे फाइनेंस और बुरे फाइनेंस का यह भी एक इंडिकेटर है। मैं यह नहीं कह रहा और राज्यों की भी बढ़ी होगी लेकिन यह कहना कि The receipts excluding contingency fund receipts increased by 108% from 40,480 crores in 2007-08 to 84,360 crores in 2012-13. ब्रिफली बता रहा हूं तो कौन-कौन से आपके मैं इंडिकेटर्स बताऊं जिससे कि यह बात साबित हो रही है कि कि it was not a bad financial management. कुप्रबंधन नहीं था। एक चीज और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं Revenue receipts shows progressive increase from 13,469 crores in 2008-09 to 66,913 crores in 2012-13. On an average 60% of the revenue came from the state's own resources. 60% of the revenue came from the state's own resources during a period of 2008-2013. The balance came as a transfer from Govt. of India rest of the balance. अब एक और आपको पढ़कर सुना देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि यह जो बार-बार बात कही जाती है। The outstanding fiscal liabilities of the state at the end of 2012-13 where to the tune of 1,17,809 this shows an average annual growth of 10.5% during 2008-2013. अब एक चीज और बड़ी चौंकाने वाली है पैरा-7 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है इससे राज्य के ऊपर कर्ज के भार का पहाड़ बन गया है। मार्च, 2008, मार्च, 2008 में उनका राज था, चुनाव हुआ है नवम्बर-दिसम्बर में, मार्च, 2008 के अंत में कर्ज तथा अन्य Liabilities का कुल भार 77 हजार 138 करोड़ रुपये था। मार्च, 2014 यानी छह साल गिन लिए, टेन्योर था फाइव ईयर्स का और गिन लिया सिक्स ईयर का। यह भार 53 हजार 502 करोड़ रुपये बढ़ गया। एक आपको और पढ़कर के सुना देता हूं जो It's a quite boring. Financial accounts Vol. I of 2013. Nothing from my side. I am not coining

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

anything. जो भी मुझे मिला है उसमें से ही मैंने निकाला है और Nobody can challenge. यह लिखा है Fiscal Responsibility and Budge Management Act; FRBM Act. The achievement during the year 2012-13 as per the accounts against the fiscal targets laid down in the Act where as follows;

Targets; Elements revenue deficit by financial year 2011-12. Therea fter maintain it or attain revenue surplus. The target was achieved in the year 2010-11, the revenue surplus for 2012-13 as per the accounts was 3451.22 crores. तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैंने कुछ आपको ...।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कैपिटल फोरमेशन भी बता दीजिये उन वर्षों का।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो भी आपको अभी बता देता हूं। आपने कैपिटल आउटले और उसकी बात भी की है। आप इसको पहुंचा गये थे, झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। देखिये तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति और सोच, मैं कैपिटल आउटले और कैपिटल एक्सपेंडीचर पर इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूं। हमारे सामने समाज का जो वंचित वर्ग है, जो कांग्रेस का सोच है, आप महल बना दीजिये, बड़ी सड़कें बना दीजिये, बड़े-बड़े हाइवेज बना दीजिये कि सत्तर हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, इतना कैपिटल उसमें लगेगा उसका नीचे से ऊपर तक असर जाएगा। भूखा पेट गरीब, बीमार आदमी क्या सड़क पर चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। हम इन्क्लूजिव ग्रोथ की बात कहते हैं, वीकर सैक्शंस को भी कांग्रेस कहती है कि उसको आगे लाओ और उसी के अनुरूप हमारी पूर्ववर्ती सरकार ये योजनाएं लाई। आप बैठे रहिये। किसकी सड़क, कितना पैसा लगेगा आपका टोल का? आपके टोल का कितना पैसा लगेगा आपकी सड़कों के ऊपर और टोल वालों का आपने देखा कि टोल के खिलाफ कितना हंगामा हो रहा है मैं उसके ऊपर अलग से नहीं कहना चाहूंगा अब सोच है आपका। We can't change it. You have a majority. Its your Govt. You can do it. You do it. इसके नतीजे आएंगे सामने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नरेगा में लोगों को रोजगार मिला है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): छोडिये, आप नरेगा की बात। डा. साहब आप नरेगा की बात छोड़िये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाधा नहीं डालें माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नरेगा शुरू किसने किया? किसने कंसीव किया था नरेगा? Who conceived MNREGA? Who brought MNREGA? नरेगा में दस कमी आ सकती हैं। हर चीज में कमी आ सकती है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की कमी रह सकती है। वो गरीब गांव में जिसको रोजगार नहीं मिलता था, शहर में जाता था रोजगार के लिए तो एक दिन रोजगार मिल गया, दस दिन शहर से घर खाली हाथ लौट कर चला जाता था। हजारों आदमी आते हैं। आज स्थिति यह है कि फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रियों में मजदूर अवेलेवल नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार फैक्ट्री चला रहे हैं, मुझसे कई दफा कहते हैं कि लड़के भिजवाओ, लड़के मौजूद नहीं हैं। डेली वेजेज बढ़ा दिये उनके, जो गवर्नमेंट ने डेली वेजेज फिक्स की हैं उसके ऊपर भी उससे ज्यादा देने को तैयार हैं और लेबर अवेलेवल नहीं हैं, आज की तारीख में यह नरेगा की करामात है। आप नरेगा में पचास कमियां निकाल सकते हैं। मिसयूज हुआ है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे अपने लोगों के हाथ में था, सारे देश में हुआ है लेकिन आप उस योजना के बारे में कहते हैं, आप कुछ नहीं कहें इसके बारे में। ठीक है उसमें कच्चे काम हो गये, अब पक्के कामों के लिए झगड़ा पड़ रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब वो मैटेरियल कंपोनेंट का और लेबर कंपोनेंट का झगड़ा... माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी के अनुरूप कांग्रेस की सोच के अनुरूप हमने समाज कल्याण की, वेलफेयर की कुछ योजनाएं शुरू की। कुछ तो चुनाव के दो-दो साल पहले शुरू कर दी गई। कुछ योजनाओं में सुधार किया गया और उसको कह दिया कि आनन-फानन में। एक बात यहां यह भी कही मैं इसको और पढ़ कर सुना दूं जिससे कि रिकार्ड करक्ट हो जाए कि आपने बजट प्रोविजन नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, Govt. of Rajasthan has taken a supplementary grant of Rs. 3919.86 crores and 5200 सब मिला कर 4400 करोड़ की आपने सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स अप्रूव करा ली। एक यह कहकर जाना कि हमने खर्चे का एडिशनल आथोराइजेशन जारी कर दिया, उसको असेम्बली से अप्रूव नहीं कराया। असेम्बली से अप्रूव कराया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सोच में और इनके सोच में फर्क है। ये एकदम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पीपीपी माडल आजकल तो अख़बार में पढ़ते हैं एफडीआई और पीपीपी। आज तो चारों तरफ पीपीपी माडल की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और एफडीआई की बात है। पहले भी हुआ है ऐसा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं कि पीपीपी माडल नहीं था लेकिन अब बहुत बड़े स्केल के अन्दर जब राज्य के पास मोटी सी बात है कि राज्य के पास पैसा नहीं है बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाओ और उनका इन्वेस्टमेंट कराओ, खुद पार्टनरशिप लो, उसके अन्दर अपनी हिस्सेदारी लो। करो कहां दिक्कत आती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शेम।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, Nothing is in shame. अपनी सरकार ने भी किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीड कर रहे हैं क्या?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): एक मिनट सर, एक तो आप चार साल, चार साल पांचवीं साल में नहीं आ रहे हैं 13-14 में। सीएजी रिपोर्ट 13-14 का हवाला दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने आपको पढ़ कर सुनाया न।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां बस 2013-14 तक, 2012-13 तक ही 2013-14 पर नहीं आ रहे हैं। मैं तीन-चार चीज पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने आपको पढ़कर सुनाया आपने शायद गौर नहीं किया मैं फिर से पढ़ देता हूं। मेरे पास प्रोविजनल फिगर्स आ गये हैं 2013-14 के।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेरा तो कहना है कि आप बार -बार यह कह रहे हैं कि हमारा जो पीपीपी माडल है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट आएंगे, यह होगा तो फिर सोशल सैक्टर के डवलपमेंट में खर्चा क्यों कम हो गया आपका? आप तो इतने गरीबों के रहनुमा हैं और आपका डेट जीडीपी रेश्यो क्यों बढ़ गया लगातार। आपका आरआरजीडीपी रेश्यो घट क्यों गया लगातार?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारी सोच का फर्क है, कांग्रेस की सोच का फर्क है, खाली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए । ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, आखिर ये राज किसका है, जनता का राज है ये। अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, गरीब आदमी के लिए काम नहीं करेंगे। आप सोचते हैं सब धन्ना सेठ हो गये, सारा मिडिल क्लास हो गया कंट्री के अन्दर या अपर मिडिल क्लास हो गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अगर हम गरीब के लिए काम नहीं करेंगे यही सोच का फर्क है, यही अर्थव्यवस्था का फर्क है। अगर हम गरीब के लिए नहीं सोचेंगे, उनकी योजना पर आप हंसों, खिल्ली उड़ाओ लेकिन गरीब आपको माफ नहीं करेगा। गरीब माफ नहीं करेगा अगर आप उसको भूलोगे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे ये दवा बांटी, मुझे आज बड़ी खुशी है कि दवा के ऊपर आज चिकित्सा मंत्री जी ने स्थिति साफ की है and I hope you will strict on your commitment what you have given in the House. जो आपने सदन में घोषणा की है आप उस पर कमिट करेंगे क्योंकि शक यह हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 67 परसेंट पापुलेशन को हम इंश्योरेंस के जरिये कवर करेंगे। अब इंश्योरेंस का पैसा कहीं न कहीं तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा गरीब आदमी को कि नहीं करेगा, या ये देंगे, क्या सरकार उनका प्रिमियम भरेगी, सरकार प्रिमियम भरेगी क्या? ये भी नहीं। कुछ न कुछ परसेंटेज आप मांगेंगे। कहीं का माडल हो, क्योंकि मुझे चिन्ता यह है कि भारत सरकार ने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए योजना शुरू की और कोई टेक आफ नहीं कर पाई। कोई उसका इंपेक्ट नहीं आया। है कितना सा बजट आपका एडिश्नल मिला कर चार-पांच सौ करोड़ का बजट नहीं आएगा और भारत सरकार ने तो, अख़बार में कल यह भी था जो मैं आपको सप्लीमेंट्री में नहीं पूछ पाया श्रीमान्, कि कुल 6-7 हजार करोड़ रुपये में कंट्री के अन्दर काफी लोगों को दवा दे सकेंगे वो तो कृपया आपसे निवेदन है कि एक बहुत बड़े अख़बार ने खबर निकाली कोई साधारण अख़बार नहीं है राजस्थान का। भास्कर में यह निकली कि तीन करोड़ आबादी को इस दवा योजना के दायरे से बाहर निकालने की सरकार तैयारी कर रही है। एजीटेटेड थे लोग, लोग हमसे पूछ रहे थे। हम खुद चिन्तित थे और प्राइवेट में हम लोगों से बाहर बात होती थी बीजेपी के सदस्यों को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ये चालू रहनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हुआ मैंने कहा चलिये वो तो आपने कुछ नहीं कहा वो चालू है मवेशी की दवा, नहीं पहले झोला छाप गांव में जाते थे श्रीमान्, एक भैंस को तकलीफ हो गयी, गाय को तकलीफ हो गयी पांच सौ-चार सौ रुपये का तो फौरन नुस्खा बनाया एक और लेकर चले आए। आज दो रुपये का पर्चा कटाओ, तो ऐसे मैं इनको गिनाना नहीं चाहता। पेन्शन, पहले विधवा का था कि 18 वर्ष फिर 25 वर्ष का लड़का हुआ तो पेन्शन बंद, रोती

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिरो। वृद्धों की पेन्शन पहले से थी। विधवाओं की पेन्शन पहले से थी अगर उसको सुधार कर दिया, सुधार करके उम्र का रेस्ट्रिक्शन उसके अन्दर हटा दिया या कम कर दी उम्र तो कौन सा बुरा किया। अब यहां तो कहते हैं कि कब ग्रोथ होगी, कब पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा ऊपर से नीचे तक आएगा तब तक उस गरीब का मटियामेट हो जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सर, एक मिनिट, जैसा कि निवेदन किया आप गरीब की बहुत चिंता करते रहे हैं और आप तो कह रहे हो पैसा किसके लिए चाहिए, गरीब के लिए। मैने पहले भी कहा कि आपका इतना कुछ होते हुए भी सोशल सेक्टर में गये पांच में खर्चा कम क्यों हो गया?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): एक मिनिट, सर एक मिनिट, पूरी बात। दूसरा जो फण्ड हमने क्रियेट किया था राजस्थान डवपलपमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन फण्ड, वह पावर्टी खतम करने की बजाय आपके रेवेन्यू अकाउण्ट की इनकम में कैसे चला गया।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): तब गरीब की चिंता क्यों नहीं हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन हमने इतने कार्यक्रम, उसकी पैसे की जरूरत, पावर्टी एलिवेशन के लिए आपने रखा, पावर्टी एलिवेशन की हमने आलरेडी इतनी स्कीम्स शुरू कर दीं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आसन की तरफ, सम्बोधित कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे ही आंखें मिलाऊंगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मेरी उम्र नहीं रही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इतने कार्यक्रम हाथ में लिए गए जिनकी खिल्ली उड़ाई गई। आपने दूध में क्रांति लाने की बात। मैं बंद करता हूं सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कतई नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्लीज, आप कह दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप चालू रखिये, आप बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो मैं आपसे कह रहा था, मैं बहुत शार्ट में पाइंट्स लाता हूं। इतनी सारी योजनाएं शुरू की सरकार ने, पेंशन की, दवा की, मवेशी की, और तो और दो रुपये लीटर दूध पर किसान को इन्सेंटिव दिया वह भी खतम हो गई। गेहूं एक रुपये का, दो रुपये कर दिया। आपका राज है, आप कर सकते हैं। किसके लिए पैसा बचा रहे हो भाई ? पीपीपी माडल में खर्च करने का अपना कन्ट्रीब्यूशन, अपना शेयर देने के लिए बढ़ा रहे हो क्या ? करो, आपका राज है कर सकते हो, हम तो कह ही सकते हैं, आप करो। मेरे कहने का मतलब है किसानों के लिए हमने तय किया बिजली के ऊपर, कि साहब यह रीयल एस्टेट, यहां कोई कमेंट करने की स्थिति में है कि बिजली कम्पनियां, कोई नाम दे दीजिए आप, कोई नाम दीजिए, जगलरी कर लीजिए, उनके एसेट्स का कारपोरेशन बना दीजिए, उनकी माली हालत बढ़ा दीजिए, लोन तो फिर भी लेंगें, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी दें या नहीं दें।

मैं आपसे वही कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ कर लीजिए। पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि इस राज में हम किसान की बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाई। मेरा जहां तक ख्याल है सबसे सस्ती बिजली हिन्दुस्तान में अगर कहीं मिल रही है, एकाध प्रांत का तो मुझे पता नहीं, राजस्थान में आज सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। किसान को, आप और क्या इन्सेंटिव दे सकते हैं, आप इतनी ही चालू रखिये। अब यह सब कवायद हो रही है, शहरों के अन्दर, दिल्ली का सा हाल नहीं हो जाए। आप बिजली देंगे, आप बिजली की व्यवस्था प्राइवेट, कन्सेप्ट क्या है। कन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए जयपुर के अन्दर 100 मेगावाट बिजली लगती है, कोई प्राइवेट कम्पनी आएगी, 100 मेगावाट बिजली जिस कीमत पर आप दोगे वह उसको उस कीमत पर दे देंगे। फिर घाटा, नफा-नुकसान में आप उसको कुछ फ्लक्चुएशन दोगे, एल्बो दोगे कि थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। तो आप क्या करने जा रहे हो ? आप करो, आपने रोडवेज का, रूट्स का डिनेशनलाइज कर दिया। आज हड़ताल पर है। आप कितना ही दीजिए, यह रोडवेज अपनी मौत मरने वाली है, यह मेरी प्रिडिक्शन है। यह मेरा प्रिडिक्शन है यह रोडवेज अपनी मौत मर जाएगी। आपने रूट्स को डिनेशनलाइज कर दिए। प्राइवेट बसें चलेंगी उन्हीं बस स्टैण्ड से, किराये का कम्पीटीशन होगा। फिर घाटा होता चला जाएगा और फिर दो-चार साल में रोड़वेज की मौत हो जाएगी। मैं आपसे आज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कह रहा हूं। स्टडी करें। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह घाटे की बात करते हैं, स्टेट रोड़वेज घाटे में ज्यादातर जगह, क्या आपको प्लेन के अन्दर पैसंजर्स फेयर से घाटा हो रहा है कि नुकसान, वह भी नुकसान की चीज है। आपको जो कुछ मिल रहा है वह फ्रेट से मिल रहा है। आप रेलवे को बंद कर दो न। मैट्रो को लेकर यही बात कि इतने साल तक होगा। जयपुर की बढ़ती हुई आबादी देखो, पोल्यूशन देखो, सड़कों के ऊपर डेप्रिशिएशन देखो, डीजल का खर्चा देखो लेकिन सोच है। आज अरूण जेटलीजी तो अहमदाबाद के लिए, लखनऊ के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट में मैट्रो के लिए प्रावधान कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है सैकिण्ड फैज शुरू करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अब मैं रिफाइनरी पर आ रहा हूं। यह रिफाइनरी का मुद्दा है। आप सौलर पावर एनर्जी और रिन्युएवल पावर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी लाए, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की स्थिति यह है, राजस्थान में न पानी है, न कोयला है। थोड़ा बहुत लिग्नाइट है। लिग्नाइट का जनरेशन बहुत मंहगा पड़ता है यह बात भी सही है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप रिफाइनरी के मामले में कोई टाइम, लिमिट तो तय कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कौन गुनहगार है। यह बहुत तेज अफवाह है कि देश के बड़े-बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो रिफाइनरी के बिजनस में है वह नहीं चाहते, उन्होंने पहले भी रोड़े अटकाए थे, भारत सरकार के लेवल के ऊपर और अब फिर रोड़े अटका रहे हैं, कि किसी तरह से रिफाइनरी के बारे में अफवाहें फैलाओ कि स्टेट को घाटे का सौदा है। रिफाइनरी नहीं लगे। अगले साल के बजट के अन्दर हिस्सा लिया है 14 के अन्दर 6 हजार करोड़ रुपये तो आपको रायल्टी का मिला है। अल्टीमेटली जब तक कन्स्ट्रक्शन शुरू होगा तब वेट को, सीएसटी को तो भूल जाइये आप। आपको 10-11 हजार करोड़ रुपये मिलेगा। 3400 या 3700 कुछ करोड़ रुपये देंगे 15 साल, वह भी पैसा आपको वापस आएगा। कोई उस पर ब्याज लगाता है, वह पैसा आपको वापस आएगा। वैट का पैसा कन्स्ट्रक्शन के दौरान अभी आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा फिर वैट में कन्वर्ट हो जाएगा सीएसटी, आपको सीएसटी और वैट दोनों मिलेंगे। काउंसलर एप्लाइड इकनोमिकल रिसर्च का, इन्हीं की रिपोर्ट के अन्दर है, इन्होंने इसको बदला है। खैर कर सकते हैं। नेशनल काउंसलर एप्लाइड

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इकोनोमिक रिसर्च एनसीएआर के अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर, राजकीय आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति होगी इससे, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इशारा कर दिया है, समय दें तो मैं सदन को अवगत कराऊं रिफाइनरी लूजिंग प्रपोजिशन यहां अच्छा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, सरकार प्रयत्न करें। अगर अपना शेयर बढ़ सकता है, 26 की जगह बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें भारत सरकार भी आपको दे रही है। उन्होंने भी अपनी 50 परसेंट की डयूटी के ऊपर, जो उनकी डयूटी है, उसमें उन्होंने ही 50 परसेंट की छूट दी है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया है, इन्होंने भी किया है। कोई न कोई उनके सामने प्राब्लम हुई होगी। भारत सरकार की नवरत्न कम्पनियों में से एक कम्पनी है जिसको एक यह काम दिया गया है। तो आप कर लो निगोशिएट। आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी यहां सरकार है, आपको सफलता मिले। आप 26 की जगह 30 कर लो, 35 कर लो, जो कुछ मिले फायदा ही है लेकिन टाइम फ्री। अदरवाइज आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। आप जितना डिले करेंगे आपकी रिफाइनरी सैटअप करने की कास्ट बढ़ती चली जाएगी, यह मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय का इशारा मिल गया है। एक-दो बात और कहूंगा। आप रोजाना हमको कोसते थे, डीजल के ऊपर हमको रोजाना कोसते थे। एकाध दफा छूट भी दिलवाई थी। कुछ बातें राजेन्द्रजी राठौड़ साहब को देखकर मुझे याद आ जाती है, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब को। अब इनका सौम्य रूप, इधर रौद्र रूप, मैं उस बीच में बेलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा हूं। रौद्र रूप और उधर सौम्य रूप।

श्री अध्यक्ष: रौद्र रूप की परिभाषा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): डीजल को लेकर तूफान मचता था, शायद एकाध दफा कुछ कमी भी की थी। अब तो कुछ कमी करा दो। किसान को राहत दिलवा दो। पहले किसान के गीत गाए हैं आपने, अब तो किसान को कुछ राहत दिलवा दो। तो मेरा आपसे अनुरोध है टैक्स प्रपोजल के बारे में। अध्यक्ष महोदय, यह मसालों के ऊपर आपने दिया काफी एजिटेशन हुआ। राजस्थान के अन्दर हैण्डीक्राफ्ट की अपनी इण्डस्ट्री बहुत है। माननीय उद्योग मंत्रीजी चार्ज देख रहे हैं। आप ही चार्ज देख रहे हैं, हमारे लिए तो यही उद्योग मंत्री है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मेरा आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपने हैण्डीक्राफ्ट्स के ऊपर लगा दिया। आपका पूरा मारवाड़, इवन जयपुर, हर जगह कुछ न कुछ है। राजस्थान में इसके जरिये काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। मंहगें होंगे, वैसे ही आजकल विदेशी टूरिस्ट कम आ रहा है, पूरे देश में विदेशी टूरिस्ट कम हैं और जो आ भी रहा है वह लो-इन्कम ग्रुप का आ रहा है। वह कुछ पर्चेज करता नहीं है। आप इस पर गौर करें। मसालों के ऊपर, आपके आज दुनिया भर की जीरे की सफाई की मशीनें नागौर में लग गई हैं। अदरवाइज सब लेकर जाएंगे, गुजरात जाएगा, ऊंझा मण्डी है, वहां जाएगा। ऐसी कुछ विसंगतियां और हैं। जैसे आपके कुछ नोटिफिकेशन, क्लीयरिफिकेशन के, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम डिस्क्रिएशन या सब चीज खतम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नोटिफिकेशन निकले हैं, खास तौर से टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, रिप्रजेंटेशन भी गये हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आप उन पर चर्चा कर लें और जो उनमें नोटिफिकेशन, क्लीयरिफिकेशन जारी करने हैं, वह करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इण्टरप्ट नहीं किया, इसके लिये आपको बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, सर।

श्री कालूलाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 7)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2014 को मध्याह्न 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन कर शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2014 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाय:-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2014	1. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 एवं 2. राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। 3. राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अब विचार रखेंगे श्री प्रहलादजी गुंजल और उसके बाद मानिकजी बोलेंगे। प्रहलादजी गुंजल। (व्यवधान) देख लेता हूं, मानिकजी के बाद समय बचेगा तो आपको भी देंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, 2014, राजस्थान विनियोग संख्या-3 विधेयक, 2014 पर सदन में चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बहुत ही गम्भीर चर्चा अभी सदन में भाग लेकर की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट सदन में पेश किया और जो कर प्रस्ताव राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखे, इन कर प्रस्तावों पर 14 तारीख को ही 94 अधिसूचनाएं जारी हुईं। बजट में जो प्रस्ताव आये, राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू हों। जब 18 तारीख को राज्य की मुख्य मंत्रीजी बजट पर जवाब दे रही थीं, कुछ संशोधनों के बाद सात अधिसूचनाएं 18 तारीख को जारी हुईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस वित्त विधेयक के माध्यम से 7-8 विधेयकों में संशोधन करके इन अधिसूचनाओं को कानून बनाकर सरकार को यह अधिकार आज हम देने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों के माल में प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 और राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में जो आंशिक संशोधन लाये हैं इस कर प्रस्ताव में और बजट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वित्त विधेयक कानून बन जायेगा, सदन पारित करेगा। कल महामहिम के हस्ताक्षर के बाद मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप तमाम प्रकार के टैक्स, कर संग्रहण, जो लगाये हैं, जो रियायतें दी हैं, राजस्थान में प्रभावी होंगी। इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक, जिसमें साफ लिखा है, जो राज्य का कर संग्रहण होगा, किसी भी प्रकार से राजस्व राज्य को प्राप्त होगा और केन्द्र का जो करों का हिस्सा और सहायता का पैसा आएगा, वह राज्य की समेकित निधि में जमा होगा। विनियोग विधेयक के माध्यम से हम, यह सदन राजस्थान की सरकार को, अधिनियम बनाकर यह अधिकार दे रही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये राज्य की समेकित निधि में से रुपया एक लाख 34 हजार 780 करोड़, 74 लाख, 90 हजार की राशियां संदत्त और उपायोजित की जा सकेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन अधिनियमों में, दोनों में, ऊपर लिखा हुआ है, भारतीय गणराज्य के 65वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। मैं इसीलिये पढ़ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार 65 सालों से भारतीय गणराज्य में, यह विधान मण्डल इस कानून को पारित करते हुए आया है। लगातार 65वें वर्ष में जब यह कानून बना, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, तो मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सार्थक चर्चा अब इस सदन में हो रही है। हम चर्चा करते समय लगातार राज्य की वित्तीय स्थिति, पिछली सरकारों का प्रबन्धन, इन सबको लेकर एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब यह चर्चा हो रही है तो राजस्थान के उस गरीब आदमी का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है जिसे यह भी पता नहीं कि राजस्थान में एक बार मेरे हित के लिये जीवन में परिवर्तन लाने के लिये, कल्याण के लिये बजट का निर्माण होता है। उसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार और सरकार के बजट होने का अहसास तब होता है जब उसके जीवन के सामने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चुनौतियां खतम होती हैं, जब उसके सामने आने वाली परेशानियां खतम होती हैं। उसके गांव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा का समुचित इंतजाम हो, तब उस गांव के व्यक्ति को लगता है, सरकार है, सरकार मेरे लिये बजट बना रही है। वह राजस्व के घाटे को नहीं जानता, आंकड़ों को नहीं जानता। इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आखिरी दिन बजट पर चर्चा, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक के माध्यम से हो रही है। चर्चा हमें इन संदर्भों में करनी चाहिए कि राजस्थान की विधान सभा का यह जो सदन है, यह पटल है, पक्ष-विपक्षीय राजनीति के आरोप-प्रत्यारोपों का आधार नहीं, यह राजस्थान की गरीब जनता के बारे में चिंतन करने का सदन है। उस राजस्थान के व्यक्ति के बारे में जो गरीबी की अंतिम रेखा पर जी रहा है शायद, विकास उसके लिए एक सपना बनकर, 65 सालों से लगातार खतम नहीं हो रहा उसका सपना। यह सदन उसके मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने का प्लेट-फार्म है।

मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बहुत सार्थक चर्चा हुई बजट की। आज भी बहुत गम्भीरता से चर्चा हुई लेकिन, मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी घटना के नाम पर सत्ता को, विपक्ष को कठघरे में खड़ा करने की जो राजनीति की परम्पराएं सदन में स्थापित हो गईं, बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि जिन अनुदान की मांगों को हम विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार को कानून बनाकर, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, चाहे को-आपरेटिव हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, आज खड़े होकर आरोप लगाने वाले प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब भाषण में अपना चिंतन बता रहे हैं लेकिन इस राजस्थान की विधान सभा में जब-जब भी अनुदान की मांगों पर बहस हुई, राजस्थान की जनता के हित में, चाहे एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग स्थापित करने की नीतियों में व्यापक परिवर्तन और राजस्थान की जनता के हित में सरकार जो नीति बनाने जा रही है, उस पर चर्चा के समय यह राजस्थान का विपक्ष इस विधान सभा से अनुपस्थित रहा। ऐसा लगता है कि आम आदमी से सरोकार समाप्त हो जाए, घटनाओं को लेकर एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करें और विधान सभा के बाहर दरवाजे पर जाकर अपनी बाइट दे दें, संदेश चला जाए, संदेश से जीवन-स्तर नहीं सुधरेगा। जीवन स्तर सुधरेगा सार्थक चर्चा से, सार्थक नीति से, सार्थक निर्णयों से और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सदन में कोई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सार्थक चर्चा नहीं हुई। सार्थक निर्णय और नीतियां नहीं बनीं लेकिन मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि यह अनुदान की मांगें, जो हम पारित करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि मैं जब 2003 से 2008 में एम.एल.ए. था तब यह चर्चा हुई थी कि आखिर हम लगातार पिछले पचास-पचपन सालों से बजट बनाते हैं, अनुदान की मांगें तय करते हैं, बजट के प्रावधान तय करते हैं, प्लान तय करते हैं और ऐसा कोई भी वित्तीय वर्ष आप मुझे बता दें कि जब हर वित्तीय वर्ष में प्लान का सारा पैसा समाप्त किया हो, सारे पैसे का सदुपयोग किया हो? लगातार हर वर्ष ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी इस सदन के निर्णयों का उल्लंघन, अवहेलना करते हुए प्लान का पैसा नान प्लान में शिफ्ट करते हैं।

जो यह सदन पास करता है, उस पैसे का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं होता और फिर जब अगला वित्तीय वर्ष आता है तो बहुत ईमानदारी से उस गैर-जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करके जिसने राजस्थान की जनता का हक-अधिकार के लिए जो पैसा इस सदन में अनुदान और बजट के माध्यम से तय किया है, उसमें जिसने भी लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही के बजाए आपकी सरकार ने इतना पैसा खर्च नहीं किया, आपकी सरकार ने इतना पैसा पड़े रखा, इस चर्चा में हमारा समय बरबाद करते हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसी समय राज्य की मुख्य मंत्रीजी राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 लेकर आईं कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। अब किसी भी सूरत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो सदन जनता के लिए बजट पारित करता है, आधिकारिक स्तर पर लापरवाही के कारण हम लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन में पीड़ा है कि जब सदन चलता है तो ब्यूरोक्रेसी हल-चल में रहती है। विपक्ष सत्ता का आइना होता है, विपक्ष की चर्चा, विपक्ष के आरोप सार्थक समालोचना सत्ता की नीतियों को रास्ता दिखाती है लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि इस बार का बजट मानसिक अवसाद से बाहर नहीं आ पाया और किसी सार्थक चर्चा में भाग नहीं ले पाया और केवल छोटे-छोटे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, फाइनेंस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बिल पर बोलो। नहीं, तैयारी नहीं है तो बाद में बोल लेना, अगले बजट में। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): फाइनेंस बिल पर ही बोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहें।

श्री अध्यक्ष: बाधा नहीं पहुंचाये। बाधा नहीं पहुंचाये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने पैरा नम्बर-7 में राज्य की स्थिति का जिक्र किया, जिसको राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पढ़कर सुनाया कि राज्य के ऊपर कर्ज का पहाड़ बन गया है। 2008 के अंत तक कर्ज और अन्य लायबिलिटीज का कुल भार 77 हजार 138 करोड़ रुपये था और मार्च 2014 में यह 53 हजार 502 करोड़ रुपया बढ़कर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये होना सम्भावित है। लगातार कर्जा बढ़ रहा है। राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है और ऐसे हालात में पिछली सरकार का जो कु-प्रबंधन रहा कि आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के बजाए हम लोगों ने कभी हमारे मूल्यांकन में चर्चा, उस आम व्यक्ति को नहीं देखा, केवल पांच साल बाद के चुनावों को देखा और इसी का परिणाम हुआ कि पिछली सरकार ने जाते-जाते अनियोजित तरीके इस राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई का करोड़ों रुपए साड़िया बांटने के नाम पर खर्च किया। लुटा दिया पैसा पेंशन के नाम पर। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): वह भी गरीब को ही गया। साड़ियां बांटी तो भी गरीब को ही गया न? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अगर आप माननीय अध्यक्ष महोदय, साड़ी बांटने के बजाए जो लोगों के घरों में बर्तन मांज कर उनके उपयोग की हुई साड़ियां पहन कर अपना जीवन चलाने वाले लोगों का, जीवन स्तर सुधारने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना लाते और राज्य के धन का उसमें सदुपयोग करते तो राजस्थान में आपकी वाहवाही होती। आपने उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खड़े किए? न लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपने कोई महत्वपूर्ण प्रयास किए। आपने केवल जनता के धन को लुटाकर फ्लैग-शिप योजनाओं के नाम पर राजस्थान की जनता से केवल वोट लेने का प्रयास किया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के फैसलों के बाद राजस्थान के गरीब आदमी को लगना चाहिए कि मैंने जिस सरकार को चुनकर भेजा है, मैंने जिनको राजस्थान की विधान सभा में चुनकर भेजा है, मैं उसकी सोच के केन्द्र में मौजूद हूं और जब तक यह अनुभूति राजस्थान के गरीब आदमी को नहीं होगी हम लगातार 65 सालों से यह कानून बना रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया का मूल्यांकन हमने कानून बना दिया, चर्चा कर ली, इससे नहीं होगा। यह विधेयक पास करना, यह बजट पास करने की सतत प्रक्रिया का मूल्यांकन हम उससे करेंगे कि राजस्थान का जो गरीबी की जीवन रेखा के नीचे जीवन जीने वाला आदमी है, कितना आत्मनिर्भर बना है, कितना उसके जीवन में स्वावलम्बन पैदा हुआ है इस बात का मूल्यांकन भी निश्चित रूप से होना चाहिए।

हर बार बजट प्लान बढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इन 65 सालों में कोई ऐसा वर्ष आया हो जिसमें प्लान साइज घटा हो। देश और प्रदेश में आर्थिक आपात-काल के हालात हमारे पैदा होने से पहले कभी रहे हो और एक के बाद एक अनवरत बजट के प्लान में कोई कटौती हुई हो, लगातार प्लान बढ़ रहे हैं लेकिन राजस्थान के जीवन स्तर को हम सुधार पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यह सिलसिला 1977 में शुरू हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भैरोंसिंहजी शेखावत इस राज्य के मुख्य मंत्री बने तो एक कल्पना की कि 30 साल पहले जो कांग्रेस ने राज किया 1947 से 1977 तक और गरीब आदमी जिसका अंत हो गया हम उस अन्त्योदय, अंत का उदय करेंगे, अन्त्योदय योजना लेकर आये और उसमें आज भी सारा राजस्थान जानता है माननीय अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी शेखावत जब राजस्थान के मुख्य मंत्री 1977 में बने तो गांव के सरपंच और जी.एस.एस. के अध्यक्ष, अनाज ले जाते-ले जाते थक गये लेकिन राज्य के खजाने के दरवाजे बंद नहीं हुए कि ले जाओ, राजस्थान के आम जनजीवन के स्तर में सुधार की गुंजाइश खड़ी करो। लोगों को लगा था कि राम राज्य आ गया।

(16.00 बजे)

उसी समय भैरोंसिंहजी जब दुबारा 1990 में राज्य के मुख्य मंत्री बने, तो जो कांग्रेस के राज की परम्पराएं थीं कि विकास के साथ राजनीतिक भेदभाव, पहली बार राजस्थान में भैरोंसिंहजी ने विकास के साथ भेदभाव को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तोड़ा और कहा, कोई पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा जिसमें हम मिडिल स्कूल नहीं खोलेंगे। कोई पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा जिसमें हम स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलेंगे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया कि कोई पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा जहां तक हम सड़क नहीं पहुंचाएंगे और इसी सोच को व्यापक स्वरूप सारे हिन्दुस्तान में दिया। भारतीय जनता पार्टी की सोच ने, कि जब भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो लगातार 50-55 सालों से जो राजनेताओं के सामने झोली फैलाकर गांवों में सड़क, पानी, बिजली मांगने वाला व्यक्ति, जो लगातार हर पांच साल में उसका विश्वास टूटता था, अटल बिहारी वाजपेयी ने महसूस किया लोकतंत्र जनता के विश्वास पर टिका हुआ है, इसकी विश्वास की डोर रेशम के धागे से बारीक, यह विश्वास डोल गया तो लोकतंत्र डोल जाएगा। अब इस विश्वास को केवल झांसों और वादों के आधार पर बांध कर नहीं रखा जा सकता। हिन्दुस्तान को भारतीय जनता पार्टी की सोच ने भरोसा दिया कि 2007 तक हिन्दुस्तान के नक्शे पर कोई 500 की आबादी का गांव नहीं बचेगा जिस पर पेवर की सड़कें नहीं चली जाएंगी और इसी सोच को आगे बढ़ाया कि अगर 31 दिसम्बर, 2012 तक एन.डी.ए. की सरकार रिपीट हुई तो हिन्दुस्तान की धरती पर कोई ढाणी, मजरा नहीं बचेगा, जिस पर पेवर की सड़कें नहीं पहुंच जाएंगी। यह सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच और, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सोच को लगातार राज्य की मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ा रही हैं। (व्यवधान)

मैं थोड़ा-सा समय और चाहूंगा। राज्य की मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ा रही हैं लगातार। फाइनेंस भी विचारधारा से तैयार होता है, जिसकी जैसी भावना..., आगे आप समझ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने संकल्प लिया है कि हम राजस्थान में इस पांच साल में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लगातार पिछले 10 दिनों से जो सदन में चर्चा हुई, और जो संकल्प मंत्रियों ने अनुदान की मांगों के जवाब में दिया है, अब तक 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का निर्णय राजस्थान सरकार इस सदन में ले चुकी है।

अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह आज जिस बिजनस पर हाउस में विचार कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैट टैक्स, मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने टैक्सों का सरलीकरण किया है और बजट में इस बात को दोहराया है। अपने कर प्रस्ताव

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दोहराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स कम्प्लायंस को सुनिश्चित करने के साथ टैक्स पेयर्स एजूकेशन फैसेलिटेशन और टैक्स सिम्पलीफिकेशन कर प्रशासन के पिलर होंगे। टैक्सों का सरलीकरण और सुविधा व्यापारी के लिये इसको शिक्षित करेंगे और आगे दोहराया है। करों के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि राज्य में उद्योग और व्यवसाय प्रोत्साहित हों, निवेश में वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ें। निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी की भावना पवित्र है। उनके निर्णय राज्य के विकास के लिये महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टैक्स स्लेब में पिसे हुए मसालों के साथ साबुत मसालों पर 5 परसेंट वैट की बात कही। धनिया और मैथी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस झालावाड़ से माननीय मुख्य मंत्रीजी आती हैं, उस हाड़ौती में इतना धनिया पैदा होता है कि सारे हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होता और इसीलिये आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की मुख्य मंत्रीजी धनिया किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर निश्चित रूप से आज इस वित्त विधेयक पर जवाब देते समय उनको राहत देंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि टैक्स स्लेब का वास्तव में सरलीकरण होना चाहिये। टैक्स को जो 5 परसेंट, 12 परसेंट अलग-अलग स्लेब में रखा गया है, 14 परसेंट रेट पर जो वस्तुएं, वह केवल बाजार में ब्राण्डेड और कैपिटल गुड्स, यह आती है और इनकी बिक्री, कुल बिक्री का 20 परसेंट नहीं है, जो जनरल आइटम 80 परसेंट बाजार में बिकता है और 12 परसेंट-14 परसेंट वैट लगाते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वैट चोरी होती है। हम ईमानदारी से 20 परसेंट वैट भी वसूल नहीं सकते। अगर हम वैट स्लेब में सरलीकरण करेंगे और जनरल आइटम के साथ समान न्याय करेंगे और एक स्लेब में डाल देंगे, आज कौन नहीं जानता इस राजस्थान के कोने-कोने में ट्रेनों से दिल्ली से, मुम्बई से, महानगरों से बिना बिक्री कर के कितना माल आता है और यह सेल्स टैक्स के जो तमाम इंस्पेक्टर हैं, इनकी जानकारी में होने के बावजूद भी कोई टैक्स वसूल नहीं ले जाता, एकाध कोई केस बनाने के लिये, इसलिये टैक्स स्लेब में सरलीकरण किया जाना चाहिये, ताकि सरकार का टैक्स बढ़े। जो वैट की दर में बहुत कुछ अमूल्य संशोधन है लेकिन एक-दो संशोधन धारा 20 में परिवर्तन करके जो टेण्डर लेता है छोटा व्यक्ति, ठेकेदार, उसकी वैट दर जितने पैसे का टेण्डर है, उसका 6 परसेंट था, अब उसको 20 परसेंट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने एक करोड़ का टेण्डर लिया और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अगर सरकारी एजेन्सी, जिसने टेण्डर दिया है, उसका 20 लाख रुपया सेल्स टैक्स में जमा करा देगी तो टेण्डर पर काम करने वाले व्यक्ति के पास इतना मुनाफा नहीं होता। सरकार का काम करने के लिये लोग तैयार नहीं होंगे। इसलिये इनमें निश्चित रूप से बहुत सावधानीपूर्वक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने सदन को भरोसा दिलाया है कि हम जी.एस.टी. लागू करने के लिये तैयार हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने कहा हम 2015 तक हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों को इस बात के लिये राजी कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जब जी.एस.टी. लागू करने के बारे में भरोसा दिया है तो यह भी सदन को राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी अवगत कराएंगी कि जी.एस.टी. अगर राज्य में लागू होती है तो राज्य का बिक्री कर ढांचा उनके जिम्मे किस प्रकार का काम होगा। निश्चित रूप से हम सब मिलकर यह जो टैक्स सरकार को लेने का और इसका उपयोग करने का अधिकार दे रहे हैं, यह भी अपेक्षा करते हुए सदन में कि यह टैक्स राजस्थान की गरीब जनता के हित में उपयोग में लाया जाना चाहिये और इससे उसके जीवन स्तर में सुधार आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उसके साथ न्याय कर पाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्दजी सुराना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपने इसमें दो अमेंडमेंट भी दिये विधेयक के खण्ड-17 और खण्ड-33 में, इन पर भी साथ-साथ विचार व्यक्त कर दें थोड़ा। उत्तर एक साथ ही आ जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बिलकुल। आपके सुझाव को मानता हुआ उसके अनुसार ही जो संशोधन मैंने दिये हैं, उनके बारे में भी मैं अलग से भाषण के अंत में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपके सुझाव को व्यवस्थित ढंग से कह दूंगा, भाषण में ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ऐसा अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा, मैं उसके अनुसार करूंगा। यह विचारार्थ चल रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह व्यवस्था गलत है। बिल में जो संशोधन दिये हैं, वह तो बिल का जिस समय वाचन होगा, और वह सेक्शन आएगा, उसी समय संशोधन पेश होगा और उसी समय संशोधन विदड्रा होगा। बिल के भाषण के बिना यह कैसे होगा? अब विचार तो कुछ भी रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विदड्रा उस समय कर लेंगे। पहले विचार व्यक्त कर देंगे, एक ही बात है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, पहले भी रहा है, विचार अभी व्यक्त कर देंगे, विदड्रा उस वक्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब चाहे तब विदड्रा कर सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व इस सदन में काफी विद्वान माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक, 2014 पर और उसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर भी आपके आदेश से दोनों पर चर्चा साथ ही हो रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा अलग से होना ज्यादा हितकर है। एप्रोप्रिएशन बिल का दायरा अलग है, उसमें मानिटरी पालिसी डिस्कस हो सकती है। सरकार की जो पालिसीज हैं, वह डिस्कस हो सकती हैं और उनके संदर्भ में एप्रोप्रिएशन पर बात कही जा सकती है और हमको कोई रश-अप करना हो काम को, वह अलग बात है कि हमको कोई रश-अप करना है और टाइम बचाना है।

श्री अध्यक्ष: ना टाइम बचाना है, ना रश-अप करना है, सुविधा करनी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सुविधा नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: है वो तो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं पहले वित्त विधेयक पर ही शुरू करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक मात्र बजट भाषण का, बजट भाषण के प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का एक हथियार है और बजट भाषण में जो अनेक बातें कही गयी हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोल चुका हूं और सबसे पहले मैंने ही बधाई दी थी कि एक लाख करोड़ की रेवेन्यू का टारगेट जो इस साल अचीव हुआ है माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में उसके लिए मैंने कहा था कि हम बहुत बधाई अपनी तरफ से भी देते हैं और यह सदन भी उनको इस बात के लिए बहुत बधाई देगा।

झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि यह बजट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ट्रांसफोर्मेशन है, इकोनोमी को ट्रांसफोर्म करेगा और मैं हिन्दी में कहना चाहता हूं कि उनका मतलब यह है कि यह अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करेगा। निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि यह बजट राजस्थान के ढांचागत निर्माण को, जिसको हम अंग्रेजी में इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बढ़ावा देगा और इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता इस बजट के विजन में है।

पर अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बजट से कुछ नहीं होता है। बजट के आंकड़े अनेक बार लुभावने होते हैं लेकिन धरती पर नहीं उतरते। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम तो गरीब के लिए समर्पित हैं, गरीब के लिए चिंतित हैं और हमारा बजट तो नरेगा का है, इसका है, उसका है, अध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी लाग-लपेट के निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े क्या बोलते हैं इसको देखिये। 2012-13 में कोई विवाद तो है ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी, 2012-13 में आयोग, जनजाति उप योजना में, ट्राइबल सब-प्लान में आयोजना विभाग ने बजट रखा 4216.84 करोड़ का, 2012-13 में बजट 4216 का बजट प्रावधान 1955.87 के, 4200 से भी कम, आधे 2100 होते हैं और बजट रखा गया, माननीय नन्दलालजी से अर्ज करूंगा, 1955 करोड़ का, 2100 करोड़ का भी नहीं। जो उनका हक था, ट्राइबल सब-प्लान का अनुसूचित जन जाति का जो हक था वो 50 परसेंट कहां चला गया? मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहूंगा, यह आंकड़े किसी के सगे नहीं हैं। यह भा.ज.पा. के भी सगे नहीं हैं। इनके वर्षों में क्या स्थिति बनी उसका भी विश्लेषण हो सकता है पर अभी तो तात्कालिक आपने फरमाया है। 2013-14 में, अध्यक्ष महोदय, आयोजना विभाग कहता है कि इनका जो हक है 12.92 प्रतिशत जन जाति का उसका बजट है 5179.46 करोड़ का और योजना प्रस्तावित बजट, उधर 5179 और इधर 2770.39, यह भी 50 परसेंट से नीचे ही है, ऊपर नहीं है। यह 2700 करोड़ तो 2013-14 में और दो हजार करोड़ के करीब 2012-13 में, यह 4700 करोड़ रुपया कहां चला गया? जिनकी दृष्टि थी गरीब के प्रति, जिनकी दृष्टि थी दलित के प्रति, आयोजना विभाग ने तो बजट रख दिया और आंकड़ों में, प्रस्तावित बजट में नहीं है, बजट एस्टीमेट में नहीं है और रिवाइज एस्टीमेट तो उससे भी कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह दो साल के आंकड़े अभी प्रस्तुत करता हूं और इसके कुछ पीछे के आंकड़े हैं तो जहां संदर्भ आयेगा मेरे भाषण में, वहां मैं उनको भी प्रस्तुत करूंगा।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, बहुत से बढ़िया काम, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने इस बजट भाषण में घोषणा की। सबसे बड़ी घोषणा जो इस राजस्थान के व्यापार जगत के लिए है वो यह है कि वैट के डिपार्टमेंट में सारे रिटर्नस आन लाइन जायेंगे, इलेक्ट्रोनिक और आन लाइन पद्धति से जायेंगे और इलेक्ट्रोनिक और आन लाइन पद्धति से जाने का सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि साक्षात्कार नहीं होगा अधिकारी का, व्यवसायी का और साक्षात्कार कम से कम हो तभी भ्रष्टाचार की रूट, उसकी जड़ समाप्त हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इलेक्ट्रोनिक और आनलाइन सिस्टम को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, माननीय पंचायत राज मंत्री जी। यह अभी जिस स्थिति में है उसमें सारा वर्कलोड यह उठा पाये, इस बात को वर्तमान सरकार को देखना है।

यह भी बहुत अच्छा किया उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन कोई करायेगा तो वैट में रजिस्ट्रेशन अलग और फिर एण्ट्री टैक्स का अलग कराओ जैसा पुरानी सरकार, अब तक की सरकारों में पद्धति थी, फिर सी.एस.टी. का अलग कराये, फिर लग्जरी टैक्स का अलग कराये, चारों तरह के रजिस्ट्रेशन सब राजस्थान के व्यवसायियों के लिए एक साथ हो जायेंगे, जिसको एकल खिड़की योजना का मूर्त रूप देने का कहते हैं वो एकल खिड़की योजना को मूर्त रूप देने का काम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, व्यवसायी की विवरणी भरने का जो टाइम पहले क्वार्टरली था और उसके बाद तीन महीने, फाइनेंशियल ईयर खतम हुआ और तीन महीने में भरो, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 9 महीने का समय दिया है कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद 9 महीने में एनुअल रिटर्न भरे, यह भी बहुत व्यावहारिक है क्योंकि अनेक ऐसे व्यवसायी हैं जिनको इन्कम टैक्स में आडिट करानी पड़ती है। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वैट के फार्म 10 ए और 11, दोनों के लिए फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने, जब उनकी आडिट हो जाए उसके बाद उनको विवरणी पेश करने का जो समय दिया है यह भी बहुत सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से कदम हैं पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यह जो साक्षात्कार वैट के अधिकारियों और व्यवसायी का आपने आनलाइन रिटर्न भर कर खतम किया है, मेरे खयाल से आपने इस बजट भाषण के पैरा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

275 से 278 के बीच में उस सारी उपलब्धियों को नकारने का काम अधिक सम्भावना यह है कि ब्यूरोक्रेसी की सलाह से वो चार कदम आपने, आपकी सरकार ने उठाये हैं। पिसे हुए मसालों की बिक्री पर पांच प्रतिशत की वैट दर। अध्यक्षजी, उसके बाद लिखा है हजार रुपये से अधिक मूल्य के हैंडीक्राफ्ट की बिक्री पर पांच प्रतिशत की दर। उसके बाद पैरा 277 में लिखा है 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये प्रति पीस और 100 रुपये प्रति सैट से अधिक कीमत के टैक्सटाइल फर्निशिंग व 500 रुपये प्रति मीटर से अधिक कीमत के टैक्सटाइल सूटिंग्स और शर्टिंग्स पर भी पांच प्रतिशत की दर से वैट लगाना प्रस्तावित है।

अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं कपड़े से ही शुरू करता हूं। किसलिए आपको कपड़े पर टैक्स लगाना है? क्यों उसको इसकी परिधि में लाना है? भारत सरकार ने बहुत सोच-समझकर एडीशनल गुड्स एक्साइज के माध्यम से कपड़े को बरी किया और कपड़े पर कभी भी किसी भी प्रांतीय सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं रहा और आप यह 12 करोड़, 15 करोड़ की बिक्री, वो 245 करोड़ या 250 करोड़ की बिक्री जो राजस्थान में आप असेस करते हैं उस पर पांच परसेंट टैक्स कितना बनेगा, साढ़े 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़। इसका दुष्परिणाम क्या है, मैं सरकार को अर्ज करना चाहता हूं। अध्यक्षजी, उसके दुष्परिणाम यह हैं, राजस्थान में कपड़े के एक लाख व्यापारी हैं, छोटी-मोटी टैक्सटाइल की दुकान हर कस्बे में, हर गांव में आपको मिलेगी, जो भी दस हजार की आबादी का गांव है वहां टैक्सटाइल की दुकान मिलेगी और ए.सी.टी.ओ., आप तो बहुत ईमानदार हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी, आप ए.सी.टी.ओ. से कौनसी उम्मीद कर रहे हैं?

मैं हाल की घटना बताता हूं आपकी इस घोषणा के बाद की, मेरे क्षेत्र के एक कपड़े के दुकानदार के पास A.C.T.O. गया, 20 मिनट बैठा, उनको पूछा कि bill कहां है? अरे भाई, अभी तो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, परिधि में आयेंगे साल भर में, bill था भी नहीं। अध्यक्ष जी, मैं सदन से किसी बात को छिपाना नहीं चाहता। बहुत सारा कारोबार अलग तरह से चलता भी है, bill ना होने या bill दिखाने के चक्कर में 20 मिनट में A.C.T.O. 30 हजार रुपये लेकर के चला गया।

आप क्या चाहते हैं? राजस्थान का A.C.T.O. एक लाख दुकानें हैं और 30 हजार रुपया, यदि वह आधी दुकानों पर भी जायेगा न तो 1500 करोड़ की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रिश्वत के द्वार आपने खोल दिये हैं। आप ध्यान कर लें और कपड़े पर इस tax को बिलकुल खतम करें। ताकि यह एक लाख लोग जो गांव-गांव में बैठे हैं और हर कस्बे में हैं, वह यह समझें कि सरकार भ्रष्टाचार के सारे द्वार बंद करना चाहती है। भारत सरकार ने जिस कपड़े पर Excise duty खतम कर दी है, उस पर आप कर न लगायें। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप कर न लगायें। यह मेरा नम्र निवेदन हैं।

अगर आप लगायेंगे, और वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों की या पूरे प्रशासन के दबाव में यह करते हैं तो यह करना बंद कर दें। आपके vision में कोई दबाव की आवश्यकता नहीं है। नरेन्द्र मोदी भी किसी दबाव में नहीं हैं। माननीय वसुंधराजी पर भी किसी तरह का दबाव न तो कोई सोचता है और ना उनको कोई दबाव बरदाश्त करना चाहिए।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कपड़े व्यापारियों के प्रतिवेदन आपको खूब मिले हैं। भीलवाड़ा से मिले हैं और राजस्थान का कौनसा हिस्सा नहीं है कि जहां से नहीं मिले हैं। 500 रुपये मीटर का कपड़ा raymond बनाता है। यह भीलवाड़ा वाले तो 60, 70, 80 रुपये मीटर का कपड़ा बनाते हैं। लेकिन उस A.C.T.O. को क्या मतलब? उसको तो एक handle चाहिए, दिखा भाई, कौन से कपड़े का क्या bill है तेरा? नहीं है तो फिर ला। दिक्कत क्या है? लाने में तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। कौन सुनता है कि ले लिए। कोई नहीं सुनने वाला है। यदि आपने कपड़े पर tax लगाया तो 50 हजार लोग सालाना 10-20 हजार नहीं, 30 हजार, 50 हजार की रिश्वत के नीचे आ जायेंगे। इसलिए मैं दुबारा अर्ज करना चाहूंगा कि इस कपड़े पर कर को खतम करें और आपका जो भी estimate है कि इससे इतनी आय होगी उस estimate की आय को देखें और रिश्वत के आकार को देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिसे हुए मसाले, क्यों पिसे हुए मसालों पर tax लगना? किसने सलाह दे दी कि पिसे हुए मसालों पर tax लगाना है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी, असलिया, कथोर राजस्थान में इनकी भरमार है। नागौर, मेड़ता, जोधपुर तीन मंडियां बहुत विकसित हुई हैं जीरे के मामले में। अप्रैल, मई, जून में प्रत्येक दिन 10 हजार बोरी जीरा इन मंडियों में आया है। अप्रैल, मई में तीनों मंडियों की 30 हजार बोरी की आवक है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां नागौर, मेड़ता में आ रही हैं। MDH जिसका रोज मसालों का विज्ञापन हम देखते हैं, वह कम्पनी आई है और 10-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

20 और बड़े ट्रेडर आये हैं। पिसे हुए मसाले पर आपका tax मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य सुनें, 14 percent है। आप मसाला पिसे हुए पर लो 14 percent, आपने जो भी language use की है, आपकी intention से कुछ नहीं होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे कहा कि उस गरीब से नहीं लिया जाएगा, किसान से नहीं लिया जाएगा। मंडी में नहीं लिया जाएगा। मैंने भाषा पढ़ी, वह मंडी में ही वसूल होगा। कृषि उपज मंडी में जब आएगा बिकने उस वक्त ही धनिये पर और हर तरह के जो 7-8 मसाले हैं उन पर tax लगेगा। कोई बचा नहीं सकता उसको। यदि इस राजस्थान को आप देश की बड़ी मंडी बनाने चाहते हैं पिसे हुए मसालों के लिए तो कृपया मसालों पर, बिना पिसे हुए मसाले पर या छोटी-मोटी घट्टी से पिसे हुए फार्म को आप tax लगाना बंद कर दें। पिसा हुआ मसाला जिस पर कोई trade mark लगे या कोई factory में पिसे या दो-चार मसालों को मिलाकर पिसे, चाहे शुद्व मिर्ची पिसे, शुद्व जीरा, धनिया बनाये, उन पर भले ही आप tax लगायें और वह tax अभी भी लगा हुआ है 14 प्रतिशत।

आपके tax का एक नतीजा जरूर होने वाला है कि यदि उस किसान पर tax लग गया तो 5 percent की recovery वह कारखाने वाला आपके झेलेगा कि 5 percent तो किसान ने दिया है तो वह तो input tax है। इतना तो मुझे tax में वापिस लेने का कायदा है, वह 5 percent आपसे वसूल लेगा। इसलिए आप इसके सारे consequence को देखें।

अभी कोटा शहर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा ही रहे थे धनिये के लिए, रामगंजमंडी, कोटा, बारां, अंता, छबड़ा, अटरू, झालरापाटन यह 2013 में ही tax खतम हुआ, तब मध्य प्रदेश का धनिया हमारी मंडियों में आया, सिर्फ धनिये पर 6 करोड़ का tax, धनिया और जीरा 20 लाख और 80 हजार बोरियां और मिर्ची जो बाहर से आती है वह आज 12 लाख बोरी राजस्थान की मंडियों में आ रही है। यह आंकड़े जो भी मंडियों में बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं के द्वारा मुझे दिये हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पिसे हुए मसालों पर tax, जो भी आपने notification जारी कर दिया है, उसको आप कृपया निरस्त करने की कृपा करें। अन्यथा एक लाख कपड़े वाले, मंडियों में बैठे हुए व्यापारी और आने वाले किसान और उसके साथ यह आपके handicrafts के कारखाने वाले और handicrafts का कारीगर इन सबमें चर्चा हमारी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सरकार के खिलाफ होगी। जिसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए यह 10, 20, 50 करोड़ की आमदनी का आपको लुभावना चित्र दिखाया है प्रशासन ने, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि प्रशासन के इस चक्कर में ना आयें। इन तीनों वस्तुओं को handicrafts को भी, पिसे हुए मसालों को और कपड़े को आप बिलकुल माफ कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब मैंने value added tax में जो विज्ञप्तियां आपने, entry tax में जारी कीं कि किसी सीमा में local area की सीमा में जब कोई सामान आयेगा तो उसका जो tax हम अभी लेते हैं उसकी जो आपने rates बढ़ायी हैं एंट्री tax में, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि आपने कितनी rates बढ़ायी हैं। आपकी सरकार rates बढ़ा दे और खाद्य मंत्री यह कहें कि महंगाई है ही नहीं। तो खाद्य मंत्रीजी, अब सुन लें कि किस पर क्या चीज बढ़ी है और उसके नतीजे महंगाई बढ़ाने में होंगे या नहीं होंगे। इसको ठीक ढंग से देखें।

श्री अध्यक्ष: बोलने दें। बोलने दीजिए नो इंटरवेंशन।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं मेरे पास 14 जुलाई का notification है। stainless steel पर 5 प्रतिशत का tax, पहले .50 था। अब 5 percent का tax है। tin plate पर 1 percent का tax था, अब 5 percent का tax है। जैसे ही tin plate किसी local area में आयेगी वह 5 प्रतिशत tax लगेगा। यह 4 percent अधिक पहले और फिर 4 percent अधिक। इतना ही नहीं, oil seeds excluding till for oil expecting and crude for refilling इन पर 1 percent था अब 3 percent हो गया। एयर कण्डीशनर्स पर पहले 8 परसेंट था अब 15 परसेंट हो गया। एक्स-रे मशीन्स, एक्स-रे एपेरेटर्स एण्ड इक्विपमेंट्स, चिकित्सा मंत्रीजी, पहले 1 परसेंट था अब 5 परसेंट हुआ है। ओपियम पर तो खैर आप लगायें तो लगायें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहले 1.5 परसेंट था अब 50 परसेंट किया है। ओपियम एक अपवाद हो सकता है। पर इस ओपियम के बहाने आप राजस्थान के सारे एण्ट्री टैक्स को 20 परसेंट से 65 परसेंट क्यों कर रहे हैं? आपको 50 परसेंट लगाना है ओपियम पर तो आप उसकी साधारण सीमा तो 20-25-30 परसेंट रखें। एक्सक्लूडिंग ओपियम एक-दो आइटम जो आपको 50 परसेंट लगाने हैं, 60 परसेंट लगाने हैं, दो, चार, पांच आइटम छांट लीजिये उसमें आप अपना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अधिकार रखिये 50 परसेंट से ऊपर का लेकिन बाकियों के लिए तो आप अपने अधिकारों को सीमित रखिये। नौकरशाही चाहेगी कि अधिकार तो असीमित रहें आपके पास ताकि अधिकारों का उपयोग और दुरुपयोग करना तो उन्हीं को है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरशाही के हाथ मजबूत करने के लिए असीमित टैक्स की पावर राज्य सरकार अपने हाथ में न लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 55 आइटम्स हैं, मैं पढूंगा तो सदन का बहुत समय लग जायेगा, मैं इतना ही अर्ज करता हूं कि एरियेटेड वाटर, 4 परसेंट था और अब 15 परसेंट, यह एइरेटेड वाटर की बात है और किसी की बात नहीं है। साधारण आदमी जो एइरेटेड वाटर पीता है, कोई सोडा पीता है, कोई लेमन पीता है, कोई कोकाकोला पीता है उस पर 4 परसेंट की जगह 15 परसेंट। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एल्कोहल पर?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एल्कोहल मेरे ध्यान में नहीं आया। देखा ही नहीं। आइसक्रीम पर जो आप और हम कभी-कभी खाते हैं 4 परसेंट से 15 परसेंट। खैर, इसमें 15 परसेंट के बहुत आइटम हैं। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि यदि आपने 55 वस्तुओं पर बेतहाशा टैक्स बढ़ाया है तो ध्यान कर लीजिये फिर यह महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी का भाषण बंद कर दीजिये। महंगाई नहीं बढ़ेगी, आप साफ कहो कि राज्य के खजाने के लिए जितनी महंगाई हमको बढ़ानी है हम बढ़ायेंगे और जितना टैक्स बढ़ाना है हम बढ़ायेंगे। यह टैक्स लगाने की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। बढ़ाने की प्रवृत्ति, और बढ़ाने की प्रवृत्ति, असीमित प्रवृत्ति, एण्ट्री टैक्स में आप 65 परसेंट बढ़ाते हैं। मेरा संशोधन है कि 65 से घटाकर इसको 30 किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन के वक्त भी यह बात कहूंगा लेकिन विस्तार से मैंने अभी जो निवेदन किया है कि एण्ट्री टैक्स में एण्ट्रीज को चाहे जैसा बढ़ाने का मेरा सख्त विरोध है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने पावर को सीमित रखें, 20 से 30 परसेंट रखें और एक्सक्लूडिंग जो आइटम्स रखने हैं उनको रखकर करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीनों बातों पर कुछ निवेदन आपसे किया है। कपड़े पर किया, हैण्डीक्राफ्टस पर किया, मसालों पर किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा यह है कि इन तीनों मुद्दों पर मैंने आपको कटौती

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रस्ताव भी दिये हैं। आप हरी किताब से बंधे हुए हैं, निश्चित रूप से और मैं भी बंधा हुआ हूं। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त विधेयक का दायरा आठों-दसों जितने टैक्स के एक्ट हैं उन सब पर है और एक्ट में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और विज्ञप्तियों के मार्फत नोटिफिकेशन करके रेटें बढ़ा दी जाती हैं। मैंने मेरे निवेदन में उस पर्टीकुलर विज्ञप्ति, नियम और विज्ञप्ति का पेज, सब नोट करके दिया है कि इसको विलोपित किया जाये। ठीक है कि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने मेरा निवेदन कर दिया है, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त विभाग की, वित्त विधेयक की जो परिधि है, उस परिधि को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि हम, हम तो वैसे ही कम पढ़ते-लिखते हैं इसलिए यह कोई देख भी ले तो आपके ध्यान में ले आयें, सदन के ध्यान में ले आयें इसलिए उन संशोधनों का आता है अधिकार और उसका दायरा बढ़ जाये,, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इसके लिए अलग से सदन के दस-बीस लोग आपसे मिलेंगे, कुछ लिखित में आपको निवेदन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन धारा-67 में है। वित्त विधेयक की धारा-67 उसमें जो संशोधन है, उस संशोधन में लिखा है पहले, जो धारा 67 है उसमें अनेक प्रकार के जुर्म बनाये गये हैं और अनेक प्रकार के जुर्मों में धारा 67 में जितने गलत काम व्यवसायियों द्वारा किये जाते हैं, उनका जिक्र है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और उनमें से सरकार ने 'सी' और 'आई' को छांटकर 3 साल की सज़ा का प्रावधान इस एक्ट में रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा यह है जो संशोधन है उसकी मैं सदन के सामने भाषा पढ़ देता हूं, जो कानून बन रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह है खण्ड 'ग' या 'झ' के अधीन वर्णित अपराधों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जहां खण्ड 'घ' के अधीन मांग नोटिस की रकम एक करोड़ से अधिक हो, वहां ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और उसके आगे लिखा माननीय अध्यक्ष महोदय, और जुर्माने का भी दायी होगा किन्तु न्यूनतम दण्डादेश छह मास के लिए सादा कारावास और पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा। मैं अर्ज करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने 'सी' और 'आई' को छांटा और 'सी' और 'आई' को पढ़ता हूं मैं, 'सी' में लिखा है, ''Fraudulently avoids or evades tax or deliberately conceals his tax liability in any manner."

(श्री मानिक चन्द सुराना)

धोखा देता है, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को छिपाता है और इवेड करता है और उसको देता नहीं है किसी भी प्रकार से और 'आई' यह है, ''fraudulently evades wrong credit of input tax."

जो इनपुट टैक्स भी गलत रूप से हासिल कर लेता है, अपने उत्पाद के लिए उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल की सज़ा रखी और मैं समझता हूं कि 3 साल की सज़ा बहुत सही है पर आप तो तत्काल दयालु हो गये और आपने कहा 6 महीने की सज़ा अधिक से अधिक होगी, 6 महीने की सज़ा पर मेरा निवेदन है कि 6 मास नहीं क्योंकि आपने दूसरे जुर्मों में 6 माह की सज़ा रखी हुई है उसके नीचे ही इसलिए 6 माह की जगह 1 वर्ष का कारावास हो, यह संशोधन मैंने दिया है। उसका रेशनल है कि जब दूसरे अपराधों के लिए 6 माह है तो इस गम्भीर अपराध के लिए जिसको आपने छांटा है, सब अपराधों में से 2 अपराध 'सी' और 'आई', तो उन अपराधों के लिए 1 वर्ष की सज़ा कहां ज्यादा है? और शर्त क्या है? 1 करोड़ रुपये की राशि आपकी दबाये बैठा है। ऐसा नोटिस आयेगा माननीय सांगानेर से आने वाले महानुभाव तभी वह परिस्थिति बनेगी जब उसको 3 वर्ष के कारावास की सज़ा हो। मैं कहता हूं कि लिबरल होने की क्या आवश्यकता है आपको। आपके ध्यान में कुछ बातें आई होंगी तब कहा होगा आपने, 1 करोड़ की मांग के तहत यह प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 वर्ष की सज़ा रखकर कम से कम साल भर की तो दिलाइये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह हैण्डल मजिस्ट्रेट के हाथ में होगा और मजिस्ट्रेट महोदय, कृपा करेंगे 5 लाख रुपये घर ले जायेंगे और 3 साल की सज़ा को 6 महीने की सज़ा करके बड़े आराम के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में कम करेंगे और कोई रोक नहीं सकता उनके जुडिशियल डिस्क्रिशन को। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1 साल की सज़ा 67 के प्रावधानों में रखने की कृपा करें तभी वह 6 महीने की सज़ा जो अगले क्लाज में है, क्लॉज सैकण्ड में उसका जस्टिफिकेशन बनता है। (व्यवधान) क्या हो गया श्रीमान्?

मुझे निवेदन करने दें आप। आप उचित समझेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपकी इच्छा के बिना तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप जारी रखिए। आप जारी रखिए। आप आसन को संबोधित कीजिए, इनकी बात मत सुनिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टाम्प एक्ट में संशोधन किये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मुझे अफसोस तो यह है कि सैद्धान्तिक भाषण तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का हुआ, पर शायद कांग्रेस को फुर्सत नहीं है कि वह टैक्सेशन के प्रपोजल्स का गम्भीरता से अध्ययन करे, इसलिए इनका कोई प्रस्ताव किसी भी एक्ट की धारा में या उसके सब क्लाज में संशोधन का नहीं आया। खैर, यह कांग्रेस का काम है, मेरा काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संशोधन तो एक दिन पहले आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक, मैंने आपके साथ बहुत उदारता भी बरती और कहा था कि आप बोलते रहिए, पर आपने कृपा की कि अब मैं बंद करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दो दफे तो घड़ी दिखा दी थी।

श्री अध्यक्ष: दो बार नहीं, एक बार दिखायी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस को संशोधन देना था तो 24 घंटे पहले देना था। आधा घंटे में संशोधन कहां से आएगा आपका? आपने एक भी संशोधन टैक्स कम करने के लिए नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हैण्डीक्राफ्ट्स और मसालों के ऊपर मैंने अपनी बात कही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने बात कही, लेकिन संशोधन तो फिर भी नहीं आया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संशोधन कोई नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सिर्फ भाषण ही देना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए, शांत रहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब आने और बिल पास होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अब मेरा निवेदन है स्टाम्प अधिनियम पर। अध्यक्ष जी, 5(क) स्टाम्प अधिनियम में संशोधन हुआ है और इस संशोधन में आप गौर फरमाएं। पहले भी एक्ट था और पहले के एक्ट में प्रावधान थे सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से सम्बन्धित हो तो एक करोड़ पर 50 रुपया पहले था और अभी भी 50 रुपया है प्रतिभूतियों के लेन-देन पर। यदि प्रतिभूति एक करोड़ की होती है तो 50 रुपये लगते हैं। प्रतिभूतियों के अलावा जो शेयर्स हैं, आजकल स्टाक मार्केट की बहुत चर्चा है, पीपीपी मोड की बहुत चर्चा है और पीपीपी मोड में कम्पनियां बनती हैं वे स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से बनती हैं। शेयर्स के लेनदेन पर पहले डिलीवरी के मामले में प्रतिभूमि, जिसको अंग्रेजी में सिक्योरिटी कहते हैं, उसका पूर्व में भी एक करोड़ पर 200 रुपये था, अब आपने इसको एक करोड़ पर एक हजार रुपया कर दिया है। परिदान के मामले में एक हजार रुपया समझ में आता है कि एक्चुअल डिलीवरी हुई, लेकिन जहां डिलीवरी नहीं है वहां आपका पूर्व कानून 200 रुपये का था और वही जस्टिस आज भी है। यदि आप राजस्थान में स्टाक एक्सचेंज को मजबूत करना चाहते हैं तो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के मुकाबले ज्यादा रेट स्टाक एक्सचेंज में नान डिलीवरी शेयर्स की हैं, सिर्फ फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है उस पर आप हजार रुपये की रेट न रखें और जो पहले कानून में 200 रुपये का प्रावधान था, आप वह रखें।

अध्यक्ष महोदय, नान डिलीवरी में, मैंने अर्ज किया पहले 200 रुपया था, जहां कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग है जो परमिसिबल है, कानून-सम्मत है, उनमें पहले मात्र 30 रुपया एक करोड़ के लेन-देन पर था भावी और विकल्प व्यापार में। अब आपने 30 रुपये को 33 गुना बढ़ाकर एक हजार रुपया एक करोड़ पर कर दिया। ये आंकड़े सारे स्टाक एक्सचेंजेज को, जो राजस्थान में छोटे-मोटे चलते हैं उनको बर्बादी के कगार पर पहुंचाएगा, आपके ट्रेड को पड़ोसी राज्यों में धकेलेगा। कम से कम गुजरात को देख लें कि वहां यदि ये रेटें नहीं हैं तो आपको ये रेटें लगाने का कोई न्यायसंगत औचित्य नहीं है, व्यवहारपूर्ण औचित्य नहीं है। ट्रेड और इण्डस्ट्री को हम बढ़ावा देने की तो बात करें और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उस पर टैक्स 30 गुना, 200 का एक हजार टैक्स लगाएं, यह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। यह हमारे स्टाक एक्सचेंजेज को, हमारा स्टाक एक्सचेंज में छोटा-मोटा कारोबार हो रहा है उसको बर्बाद करने के कगार पर ले जाएगा। ,

अध्यक्ष महोदय, मैंने ये सारी बातें इस वित्त विधेयक के संदर्भ में रखी हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि मुझे आप विनियोग विधेयक पर भी कुछ निवेदन करने का अवसर दें। विनियोग विधेयक पर निवेदन करने से पूर्व मैं आपसे कहूंगा कि जो सरकारी खरीद आपने बीकानेर जिले में की मूंगफली की, चने की, खाद्य मंत्रीजी भी यहां हैं, हमारे बीकानेर के व्यापारियों का चने का सारा का सारा, सेंट-परसेंट रुपया बाकी है 10 करोड़। मूंगफली का 2 करोड़ रुपया बीकानेर का, लूणकरणसर का 2.5 करोड़, डूंगरगढ़ का 8 करोड़ रुपया बाकी है। आपने वस्तु ली है, खरीद ली है, उसको उठाकर अपने गोदाम में ले गये हैं और आपकी सरकार की एक लाख 6 हजार करोड़ की राजस्व की आय है तो हमारे गरीबों का 10-20 करोड़ रुपया आप क्यों दबा रहे हैं? आपको तो एफसीआई देगी या नहीं देगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपके हुक्म से खरीदा गया है, आपके हुक्म से यह शुरू हुआ है, आप इसका रुपया दें। इसमें कोई शर्म-लिहाज की बात नहीं है, व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापारी की तरह एक्ट करिए और व्यापारी जैसे रुपया दो दिन में, तीन दिन में देता है उस तरह व्यापार का रुपया दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में यह भी कहा गया है कि डार्क जोन में जो बिजली देंगे, उस डार्क जोन में बिजली देना मना है, पर फिर भी कोई उसका पूरा पेमेंट हमें करें कैपिटल, पूंजीगत खर्च हमें दें तो उसे हम दे देंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम वैलफेयर स्टेट हैं या हम और कोई स्टेट हैं? हम क्या पूंजीवादी स्टेट हैं कि हम पूंजीगत खर्च उससे ही ले लेंगे? सैद्धांतिक रूप से डार्क जोन में मना करना है तो सबको मना करो। यह क्या बात हुई कि जो सक्षम है वह ढाई-तीन लाख, चार लाख दे सकता है उसको तो दे दोगे और गरीब देखता रहेगा और फिर चर्चा होती रहेगी कि देखो, ओ बडो आदमी है, इने तो दे दियो, म्हानैं तो दियो कोनी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, विद्युत मंत्रीजी भी विराजमान हैं, इस नीति को दुबारा देखने का कष्ट करें, कृपा करें और इसमें आवश्यक संशोधन भी जनता के हित में, किसान के हित में करने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान में मैट्रो रेल पर अपने बजट भाषण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में भी कहा था और आज भी कुछ कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा है, पर मैंने जो पहले कहा वह बात नहीं कह रहा हूं। मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि इस मैट्रो को आपने विधान सभा के पटल पर तो कुछ रुपये दिये वे तो हमारे ध्यान में है, 2010-11 में 179 करोड़ दिये। 2010 में ही मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया कि 300 करोड़ हम देंगे, 100 करोड़ रीको देगा, 100 करोड़ हाउसिंग बोर्ड देगा, 150 करोड़ जेडीए देगा। अध्यक्ष महोदय, यह रीको का क्या फंक्शन है कि वह 150 करोड़ दे? क्या हाउसिंग बोर्ड का लेना-देना, क्या जेडीए का लेना-देना? आपको रेल बनानी है, जिसका खर्चा अब तक 2024 करोड़ आपने दिखाया है 2013-14 की मैट्रो की प्रगति रिपोर्ट में, जो संस्थाएं हैं जिनको गृह बनाने हैं जिनको इण्डस्ट्रीज के लिए जमीनें एक्वायर करनी है और इण्डस्ट्रीज को प्रमोट करना है और घर बनाने को प्रमोट करना है इसलिए इनसे जो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये लिए हैं वो इनको तो चुकाइये। यह तो पूर्व मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत के दबाव में रीको ने भी दे दिये, हाउसिंग बोर्ड ने भी दिये और तीसरी संस्था थी उसने भी दे दिये। मैं अर्ज करता हूं कि इनके मैमोरेंडम आफ एसोशियेशन में कहां लिखा है कि ये मैट्रो बनाने के लिए रुपये देंगे। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से भी कहना चाहूंगा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, जो आटोनामस संस्थाएं हैं उनको दबाकर चाहे जिस मनमाने प्रोजेक्ट में आप जो 150 करोड़, 100 करोड़ दिलाते हैं यह प्रथा बिलकुल गलत है और वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि इन तीनों संस्थाओं को आप रुपया वापस करें। क्योंकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट इनका है और यह ड्रीम प्रोजेक्ट, यह ब्यूरोक्रेसी बहुत होशियार है, यस सर कहते-कहते नये जो शासक हैं उनको भी अपनी परिधि और प्रभाव में ले लेती है। आपने यस सर की किताब सुनी है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो बहुत फेमस है, यस सर। तो यस सर सुनने के आदी....

श्री अध्यक्ष: यस मिनिस्टर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यस मिनिस्टर और फिर यस सर। मेरा निवेदन यह है कि तो वापस कीजिये। माननीय, सरकार को मालूम है या नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार ने तीन हजार करोड़ नहीं, तीन हजार करोड़ से तो 9 जमीनें आबंटित कर दीं वर्ष 2010 में। इन्होंने मैट्रो को ट्रांसफर कर दिया और उनका केबिनेट प्रस्ताव हुआ 132/2010 दिनांक 21.7.2010 को। अध्यक्ष महोदय, केबिनेट ने प्रस्ताव करके, केबिनेट का प्रस्ताव मैट्रो की रिपोर्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में छप गया था और जब रिपोर्ट में छपा तो हमने सारे कलक्टर्स और स्टाम्प रजिस्ट्रार्स को लिखकर पूछा कि इनकी डीएलसी रेट क्या है और फिर उन्होंने डीएलसी रेट बताई और सरकार को पूछा कि इसकी गजगत क्या है तो गजगत भी आई। ये 9 जमीनें जो ली गईं ये इनकी बहुमूल्य भूमियां हैं और इनकी डीएलसी रेट 1690 करोड़ है और मार्केट रेट 5 गुणा ज्यादा 8 हजार करोड़ रुपये है। ये 9 भूमियां ही नहीं दी गईं, ये 9 भूमियां ही मैट्रो को ट्रांसफर नहीं हुई, इसके अलावा 120 एकड़ यह जो मानसरोवर का डिपो बना है वहां, और जो सीतापुरा में बनने की सम्भावना है वहां 240 एकड़ और जो रिंग रोड बन रही है उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा इस मैट्रो का पिछली सरकार ने बढ़ाया है। मैं अर्ज करूंगा कि जहां डिपो बन गया वो बन गया अन्यथा जो डिपो नहीं बने हैं सीतापुरा के या दुर्गापुरा के, उन डिपोज के लिए न तो कोई जमीन दी जाए और ये जमीनें क्योंकि राजस्थान विधान सभा की पीठ के पीछे दी गई हैं, आपका, नई सरकार का दायित्व है कि इन जमीनों को आप कैन्सिल करें क्योंकि जितना रुपया चाहिए था आपने फर्स्ट फेज बनाने के लिए दे दिया। फर्स्ट फेज बनाते-बनाते यह जो भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जितना कम्पलीट हो गया, चांदपोल तक कम्पलीट करिये। चांदपोल से आगे इन्होंने सोचा भी नहीं था, वो प्रोजेक्ट जब चांदपोल से बड़ी चौपड़ जाएगा वो आपका प्रोजेक्ट कहलायेगा। इस असंवैधानिक काम में, जिसका अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह मैट्रो कहां से पैदा हो गई, यह केबिनेट के प्रस्ताव से हो गई, जे.डी.ए. के द्वारा प्रोजेक्ट बनाने से और इस भ्रम में पैदा हो गई कि मैट्रो आ गई तो सारे वोट कांग्रेस को पड़ जाएंगे। अब तो आंख खोलिये कि मैट्रो बनने से वोट नहीं पड़ते हैं। इधर वालों को कह रहा हूं तो आपसे भी कह रहा हूं कि मैट्रो आगे बढ़ेगी, वोट नहीं बढ़ेगा। जयपुर शहर में स्थापत्य के नाम पर, धरोहर के नाम पर इसका भारी विरोध है।

चाहे माननीय सदस्य बोलें या न बोलें पर आप जयपुर शहर की पल्स को रीड करिये। प्रमुख मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि आप जयपुर शहर की पल्स को रीड करिये और सवाई जयसिंह के बसाये हुए इस जयपुर शहर को कृपा करके इस प्रोजेक्ट को बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ नहीं ले जाएं, इसको किसी भी हालत में खोदें नहीं और इस मैट्रो को हाथ लगाना बन्द कर दें, जहां थी वहीं कम्पलीट कर दीजिये, जो 100-200 करोड़ और लगने हैं वो लग जाएंगे और इस मैट्रो को आगे बढ़ाने का पाप मत करिये। 192 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 2044 तक इसका ओ एण्ड एम खर्च, आर्गेनाइजेशन एण्ड मैनेजमेंट का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खर्च, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यह 2044 तक सरकार के माथे पड़ेगा, एक फूटी कौड़ी की आमदनी नहीं होने वाली है। जो आप दो लाख यात्रियों की बात सोच रहे हैं वो दो लाख छोड़कर 40 हजार का आंकड़ा भी जब दो महीने में यह चले तो देख लीजिये कि 40 हजार प्रतिदिन का आंकड़ा भी प्राप्त नहीं करेगी। इस मानसरोवर से चांदपोल का आंकड़ा है दो लाख का और सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक का आंकड़ा है चार लाख, यह छह लाख की जगह साठ हजार आदमी प्रतिदिन नहीं प्राप्त कर पायेंगे। यदि आपने फिर भी जिद की और रेल बनाई तो छह लाख की जगह साठ हजार आदमी से ज्यादा इस ड्रीम प्रोजेक्ट में नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को अन्त में दुबारा रिपीट करता हूं कि इस सदन के पीठ पीछे जो जयपुर की बहुमूल्य भूमियां, जिनकी डीएलसी रेट 1690 करोड़ है और जिनकी माप 3 लाख 15 हजार 343 वर्ग मीटर है, इन जमीनों को कैन्सिल करके वापस राज्य के खजाने में अपने कंट्रोल में लीजिये, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। विधान सभा की पीठ पीछे कुछ हो नहीं सकता और यह किसी की बपौती नहीं है कि चाहे जो चीज चाहे जिसको चाहे जैसे मनमाने केबिनेट प्रस्ताव पास किया और दे दिया। मैं भद्दी भाषा में कहना नहीं चाहता, राज किसी की बपौती नहीं है और किसी के पिताजी इसमें कमाकर नहीं लाये इसलिए यह जो पीठ पीछे काम किया गया है इसको आप निरस्त करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट का समय यदि आप प्रदान करें तो मैं कुछ अर्ज करूं।

श्री अध्यक्ष: आप जारी रखिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, प्रकरण है राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड का। यह राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र की कम्पनी है और महाराष्ट्र में इसी नाम से एक कम्पनी है, उड़ीसा में भी इसी नाम से एक कम्पनी है और राजस्थान में भी इसी नाम से एक कम्पनी है। अध्यक्ष महोदय, जो डायरेक्टर राजस्थान में हैं श्री विवेक सावंत, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमकेसीएल, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर वहां महाराष्ट्र नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड के हैं और यहां डायरेक्टर हैं। दूसरे हैं मिस वीना कामथ, सीनियर जनरल मैनेजर नेशनवाइड स्ट्रेटेजिक बिजनस पार्टनरशिप

(श्री मानिक चन्द सुराना)

डवलपमेंट प्रोग्राम, एमकेसीएल, पुणे। यही तो डायरेक्टर राजस्थान में हैं, यही डायरेक्टर महाराष्ट्र में हैं, ये दो डायरेक्टर विवेक सावंत और वीना कामथ और यही डायरेक्टर उड़ीसा में हैं। तीनों जगह एक ही डायरेक्टर हैं। कहा जाता है कि इस राजस्थान नालेज कार्पोरेशन में जैसी सरकार आती है उसी तरह के लोग इसमें डाल दिये जाते हैं, मुख्य बात पर मैं आता हूं कि तीन महीने का जो कम्प्यूटर का कोर्स है जिसका नाम है आरएस-सीआईटी, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट आफ इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, आपने इसकी मंजूरी 3 सितम्बर, 2008 को दी, सी.के. मैथ्यू साहब के दस्तखत हैं। उसके बाद 17 नवम्बर, 2008, यह भी अपनी सरकार के टाइम का है, आपने इसको रिकोग्नाइज कर लिया। रिकोग्नाइज करने के बाद कांग्रेस सरकार ने 5 जुलाई, 2010 को इसको डी.ओ.पी. के द्वारा जो भी एल.डी.सीज. के रिक्रूटमेंट हैं उनमें इसको 4 बड़े टैस्टों के मुकाबले तीन महीने के टैस्ट को रिकोग्नाइज कर लिया। एक टैस्ट है ओ लेवल का जिसको भारत सरकार चलाती है, भारत सरकार का इलेक्ट्रोनिक डिपार्टमेंट चलाता है।

(17.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा कोर्स है कोपा का, Computer Operation & Programme Assistant का कोर्स, इसको नेशनल स्टेट कौंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग चलाती है। यह एक साल का कोर्स है। इसी के मुकाबले Diploma in Computer Science दो साल का कोर्स है। फिर Diploma in Computer Science & Engineering दो साल का कोर्स, जो पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूशन कराती है। आईटीआई का कोर्स एक साल का है। पोलीटैक्नीक का कोर्स दो साल का है और यह कोर्स तीन महीने का है। यानी दो कोर्स एक साल के, दो कोर्स दो साल के और उसी के बराबर यह Rajasthan Knowledge Corporation Limited का तीन महीने का कोर्स और उसमें एलडीसीज की भर्ती में इसको मान्यता है। यह केवल एलडीसीज की भर्ती में ही नहीं, 20 विभाग में इसका लाभ उठाया है। चार लाख विद्यार्थियों से 2,700 रुपये दिखते हुए और 1,000-2,000 रुपये छिपते हुए, ये वसूल कर रहे हैं चार लाख लोगों से। आपका शेयर होगा 20-30 परसेंट। कम्पनियों में जब तक 51 परसेंट शेयर नहीं हों और आपके ही आदमी नहीं हों, आपने कैसे इसको रिकग्नाइज कर लिया? मैं चार्ज लगाता हूं कि यह रिकग्निशन पूर्णत: गलत है। तीन महीने में आप किसी भी विद्यार्थी को वह नहीं पढ़ा सकते जो वह कोपा में पढ़ेगा या वह ओ लेवल के कम्प्यूटर कोर्स में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पढ़ेगा या वह आईटीआई और पोलीटैक्नीक संस्थाओं में पढ़ेगा। आपने तीन महीने के कोर्स को लागू कर दिया। इनके विज्ञापन छप रहे हैं कि यही अधिकृत, प्रमाणित, राजस्थान सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था और इस कारण से लड़का क्यों करेगा एक साल का कोर्स, तीन महीने का करेगा। चार लाख स्टूडेंट्स हैं इनके। हर साल का चार लाख विद्यार्थियों से रुपया कैलकुलेट करवा लें आप अध्यक्ष महोदय। करीब 80 करोड़ रुपये इनको फीस के आते हैं और राजस्थान की आईटी के प्रशिक्षण को इस संस्था ने बर्बाद कर दिया है। पहले भी, 2008 से पहले आईटी की बड़ी ट्रेनिंग होती थी, साल-दो साल का कोर्स लोग करके आते थे और उसके बाद आईटी के पदों पर लगते थे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में आईटी के मिनिस्टर इस बात को रिव्यू करें और यह साफ कहें कि कौन से पदों पर इनकी मान्यता होगी और कौन से पदों के लिए ये सर्टिफिकेट आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी मान्य नहीं है? इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और इसके कारण 4,000 संस्थाएं जो आईटी प्रशिक्षण में माहिर हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी ध्यान होगा, जो माहिर हैं, वे बैकफुट पर जा रही हैं और ये माल कमा रहे हैं। यही राजस्थान में है, यही महाराष्ट्र में है, यही उड़ीसा में है। यह इनका प्रोफेशनल धंधा बन गया है और इनके सारे रिकार्ड को और इसमें कितना आपका धन है, कितना दूसरों का धन है और कितना ये जो मैंने दो नाम लिये, उनका धन है, इसका भी परीक्षण आप करायें और इस घोटाले को राजस्थान में बंद करायें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत समय दिया। मैं सदन से यह निवेदन करता हूं, मैंने जो शुरु में आंकड़ा दिया कि ट्राइबल सब-प्लान और अनुसूचित जाति सब-प्लान, 2012-13 और 2013-14 में जितना बजट इनको आबंटित होना था, आयोजना विभाग ने किया लेकिन बजट एस्टीमेट में नहीं है और रिवाइज एस्टीमेट में उससे भी कम है और कुल मिलाकर आयोजना विभाग द्वारा जितना बजट इनके लिए जनसंख्या को देखकर आंका जाता है...

श्री अध्यक्ष: यह आप शुरु में बोल चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...उसका 50 प्रतिशत हिस्सा ही अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को मिलता है। यह बहुत गम्भीर बात है। मेरा निवेदन है सदन से, आपके माध्यम से सरकार से कि पिछले 10 साल का रिकार्ड एग्जामिन करायें और यह जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक साल में 2,000 करोड़ रुपये कम लगे हैं,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कहीं 1,900 करोड़ रुपये कम लगे हैं और यह खाता चल रहा है 2007-08 और 2008-09 से, तो पिछले सालों में जो 10-20 हजार करोड़ का नियोजन कम हुआ है...

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हैं। आप ये शुरु में बोल चुके हैं। अब स्थान ग्रहण करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...नहीं, कम हुआ है। उस नियोजन को आने वाले सालों में भरपाई करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: वह आपको निवेदन कर दिया है। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक के ऊपर आज सुबह से ही वाद-विवाद चल रहा है। हमारे माननीय सदस्य जो झोटवाड़ा से आने वाले और शाहपुरा से आने वाले, दोनों ही सदस्यों ने तो पूरे आंकड़ों के साथ पिछले पांच साल की पूरी जन्मपत्री सदन के अन्दर रख दी। राजाखेड़ा से आये हुए वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो एक सैद्धांतिक अपनी बात यहां पर रखी क्योंकि वे प्रतिपक्ष से आते हैं इसलिए अपनी बात को उसी तरीके से उनकी सरकार को बचाते हुए पिछली सरकार को और उन्होंने अपनी बात कही कि कोई ऐसा गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन यहां तो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो पिछली सरकार में 2008-2009 के अंत में हमारे पास में जो लोन लाइबिलिटी स्टेट के ऊपर थी, वह 77,138 करोड़ रुपये थी, लेकिन 2013-2014 में जब इनकी सरकार जाने की स्थिति में थी, वही लोन लाइबिलिटी जो इन्होंने हम पर छोड़ी, वह 1,30,640 करोड रुपये यानी इन्होंने कुल पांच साल में लोन लाइबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ी, वह 53,502 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा आंकड़ा जो लोन लाइबिलिटी का इन्होंने बढ़ाया। अगर हम कर्जा कोई अच्छा काम करने के लिए लें, विकास के लिए लें तो बात समझ में आती है। घी पीने के लिए कर्जा लिया जाये तो शायद कोई माफ नहीं करेगा और पूर्ववर्ती सरकार ने जो कर्जा लिया, उस कर्जे से उन्होंने विकास तो कुछ नहीं करके दिखाया, लेकिन यह जरूर दिखा कि इन्होंने इन पांच सालों के अन्दर जनता को जिस तरीके से गुमराह किया, जनता के साथ जो धोखा किया, यह सारी चीजें स्पष्ट हमारे सामने आती हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं कहती हूं कि इन्होंने कर्जा भी लिया, इन्होंने टैक्स भी लगाया, इन्होंने राजस्व घाटा भी दिया, सब कुछ हुआ और यह जो बार-बार कहते हैं कि क्षेत्र के अन्दर ऐसा क्या काम किया, जिसके लिए हम कह सकें कि वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार ने किया।

अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास में नरेगा के तहत सारे कच्चे काम हुए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस नरेगा के अन्दर हुई। आज भी हमें याद है, माननीया वसुन्धराजी जब पिछली बार मुख्य मंत्री थीं, 2003 से 2008 के कार्यकाल में केन्द्र में कांग्रेस का शासन था, उसके बाद भी नरेगा के अन्दर राजस्थान प्रथम पंक्ति पर आया था कि राजस्थान में नरेगा का बहुत ही अच्छा काम हुआ, उसके लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया, जब वे मुख्य मंत्री थीं। 2008 से 2013 में जिस तरीके से नरेगा का हाल इस राजस्थान में हुआ, यह हम सबके सामने हैं।

अगर हम सड़क के बारे में बात करें तो पिछली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में पैचवर्क करने तक के लिए भी इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। अगर इनके मंत्री के पास जाकर कहते थे तो ये कहते थे कि अभी हमारे पास में फण्ड नहीं है, जब आयेगा तब हम आपका काम करेंगे।

पानी की योजनाओं को लें तो भी जीरो रहा इनका। कोई योजना ऐसी नहीं जिस योजना को इन्होंने क्रियान्वित किया हो।

बिजली की बात लें तो एक भी कृषि कनेक्शन पिछले पांच साल में इन्होंने, जिसने एप्लाई किया हो, तुरन्त इन्होंने दिया हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। पांच साल का बैकलाग अभी आपने छोड़ा है बिजली का। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? यह सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है। न तो बिजली का उत्पादन किया और किया है तो यह किया कि बिजली कम्पनी का जो घाटा था, जो 2008-09 में 15,000 करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर इन्होंने 75,000 करोड़ रुपये किया। यानी 60,000 करोड़ रुपयों का घाटा बिजली के ऊपर इन्होंने बढ़ाकर न कोई कृषि कनेक्शन दिये, न कहीं बिजली का उत्पादन किया और हमें इन्होंने सौंपा कि यह आप विरासत में लीजिये, यह बिजली का इतना बड़ा घाटा इन्होंने दिया। जनता के साथ में जिस तरीके से इन्होंने खिलवाड़ किया कि किसान भाई, न उन्हें बिजली मिलती थी और न उन्हें कनेक्शन मिलता था, यह स्थिति इन्होंने की।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं आपके माध्यम से आज जानकारी देना चाहूंगी कि युवाओं की बात करते हैं। उद्योग एवं व्यापार के साथ ही यह जुडा हुआ है। न कोई नया उद्योग पिछले पांच साल में राजस्थान में आया, न कोई व्यापार की ऐसी सम्भावनाएं बनीं। इसलिए रोजगार देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि कहीं युवाओं को रोजगार देने की बात हम करें।

महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं तो ये केवल कागजों में रहती है। इनकी बड़ी नेता दिल्ली में बैठती है, वह एक महिला हैं उस सब के बावजूद भी महिला सशक्तिकरण केवल नारे बनकर रह गया, केवल कागजों के अन्दर रह गया। इन्होंने 2003-2008 में माननीय वसुंधरा राजे जी जब मुख्य मंत्री थीं इस प्रदेश की, उन्होंने भामाशाह योजना की शुरूआत की थी और उन्होंने कहा था कि स्मार्ट कार्ड बनेंगे और उस कार्ड के माध्यम से वह महिला के बैंक में पैसा डिपोजिट होगा। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आयी इन्होंने तुरन्त उस योजना के ऊपर ग्रहण लगा दिया और उस योजना को समाप्त कर दिया, यह काम इन्होंने किया है। मैं इन्हें कहती हूं कि जब बात करते हैं आप, राशनकार्ड वितरण प्रणाली के संदर्भ में आज सुबह से ही हम प्रश्नकाल में भी देख रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये सारे सवाल इसलिए आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह सब पूर्ववर्ती सरकार के कारनामे हैं। यह उनके समय में सारी त्रुटियां रही हैं राशनकार्ड की। राशनकार्ड की यह स्थिति रही कि जो राशनकार्ड से जिसे राशन मिलता था उनका राशन बंद करने का काम इन्होंने किया। राशनकार्ड में इतनी त्रुटियां एक ठेकेदार राशनकार्ड बनाने, वह भी इन्हें राजस्थान का कोई नहीं मिला, गुजरात में जाकर उसको ठेका दिया कि तुम राजस्थान के राशनकार्ड बनाओगे और 90-95 प्रतिशत उसमें त्रुटियां पाई गई। उस राशनकार्ड में बेटे को बाप बना दिया, बाप को बेटा बना दिया ऐसी त्रुटियां उसके अन्दर चाहे वह नाम से हो, चाहे उम्र से हो, यह सारी स्थितियां उसके अन्दर रहीं। जिससे यह हालत रही कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी अपनी वह सारी ध्वस्त हो गई, यह सारा काम किया है इन्होंने। आज जो स्थिति है उसे सुधारने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्रीजी और इसलिए बार-बार यह सवाल पूछ रहे हैं तो अपने खुद के गिरेबान में इन्हें झांक कर देखने की जरूरत है। यह शुरूआत कहां से हुई? यह आपके कांग्रेस के शासन में शुरूआत हुई है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह बार-बार ग़रीबों की बात करते हैं। यह अपने नारों में कहते हैं कि हम ग़रीबों के लिए हैं लेकिन इन्होंने ग़रीबों के लिए क्या किया? इन्होंने यह तक नहीं किया कि गरीब की जो बी पी एल की सूची बनती है, जो हर पांच साल में रिव्यू होती है उसको रिव्यू करने का भी इन्हें टाइम नहीं है। पांच साल में किसी गरीब को बी पी एल की सूची में जोड़ने का काम भी पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई और आज कहते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था। हमसे कुछ भी गलती नहीं हुई केवल जाते-जाते थोड़ा सा हमने देने करने का काम किया, बांटने का काम किया। मुफ्त में बांटा, आपने साड़ियां बांटी, कम्बल बांटे, लैपटाप बांटे, साइकिलें बांटी और यह सब किसके आधार पर? राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन्होंने मुफ्त में इसलिए बांटा कि किसी तरीके से वोट बटोर सकें। यह इनकी योजना नहीं थी। अगर वास्तव में राजस्थान की जनता की भलाई चाहते थे तो जिस दिन ये राजस्थान में सरकार के अन्दर आये, उस दिन से यह काम शुरू करते तो पांच साल वह काम करने की मंशा अगर होती तो करते। लेकिन इन्होंने केवल और केवल वोट की खातिर इस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान के ऊपर 1 करोड़ 31 लाख 6 हजार करोड़ रुपये का जो कर्जा चढ़ाया यह वास्तव में बहुत शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पंचवर्षीय जो योजना हमारी टवेल्ब्थ फाइव ईयर प्लान जो अभी चल रहा है, जो 2017 तक चलेगा। यह दुर्भाग्य है कि इलेवंथ फाइव ईयर प्लान के जो आब्जेक्ट्स थे, जो इलेवन्थ फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स थे उन टार्गेट्स को ये पूरा नहीं कर पाये और उन्हीं टार्गेट्स को उन्होंने कम किया टवेल्ब्थ फाइव ईयर प्लान में। जबकि हमेशा हम देखते हैं कि जब फाइव ईयर प्लान बनते हैं तो टार्गेट्स और आगे बढ़कर बनते हैं। लेकिन इनके समय टवेल्ब्थ फाइव ईयर प्लान जो 2012 में शुरू हुआ और उसमें इन्होंने टार्गेट्स को और कम किया, बढ़ाने के बजाय और सेम आब्जेक्ट्स, क्योंकि उन आब्जेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाये तो उन्हीं आब्जेक्ट्स को इन्होंने बढ़ाया और कहा कि यह सारा हम लोग अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना में करेंगे। मैं तो आज राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति रही, इस तरीके का वातावरण जहां पर सब तरफ इतना कर्जा ही कर्जा हो। लेकिन उसके बाद भी पूरे साहस के साथ पूरी चुनौतियों का सामने करते हुए उन्होंने जो 2014-15

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

का बजट हमारे सामने रखा, वह बजट पूरे राजस्थान के अन्दर ऐसा नींव का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष तरह से जोर दिया गया। हमारी सड़कों को 20 हजार किलोमीटर बनाना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, 20 हजार किलोमीटर की सड़क बनाएंगे, 70 हजार करोड़ रुपया खर्च करना, ग्रामीण विकास को आधारभूत सुविधाओं से परिपूर्ण करना, पेयजल की सुविधाएं देना, सड़क की सुविधाएं देना, परिवहन की सुविधाएं देना, बच्चों को शिक्षा देना, स्किल यूनिवर्सिटी डवलप करना ये सारी चीज़ें जो दी हैं यह हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी और राजस्थान को प्रथम पंक्ति पर लाने का जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सपना देखा है। उस सपने को साकार करने का एक संकल्प लिया है और कहा कि समृद्ध और विकसित राजस्थान हम बनाएंगे। ऐसा जो संकल्प उन्होंने लिया उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूं।

मैं आज इस अवसर पर कुछ सुझाव भी रखना चाहती हूं। राजस्थान टैक्स बोर्ड की जो परमानेंट बैंच हर सम्भाग मुख्यालय पर होना बहुत जरूरी है। करदाताओं को न्याय नहीं मिल पाता और इसलिए यह जरूरी है कि अगर हम सम्भाग मुख्यालय के ऊपर यह राजस्थान टैक्स बोर्ड की परमानेंट बैंच स्थापित करें तो उनके लिए आसान होगा। स्टाम्प ड्यूटी अब तक हम एससी/एसटी और निर्धन परिवार की महिलाओं के लिए तीन परसेंट जो रखी है बाकी अन्य महिलाओं के लिए चार परसेंट है। मैं चाहूंगी आपके माध्यम से कि सभी महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी हो। इसी के साथ में जो माइनिंग इण्डस्ट्री में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। उस पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगती है जबकि और इण्डस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगती है। इसलिए मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वह माइनिंग इण्डस्ट्री पर भी नहीं लगे। वैट टैक्स स्टाम्प ड्यूटी, एटरटेनमेन्ट टैक्स, विलासिता टैक्स ऐसे अन्य कितने ही टैक्स हैं जिनके रूल्स ये सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वैबसाइट पर होने चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए ताकि जो हमारे करदाता हमें कर देना चाहते हैं थोड़े जागरूक हो सके और इस संदर्भ में वो जागरूक रहे अगर ये सारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो। यही नहीं अगर कहीं बढ़ा-चढ़ाकर असेसमेंट करने वाले ऐसे जो कई अधिकारी हैं जो अधिकारी जान-बूझकर जब असेसमेंट करते हैं तो बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं और फिर कहते हैं अपील पर जाओ। अगर गलत असेसमेंट हुआ है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी कार्यवाही होनी चाहिए। यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

मैं आज पुन: हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने जो एक संकल्प लिया है ''सबका विकास, सबका उत्थान'' यह सरकार का जो मूल मंत्र है और 2020 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राजस्थान में स्थापित करना यह जो उन्होंने संकल्प लिया है उसके लिए पूरे सदन के अन्दर सबके माध्यम मैं यही बात पहुंचाना चाहूंगी कि हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा बजट और इतने तरीके से उन्होंने सारी बात को, जो सब तबक़े को राहत देने का जो काम किया है। यह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं अब सारे वाद-विवाद के उत्तर के लिए प्रभारी मंत्री, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फाइनेंस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए मुझे खुशी है। क्योंकि मैंने 14 जुलाई को इस हाउस के अन्दर बजट रखा था। उसे अगले वर्ष के रोड मैप के रूप में जनता ने स्वीकार किया इसकी खुशी है मुझे और पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सब माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं, उन लोगों ने बहुत ही सारगर्भित चर्चा की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। बड़े आत्मीयता से बजट को सुना और उसको सुनने के बाद जो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है, उनकी जो भावनाएं थीं, वह उन्होंने व्यक्त कीं। उसके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी। यह तो एक्सपेक्टेड है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से जो हमारे प्रदेशवासियों के लिए आशा संचार करने वाला बजट है, उसको तो वे निराशाजनक मानेंगे ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा बजट हमारे प्रदेशवासियों के लिए उनकी आकांक्षाओं का एक आइना है जिसको हम बहुत ही सीरियसली आगे करना चाहते हैं और मैं यह बताऊं आपको कि सबसे पहले सेवा का ध्यान हम लोगों ने किया और जो विजन 20-20 हमने सबके सामने रखा उसमें खाली कोरी कल्पना नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान को जो बीमारू प्रदेश था उसमें से निकालने का प्रयास किया, निकाला और अग्रणी पंक्ति में ले जाने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहते हैं जिस पर सब राजस्थानी गर्व करें और इस सफर में मैं मानती हूं कि हम अकेले नहीं हैं करीबन सात करोड़ प्रदेशवासी कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी में हैं और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे यह मैं विश्वास रखती हूं। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पशु चिकित्सालयों में अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, किस तरह से उपलब्ध करवायी जाए उसके बारे में बात रखी। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यालयों के भवन बनाने और पेयजल उपलब्ध कराने की बात की। लूणकरणसर, सांचौर और निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यालय, अध्यापक इनके बारे में बात रखी। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राशनकार्ड में जो गलतियां आई हैं उनके निराकरण के बारे में हम सबका ध्यान आकर्षित किया। बाड़ी और खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने चिकित्साकर्मियों के पदों को भरने की बात हम लोगों के सामने रखी और सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्राम सेवकों के जो रिक्त पद भरने हैं उसके बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके साथ-साथ बहुत सारे लोगों ने इन डिबेट्स में पिछले दिनों में भाग लिया और मैं सबको धन्यवाद इस माध्यम से करना चाहती हूं कि सब लोगों ने जनहित के मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता देते हुए अपनी-अपनी चीजों को उठाया। अच्छी बात है मैं समझती हूं और जनता ने हम सबको एक प्रतिनिधि के रूप में यहां भेजा है यह हमारा दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनकी आवाज को पूरी और पुरजोर तरीके से इस हाउस में उठायें। इसी को ध्यान में रखते हुए विजन 20-20 को हम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हम समझते हैं कि जीएसडीपी की 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हो। सभी सैक्टर्स जो इस विकास के अन्दर शामिल हैं उन्हें मेहनत ही नहीं, बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। वोट आन अकाउंट, गवर्नेस एड्रेस, बजट, बजट का भाषण इन सबके अन्दर जो बिगड़ी हुई वित्तीय परिस्थितियां हैं उनके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई। मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया। डिमांड फोर ग्रान्ट्स में जो चर्चा हुई थी उसमें सभी लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और सब लोगों ने सर्विस डिलीवरी को बार-बार इंगित करने की कोशिश की। मैंने कई बार कहा है कि विकसित राजस्थान के लिए सोशल एंड इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये बहुत ही जरूरी है लेकिन जिम्मेदारी मैं मानती हूं कि सिर्फ एक ही सरकार की नहीं है, हम सबकी है। हम सबको राजधर्म को निभाना होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सबको अपने मन से जो कठिनाइयां इस प्रदेश के सामने आ रही हैं उनके बारे में सोच करके हाउस के अन्दर भी, हाउस के बाहर भी मिलकर उनको मिटाने की, खतम करने की, उनको और आसान बनाने की कोशिश करनी है, पर पिछले पांच वर्षों में जो ढिलाई हुई है उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

जब दिसम्बर, 2013 में हम लोगों ने सरकार की बागडोर सम्भाली थी तो जो हमको रिसोर्सेज मिले उससे तो कई ज्यादा लाइबिलिटीज आपने हम पर छोड़ीं और मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे समझ में नहीं आया कि ये जो खिलाफ वातावरण आपका बन रहा था वो इसलिए बन रहा था क्योंकि आप लोगों ने जनभावनाओं की परवाह ही नहीं की। जो हम लोग पिछले जाने वाली सरकार थी उनकी इज्जत भी नहीं की और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का आप लोगों ने आभास ही नहीं किया। सरकारी खजाने का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और इसका परिणाम ही था जो आपको भुगतना पड़ा। मैं एक फिस्कल मैनेजमेंट का नमूना आपके सामने रखना चाहती हूं वो है पीएचईडी का एक उदाहरण। ट्वेल्व्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर जो सैंक्शंड अमाउंट था पीएचईडी के लिए वो करीबन 8,826 करोड़ था जो टोटल लाइबिलिटीज आप लोगों ने क्रियेट की है वो 20,720 करोड़ रुपये की थी और लाइबिलिटीज इस साल के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है वो 5,100 करोड़ रुपये जो सिर्फ एक मद में आप लोगों ने हमको दिया है। कमोबेश यही हालत दूसरे विभागों में आपको देखने को मिलेगी। तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं और एक दफा सपना दिखाने की बात जो आप लोगों ने की है वो आप लोगों को वाकई में और अब हम सबको ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी वो ठोस कार्यवाही का प्रयास जब तक नहीं होगा तो मैं समझती हूं कि राजस्थान को उस दिशा में जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं हम नहीं ले जा पाएंगे।

सत्ता एक सेवा का माध्यम है यह बार-बार मैंने अपनी सुराज संकल्प यात्रा में भी कहा कि राज की बात ही नहीं है इसमें सेवा की भावना भी हम में होनी चाहिए और इसको लेकर हम लोगों को आगे भी जो विजन 20-20 है उसमें प्रयास करना है। परन्तु मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जाते-जाते आप लोगों ने इतनी सारी घोषणाएं कर दीं। करीबन पांच सौ करोड़ रुपये की राशि सिर्फ शिलान्यासों पर ही खर्च कर दी और मैं यह मानती हूं कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जो हैं वो आपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया परन्तु

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसका क्या अन्त और क्या हश्र हुआ वो आप सबके सामने हैं। लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं वो इस तरीके से किसी से और किसी चीज के अन्दर ऐसे लुभाए नहीं जा सकते। काम करोगे तो मैं समझती हूं कि वैसे भी लोग अपने साथ रहते हैं।

मैं पावर यूटीलिटीज के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। ऊर्जा की कितनी बदहाली है उसके बारे में सब लोगों ने बार-बार बात की है। गत कार्यकाल में ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल हमने टाइमली पावर और विद्युत उत्पादन करके दिया वरन् फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम को भी अच्छी तरह से क्रियान्वित करके और क्वालिटी पावर घरेलू भी और कृषि भी जनता को पहुंचाने का काम किया। बजटरी सपोर्ट जो हमने 2008-09 में लिया, वो था 2269 करोड़ रुपये। धीरे-धीरे बजटरी सपोर्ट हम देखते हैं कि बढ़ता गया। 2011-12 में 6455 करोड़ रुपये, 2012-13 में 11300 करोड़ रुपये, 2013-14 में 12290 करोड़ रुपये, सपोर्ट तो पांच गुना और इतना वृद्धि करता गया परन्तु बिजली के उत्पादन में और विद्युत आपूर्ति के अन्दर जो क्वालिटी थी वो कई गुना उसमें गिरावट आई, वो सब लोगों को देखने को मिला है। कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि सरकारी खर्च में तो कोई कमी नहीं हुई, बढ़ता गया। कम्पनियों का कर्ज भी बढ़ता गया पर जनता को जो सही समय पर बिजली मिलनी थी और अच्छी क्वालिटी की बिजली मिलनी थी, वो नहीं मिली और इसलिए आप देखेंगे भी कि जनता उससे बहुत ही आक्रोशित रही। तीनों डिस्कोम्स में जो घाटा था वो 75 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया और जो वित्तीय बदहाली थी इसके कारण करीबन 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राज्य सरकार को अपने ऊपर लेना पड़ा। मैं मानती हूं कि अगर ये बदहाली नहीं होती, इतनी खराब स्थिति अगर नहीं होती तो ये 18 हजार करोड़ जो कर्ज के रूप में हमको बिजली को देना पड़ा वो राज्य की चिकित्सा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सिंचाई के ऊपर और दूसरे काम के ऊपर आराम से लगाया जा सकता था। विकास कार्यों के ऊपर लगाया जा सकता था जिससे जनता को और फायदा होता परन्तु वो नहीं हुआ इसकी वजह से नहीं हुआ। फिर अब चुनाव का वर्ष आ गया। कुम्भकरण की नींद से सब जागे। ऐसा लगा कि वित्तीय प्रबन्धन और ये पहली बार हो रहा है जो आप लोगों ने एडिश्नल आथोराइजेशन आफ 14,000 करोड़ ये पहली बार किया।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह पूछना चाहती हूं कि वर्ष

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

2013-14 का बजट जब प्रस्तुत किया तो क्या समुचित वित्तीय प्रबन्धन नहीं किया गया था? क्योंकि जब भी अपन बजट करते हैं तो इस मार्च से लेकर दूसरे मार्च तक तो, इस बजट से लेकर दूसरे बजट तक तो अपन ले ही जाते हैं उसको। कौन सी इमरजेंसी आ गयी कि आपको अगस्त के महीने में सदन का एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा और वहां एक नहीं-दो नहीं, पांच हजार नहीं, चौदह हजार करोड़ का एडिश्नल आथोराइजेशन आप लोगों ने ले लिया। मुझे लगता है कि ये चुनावी हार, जो राइटिंग आन द वाल था और सबको लगा कि ये वित्तीय अनुशासन जो भी है उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दो और सरकार के पैसे से पार्टी की छवि को सुधारने का काम, पूरी तरह से उसमें लग गये सब के सब और मैं एक ही प्रमाण इसमें देना चाहती हूं कि विज्ञापन का बजट अगर आप देखें तो 27 करोड़ से लेकर वो 119 करोड़ तक बढ़ता गया। ये तो बजट, मैं जो बात कर रही, खाली ये बजट तो सिर्फ आपकी सरकार का बजट है। इसमें न कारपोरेशन है, न बोर्ड है, न निगम है। अगर इनके विज्ञापन को आप जोड़ोगे तो कई गुणा ज्यादा यह विज्ञापन का बजट बनकर रह गया। उस मायाजाल के अन्दर फिर भी जनता नहीं आई। कोरी बातें, कोरी घोषणा, कोरे विज्ञापन और बयान से नहीं, प्रदेश के अन्दर यहां के लोग ठोस विकास चाहते हैं। जब आप उनको ठोस विकास दोंगे तो जनता साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें यह कहना चाहूंगी कि आज की जो स्थिति है उसके अन्दर सुधार के लिए समय लगेगा। इमिजिएटली यह काम होने वाला नहीं है। क्योंकि बदतर हालत में हमको जो वित्तीय स्थिति मिली है, मैं नहीं समझती कि इमिजिएटली टर्न-अराउंड कर सकते हैं। परन्तु जो समय लगेगा उसमें धैर्य रखने की जरूरत होगी। काम तो करना होगा और स्थिति तो बदलेगी, बार-बार यात्रा में मैंने यह कहा है। मैने इस हाउस में भी कहा है। मैं मानती हूं कि अगर हम लोग जुटकर काम करेंगे तो इसको देखने को बहुत जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने क्या सोचा था। कुछ तो चिंतन किया होगा। कुछ तो सोचा होगा कि प्रदेश किस दौर से निकल रहा है, हमको किस तरीके से प्रदेश की मदद करनी चाहिए। कोई तो विजन उनके ध्यान में आया होगा। केवल बात से नहीं, कोई नीतिगत फैसले, कोई तर्कसंगत उपाय। पैसे को तो अपन ने पानी जैसे बहाया परन्तु उसको

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रोडेक्टिविटी के साथ जोड़ा ही नहीं और अगर उसको प्रोडेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया होता तो मैं समझती हूं कि इतनी जर्जर हालत अपनी नहीं होती। आज इस वित्तीय स्थिति के बावजूद हमने अपने वित्तीय प्रावधान को बढ़ाने का काम किया है कुछ सैक्टर्स के अन्दर। मैं आपको इसमें कुछ उदाहरण आप लोगों को देना चाहती हूं। जैसे शिक्षा, कला और संस्कृति 2013-14 के अन्दर 16554 करोड़ रुपये बजटरी प्रोविजन था। 2014-15 के अन्दर इसको बढ़ाकर 22620 करोड़ यानी 37 प्रतिशत वृद्धि हमने करके छोड़ी है, इस स्थिति के बावजूद। चिकित्सा और स्वास्थ्य के अन्दर 2013-14 के अन्दर बजटरी प्रोविजन 5306 था वह 8708 और 64 प्रतिशत वृद्धि उसमें हुई है। पेयजल के अन्दर 4888 करोड़ रुपये जो 2013-14 के अन्दर बजटरी प्रोविजन था वह आज 6671 करोड़ और 37 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कृषि के अन्दर 1790 करोड़ को 2793 करोड़ तक ले जाकर 56 प्रतिशत वृद्धि करने का काम हम लोगों ने यहां किया है। हमारा गवर्नमेंट की जो फोकस है वह लोंग टर्म विजन के रूप में है। हमने यह कोशिश की है, डवलपमेंट और गवर्नेंस, इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दें। तो इससे न केवल हमारा प्रदेश का कैपीटल एक्सपेंडीचर बढ़ेगा, हमारे रेवेन्यू डेफिसिट हैं वह कम होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इतनी कठिन परिस्थितियों के अन्दर से भी हम लोग विकास के कार्य के लिए सबके सामने नई स्कीम्स ला रहे हैं और कम फण्ड्स उपलब्ध होने के बावजूद भी उनको पूरा करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे।

लोकतंत्र के 67 वर्ष हो गए है। कांग्रेस सरकार 52 वर्ष से राजस्थान प्रदेश के अन्दर राज करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से राज करती आ रही है। मैं यह मानती हूं कि दूसरे प्रदेशों को देखते हुए 10-15 साल अगर किसी एक सरकार को मिल जाता है तो वह सरकार अपने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाने में सक्षम है, हो सकती है, और काम भी करते हैं। परन्तु 52 वर्ष के अन्दर हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। 52 वर्ष के बाद अगर आप उसको पैरों पर नहीं खड़ा कर पाए, पांच साल के अन्दर अगर हम लोग उसको कर सकें तो मैं समझती हूं कि कहीं न कहीं इस सरकार के अन्दर कुछ कमी रही थी। प्रदेश का आन-नोन टैक्स रेवेन्यू आज की स्थिति के अन्दर आप देख रहे हैं। प्रदेश का आन-नोन टैक्स रेवेन्यू 40655 करोड़ रुपये है। प्रदेश का आन नोन-टैक्स रेवेन्यू 14939 करोड़ रुपये है। अर्थात प्रदेश की कुल आय 55594 करोड़ रुपये हैं, इसमें से वेतन पर कुल व्यय 34257 करोड़ रुपये,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इन अदर वर्ड 61.6 प्रतिशत है। पेंशन पर व्यय है वह 9038 करोड़ रुपये 16.26 प्रतिशत, ब्याज पर व्यय 10470 करोड़ रुपये, यानी 18.83 प्रतिशत है। अगर आप वेतन, पेंशन, ब्याज इनको सबको साथ ले लो तो 53765 करोड़ रुपये यानी 97 प्रतिशत इसमें जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हर 100 रुपये में से तीन रुपये ही बचते हैं जनता के विकास और जनता के कार्य के लिए। 52 वर्ष में इस स्थिति में लाकर आप लोगों ने हमें छोड़ा है। यह चीज तो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। इन आंकड़ों से यह बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो यह कुल खर्च है, हम अपने ओन टैक्स रेवेन्यू से उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रदेश के कुल टैक्स और ओन-नोन टैक्स का 97 प्रतिशत वेतन, पेंशन और ब्याज पर अगर खर्च हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा पर हम किस तरह से खरे उतर पाएंगे। यह सबसे बड़ी चुनौती है अध्यक्ष महोदय। इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करके गहन चिंतन करके, ठोस उपाय करके इनमें जनता को मजबूत करने के लिए रास्ता निकालना है।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी आप देख लीजिए, सड़क का कार्यक्रम जो हमने अभी लिया है वह 20 हजार किलोमीटर और 70 हजार करोड़ की हम लोगों ने प्लानिंग की है। पर मैं इसका उपाय बताना चाहती हूं कि उपाय क्या है। इसमें अब हमको इन्वेस्टमेंट अट्रेक्ट करना पड़ेगा और पीपीपी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो यह 70 हजार आएंगे कहां से। ऐसी हालत में 70 हजार से 20 हजार किलोमीटर रोड्स बनाओगे तो कैसे बनाओंगे। आपको पीपीपी का साथ लेना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से मजबूती से मदद करने की जरूरत होगी। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े तरीके से यहां लाना पड़ेगा। फिर मैं समझती हूं कि कुछ स्कोप, इसके अन्दर मैनूवरेबिलिटी के लिए बहुत ही कम है फिर भी हम इसमें से उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं यह समझती हूं कि आज यह स्थिति नहीं होती अगर आप लोगों ने इतना प्रोफ्लिगेट स्पेडिंग नहीं किया होता। यह प्रोफ्लिगेट स्पेडिंग की वजह से आज हमारी स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए हैं।

हमने अपने बजट के अन्दर अपने विजन को रिफलैक्ट करने के लिए चार मुख्य बिन्दु लिए हैं। सबसे पहले, अच्छा वित्तीय प्रबंधन और उसके राजकोष की जो स्थिति है। साथ में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, स्किल डवलपमेंट, फाइनेंशियल इन्क्ल्यूजन, इन्क्ल्यूसिव ग्रोथ एण्ड डवलपमेंट, ग्रोथ एण्ड डवलपमेंट आफ सोशल एण्ड इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबसे इम्पोर्टेंट राजकीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सेवाओं की, बैटर डिलिवरी आफ गवर्नमेंट सर्विसेज, इसको हम लोगों ने अपने मुख्य बिन्दु विजन डाक्यूमेंट के अन्दर बनाये हैं। इसको स्पोर्ट करने के लिए मैंने 6 बड़े स्कीम्स अपने हाथ में लिए थे वह सबसे पहले सरकार आपके द्वार जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। भरतपुर के अन्दर हम लोगों ने यह करके देखा, बीकानेर के अन्दर हम लोगों ने करके देखा। हमने यह देखा कि नागरिक को स्थानीय तौर पर सरकारी सेवाओं का पूर्ण लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नीचे के स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से चरमरा गई है। उसको सुधारने के लिए हम लोग सम्भाग वाइज दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह राजस्थान सम्पर्क पोर्टल जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया उसको पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर के ऊपर आईटी युक्त जनसुनवाई केन्द्र को बनाने का काम एफिशियंट इफेक्टिव एण्ड रेस्पोंसिव डिलिवरी सिस्टम को हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। जिसको इफेक्टिविली हम मोनीटर करने की कोशिश करेंगे।

सबसे पहले तो यह एक बड़ी स्कीम हुई। उसके साथ-साथ भामाशाह के बारे में सब लोगों ने बात की है। आइडिया तो यह था कि बैटर डिलिवरी, बैटर टारगेटिंग एण्ड नो लिकेज, फाइनेंशियल इन्क्ल्यूजन एण्ड विमेन एम्पावरमेंट इसको देखकर, आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार ने आधार स्कीम बनाने की कोशिश की, परन्तु वह भी उसको छू नहीं पाए। हमारी स्कीम है वह बहुत बड़ी और विस्तार की योजना है। मैं समझती हूं कि इसकी शुरूआत हम लोग पहले कर लेते, उसका लाभ आप लोगों को भी मिल जाता परन्तु मालूम नहीं, क्या है, राजनैतिक द्वेषता के कारण पिछली सरकार इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकी। मैं अब यह कह रही हूं कि अगले महीने ही हम इसको रोलआउट करेंगे, इसका इनरोलमेंट शुरू करेंगे और मैं समझती हूं कि भामाशाह का बहुत बड़ा फायदा हमारी प्रदेश की जनता को मिलेगा।

स्किल डवलपमेंट, आज के जमाने के अन्दर यह सब लोगों ने तय कर लिया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सरकार, सरकारी नौकरी या प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी के ऊपर जीवित नहीं रह सकते।

आखिर में यह जिसके बारे में अभी आपको बताया, सिर्फ आठ लाख लोगों को हम लोग ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप लोगों को बनाना है, you have to make 35 lakh youths, आगे चलकर हम लोगों को उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, अपने अलग-अलग वर्षों में। तो मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कौशल विकास की योजनाओं को हम लोगों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसीलिये हम लोगों ने 2003 और 2008 के बीच में राजस्थान मिशन आफ लाइवलीहुड शुरू किया था। इसको भी बहुत अच्छा मानते हुए यू.पी.ए. की सरकार ने भी ले लिया और अब हमारी सरकार भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इस वर्ष हम लोगों ने उसकी फिर से शुरूआत की है और एक लाख 70 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिये प्रशिक्षण दिलवाने का काम हमने चालू कर दिया है जो मैं समझती हूं कि गत सरकार की तुलना में करीबन चार गुना अधिक है। इसी श्रृंखला में 17 जुलाई को 22 कम्पनियों के साथ हम लोगों ने एम.ओ.यू. साइन किये और आने वाले समय के अन्दर 25 और कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. साइन करने वाले हैं। हमारा मानना यह है कि आने वाले पांच साल के अन्दर करीबन 15 लाख बच्चों को रोजगार के अवसर देने का काम हम लोग करेंगे। कितना अच्छा काम है राजस्थान का, यह आप देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान को नेशनल रिर्सोस आर्गनाइजेशन मान लिया गया है। आई.टी.आई. और पोलिटेक्निक को रोजगार से सम्बधित प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। जिला रोजगार सैण्टर्स जो थे, उनको कैरियर सैण्टर्स के रूप में चेंज कर दिया गया है। अप्रैंटिस एक्ट के अन्दर भी अभी-अभी हम लोगों ने संशोधन किया है। राज्य सरकार ने इसमें पैसे भी दिये हैं। इस कार्यक्रम को कई गुना बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। This is also, I believe, the first in the country and I think, that is also for Rajasthan a very big feather in the cap. और इसका भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तो बहुत ही जरूरी है। उसको आगे बढ़ाने के लिये नई पालिसी हमने रिप्स की बनाई है। उसके साथ-साथ हमने यह कोशिश की है कि इलेक्ट्रानिक, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, सिरेमिक्स, यह जो सब पालिसीज अपनी हैं, इन पालिसीज को और मजबूत करें, सिंगल विण्डो क्लीयरेंस, एक्चुअली में, कितने हम लोगों को परमीशंस देने पड़ते हैं। उन सबकी हमने गिनती करने की कोशिश की है और उसको सिंगल विण्डो क्लीयरेंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ताकि लोगों को सुविधा हो, इन्वेस्टर को सुविधा हो और इन्वेस्टर यहां आने में खुश रहे। हम इन सब विशेष प्रावधानों के साथ-साथ नई खनिज नीति और नई सोलर पालिसी और नई टैक्सटाइल पालिसी, इसको भी साथ-साथ और लाना चाहते हैं। सरलीकरण के अनेक कदम हमने उठाये हैं। मैं मानती हूं कि ऐसा अनुकूल वातावरण बनेगा जिसमें पूंजी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

निवेशकों का विश्वास बढ़े और प्रदेश में इसके साथ-साथ भी नये रोजगारों के अवसर बढ़ें। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां भी ध्यान दिया है।

एक इश्यू हमने पर्यटन के साथ और जोड़ने का सोचा है। हम मानते हैं कि ग्रामीण पर्यटन, यह एक बहुत जरूरी हिस्सा इसका होगा। एक हैण्डीक्राफ्ट रुट को हम विकसित करना चाहते हैं और हैण्डीक्राफ्ट विलेजेज को हम चिह्नित करना चाहते हैं। इन रुट्स के ऊपर हम चाहेंगे कि जो लोग मेन आपके टूरिस्ट स्थान के ऊपर रुकते हैं, हैण्डीक्राफ्ट विलेजेज को भी अट्रेक्टिव बनाने की हम कोशिश करें ताकि उन विलेजेज के अन्दर भी, उन गांवों के अन्दर भी हमारे पर्यटक रुकें और वहां एस.एच.जीज. के द्वारा और लोकल विलेज ग्रुप्स के द्वारा यह हैण्डीक्राफ्टस उनको पेश किये जाएं। मैं समझती हूं कि दुनिया के अन्दर बहुत कम लोग, राजस्थान के एक किस्म के काम्पीटीशन में आ सकते हैं। इसीलिये यह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, मैं समझती हूं कि अद्‌भुत दस्तकारी, कला और संस्कृति को एक दफा फिलिप देने का काम करेगी।

एक ओर हम लोगों ने उचित मूल्यों की दुकानों का आधुनिकीकरण करने का सोचा है। अभी भी क्या हो रहा है कि हम लोग जो राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानों की क्या हालत है, वह आप सबको देखने को मिलती है। हम वाकई में अपने ग्रामीण भाइयों की कितनी इज्जत करते हैं, वह उन दुकानों से मालूम पड़ जाता है। आप कभी भी उन दुकानों पर चले जाओ तो देखेंगे कि बड़ी-बड़ी दरारें, गंदगी और ऐसे ही पड़ा हुआ अनाज। हम चाहते हैं कि यह आधुनिक दुकानें बन जाएं। उनकी अच्छी तरह से ब्रांडिंग और लेबलिंग हो। एक तरफ अगर खाद्य पदार्थ आपको मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ मार्केटिंग आउटलैट का भी एक इंतजाम हो जाए। पूरे प्रदेश के अन्दर 25 हजार दुकानें हैं। अगर इनका इस तरह से नवीनीकरण कर देंगे तो मैं समझती हूं कि एस.एच.जीज. के लिये भी एक आउटलैट होगा, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिये, जो मैं समझती हूं कि अपने हिसाब से अच्छा रहेगा। अच्छी-अच्छी कम्पनियां भी उसके अन्दर अच्छे रेट्स के ऊपर सामान अपना दे सकती हैं। गांव वालों को भी दूर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। उस छोटी दुकान के ऊपर, उस आउटलैट के अन्दर दोनों काम उनको मिल जाएंगे। यह भी एक नया काम हम लोगों ने वहां जोड़ने का सोचा है।

अब कुछ जवाब के तौर पर, आप लोगों ने आज की डिबेट में बहुत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अच्छा भाग लिया है। मैं धन्यवाद तो आप सब लोगों को देना चाहूंगी। सबसे पहले तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी अपनी बातें रखी हैं। यह तो आप रखेंगे ही। वैसे भी इस फील्ड के अन्दर एक्सपर्ट माने जाते हैं और खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं तो कोई-कोई बातें आप रखेंगे जो मैं समझती हूं कि इम्पोर्टेण्ट हैं। जो मैंने सुना, बड़े केयरफुली सुना उसको। मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह रेवेन्यू सरप्लस होने से फिस्कल मेनेजमेंट अच्छा कैसे हो जाता है। मैं यह मानती हूं कि यह रेवेन्यू सरप्लस पहले हुआ कैसे, इसके ऊपर भी अपने को ध्यान देने की जरुरत है। यह तो था तेल का रेवेन्यू, जो हमारे नसीब में नहीं था। यह तो आपके नसीब में आया। तो सबसे पहले वहां से अपन शुरू करें कि जो रेवेन्यू आया था वह बहुत जोरदार तरीके से आपके आयल रेवेन्यू की तरफ से आया। फिर यह यूज कैसे हुआ। हमारे पास गये हुए तेल का रेवेन्यू आ तो जाता है, परन्तु कैपिटल एक्सपंडीचर, जो जी.एस.डी.पी. का 3.36 प्रतिशत था, यह हमारे पास जब आया तो हमने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। आपकी सरकार इस रेशो को मेन्टेन करती तो मैं समझती हूं कि प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जरूर चल जाता। पर हुआ क्या। आप यहां देखेंगे कि नतीजा यह हुआ, कैपिटल एक्सपंडीचर जो जी.एस.डी.पी. रेश्यो, जब हमारे कार्यकाल में 3.36 था, इस समय में घटकर 2008-09 में 2.29, 2009-10 में 1.99, 2010-11 में 1.55 प्रतिशत घटता गया। यानी तेल का रेवेन्यू देखें तो बढ़ता गया। यह रेश्यो घटता गया। यह तो is like a family which receives a windfall gain and then doesn’t know how to use that money productively. The money is there but we use it unproductively. कैपिटल असैट्स तो नहीं बढ़े। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की जो मांगें थीं, जो अपेक्षाएं थीं, जो आशाएं थीं, जैसे रोड्स हैं, हास्पिटल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, कालेजेज हैं, वे असैट्स बन नहीं पाये।

मैं यह कालेज की बात कह रही हूं तो मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि पिछले वर्ष आप लोगों ने जाते-जाते, भागते-भागते, यह 42 कालेज खोले थे और बड़े आपाधापी में खोल लिये। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कागज-कागज के अन्दर ही और सेंक्शन के लेवल पर ही रह गये। इसी का नतीजा था कि लोगों का डिससैटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा और चुनाव परिणाम फिर आपके सामने है। यह तो क्या है कि सी.ए.जी. रिपोर्ट को गहराई से अपने को देखने की जरुरत है। उसको तोड़-मरोड़ के नहीं देख सकते। उसको at one glance altogether अपने को देखने की जरुरत है, नाट जस्ट द अंश. आपने चार इश्यूज उठाये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एक तो आपने कहा यह केश बेलेंस। आपने कहा कि आपका केश बेलेंस आर.बी.आई. के अन्दर आप देख लीजिये, कितना है। जहां हमारा 5000 था वहां आपका 12187 क्रास हो गया। आपने कहा कि ओवर-ड्राफ्ट, आपने तो रखा ही नहीं। बात भी सही है कि these two issues are both contradictory to each other. They can't coexist कि अगर आपकी बैंक में इतना अच्छा पैसा है तो फिर ओवर-ड्राफ्ट तो हो ही नहीं सकता।

That is true. तब आपने यह कहा कि revenue receipts went up by 108% and the growth was 40,000 crore to 84,000 crore and then your own revenue receipts went up from 33,000 to 60,000 crore. So if you look at the first one, First of all, why 12,000 crores were in your bank? What such a huge amount of money was doing in side your bank. Obviously means that it was a complete inefficiency of expenditure. This should have been a leverage and spent in creating assets or capital assets. You have it lying and it shows basically that I was a lazier, inefficient Govt. which was incompetent to spend because it is in this spending that you will create those assets that we are talking about. That is why there was low capital expenditure. Secondly where has this cash come from? When you borrow and you also have the revenue of petroleum but you do not spend. Then where is the benefit of investment. Hence, under the circumstances you could have done much more with it but you didn't do it. When you went on to overdraft I am saying कि हम जब पहले आये थे तब you were Finance Minister. Hon'ble member from Rajakhera was the Finance Minister and in your legacy you left us overdraft and ways and means and all these problems were left to our heads. I would like to just say, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हमने इन सब चीजों को समाप्त कर दिया। हमने पूरा टर्न-अराउंड किया और रेवेन्यू सरप्लस लाकर उसको छोड़ा। वह एक किस्म से एक बहुत अनयूजअल सर्कमस्टेंस था क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में से हमने निकाला। हमारे पास कोई पैट्रोलियम के पैसे नहीं थे उस समय। हम जानते हैं कि हमने कैसे खींचतान कर किस मुश्किल से इस टर्न-अराउंड को इफेक्ट किया और जब पैट्रोलियम के पैसे का लाभ हमको नहीं मिला तो मैं मानती हूं कि यह पिछले पांच साल में आपको मिला। आप इसका बहुत कुछ और कर सकते थे, जो नहीं किया, यही हम लोगों का दु:ख है।

Now as far as this revenue receipts and your own revenue receipts are concerned, what is the indicator for measuring the performance on the revenue accounts? The best indicator, I am told and I believe, is own tax revenue to GSDP. The average ratio during your 4-5 years was 6.34% whereas this was 6.73% during our time. This worst ratio, 'the worst ratio', was 6.14% and the worst ratio in this 10 years time was 6.14% and that was 2010-11. The best

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ration, वह था 6.95 परसेंट and that was 2005-06. On tax revenue front also you govt. performance was far lower and despite your legacy, I want to tell the Hon'ble Member from Rajakhera that we will raise it to over 7%. This will be our effort और हम इसको करके छोड़ेंगे।

फिर आपने तो बड़े मजे से अपनी उपलब्धि गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वह करना भी है। आपने किया, आपने प्रयास कैसे किए और आपने हमें बताने की कोशिश की परन्तु आपने हमको यह नहीं बताया है कि आपके कार्यकाल के अन्दर जो आप 2 लाख 10 हजार करोड़ का जो डैट छोड़ गये थे उसका, वह कैसे आया, कैसे किया और उसका क्या आगे आप लोगों ने कोशिश की। None have told to us. फिर आपने पावर के बारे में बात की तो सबने की, मैट्रो के बारे में बात की, रिफाइनरी के बारे में बात की और रोडवेज के ऊपर आपकी बहुत सहानुभूति थी, उसके बारे में आपने बहुत बात की।

आपको मैं इतना याद दिलाना चाहूंगी यह जो एक्युम्यलेटिव डैट था, जो अभी हमको पास-आन हुआ है, in the Roadways itself including the last 5 years is now 1900 crore and under the circumstances यह सब चल नहीं सकता है। इसीलिए हमने इसके बारे में बहुत सोच-विचार करके यह नया प्लान रोल-आउट किया, जिसके अन्दर मैंने क्लियरली कह दिया कि किसी भी हालत में जाब्स को हम घटाएंगे नहीं। हमने यह भी कह दिया कि 360 करोड़ की हम फिर इक्विटी देंगे और अगर इन्होंने रिफार्म लिंक, रिफार्म के साथ अपने-आपको लिंक कर दिया तो 10 करोड़ पर मंथ हम देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि हम उसको मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आगे चलकर हमसे पूछ कर वे बसें खरीदना भी चाहते हैं तो वह भी करने की हम, पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे। परन्तु, its very important कि यह डैट को हम हटायें। हम उसको फिर से अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करें, उनको मजबूत करें और उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, प्रदेश की जनता को जो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, वह अच्छी तरह से उनको उपलब्ध करायें। इस चीज को सोचकर हमने रोडवेज के साथ, मैंने जो अभी प्लान आपके सामने रखा है वह किया है।

मैं झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की एक बात आपके सामने रखना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही वैल-रिसर्च्ड, एक्सट्रीम्ली आर्टिक्यूलेटेड, हमारे विजन का और अपनी तरफ से बात रखी है। I

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

must thank him for this उन्होंने कहा कि आपकी सोच क्या है? I will went to those like to quote that, I think it is very useful thing, उन्होंने कहा कि – 'गरीब को हमेशा गरीब रहना चाहिए, यह सोच है। समय-समय पर जिंदा रखने के लिए कभी आपने फ्री साड़ी का, कभी आपने दो किलो गेहूं का, कभी आपने महानरेगा का रोजगार, इन सबका आप लोगों ने इंजेक्शन दिया। अंत में उसको स्वाभिमानी और स्वावलम्बी नहीं होने दिया और हमारी सोच क्या है कि हम चाहते हैं कि वह स्वावलम्बी हो जाए। हम चाहते हैं कि वह स्वाभिमानी हो जाए। वह केपेबल बने।' यह कोट है और- 'इकोनोमिकली वह बढ़े, उसके स्किल्स अच्छे हों, इन्वेस्टमैंट ऐसा हो कि वह अपने पैर पर खड़ा हो सके ताकि There would no 'perpetuation of poverty'. I thank you very much for that because it was very nicely put. मैं माननीय सदस्य, आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यह तो उन्होंने जो आपके सामने रखा है वह मेरे जवाब में मैं अब लेना चाहूंगी क्योंकि मैं मानती हूं कि यह बहुत ही जरूरी है कि आप ही इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को हम स्वाभिमानी बनायें। हम चाहते हैं कि उनको अपने पैर पर खड़ा करें और इसीलिए हम लोक-लुभावनी बात करके कभी-कभी उनको कुछ हाथों में जिसको बोलते हैं डोल, देने का काम नहीं करना चाहते हैं, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और आगे चलकर उनको करने में हम कोई कोर-कसर भी नहीं छोड़ेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं।

बार-बार आपने जो अपनी सोच का कहा है मैं तो यह कहना चाहती हूं कि भाई, फर्क तो होना ही चाहिए हमारी और आपकी सोच में। समृद्ध और विकसित राजस्थान, सब जन-विकास और सब जन उत्थान, ऐसा राजस्थान, इसको करने की हमारी कोशिश रहेगी।

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक बहुत ही इफेक्टिव और एरेडाइट भाषण दिया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैट्रो आना चाहिए, फेज-2 भी आना चाहिए। यह आप सबने यहां पर कहा है। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है कि तीन साल से जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन ने अपने अकाउंट पेश नहीं किये। ए.जी. और असेम्बली के सामने यह कागज नहीं रखे गये। They should at least have fulfilled their, what they call, constitutional obligations. वह मामला अपने सामने नहीं आया परन्तु मैं आपको इतना कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार आने के बाद 29 जनवरी, 2014, तीन साल के अकाउंट्स और फरवरी, 2014 में जो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लास्ट अकाउंट है वह पेश कर दिया गया है, यह है जवाबदेह प्रशासन। जो आप बार-बार कहते रहते हो परन्तु कर नहीं पाये हो।

कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात यहां पर रखी, प्रभावी ढंग से रखी और उन्होंने यह कहा कि सरकार द्वारा राशि के दुरुपयोग की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनके यह बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं और उनको भी मैं अभी धन्यवाद देना चाहूंगी।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बहुत सारी बातें हमारे सामने रखीं और बहुत अच्छे भाषण थे, आपने जो बिन्दु उठाये, हमेशा जैसे they were worth attending to और मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने उसको अपने विचार में लिया है और कई इसमें बातें थीं, जो अभी अंत में मैं जो घोषणा करूंगी, उसके अन्दर वे बातें भी आ जाएंगी।

एक-दो चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि यह कम्प्यूटर कोर्स के बारे में और जो यह राजस्थान नालेज कारपोरेशन के बारे में आपने कहा। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र की कम्पनी थी जब पहले राजस्थान मिशन आन लाइवली-हुड शुरू हमने किया तो उनके साथ हम लोगों ने एक एम.ओ.यू. किया और हमने एम.ओ.यू. इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो काम महाराष्ट्र के अन्दर किया था वह एक्सीलेंट था। जो-जो इन्क्यूबेट उनके यहां से निकलकर गये वे सब अच्छा पैसा कमाने लगे थे और इसलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र की कम्पनी के साथ साझा किया जिसमें महाराष्ट्र की कम्पनी की होल्डिंग 30 परसेंट थी, बाकी 70 परसेंट राजस्थान सरकार, 30 परसेंट राजस्थान के विश्वविद्यालय, करीबन 30 परसेंट, दैट इज उदयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी आल्सो, महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, फिर राजकाम के 5 परसेंट and Centre of Technological Education Department, 5%. इस तरीके से हम लोगों ने सबके बीच में बांटा था। यह राज्य सरकार और राजस्थान की संस्थाओं का 70 परसेंट हिस्सा इसके अन्दर है और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जब यह पार्टनरशिप हमने की तो स्किल ट्रेनिंग का काम बहुत ही सक्सैसफुली हमने किया। यह निर्माण भी हमारा ही था। पर मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आपके उड़ीसा ने इसके बाद जरूर लिया होगा परन्तु हमने जो किया था और हमारी पांच साल जब तक सरकार थी उसके अन्दर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उस इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर कोई ढिलाई नहीं बरती गयी और वह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम अच्छी तरह से हमारे सामने हुआ। हो सकता है कि पिछली सरकार की कोई ढिलाई बरतने की वजह से, प्रशासनिक अकुशलता की वजह से यहां पर कुछ-कुछ ऐसी डिफिकल्टीज उसके अन्दर आ गयी।

मैं यह भी आपको कहना चाहूंगी कि तीन महीने के कम्प्यूटर कोर्स की बात है, तीन महीने की। इसमें यह डिप्लोमा कोर्स है वह- वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेल, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं। बहुत ही बेसिक कोर्स हैं और इसके लिए यह छोटे-छोटे कोर्सेज ऐसे हैं जो एल.डी.सी. के लिए, यू.डी.सी. के लिए, उनके लिए पर्याप्त है।

(18.00 बजे)

और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि वेरियस कम्पनीज में सेम डायरेक्टर्स हों, यह कोई नई और विशेष बात नहीं है। हमने इसके ऊपर बहुत निगाह रखी थी और आगे भी हम निगाह रखेंगे। इसके हमारे साथ अच्छे परिणाम थे, यह मैं जरूर कहना चाहूंगी। फिर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): I am not yielding. Please आपने जे.डी.ए. और रीको से जो 350 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे लिये गये थे, उसके बारे में बहुत सही तरीके से आपने बात कही। यह पैसे लौटाने की बात आपने कही। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यह पूरा वित्तीय कुप्रबन्धन था। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो सरकार इस तरीके से किसी भी यूनिट के अन्दर हाथ डालकर पैसा निकाल नहीं सकती है, जिस तरीके से इन्होंने किया है कि जे.डी.ए. के अन्दर हाथ लगा दिया, रीको के अन्दर भी हाथ लगा दिया और आर.एस.एफ.एम. को भी नहीं छोड़ा, सबके पीछे पड़ गये और मैं यह कहना चाहती हूं कि ट्रेजरी को खोखला करने का काम तो किया ही किया, राजस्थान की जो भी अच्छी संस्थाएं हैं, उनको भी पूरी तरह से डेमेज करने का काम जरूर किया है और इसका परिणाम हम लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है।

मैं आपके सामने यह भी रखना चाहूंगी कि आपने दो-तीन बातें कही हैं। एक तो आपने राजस्थान वैट एक्ट के अन्दर बात कही थी। आपने कहा था कि 6 माह तक के जो सिम्पल इम्प्रिजनमेंट में जो वर्तमान प्रावधान हैं, 6 माह के सिम्पल इम्प्रिजनमेंट में जो फाइन लगाने का प्रावधान है और जो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रस्तावित संशोधन हमारा है फाइनेंस बिल द्वारा एक्ट में संशोधन एक करोड़ रुपये वाली बात, जो आपने अभी रखी थी। मिनिमम सिक्स मंथ सिम्पल इम्प्रिजनमेंट आफ फाइन। आपने यह प्रस्ताव किया है कि सिक्स मंथ्स के सिम्पल इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाकर, उसको 12 महीने का कर दिया जाए। हम मानते हैं कि आलरेडी हमने उसको सिक्स मंथ्स से थ्री ईयर्स तक ले जाने की बात रखी हुई है, 6 महीने से 12 महीने तक ले जाने की भी बात रखी हुई है। मैं समझती हूं कि पनिशमेंट हैं और वह पूरी तरह से will be done. So I do not think that we need to take it to that extend but we are aware of the situation अभी हमारे उसमें डाल दिया we will keep it in mind. उसके साथ-साथ आपने यह जो एण्ट्री टैक्स के बारे में भी बात रखी थी और आपने यह कहा था कि मैक्सिमम एण्ट्री टैक्स को 30 परसेंट से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। हमारी at the moment is 20%. 65 परसेंट तक संशोधित करने का प्रस्ताव हमने रखा था। आपने कहा था Don’t go beyond 30%. हम लोगों ने इसलिये किया, क्योंकि Rajasthan tax on entry of goods to local areas 1999 में मैक्सिमम एण्ट्री टैक्स वैट की सीमा निर्धारित की जाती है they have to Rajasthan VAT tax 2003 के तहत कुछ वस्तुएं जैसे तम्बाकू या सिगरेट्स है, 65 प्रतिशत की वैट रेट निर्धारित की गयी थी। तो हम एक मैक्सिमम रेट बढ़ाकर रख रहे हैं it is not necessary that we will have to go by that. This maximum rate is there. और मैं आप सबको यहां यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि एण्ट्री टैक्स मैक्सिमम रेट पर नहीं लगाया जाएगा बल्कि जो हमने 20 परसेंट है, उस तक, और उसके नीचे तक ही रहेगा। इसलिये उसकी चिन्ता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है।

ऐसे सब लोगों ने आपने और भी बातें कही हैं, पर आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस वाद-विवाद के अन्दर भाग लिया है। अब मैं उसमें कुछ घोषणाएं करना चाहती हूं। इस हाउस में सबसे पहले सड़क-कोटा में चम्बल नदी पर नेशनल हाइवे द्वारा बनाया जा रहा एक पुल है, लगभग 4 वर्ष पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से ही इस पर निर्माण कार्य रुका पड़ा है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि हमने केन्द्र से इस पुल के निर्माण के लिये सहमति प्राप्त कर ली है और चम्बल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण जल्दी शुरू कर दिया जाएगा।

नसीराबाद में भारी यातायात की समस्या से निजात पाने के लिये नसीराबाद-ब्यावर बाई-पास का निर्माण करवाया जाएगा। यह बाई-पास राज्य सरकार की 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के विकास और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मांगलियावास-पीसांगन सड़क पर साढ़े चार किलोमीटर की लम्बाई के टोल आधारित जेठाना बाई-पास का निर्माण करवाया जाएगा।

वर्तमान में नसीराबाद तहसील के नागरिकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट परमिट इत्यादि कार्यों के लिए अजमेर जाना पड़ रहा है। मैं घोषणा करती हूं कि वर्तमान में अजमेर शहर से एक डी.टी.ओ. कार्यालय का हैड-क्वार्टर नसीराबाद कर उसे नसीराबाद तथा विजय नगर तहसील का क्षेत्राधिकार दिया जाएगा।

कुम्भाराम नहर लिफ्ट परियोजना के द्वारा सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन की डी.पी.आर. बनवाने का कार्य इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा। साथ ही इन दोनों कस्बों या तहसील में आर.ओ. के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के विकल्प का परीक्षण भी किया जाएगा। इन दोनों क्षेत्रों में पेयजल की सुचारु व्यवस्था के लिए मेरी सरकार पूर्णत: कृत-संकल्प है।

वैर जिला भरतपुर में उच्च शिक्षा के लिये पी.पी.पी.मोड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़ में निजी संस्था द्वारा राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन का निर्माण करवाया गया है। इस भवन को राज्य सरकार को समर्पित होने पर मैं यहां राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूं। और ज्यादा करना चाहिये था। माननीय सदस्य, बड़ी सादड़ी से, वह अपनी जनता की आवाज को बार-बार उठाने में कहीं चूके नहीं है। इसलिये मैं समझती हूं कि जब उन्होंने बताया कि भवन भी है, कुछ पैसा भी समर्पित करना चाहते हैं, यह सब सोचने के बाद उनको राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करना जरूरी था।

अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में भी दानदाता द्वारा राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण करवाया जा रहा है। दानदाता द्वारा इस भवन को राज्य सरकार के नाम समर्पित करने पर यहां राजकीय महाविद्यालय को संचालित करने की मैं घोषणा करती हूं।

झुन्झुनूं जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन शीघ्र किया जाएगा।

न्यायालय के आदेश एवं शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थी मित्रों की सेवाएं निरन्तर नहीं रखी जा सकतीं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ऐसे विद्यार्थी मित्र, जो शिक्षक बनने की सभी शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं, उनके नियोजन के अवसर तलाशने के लिये राज्य सरकार कानून और नियमों के परिपेक्ष्य में आवश्यक परीक्षण करेगी।

देश के स्वतन्त्रता संग्राम में आहूवा पाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान और भारत के इतिहास और साहित्य में इसका स्वर्णिम उल्लेख मिलता है। आहूवा क्षेत्रवासियों की श्रद्धा की देवी सुगाली माता की मूर्ति को ब्रिटिश सेना जबर्दस्ती उखाड़कर ले गयी थी। वर्तमान में यह मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी हुई है। स्वतन्त्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और आहूवा के सम्मान को फिर से लौटाने हेतु सुगाली माता की हूबहू नई मूर्ति बनाकर पुन: विधि-विधान से स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूं।

हमारे गत कार्यकाल में प्रारम्भ किये गये लोक पूज्य देवता गोगा जी पैनोरमा गोगामेडी, लोक पूज्य देवता जाम्बोजी का पैनोरमा दीपासर, लोक पूज्य देवता तेजाजी का पैनोरमा खरनाल, पराक्रमी अमरसिंह राठौड़ का पैनोरमा नागौर को पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में आम जनता के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा।

पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्र में जैसलमेर और बाड़मेर, राज्य के दो सबसे बड़े जिले हैं। इन जिलों का क्षेत्रफल अत्यन्त व्यापक तथा पापुलेशन डेनसिटी अत्यधिक कम होने के कारण या आर्थिक एवं सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत गैप्स हैं। इन जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स की पूर्ति के लिए जैसलमेर-बाड़मेर मरु विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करती हूं। इस बोर्ड का मुख्यालय बाड़मेर होगा।

मैंने अपने बजट में जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के तहत आफ बिड आधार पर स्थापित किये जाने सोलर पम्प्स के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इस अनुदान को मैं 40 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को सम्मिलित करते हुए अब अनुदान की राशि 60 प्रतिशत तक हो जाएगी।

किसान भाइयों के लिये पांच लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूं। योजना के तहत बीमे की राशि खेत में कार्य करते समय दुर्घटना स्वरूप मृत्यु हो जाने पर ही देय होगी। यह योजना मंडी समिति की निधि और जनरल इंश्योरेंस कम्पनीज के माध्यम से लागू की जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भूखण्डधारकों को उनके भूखण्ड का पूर्ण स्वामित्व देने और प्रतिवर्ष लीज और पुन: ग्रहण शुल्क जमा कराने की कठिनाई से मुक्ति देने हेतु हमारी सरकार ने वर्ष 2007 में लीज के स्थान पर फ्री होल्ड करने के लिये धारा 54 सी जोड़कर कानून में संशोधन किया था। परन्तु पिछले पांच वर्षों में फ्री होल्ड के लिये नियम ही नहीं बनाये गये। अब शीघ्र ही भूखण्डों को फ्री होल्ड करने के नियम लागू किये जाएंगे और कोई भी भूखण्डधारी निर्धारित शुल्क देकर भूखण्ड के लिए आन-लाइन आवेदन कर अपने भूखण्ड को लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तित करवा सकेगा। प्रथम चरण में यह व्यवस्था जयपुर विकास प्राधिकरण में लागू की जावेगी।

पर्यावरण में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग नियम को लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था में ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के आधार पर पाइंट फाइव प्रतिशत अतिरिक्त ऐसे यार्ड देने का प्रावधान किया जाएगा।

हमने पिछले कार्यकाल में जयपुर में डेयरी संचालन और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की शिफ्टिंग के लिये भूखण्ड आबंटन की योजनाएं लागू की थीं।

अब इस कार्यकाल में मूर्तिकारों के लिए भू-खण्ड आबंटन की योजना लागू की गयी है। इसी तर्ज पर हस्तशिल्पियों के लिए भी भू-खण्ड आबंटन की योजना लायी जायेगी।

बरसात के मौसम में सड़कों की टूट-फूट और उनकी समय पर मरम्मत नहीं होने की शिकायतों को देखते हुए जयपुर शहर में शीघ्र ही कम से कम दो रोड एम्बुलेंस वाहन लाये जायेंगे जिससे बरसात में सड़कों पर होने वाली टूट फूट की अच्छे ढंग से मरम्मत की जा सके।

जयपुर में हमने पिछले कार्यकाल से खोले के हनुमान जी के मन्दिर का विकास कार्य करवाया था जो आज सबके सामने है, इसी तर्ज पर सामोद, चौमूं के श्री वीर हनुमान जी के मन्दिर का विकास कार्य हाथ में लिया जायेगा।

पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटकों और आमजनों के लिए जयपुर के स्मृति वन में 5 करोड़ की लागत से बटरफ्लाई पार्क बनाया जायेगा जिसमें 20 से अधिक प्रजातियां तितलियों की होंगी।

राज्य की पुलिस लाइन्स में आवश्यक मरम्मत और रख-रखाव हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, महानिदेशक, पुलिस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त सदस्य होंगे, यह कमेटी राज्य की पुलिस लाइन में आवश्यक मरम्मत और रख-रखाव हेतु कार्य योजना तैयार करेगी और इस कार्य योजना के आधार पर गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

झालावाड़ के रटलाई क्षेत्र में वर्तमान में पुलिस चौकी स्थापित है, इसे पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करती हूं।

गत सरकार ने अपने अंतिम बजट में भरतपुर में नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करने की घोषणा की थी परन्तु यह प्रशिक्षण संस्थान आज दिनांक तक शुरू नहीं हो सका है, मैं घोषणा करती हूं कि यह प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर शहर के नजदीक स्थापित किया जायेगा साथ ही आर.ए.सी. सैन्टर को जिला भरतपुर में गोपालगढ़ के समीप स्थानान्तरित किया जायेगा।

प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए बनाये गये स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स के मुख्यालय के लिए ग्राम गाड़ोता, अजमेर रोड पर भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी।

कारागार विभाग के बंदी कल्याण कोष इस वर्ष 150 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड डवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से राज्य कारागारों में स्किल डवलपमेंट सैन्टर्स की स्थापना की जायेगी।

राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा प्रवर्तन बल हेतु अभ्यर्थियों का रिटर्न एग्जामिनेशन लिया गया था, राज्य सरकार इनकी सुटेबिलिटी का परीक्षण कर राज्य की पुलिस अथवा अन्य विभागों के एन्फोर्समेंट बलों में एक हजार ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु विचार करेगी।

राज्य में वर्तमान में माननीय विधायकगणों के लिए लैपटाप के लिए 50 हजार रुपये तक के पुनर्भरण की सुविधा है, मैं इस सीमा को बढ़ा कर 60 हजार रुपये करने की घोषणा करती हूं। यह राशि लैपटाप, कम्प्यूटर या आई-पोड और प्रिन्टर पर व्यय की जा सकेगी।

राज्य के किसी मृतक भूतपूर्व विधायकगण के स्पाउस को वर्तमान में 2500 रुपये या मृतक सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेन्शन के 50 प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो प्रतिमाह पारिवारिक पेन्शन दिये जाने का प्रावधान है, मैं 2500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब कुछ टैक्स के सम्बन्धी घोषणाएं।

अनेक माननीय सदस्य ने जीरा व सौंफ को कर मुक्त किये जाने की मांग की है, जीरा व सौंफ सामान्यत: साबुत ही प्रयोग में आता है एवं इसके पिसे मसाले नहीं बनते हैं, मैं जीरा और सौंफ को कर मुक्त करना प्रस्तावित करती हूं।

धनिये में इन्टरस्टेट व्यापार में टैक्स रिफण्ड की स्थिति बनती है, धनिये की डीलर्स को तुरन्त रिफण्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। धनिया डीलर्स द्वारा क्वार्टली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात तुरन्त सत्यापन कर रिफण्ड 15 दिन में दिया जायेगा।

मैंने बजट भाषण में मार्बल और ग्रेनाइट के स्लैब्स और टाइल्स पर साइज और वेट के आधार पर वैट दर निर्धारित की थी किन्तु वैट शिड्यूल फोर में इसकी दर पांच प्रतिशत है, अब वैट शिड्यूल फोर में भी इन वस्तुओं पर पांच प्रतिशत वैट दर के स्थान पर साइज व वेट के आधार पर वैट दर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मार्बल स्लैब्स हेतु 6 किलो प्रति स्क्वायर फुट व टाइल्स हेतु 5 किलो प्रति स्क्वायर फुट के नोर्म्स निर्धारित करने की घोषणा करती हूं। मार्बल और ग्रेनाइट की स्लैब्स व टाइल्स की श्रेणियों को और कम करते हुए वैट दरों को भी तर्कसंगत करना प्रस्तावित करती हूं।

मैंने न्यायिक निर्णय के फलस्वरूप डवलपर्स और बिल्डर्स द्वारा क्रेता के साथ एग्रीमेंट करने के पश्चात फ्लैट्स, ड्वेलिंग्स, बिल्डिंग्स और प्रिमिसेज बेचने पर वर्क्स कांट्रैक्ट टैक्स पर कम्पोजिशन फीस के विकल्प देने की घोषणा की थी, ऐसे डवलपर्स और बिल्डर्स से कर की वसूली नहीं की गयी है अत: इन्हें 31.03.2014 तक के ऐसे कर दायित्व से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

हरा-भरा कबाब, चीज रोल, आलू टिक्की जैसे कुछ स्नैक्स को कुक्ड फूड की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए उनकी बिक्री पर वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

रेस्टोरेंट्स में कुक्ड फूड के विक्रय पर 5 प्रतिशत वैट दर स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

एडिबल आयल के विक्रय पर 5 प्रतिशत तथा हेयर आयल के विक्रय पर 14 प्रतिशत की वैट दर है, इसमें स्पष्टता हेतु 200 एमएल तक के पैकिंग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

में बिकने वाले कोकोनट आयल की वैट दर 14 प्रतिशत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

कुछ पेय पदार्थों पर वैट की दरों में स्पष्टता लाने हेतु संशोधन प्रस्तावित है। फ्रूट जैम्स, जैली, पैक्ड फूड, ड्रिंक्स, जूसेज पर 14 प्रतिशत की दर से और फ्रूट, स्क्वाश, लूज बिकने वाले फ्रूट जूस, एटसेट्रा, शरबत और ठंडाई पर 5 प्रतिशत की दर से वैट देय होगा।

कुछ प्रकार की मूर्तियों को छोड़कर शेष मूर्तियों पर 14 प्रतिशत वैट दर निर्धारित है, हजार रुपये मूल्य तक के स्टैच्यूज को कर मुक्त व हजार रुपये से अधिक मूल्य के स्टैच्यू पर वैट दर पर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

60 रुपये प्रति किलो तक की कीमत के आयल बेस्ड वाशिंग सोप पर वैट दर 5 प्रतिशत है, 60 रुपये प्रति किलो की सीमा को बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलो किया जाना प्रस्तावित है।

स्टेनलैस स्टील, शीट्स, सर्कल्स और बर्तनों के निर्माताओं के लिए स्टेनलैस स्टील फ्लैक्स पर प्रवेश कर की दर पाइंट 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

ओलिव आयल की स्पेसिफिक एण्ट्री वैट शिड्यूल में डाली जाकर इसमें वैट की दर 5 प्रतिशत है, यह स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

एल.ई.डी. टार्च और पैकिंग मैटेरियल पर वैट की दर 5 प्रतिशत, इसमें स्पष्टता हेतु संशोधन प्रस्तावित है।

थर्माकोल की बिक्री पर 5 प्रतिशत की वैट दर स्पष्ट करने हेतु लेमिनेटेड शीट सम्बन्धी वैट शिड्यूल की एण्ट्री में संशोधन प्रस्तावित है।

राजस्थान की कला, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थानी भाषा की फिल्मों पर मनोरंजन कर मुक्त करने की घोषणा करती हूं।

टैण्ट डीलर्स को वैट अधिनियम के अन्तर्गत कम्पोजिशन स्कीम्स की तरह कर मुक्ति का लाभ दिनांक 01.04.2012 से दिया जाना और देरी से जमा करायी गयी राशि के सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हे।

पैट्रोलियम रिटेल आउटलैट डीलर द्वारा कम्पोजिशन राशि देरी से जमा करने से उत्पन्न कठिनाई के निवारण के लिए यलो क्लोथ लुब्रिकेंट व फैन बैल्ट सम्बन्धी कम्पोजिशन स्कीम्स में संशोधन कर स्कीम का लाभ इनको दिया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

टैक्सटाइल फैब्रिक एम्प्रेग्नेटेड, कोटेड, कवर्ड और लेमिनेटेड विद प्लास्टिक्स, पी.वी.सी. लैदर क्लाथ, सिंथेटिक लैदर और कुछ प्रकार की टैक और फैब्रिक्स पर 5 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाना प्रस्तावित है।

नान वूवन फैब्रिक्स, पी.वी.सी. लैदर क्लाथ, सिंथेटिक लैदर आदि पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

इस वर्ष के बजट में प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय और आप्शन एण्ड फ्यूचर ट्रेडिंग तथा कोमोडिटीज के फोरवर्ड कांट्रेक्ट से सम्बन्धित रिकार्ड और ट्रांजेक्शन पर स्टाम्म ड्यूटी की दरों में वृद्धि की गयी थी, इस सम्बन्ध में प्राप्त रिप्रजेन्टेशंस पर विचार करते हुए आप्शंस में, जहां आप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है उन पर स्टाम्प ड्यूटी पाइंट 01 प्रतिशत से घटा कर पाइंट 0020 प्रतिशत, फ्यूचर के विक्रय पर पाइंट 01 प्रतिशत को हटाकर 001 प्रतिशत और गैर कृषि कोमोडिटीज के फोरवर्ड कांट्रेक्ट पर पाइंट 01 प्रतिशत से घटाकर पाइंट 001 प्रतिशत तथा एग्रीकल्चर कोमोडिटीज के फोरवर्ड कांट्रेक्ट पर पाइंट 01 प्रतिशत से घटाकर पाइंट 0005 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूं।

डीलर्स की सुविधा के लिए राजस्थान टैक्स बोर्ड के निर्णय को एक सितम्बर, 2014 से वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

मैं फिर से सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, सब लोगों ने बहुत ही सार्थक तरीके से इस डिबेट के अन्दर भाग लिया है, मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं और विश्वास करती हूं कि आप सबका सपोर्ट रहेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

(श्री अध्यक्ष)

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

हां, हां बोलिये। जो विपक्ष में हो, मेरी भी गाड़ी तेज चल रही है।

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

खण्डश: विचार

खण्ड- 2 से 16 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 16 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 16 स्वीकार किए गए।

खण्ड-17

श्री मानिक चन्द सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो आश्वासन सदन को दिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए खण्ड-17 पर जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, मैं उसे वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-17 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-17 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-17 स्वीकार किया गया।

खण्ड-18 से 32- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 18 से 32 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 18 से 32 स्वीकार किए गए।

खण्ड-33

श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-33 पर जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसे मैं सदन की इजाजत से वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-33 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-33 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-33 स्वीकार किया गया।

खण्ड-34 से 61- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-34 से 61 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-34 से 61 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा भी रख दीजिये। श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: बोलना चाहेंगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हो गया, सर।

श्री अध्यक्ष: बोल लिये, बहुत अच्छे। कभी-कभी गलती हो जाती है तो हो जाती है। मैं वापस बोल देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.25 बजे गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण में निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अवहेलना

248. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में शिक्षा का अधिकार (R.T.E.) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या कोई नियम/मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? यदि हां, तो नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालन न कर मनमाने तरीके से प्रवेश दिए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों में (R.T.E.) के अन्तर्गत प्रवेश सुनिश्चित करने व तत्पश्चात् उसका प्रभावी तरीके से निरीक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालय के संचालक मन-माने तरीके से नियम विरुद्ध फीस/वर्दी/स्टेशनरी व अन्य सामान का शुल्क बच्चों के अभिभावकों से वसूल करते हैं? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 एवं राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम-10 में निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधान हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्वान्त जारी किये गये हैं। नियम/मार्गदर्शक सिंद्वान्त की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निजी विद्यालयों में R.T.E. के अन्तर्गत प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। फार्मस वितरण, आनलाइन फार्मस का अपलोड व योग्य बच्चों का लाटरी से प्रवेश आनलाइन प्रक्रिया से किया जा रहा है तथा इसका प्रभावी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त विषयक विभाग में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर सम्भाग के चिकित्सालयों में अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही

249. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ई.एस.आई. सेटेलाइट, महात्मा गांधी एवं एमडीएम/रैफरल चिकित्सालय, डिस्पेन्सरीज में विशेषज्ञ/कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारी चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने-कितने पद? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कब से कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर सम्भाग में उक्त चिकित्सालयों में रिक्तियां चिकित्सा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण भी हैं? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कब-कब से किन-किन चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां पर लगाया गया है? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर सम्भाग में उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सक लम्बी अवधि से छुट्टियों पर अथवा अनुपस्थित हैं, जिससे चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी है? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालयों में कौन-कौन से चिकित्सक कब-कब से छुट्टी पर/अनुपस्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जोधपुर सम्भाग में चिकित्सकों की कमी को देखते हुये लम्बी छुट्टी/अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सेवामुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुये चिकित्सकों की पदोन्नति एवं नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर सम्भाग के अन्तर्गत आने वाले राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डिस्पेन्सरियों में वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्त अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नही। आमजन को आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों को कार्यव्यवस्था के अन्तर्गत अन्यत्र लगाया हुआ है, चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जोधपुर संभाग के उक्त चिकित्सालयों के चिकित्सक जो लम्बे समय से अवकाश पर/अनुपस्थित हैं का मय अवधि के चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो भी चिकित्सक दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(5) जी हां। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 ख एवं 24 खख के अनुसार डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न संवर्ग एवं विशिष्ठताओं के 2954 चिकित्सकों को पदोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के 730 एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 80 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में राशन कार्डों में अशुद्धियां सुधार हेतु ग्राम सेवकों का पदस्थापन

250. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में नवीन कम्प्यूटराईज राशन कार्ड बनाकर वितरण करने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि नवीन कम्प्यूटराइज राशन कार्डों में 95 प्रतिशत त्रुटियां पाये जाने के कारण राजसमन्द जिले मे त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों को सुधार हेतु ग्राम सेवकों को पाबन्द कर सुधार कार्य हेतु डी.एस.ओ. कार्यालय में लगाया गया है ?

(श्री हरिसिंह रावत)

(3) क्या जिला मुख्यालय से दूर भीम, देवगढ़, कुंभलगढ़, खमनौर पंचायत समितियों में त्रुटि सुधार हेतु ग्राम सेवकों को लगाये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार यह व्यवस्था पंचायत समिति पर ही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सम्पूर्ण राज्य में राशनकार्ड अभियान, 2012 के अन्तर्गत नवीन डिजिटाइज्डों एवं कम्यू टराइज्ड राशनकार्ड बनाकर वितरण करने की व्यवस्था 01 जून, 2012 से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रारम्भ की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत राशनकार्ड कार्य हेतु जिले के लिये चयनित फर्म के द्वारा किये गये अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध की तिथि से 4 माह में अर्थात फरवरी, 2013 तक राशनकार्ड कार्य पूर्ण कर उपलब्ध कराये जाने थे। चूंकि फर्म द्वारा राशनकार्ड कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण राशनकार्ड कार्य की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्रीमण्डल समिति में दिनांक 03.03.2014 को लिये गये निर्णय अनुसार राशनकार्ड कार्य की अवधि माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ा दी गई है, जिसके अनुसार राशनकार्ड कार्य वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। नवीन कम्प्यूटराइज्ड राशनकार्डो में त्रुटियां सुधार हेतु किसी भी ग्राम सेवक को जिला रसद कार्यालय में नहीं लगाया गया है। सभी आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों/विकास अधिकारियों को राशनकार्डो को दुरस्त कराने हेतु त्रुटि सुधार फार्म भरवाकर मूल राशनकार्ड प्राप्त कर जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

(3) त्रुटि सुधार का कार्य जिला मुख्यालय पर सेवाप्रदाता कम्पनी मैसर्स गुजरात इन्फोटेक लि. द्वारा किया जा रहा है। शेष उत्तर बिन्दु संख्या 2 के अनुसार है।

(4) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति स्तर पर भी राशनकार्डो की त्रुटि सुधार हेतु सेवाप्रदाता कम्पनी से कार्य करवाने का सरकार विचार रखती है। आगामी महीनों में आयोजित होने वाले भामाशाह शिविरों में भी आवेदन प्राप्त कर त्रुटि सुधार कर त्रुटि रहित राशनकार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।

लसाड़िया पंचायत समिति में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्मिकों के रिक्त पद

251. श्री गोतम लाल (धरियावद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लसाड़िया में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलकर उसमें पद स्वीकृत कर दिये गये हैं?

(2) उक्त कार्यालय एवं पद कब स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने पदों को अब तक स्थायी रूप से भर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लसाड़िया में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, लसाड़िया कार्यालय खोलने तथा उसमें पदों का सृजन/स्वीकृति आदेश क्रमांक पं.1(11) शिक्षा-1/प्राशि/आयो./2010 दिनांक 17.9.2013 के द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्यालय में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत
1	बी.ई.ई.ओ.	1
2	ए.बी.ई.ई.ओ.	4
3	लेखाकार	1
4	वरिष्ठ लिपिक	2
5	कनिष्ठ लिपिक	4
6	च.श्रे. कर्मचारी	2

उक्त स्वीककृत पदों के विरुद्ध किसी भी पद पर स्थाई रूप से पदस्थापन नहीं किया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में ए.बी.ई.ओ. एवं दो अन्य कार्मिकों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लसाड़िया में लगाया गया हैं। स्थाई रूप से कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से उपलब्ध होने पर एवं अन्य पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

बांगड़ चिकित्सालय (पाली) में चिकित्सकों के रिक्त पद

252. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांगड़ चिकित्सालय पाली में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन सा पद कितनी अवधि से रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों में से 31 दिसम्बर, 2014 तक कौन-कौन से चिकित्सक कब-कब सेवानिवृत्त हो रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में चिकित्सकों के 59 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत एवं रिक्ति पदों का रिक्त अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में कार्यरत चिकित्सकों में से 31 दिसम्बर, 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. डा. गोविन्द सिंह राठौड़, वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग)
2. डा. राजेन्दस कुमार पामेचा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)
3. डा. मदन लाल सोंलकी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)

(3) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तजरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर एवं कार्यालय अधीक्षक के पद पदोन्नंति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले में गोदामों से राशन डीलरों को राशन सामग्री कम दिये जाने की शिकायतें

253. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में गोदामों (स्टेट वेयर हाउस) से राशन कम देने की भारी अनियमितता पाई गई है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की गयी है? यदि हां, तो कब व किस-किस के विरुद्ध व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि एफ.सी.आई. के गोदामों से कम गेहूं आबंटित किया जाता है तथा कांटे पर भी गड़बड़िया की जाती हैं? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त पूरे प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में भारतीय खाद्य निगम की निजी उद्यमिता गांरटी योजना (पीईजी) स्कीम के तहत निजी निवेशक द्वारा बनाये गये पीईजी गोदाम में 06 लोगों के विरुद्ध पी.डी.एस. में कम खाद्यान्न तौलने पर एफ.आई.आर. क्रमांक 291/14 दिनांक 20.06.2014 दर्ज की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1- श्री सोहनलाल रोत, प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम

2- श्री महेन्द्रपाल मीणा, तकनिकी सहायक, भारतीय खाद्य निगम

3- श्री मदनलाल तेली, भण्डार प्रबंधक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

4- नव इन्फ्रास्टेक्चर के मालिक

5- श्री भवानी शंकर, गोदाम प्रतिनिधि

6- श्री राकेश, गोदाम प्रतिनिधि

(2) उक्त गोदाम निजी निवेशक द्वारा पीईजी-2008 योजना के अन्तर्गत बनाया गया है। गोदाम पर स्थापित धर्मकांटे से अनाज कम तौलने सम्बन्धी शिकायत पर उपरोक्त' बिन्दु-1 में अंकित व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर.

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

संख्या 291/2014 दर्ज की हुयी है। आगे की कार्यवाही पुलिस अनुसंधान पश्चात न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(3) जिला प्रशासन, डूंगरपुर द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया हुआ है एवं पुलिस जांच जारी है।

प्रदेश में उपखण्ड मुख्यालयों पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना

254. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिये जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं है, वहां निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार विचार करना प्रस्तावित है।

(2) वर्तमान में नवलगढ़ में सहशिक्षा का एक राजकीय महाविद्यालय, 04 निजी महिला महाविद्यालय एवं 04 सहशिक्षा के निजी महाविद्यालय संचालित हैं।

अत: नवलगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

किशनगढ़ में भारतीय चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालयों की स्थापना

255. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में आयुर्वेद/होम्योपैथी चिकित्सालय कहां-कहां किस-किस गांव में कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की बढ़ती आबादी को मध्यनजर रखते हुये सुलभ एवं सुगम चिकित्सा मुहैया कराने के उद्देश्य से पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई में नवीन होम्योपैथी चिकित्सालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय छोटालाम्बा एवं बोराडा पंचायत समिति अराई एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पाटन एवं काढा पंचायत समिति सिलोरा एवं ग्राम पंचायत बरोल पंचायत समिति भिनाय तथा शहरी क्षेत्र किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में संचालित आयुर्वेद/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नही। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय

क्र. सं.	**स्थान जहां औषधालय/चिकित्सालय संचालित है**	**कब से प्रारम्भ (वर्ष/दिनांक)**
1	**2**	**3**
1	मदनगंज किशनगढ़	1962
2	डीडवाड़ा	1952
3	तिलौनिया	12/30/2007
4	टिकावडा	7/20/1976
5	भगवन्तपुरा	10/5/2005
6	ढसूक	1944
7	बरना	2/21/1961
8	सिलोरा	1955
9	कुचील	7/2/1949

1	2	3
10	सलेमाबाद	4/8/1965
11	सुरसूरा	2/20/1976
12	रलावता	6/14/1956
13	हितैषी किशनगढ़	2/27/1969
14	ढाणी पुरोहितान	2/28/1981
15	डबरेला	2/20/1985
16	दादिया	4/1/1956
17	सिरोंज	6/13/1956
18	अराई	9/3/2008
19	बान्दरसिंदरी	7/2/1949
होम्योपैथिक औषधालय		
1	किशनगढ़	2006

प्रदेश में जमाखोरी रोकने के उपाय

256. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में जमाखोरी रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में जमाखोरी रोकने के लिए विधिक रूप से नियम निर्धारित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार जमाखोरी रोकने के लिए कानून बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षायें, स्टाक सीमा और संचालन निर्बन्धन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2014 जारी किया गया है। उक्त संशोधन आदेश दिनांक 03 जुलाई, 2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान प्रचलित बाजार भावों, उपलब्धता तथा आपूर्ति पर अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सचिव स्तरीय समूह का गठन दिनांक 08.07.2014 को कर दिया गया है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में दालों, खाद्य तेल एवं तिलहन पर स्टाक दिनांक 27 सितम्बर, 2013 जो सितम्बर, 2014 तक के लिए निर्धारित करने की छूट (परिशिष्ट'-3) एवं आलू प्याज पर दिनांक 02.03.2015 तक के लिए स्टाक सीमा निर्धारण कर जमाखोरी रोकने के विधिक प्रावधान मौजूद है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

257. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला श्रीगंगानगर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 324 पद स्वीकृत हैं व 199 पद रिक्त हैं।

जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जोधपुर जिले में नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही

258. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जोधपुर जिले में नीम हकीमों द्वारा आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध रूप से चलाये जा रहे चिकित्सालयों व अवैध चिकित्सा कार्यों पर रोक लगाने का विचार रखती है?

(श्री जोगाराम पटेल)

यदि हां, तो कब तक व विगत 05 वर्षों में ऐसे कितने नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में ऐसे कितने नीम हकीम हैं, जिन्होंने डाक्टर के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है? क्या सरकार उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नीम हकीमों के द्वारा आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध रूप से चलाए जा रहे चिकित्सालयों व अवैध चिकित्सा अभ्यास पर रोक लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग ने परिपत्र क्रमांक प.17(3) चिस्वा.2/04 दिनांक 07.12.2004 जारी किया है। जिसके तहत जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में पुलिस थानों में दर्ज हुई शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नीम हकीमों का रजिस्ट्रेशन चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः सूचना शून्य समझी जावे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा में राशन कार्डों में फर्जी प्रविष्टियों की प्राप्त शिकायतें

259. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 25 में कुल कितने-कितने राशन कार्ड बनाये गये और किस-किस राशन कार्ड में (प्रत्येक परिवार अनुसार) कितने-कितने सदस्य पंजीकृत किये गये हैं? राशन कार्डों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में फर्जी प्रटिष्टियां करने के सम्बन्ध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर कौन-कौन से

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

राशन डीलर कब-कब से नियुक्त हैं? डीलर का नाम, पता, राशन वितरण का क्षेत्र, नियुक्ति दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 25 में कुल 12270 राशनकार्ड बनाये गये हैं। प्रत्येक राशनकार्ड में पंजीकृत सदस्यों की सूची पूर्ण विवरण सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षो में उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में फर्जी प्रविष्टियां करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर कौन-कौन से राशन डीलर कब-कब से नियुक्त हैं, डीलर का नाम, पता, राशन वितरण का क्षेत्र, नियुक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में नगरपालिका नाथद्वारा, पंचायत समिति खमनोर एवं पंचायत समिति रेलमगरा की 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतड़ी के भवन विहीन विद्यालय

260. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कुल कितने राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवन विहीन हैं? यदि हां, तो क्यों? भवन विहीन विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कुल 257 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। स्थानवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 13 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं। उक्त विद्यालयों हेतु पूर्व में उपयुक्त भूमि आबंटित नहीं होने के कारण सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भवन नहीं बनाये जा सके हैं। भवन रहित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन विद्यालयों में से निम्न 3 विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	राप्रावि गोविन्ददासपुर
2	राप्रावि रामकुमारपुरा
3	राउप्रावि (बा.) देवाना जोहड़

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में उक्त तीनों विद्यालयों में भवन निर्माण करवाया जाना लक्षित है। शेष भवन रहित विद्यालयों हेतु उपयुक्त भूमि आबंटित होने पर सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2015-16 की कार्य योजना में स्वीकृत लक्ष्यों की सीमा में भवन बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी के निलम्बित राशन डीलर

312. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

धौलपुर जिले में वर्तमान में बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी में कितने राशन डीलर नियुक्त हैं तथा दिनांक 1 जनवरी, 2014 के बाद से अब तक किन -किन कारणों से, कितने-कितने दिनों के लिए, कितने राशन डीलर निलम्बित किये गये तथा उन ग्राम पंचायतों को किन-किन राशन डीलरों से जोड़ा गया व जोड़े गये राशन डीलरों के निवास से उचित मूल्यों की दुकानें कितनी-कितनी दूरी पर हैं व निलम्बित किये गये डीलरों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उनको किन कारणों से बहाल नहीं किया गया? सरकार उक्त निलम्बित डीलरों को अब कब तक बहाल करने का विचार रखती है?

उत्तर

धौलपुर जिले में वर्तमान में बाड़ी, धौलपुर राजाखेड़ा, बसेड़ी में नियुक्त राशन डीलरों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील क्षेत्र	राशन डीलरों की संख्या
1.	बाड़ी (शहर/ग्रामीण)	99
2.	धौलपुर (शहर/ग्रामीण)	107
3.	राजाखेड़ा (शहर/ग्रामीण)	61
4.	बसेड़ी (ग्रामीण)	65
	योग	**332**

01 जनवरी, 2014 के बाद अब तक निलम्बित 47 राशन डीलरों एवं उनके साथ अटैच किये गये राशन डीलरों की सूचना एवं दूरी तथा वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों हेतु कम्प्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता

313. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. किरोडी लाल)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितनी दुकानें चालू हैं एवं कितनी रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने वाले के पास कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसी कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिन पर कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में स्वीकृत प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर कम्प्यूटर रखने एवं उसी के द्वारा समस्त लेन-देन किया जाना अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 25395 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं एवं उनमें से 23965 दुकानें चालू हैं एवं 1430 दुकानें रिक्त हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश क्रमांक 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 27.04.2012 से राज्य में उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले डीलरों को कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी के लिए आर.के.सी.एल. या अन्य समकक्ष संस्था का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्तमान में कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्पादित करने वाली उचित मूल्य दुकानों की संख्या शून्य है।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 'गोदाम से उपभोक्ता तक' से पूर्ण कड़ियों को कम्प्यूटरीकृत निगरानी में रखने हेतु केन्द्र सरकार की वित्तीय सहभागिता से एन.आई.सी. के मार्फत कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च समिति का गठन भी दिनांक 15.12.2011 को किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-3)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-314

(स्थगित)

खानपुर में संचालित राशन की दुकानें

315. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में रसद विभाग की कितनी दुकानें संचालित हैं तथा यह दुकानें कहां-कहां पर स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित दुकानों से किस-किस संवर्ग के व्यक्तियों को कितना-कितना राशन उपलब्ध कराया जा रहा है? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में रसद विभाग की 133 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। दुकानों की सूची मय स्थान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशनकार्ड के आधार पर प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामग्री	पात्रता	मात्रा	दर (रुपये)
गेहूं	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी	5 किग्रा. प्रति यूनिट	2.00 प्रति किग्रा.
	अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति परिवार	
चीनी	बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार	2 किग्रा. प्रति परिवार	10.00 प्रति किग्रा.
केरोसीन	बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ता	03 लीटर प्रति राशनकार्ड	17.25 प्रति लीटर

उचित मूल्य दुकानवार प्रतिमाह उपलब्ध कराये जा रहे गेहूं, चीनी एवं केरोसीन का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

316. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की 37 लाख की आबादी की खाद्य सुरक्षा की जांच हेतु महज एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही नियुक्त है? विभाग के नियमानुसार 37 लाख की आबादी वाले शहर के लिये खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने और उसका कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने के लिये स्वास्थ्य विभाग को कितने जाप्ते यानि सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है और इसकी नियुक्ति कब तक होने वाली है?

(2) क्या सरकार जोधपुर जिले में रिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों व इनसे सम्बन्धित अधिकारियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में वर्तमान में 1 खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में नियुक्त है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने में शहर की आबादी के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगाये जाने का कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां। जोधपुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिन्हें भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

चित्तौड़गढ़ जिले में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि का पुनर्भुगतान

317. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को निर्धारित गैस सिलेण्डरों से अधिक लेने पर सब्सिडी खतम कर अधिक शुल्क वसूला गया था? यदि हां, तो किन मानदण्डों के आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित गैस सिलेण्डेरों से कम होने पर भी सब्सिडी राशि वसूल की गई थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(3) उक्त सब्सिडी राशि का पुनर्भुगतान करने के क्या दिशा-निर्देश थे एवं कितनी समयावधि में पुनर्भुगतान किया जाना निश्चित था? सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला चित्तौड़गढ़ के सभी उपभोक्तांओं को उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं कितने उपभोक्ता वंचित हैं तथा कुल कितनी राशि का भुगतान करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पुनर्भुगतान से वंचित उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को निर्धारित गैस सिलेण्डरों से अधिक लेने पर सब्सिडी खत्म कर अधिक शुल्क वसूला गया था। मानदण्डों के सम्बन्ध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.09.2012, 17.01.2013, 30.01.2014 और 07.03.2014 की प्रति परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फोर एलपीजी (DBTL) को दो चरणों में लागू किया गया था। किसी भी जिले में DBTL प्रारम्भ होने पर जो ग्राम सीटीसी (CASH TRANSFER COMPLIANT) नहीं हुये थे, अर्थात उन्होंने अपना आधार कार्ड अपने बैंक व एलपीजी वितरक से लिंक नहीं करवाया था उन्हें तीन महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया था। यदि तीन महीने के ग्रेस पीरियड के उपरान्त भी उन्होंने सीटीसी बनने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, तो तत्पश्चात उन्हें घरेलू गैस सिलेण्डर मार्केट रेट अर्थात नान सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाना था। यह राशि हर मार्केट के लिए भिन्न थी। राजस्थान के किसी भी जिले में यह ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी ग्राहक को कोटा रहते मार्केट रेट पर सिलेण्डर नहीं दिया गया।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार पुनर्भुगतान करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

संलग्न है। राजस्थान के किसी भी जिले में यह ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी ग्राहक को कोटा रहते मार्केट रेट पर सिलेण्डर नहीं दिया गया।

(4) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार जिला चित्तौड़गढ़ में यह ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी ग्राहक को कोटा रहते मार्केट रेट पर सिलेण्डर नहीं दिया गया। तकरीबन 1.94 करोड़ रुपये, डीबीटीएल स्कीम के अन्तर्गत एलपीजी सब्सिडी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए गए।

(5) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान के किसी भी जिले में यह ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी ग्राहक को कोटा रहते मार्केट रेट पर सिलेण्डर नहीं दिया गया।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर के वैशाली नगर कालोनी डिस्पेन्सरी का सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नयन

318. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की वैशाली नगर कालोनी में सिटी डिस्पेंसरी संचालित है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी भूमि/भवन पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिस्पेंसरी में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वैशाली नगर क्षेत्र के वाशिंदों की क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की वर्षों पुरानी मांग है? यदि हां, तो सरकार कब तक वैशाली नगर में सैटेलाइट अस्पताल प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वैशाली नगर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल बनाये जाने से पूरे पृथ्वीराजनगर क्षेत्र के साथ ही अजमेर रोड से कालवाड़ रोड के बीच के क्षेत्र के वाशिंदों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल जायेगी? यदि हां, तो क्या सरकार आमजन के हितों से जुड़े इस विषय पर

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.02.1996 के द्वारा राजकीय सांगानेरी गेट डिस्पेन्सरी, जयपुर को वैशाली नगर में स्थानान्तरित किया गया। उक्त डिस्पेन्सरी के क्षेत्राधिकार में लगभग 3,500 वर्गगज भूमि है। जिसके आधे हिस्से में भवन निर्मित है। शेष भाग रिक्त है।

(2) राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी वैशाली नगर, जयपुर में स्टाफ के स्वीकृत पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में संचालित राजकीय डिस्पेन्सरी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

परिशिष्ट-अ

राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, वैशालीनगर (जयपुर) में स्टाफ के स्वीकृत पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
2	चिकित्सा अधिकारी	1
3	नर्स श्रेणी-द्वितीय	3
4	रेडियोग्राफर	1
5	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
6	लैब टैक्नीशियन	1
7	फार्मासिस्ट	1
8	सूचना सहायक	1
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
10	सफाई कर्मचारी	1

जयपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की जांच

319. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय के कार्यालय की विगत पांच वर्ष की आंतरिक जांच में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जयपुर-प्रथम की वित्तीय वर्ष 2009 से 2011 तक की तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जयपुर-द्वितीय की वित्तीय वर्ष 2009 से 2011 एवं 2011 से 2013 तक की विभागीय लेखा मद तथा एन.आर.एच.एम. से सम्बन्धित आंतरिक जांच की गई है, रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, जिनमें वित्तीय अनियमितता का विवरण भी दिया गया है।

(2) आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा प्राथमिक जांच करवाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी वित्तीय अनियमितता होना नहीं पाया गया तथा ना ही कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी होना पाया गया।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में सुपर स्पेशलिस्ट के रिक्त पद

320. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सुपर स्पेशलिस्ट के कितने पद किस-किस विभाग में स्वीकृत हैं तथा उन पदों पर कौन-कौन चिकित्सक कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? पदवार व विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिस्ट का कोई नया विभाग प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सुपर स्पेशलिस्ट के विभागवार स्वीकृत पद तथा उन पदों पर कार्यरत चिकित्सक व रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आचार्य एवं सह आचार्य के पदों को डी.ए.सी.पी. के तहत पदोन्नति पर चिकित्सक उपलब्ध होने से तथा सहायक आचार्य के पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में सुपर स्पेशलिस्ट विभागों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	कार्डियोलोजी	आचार्य	2	डा. आर. के. गोखरू	1
		सह आचार्य	1	—	1
		सहायक आचार्य	4	डा. आनन्द अग्रवाल	3
2	यूरोलोजी	आचार्य	1	डा. रोहित अजमेरा	—
		सह आचार्य	2	—	1
		सहायक आचार्य	—	डा. सुनिल गोखरू	वेतन सह आचार्य के पद से उठाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
3	प्लास्टिक सर्जरी	आचार्य	—	डा. मधु माहेश्वरी	(डीएसीपी) वेतन सह आचार्य के पद से उठाया जा रहा है।
		सह आचार्य	1	—	—
4	न्यूरोसर्जरी	आचार्य	1	—	1
		सह आचार्य	2	डा. बी.एस. दत्ता	1
		सहायक आचार्य	1	—	1
5	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	आचार्य	1	—	1
		सह आचार्य	1	डा. एम. पी. शर्मा	—
		सहायक आचार्य	2	—	2
6	सी.टी.वी.एस.	आचार्य	2	—	2
		सह आचार्य	2	—	2
		सहायक आचार्य	3	—	3
7	नफ्रोलोजी	सहायक आचार्य	1	—	1
8	न्यूरोलोजी	सहायक आचार्य	1	—	1

वल्लभनगर में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में सफाई का ठेका

321. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में सफाई का ठेका किस फर्म/संस्थान को दिया गया है? फर्म/संस्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

(2) क्या उक्त फर्म/संस्थान का सफाई कार्य संतोषप्रद है? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह कार्य पूर्व में कार्यरत फर्म/संस्थान को देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेरोदा में साफ-सफाई का ठेका खुली निविदा के द्वारा दिनांक 20.06.2014 को मैसर्स पुष्कर लाल गुसर, वल्लभनगर को दिया गया।

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आने वाले शेष चिकित्सा संस्थानों में सफाई का कार्य कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्डबाय/सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त फर्म/संस्थान का सफाई कार्य संतोषप्रद है एवं फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में सफाई का कार्य कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्डबाय/सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। उनकी सूची निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	2
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनार
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणदा
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवना
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरोली
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माल की टूस
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटेवर
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूण्डेडा
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगत

1	2
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बोरा
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुडली
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडी
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडिन्दा

सोजत के चिकित्सालयों में रिक्त पद

322. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रे खोले जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्तर्गत पंचायत समिति सोजत का सम्पूर्ण क्षेत्र आता है तथा रायपुर का आंशिक क्षेत्र आता है।

भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रायपुर में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए पंचायत समिति रायपुर के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

शेष सीधी भर्ती के पदों को विभागीय भर्ती के समय अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एन.आर.एच.एम. में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में अभिवृद्धि

323. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एन.आर.एच.एम. में कार्यरत संविदा कार्मिकों के अनुबंध में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत मानदेय अभिवृद्धि का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रावधान के होते हुये भी गत तीन-चार वर्षों से संविदा कार्मिकों के मानदेय में कोई अभिवृद्धि नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि एन.आर.एच.एम. उच्चाधिकारियों द्वारा इन संविदा कार्मिकों को मानदेय अभिवृद्धि का कारण एन.आर.एच.एम. पी.आई.पी. से इनके लिये स्वीकृति ना आना बताया गया है? यदि हां, तो गत 3-4 वर्षों में पदवार मानदेय हेतु क्या प्रस्ताव एन.आर.एच.एम. द्वारा भारत सरकार पी.आई.पी. को भेजे गये तथा उनकी पदवार क्या स्वीकृति प्राप्त हुई? राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह पी.आई.पी. के प्रस्ताव किसी भी पद की मूल मानदेय राशि पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की अभिवृद्धि दिये जाने के हिसाब से बनाये गये

(श्री मदन राठौड़)

हैं? यदि हां, तो वर्ष 2010-11 से राज्य स्तर से ब्लाक स्तर का पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो गत 3-4 वर्षों से इन सभी कार्मिकों की मानदेय अभिवृद्धि दिये जाने का कारण पी.आई.पी. अनुमोदन ना आना बताये जाने का क्या आधार है?

(5) क्या यह सही है कि गत 3-4 वर्षों से पी.आई.पी. ने मानदेय अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजे ही नहीं गये हैं तथा वार्षिक Performance Appraisal का हवाला देकर टाल दिया जाता है, जबकि कई कार्मिकों के Performance Appraisal प्राप्त होने पर भी उन पर निर्णय न लेकर टालमटोल की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित/स्वीकृत राशि अनुसार ही मानदेय में समय-समय पर अभिवृद्धि की गई है।

एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रतिवर्ष भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित पी.आई.पी. में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार समस्त जिलों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है, तदनुसार ही मानदेय वृद्धि की कार्यवाही की जाती है। एन.आर.एच.एम. संविदा कार्मिकों को मानदेय वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। एन.आर.एच.एम. परियोजना भारत सरकार से वित्त पोषित है। एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त केडर के संविदा कार्मिकों को प्रतिवर्ष भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित/स्वीकृत मासिक मानदेय दर अनुसार ही मानदेय का भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं एवं तदनुसार ही मानदेय का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार को वर्षवार एवं पदवार मानदेय की स्वीकृति हेतु पी.आई.पी. में भेजे गये प्रस्ताव तथा भारत सरकार से प्राप्ती स्वीकृति की पदवार/वर्षवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्ष 2010-11 से एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत कार्यरत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि हेतु भारत सरकार को पी.आई.पी. में भेजे गये प्रस्तावों की राज्य स्तर से ब्लाक स्तर की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

(5) जी नहीं। गत 3-4 वर्षो से एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं तथा कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार मानदेय वृद्धि की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के चिकित्सालयों में कार्मिकों के रिक्त पद

324. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, मेल नर्स और ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सालयों में कितने पद? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदो को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर के चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सुविधाएं

325. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्स केन्द्रों में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्स केन्द्रों में कहां-कहां पर वर्तमान में आपरेशन थियेटर बने हुए हैं और वहां पर किस प्रकार के आपरेशन किये जाने की सुविधा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर/रूपनगढ़/गंगवाना में आपरेशन थियेटर बने हुये हैं और वहां पर नसबन्दी के आपरेशन किये जाते हैं।

(4) आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय एवं मानव संसाधन की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर आवश्यकतानुसार उक्त चिकित्सा संस्थानों में विस्तार करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई के चिकित्सालयों में उपकरणों का रखरखाव

326. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या-क्या जांच सुविधायें उपलब्ध हैं और उनके लिये कौन-कौनसी मशीन/उपकरण उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध जांच सुविधाओं के कौन-कौन से उपकरण/मशीन कब से खराब हैं? इन खराब उपकरणों को अब तक ठीक नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक ठीक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध जांच सुविधाएं एवं उन जांचों के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची चिकित्सा संस्थानवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध जांच सुविधाओं के उपयोग में आने वाले समस्त उपकरण वर्तमान में चालू हालत में हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर-बाड़मेर के शिक्षकों के ठहराव की समस्या का निराकरण

327. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जैसलमेर व बाड़मेर जिले के लिये शिक्षकों के स्थाई ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षक पद पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त जिलों में शिक्षकों की ठहराव की समस्या के स्थाई समाधान हेतु अन्य कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। शिक्षक भर्ती नियमों में स्थानीयता के आधार पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती जिले-वार किये जाने का

(शिक्षा मंत्री)

प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समानीकरण एवं स्थानान्तरण नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

अलवर में आदर्श विद्यालयों की स्थापना

328. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आदर्श विद्यालयों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में भी आदर्श विद्यालयों की स्थापना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत देश में 2500 माडल स्कूल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक्स में खोलने का निर्णय किया गया, जिनमें से राज्य में ऐसे कुल 186 ब्लाक्स में से जिला अलवर में 10 ब्लाक्स में माडल स्कूल स्थापित होने हैं। सूची व भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.11.2008 परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा पी.पी.पी. आधार पर भी नान-ई.बी.बी. ब्लाक्स के अन्तर्गत ब्लाक बहरोड़ जिला अलवर का राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय (माडल स्कूल) खोलने हेतु चयन किया गया है आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) अलवर शहर भी पी.पी.पी. आधार पर एक राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय (माडल स्कूल) खोलने हेतु चयनित किया गया है। विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

शेरगढ़ के विद्यालयों में विद्युतीकरण

329. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन से वंचित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के किन-किन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्युत कनेक्शन से वंचित विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन/सौर ऊर्जा कनेक्शन करवाकर कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन से वंचित विद्यालयों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवातु
2	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धीरपुरा
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भालू अनोपगढ़

(2) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जाती अपितु कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत संचालित है, जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है, विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जिन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, उनके संस्था प्रधानों को विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

लालसोट के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

330. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत एवं कब से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग व विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग का पृथकीकरण प्रस्ताव

331. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सामान्य शिक्षा में कालेज शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पृथक्-पृथक् है?

(2) क्या संस्कृत शिक्षा विभाग को भी उक्तानुसार पृथक्-पृथक् किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार पृथक-पृथक विभाग हैं :-

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2. माध्यमिक शिक्षा विभाग
3. उच्च शिक्षा विभाग
4. तकनीकी शिक्षा विभाग

(शिक्षा मंत्री)

5. संस्कृत शिक्षा विभाग

(2) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-332

(स्थगित)

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना

333. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई किलोमीटर दूर पैदल चक्कर काटकर विद्यालयों में पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल देने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन-कौनसी कक्षा की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्राओं को कितनी साइकिलें नि:शुल्क दी गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007-08 से राजकीय विद्यालयों की कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल देने की योजना शुरू की गई थी।

(2) राजकीय विद्यालयों में कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल दी जाती है।

(3) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्राओं को वितरित की गई साइकिलों तथा साइकिल क्रय हेतु वितरित चैकों का वर्षवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थी

334. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में सत्र 2009-10 से 2013-14 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में सत्र 2009-10 से 2013-14 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितनों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया एवं कितने भुगतान से वंचित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति देने के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना अनिवार्य करते हुये आवेदन मांगे गये थे, लेकिन बजट आबंटन नहीं करने की वजह से पात्र बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति से वंचित रखते हुये आर्थिक रूप से कमजोर बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दस्तावेज तैयार करवाने में अभिभावकों को अधिक आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

(4) क्या सरकार पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में सत्र 2009-10 से 2013-14 में प्राप्त आवेदनों का विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण का परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में सत्र 2009-10 से 2013-14 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से लाभान्वित एवं वंचित रहे छात्रों का विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) आवेदन पत्र के साथ खाते राष्ट्रीयकृत बैक में चाहे गये। खाते शून्य बैलेन्स पर खुलवाये गये, जिसमें अभिभावकों का कोई खर्च नहीं हुआ।

वर्ष 2011-12 में केन्द्र सरकार से राशि कम स्वीकृत हुई, इसलिए

(शिक्षा मंत्री)

अनुपातिक रूप से मांग की तुलना में स्वीकृत बजट अनुसार ही जिलो को छात्रवृत्ति राशि का आबंटन किया जा सका।

(4) जी नही। किसी भी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति उसकी पढ़ाई के दौरान शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने हेतु दी जाती है। चूंकि गत वर्षो में वित्तीय संसाधनों के अभाव में लम्बित रहे आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं का शैक्षिक सत्र पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब लम्बित आवेदनों से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का औचित्य शेष नही रहता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले के पंचायत मुख्यालयों पर वाचनालय योजनान्तर्गत आबंटित बजट

335. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय योजना कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रारम्भ हो गई है एवं कितने पंचायत मुख्यालयों पर प्रारम्भ नहीं हुई है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय के लिए कितना बजट आबंटित किया गया एवं बजट का कितना उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय कब तक प्रारम्भ हो जाएंगे? पुस्तकालय प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण रहे? सरकार इस हेतु क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की समस्त 205 ग्राम पंचायतों पर पुस्तकालय वाचनालय प्रारम्भ नहीं किये गये।

(2) राजसमन्द जिले में महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के क्रय के लिए आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) सभी ग्राम पंचायतों पर पुस्तकालय वाचनालय प्रारम्भ करने हेतु समस्त प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वर्ष 2014-15 हेतु वित्त विभाग से बजट प्राप्त होते ही शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

(शिक्षा मंत्री)

जिला स्तर पर पुस्तक क्रय हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया था। जिला कलक्टर के स्तर पर क्रय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण एवं तदुपरान्त आचार संहिता लग जाने के कारण पुस्तकों का क्रय वर्ष 2013-14 में नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप पुस्तकालय प्रारम्भ नहीं हो सके। वर्ष 2014-15 में बजट आबंटन हेतु वित्त विभाग से बजट की मांग की गई है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

राजसमन्द जिले में महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के क्रय के लिए आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण

वर्ष	विवरण	बजट आबंटन	उपयोग
2013-14	1. पुस्तक क्रय हेतु	7500/- रुपये प्रति ग्राम पंचायत एक मुश्त	शून्य
	2. पत्र पत्रिकाओं के क्रय हेतु	300/- रुपये प्रति माह प्रति ग्राम पंचायत 10 माह हेतु कुल 3000/-	शून्य
2014-15	1. पुस्तक क्रय हेतु	शून्य	शून्य
	2. पत्र पत्रिकाओं के क्रय हेतु	शून्य	शून्य

बारां जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों/कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति

336. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कितने शिक्षक, कार्मिक एवं अधिकारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? संख्यावार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षकों/कार्मिकों की कमी होने पर भी वहां से शिक्षकों/कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र लगाया हुआ है? कार्मिकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या इससे शिक्षण कार्य पर विपरीत असर पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार इन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त कर इन्हें इनके मूल विभाग में भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला बारां के शिक्षक/ कार्मिक जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति है, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षक, कार्मिक एवं अधिकारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, का संख्या विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पद नाम	विभाग जिसमें प्रतिनियुक्त किया गया है
1	श्री मौहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि, कटावर	कार्यक्रम अधिकारी, अल्पसंख्यक, बारां
2	श्री अब्दुल वहीद अंसारी, वरिष्ठ अध्यापक उर्दू, राउमावि, सीसवाली	कार्यक्रम अधिकारी, अल्पसंख्यक, कोटा

(2) बारां जिले में ऐसे विद्यालय जहां से शिक्षकों/कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर विभाग की ही अन्य परियोजनाओं/रमसा/सर्वशिक्षा/डीपीईपी एवं आवासीय विद्यालयों एवं शिक्षण व्यवस्थार्थ अन्य विद्यालयों में लगाया हुआ है, कार्मिकवार विवरण परिशिष्ट "ख" तथा "ग" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त कर पैतृक विभाग में भेजने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में नवीन संकाय का संचालन

337. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013

(श्री निर्मल कुमावत)

तक कितने विद्यालयों में कौन-कौन से नये संकाय कब-कब खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? श्रेणीवार, विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक विद्यालयों में खोले गये संकाय का विवरण इस प्रकार से है-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	वर्ष
1	रा.उ.मा.वि., बघाल	विज्ञान	2012-13
2	रा.बा.उ.मा.वि., सांभरलेक	वाणिज्य	2010-11
		विज्ञान	2013-14
3	रा.बा.उ.मा.वि., फुलेरा	विज्ञान	2010-11

(2) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी-2009 से दिसम्बर-2013 तक खोले गये संकायों में रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

परिशिष्ट-क

जनवरी-2009 से दिसम्बर-2013 तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में खोले गये संकाय वाले विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण मय कब से रिक्त

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पद मय विषय	कब से रिक्त है
1	**2**	**3**	**4**
1	राउमावि,बधाल	व्याख्याता इतिहास	07/2013
		व्याख्याता हिन्दी-2	04/14, 07/13
		अध्यापक	07/13
2	राबाउमावि, सांभरलेक	व्याख्याता इतिहास	08/11
		व्याख्याता वाणिज्य	11/11
		व्याख्याता जीव विज्ञान	02/14

1	2	3	4
		व्याख्याता रसायन विज्ञान	02/14
		व्याख्याता भौतिक विज्ञान	02/14
		वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	06/12
		वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	01/06
		वरिष्ठ अध्यापक गणित-2	10/06, 06/13
		अध्यापक-2	11/05, 10/10
3	राबाउमावि, फुलेरा	व्याख्याता इतिहास	07/13
		व्याख्याता हिन्दी	07/13
		वरिष्ठ अध्यापक भौतिक विज्ञान	06/13
		व्याख्याता हिन्दी	08/07
		वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान-2	07/13
		वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	08/07
		वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी-2	09/10
		अध्यापक	09/11

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा केन्द्रों के मानदण्ड

338. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्र बनाये गये तथा वर्तमान में जालौर जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों के नाम, बैठक क्षमता तथा केन्द्र पर प्रविष्ठ विद्यालय की केन्द्र से कितनी दूरी है तथा उक्त परीक्षा केन्द्र किसकी अनुशंसा पर बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाने के मानदण्डों की नियमावली परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2013-14 की परीक्षा हेतु 5,212 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

जालौर जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों के नाम व बैठक क्षमता की जानकारी हेतु वर्ष 2014 की केन्द्र सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विद्यालय को केन्द्र आबंटन में दूरी के मापदण्ड से बांधा जाना सम्भव नहीं है। यह भौगोलिक स्थिति/केन्द्र की क्षमता/सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयुक्तता आदि पर निर्भर करता है। केन्द्र समिति द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यथासम्भव किसी भी विद्यालय का परीक्षा केन्द्र 15 कि.मी. से अधिक दूरी पर न हो फिर भी यह परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता एवं छात्र क्षमता पर निर्भर करता है।

परीक्षा केन्द्र बनाने, बंद करने एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रतिवर्ष माह अगस्त व नवम्बर में केन्द्र समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों एवं शाला प्रधानों से प्राप्त पत्रों पर विचार-विमर्श कर सम्बन्धित जिले के शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

339. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अल्प संख्यक छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण हेतु क्या नियम व प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर कार्यालय में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के वितरण में विलम्ब् हुआ है? यदि हां, तो विलम्ब की सूचना निम्न कालम्स में सदन की मेज पर रखें। (1) क्र. सं. (2) शहरी क्षेत्र/पंचायत समिति का नाम (3) विद्यालय का नाम सरकारी/निजी (4) विद्यार्थी का नाम (5) विद्यार्थी की कक्षा का नाम (6) आवेदन प्राप्त होने की तिथि (7) स्वीकृत राशि (8) विद्यार्थी को राशि भुगतान की तिथि ।

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण समय पर नहीं होने पर क्या कुछ अधिकारियों के अतिरिक्त लेखाकार व लिपिक भी दोषी रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या छात्रवृत्ति की देरी से वितरण होने के कारण किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है एवं उन्हें आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध, व किन-किन नियमों के तहत?

(5) क्या सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके स्थानान्तरण भी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर कार्यालय मे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में अल्प्संख्यक छात्रवृत्ति के वितरण मे विलम्बं नही हुआ है।

(3) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण समय पर नहीं होने के सम्बन्ध में लेखाकार एवं लिपिक दोषी नहीं है।

(4) जयपुर जिले के शहरी क्षेत्र के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जयपुर पश्चिम एवं पूर्व के स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में शिथिलता के कारण दोनों ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को आरोप-पत्र दिये गये।

(5) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (छात्रवृत्ति वितरण अधिकारी) जयपुर पश्चिम एवं पूर्व परिक्षेत्र के अधिकारी क्रमश: श्री हरिओम मिश्रा तथा श्री जब्बर सिंह सिसोदिया को राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के तहत आरोप-पत्र दिये गये। तत्कालीन समय में इस कारण से किसी का स्थानान्तरण नही हुआ है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्षों का पदोन्नति प्रकरण

340. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पुस्तकालयाध्यक्ष बी.एड/एस.टी.सी. (अध्यापक के समकक्ष) योग्यताधारी कहां-कहां पदस्थापित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योग्यताधारी से अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उन्हें अध्यापक के पद स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उक्त पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उन्हें अब तक वंचित किन कारणों से रखा गया व अब कब तक इनकी पदोन्नति कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में बी.एड./एस.टी.सी. (अध्यापक के समकक्ष) योग्यताधारी पुस्तकालयाध्यक्षों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अध्यापकों के पद रिक्त होने पर संस्था में कार्यरत योग्यताधारी पुस्तकालयाध्यक्ष की सहमति उपरान्त पुस्तकालय के कार्य अप्रभावित रखते हुये ही आवश्याकतानुसार अध्यापन का कार्य करवाया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-।। के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के प्रावधानानुसार ही नियमानुसार पदोन्नति सम्भव हो सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध वेतनमान के स्थरीकरण का लाभ

341. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 में नियुक्त चार प्रोफेसरों को प्रोबेशनकाल पूरा होने से पहले नियमित वेतनमान के स्थिरीकरण का लाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त गलत भुगतान की वसूली करने तथा नियमों के विरुद्ध भुगतान करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 में नियुक्त निम्नलिखित 4 प्रोफेसर्स की 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि 2010 तक थी किन्तु तत्समय प्रशासनिक कारणों से उनका स्थाईकरण नहीं हो सकने के कारण वर्ष 2011 में स्थाईकरण सम्बन्धी आदेश जारी कर सम्बन्धित पदों पर दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाईकरण किया गया तथा इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थिर वेतन (मानदेय) का ही भुगतान किया गया था:-

1. प्रो. एस.सी. राजोरा, 2. प्रो. एन.के. जैमन,

3. प्रो. आशुरानी, 4. प्रो. के.सी. गोयल

परन्तु उक्त प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोटा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की मीटिंग दिनांक 7.4.2012 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 18.4.2012 (परिशिष्ट-अ) के द्वारा उक्त प्रोफेसरों को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8 (1) शिक्षा-4/2011, दिनांक 3.1.2012 (परिशिष्ट-ब) के अनुसरण में उन्हें कोटा विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण तिथि से उनके पूर्व पद पर आहरित किये जा रहे वेतन का भुगतान तथा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि की तिथि से नवीन पद (प्रोफेसर) का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

बिलाड़ा के राजकीय महाविद्यालय हेतु भू-आबंटन

342. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में वर्तमान में कितने संकाय संचालित हैं तथा उनमें

(श्री अर्जुन लाल)

कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं एवं कितने-कितने शिक्षक कार्यरत हैं? संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कितने गैर शैक्षणिक एवं कितने मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में इस महाविद्यालय में सभी संवर्ग के पदों की रिक्तियां हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस महाविद्यालय के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार को महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां के लिए एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा में वर्तमान में कला संकाय संचालित है तथा इसमें 317 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं 05 व्याख्याता कार्यरत हैं, विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'1' व '2' पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, बिलाडा में गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत एवं विभिन्नं श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'3' व '4' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है।

व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर भिजवाई जा चुकी है। आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। गैर शैक्षणिक पदों को स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त एवं डी.पी.सी. आयोजित करते समय भरा जा सकेगा।

(4) जी हां। भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाये जा चुके हैं, भूमि आबंटन होते ही भवन निर्माण हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि आबंटित कर दी जायेगी।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(5) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा चक 04 के खसरा नं. 1321 से 1326 व खसरा नं. 1328 से 1335 कुल रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो कृषि विभाग की खातेदारी भूमि है, में से राजकीय महाविद्यालय को आबंटन हेतु उपयुक्त माना है। चूंकि भूमि कृषि विभाग की खातेदारी भूमि है। अत: तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त रिपोर्ट राजस्व विभाग को राज्य स्तर पर कृषि विभाग से सहमति प्राप्त कर, महाविद्यालय को हस्तांतरित/आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में महाविद्यालय की स्थापना

343. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र खानपुर की खानपुर तहसील के अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की संख्या को देखते हुए क्या सरकार खानपुर कस्बे में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिये जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं है, वहां निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार विचार करना प्रस्तावित है।

आयुर्वेदिक निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

344. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेदिक निदेशालय के तहत विभिन्न संवर्गों के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 3879 पदों के विरुद्ध मात्र 1128 पदों पर ही आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं?

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि हां, तो क्या सरकार शेष रहे रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक निदेशालय अजमेर के प्रशासनिक दायरे में पूर्व में होम्योपेथी व यूनानी चिकित्सा पद्धति भी सम्मिलित थी? यदि हां, तो इनका विभाजन क्यों व कब किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक निदेशालय अजमेर में भी स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिक पदों की संख्या बहुत कम है? यदि हां, तो आयुर्वेदिक निदेशालय, अजमेर के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेदिक निदेशालय के तहत विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर सलंग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख पर सलंग्न है।

(3) जी नहीं। आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में 5064 आयुर्वेद चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2974 आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत तथा 2090 पद रिक्त है।

विभागान्तर्गत 1945 आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) जी हां। आयुर्वेदिक निदेशालय अजमेर के प्रशासनिक दायरे में पूर्व में होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा पद्धति सम्मिलित थी।

बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के बिन्दु संख्या 61 में यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पृथक यूनानी निदेशालय बनाने की घोषणा की गई। माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010-11 की आयुर्वेद विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के प्रत्युत्तर में होम्योपैथिक चिकित्सा के विस्तार एवं प्रोत्साहन के लिए पृथक होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना का आश्वासन दिया।

उपरोक्त घोषणाओं के अनुसरण में राज्यादेश क्रमांक प.25(2) आयु/2009 दिनांक 21.06.2010 द्वारा यूनानी चिकित्सा विभाग एवं

(आयुर्वेद मंत्री)

होम्योपैथिक चिकित्सा विभागों का गठन करके पृथक-पृथक निदेशालयों की स्थापना हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती जारी की गयी।

(5) जी हां। आयुर्वेदिक निदेशालय अजमेर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ग में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आयुष चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के स्वीकृत पद

345. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आयुष चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आयुष चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में आयुष चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां, 1945 आयुर्वेद, 358 यूनानी एवं 292 होम्योपैथिक, कुल 2595 चिकित्साधिकारियों के तथा 980 आयुर्वेद, 307 यूनानी तथा 318 होम्योपैथिक कुल, 1605 नर्स कम्पाउण्डर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्तियां जारी कर आवेदन प्राप्त कर लिए गये हैं।

चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट-क

पदनाम	विभाग	स्वीकृत	रिक्त	वि.वि.
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	आयुर्वेद	77	77	पदोन्नति पद
चिकित्सा अधिकारी	आयुर्वेद	4304	1330	—
	यूनानी	296	200	—
	होम्योपैथिक	296	145	—
आयुष चिकित्साधिकारी (एन.आर.एच.एम.)	आयुर्वेद	760	760	715 संविदा पर कार्य कर रहे हैं
	यूनानी	180	180	120 संविदा पर कार्य कर रहे हैं
	होम्योपैथिक	160	160	124 संविदा पर कार्य कर रहे हैं
नर्स/कम्पाउण्डर	आयुर्वेद	4086	1157	—
	यूनानी	157	157	आयुर्वेद विभाग के 98 कार्यरत
	होम्योपैथिक	212	212	आयुर्वेद विभाग के 140 कार्यरत
आयुष नर्स/कम्पाउण्डर (एन.आर.एच.एम.)	—	1005	1005	401 संविदा पर कार्य कर रहे हैं

राजकीय चिकित्सालय जे. के. लोन कोटा में सुविधाओं का विस्तार

346. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग में महिलाओं और शिशुओं की चिकित्सा के सबसे बडे सरकारी चिकित्सालय जे.के. लोन की स्थापना के बाद से ही विस्तार नहीं हुआ है और भारी संख्या में रोगियों के आने के कारण एक-एक पलंग पर 4-4 बच्चों का उपचार किया जा रहा है? यदि हां, तो

(श्री भवानी सिंह राजावत)

सरकार रोगियों को राहत देने के लिये क्या इस चिकित्सालय के विस्तार एवं वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप साधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा मेडिकल कालेज चिकित्सालय की स्थापना को लम्बा अरसा बीत जाने के बाद भी यहां पर चिकित्सा के सभी विभाग कार्यरत नहीं हो सके हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के रोगी को उपचार हेतु अन्य चिकित्सालयों में जाने के लिये बाध्य हो रहे हैं? वहीं करोड़ों रुपये के भवन का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कौन-कौन से विभाग कार्यरत हैं और कौन से विभाग प्रारम्भ किये जाने हैं?

(3) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज चिकित्सालय में स्टाफ की कमी होने के कारण एम. आर. आई. जांच में भारी विलम्ब हो रहा है और रोगियों को कई-कई महीनों बाद की तारीखें दी जा रही हैं? वहीं अन्य जांचों के उपकरण नहीं होने के कारण रोगियों को निजी प्रयोगशालाओं में जांचें करवानी पड़ रही हैं? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कौन-कौनसी जांच की सुविधा है, उसकी प्रतीक्षा सूची कितनी लम्बी है और कौन-कौनसी जांचों के लिये यहां रोगियों को अन्यत्र जाना पड़ता है?

(4) क्या सरकार इस चिकित्सालय को पूर्ण रूप से चालू करने तथा आवश्यकता के अनुरूप संसाधन व स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा की स्थापना के बाद से ही विस्तार नहीं हुआ है, किन्तु इस स्थिति को देखते हुये इसके विस्तार के लिए सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं व शिशुओं के उपचार हेतु दो-दो वार्ड स्वीकृत हुए हैं। इन वार्डों का कार्य निर्माणाधीन है। चिकित्सालय में कई बार अधिक रोगी आने के कारण एक पलंग पर एक से अधिक बच्चों का उपचार किया जाता है। निमार्णाधीन वार्डों का निमार्ण पूर्ण होने पर बेड्स की समस्या समाप्त हो जायेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में ट्रोमा व सीजेरियन प्रसव के लिए मरीजों को चिकित्सालय के आउटडोर समय के

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

पश्चात रेफर करना पड़ता है। भवन का लगभग 90 प्रतिशत भाग का उपयोग हो रहा है। इस चिकित्सालय में वर्तमान में निम्न विभाग पूर्णतया कार्यरत है।

1. चर्म एवं रति रोग विभाग
2. मानसिक रोग विभाग
3. श्वास एवं टी.बी. रोग विभाग
4. पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग

इनके अतिरिक्त निम्न विभागों की यूनिट कार्यरत हैं

1. मेडिसिन 2 यूनिट
2. सर्जरी 1 यूनिट
3. पीडियाट्रिक मेडिसिन 1 यूनिट
4. स्त्री रोग 1 यूनिट
5. अस्थि रोग 2 यूनिट

नये विभाग प्रारम्भ करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में वर्तमान में एम.आर.आई. की प्रतीक्षा अवधि 7 दिवस है। एम.आर.आई. के अतिरिक्त निम्न जांचें भी की जाती हैं, जिनकी प्रतिक्षा सूची निम्नानुसार है-

1. सी.टी.एम.टी.	7 से 10 दिवस
2. 2 डी ईको	10 से 14 दिवस
3. कलर डापलर	4 से 5 दिवस

अन्य. जांचों हेतु सभी उपकरण उपलब्ध हैं इनकी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। चिकित्सालय में की जा रही जाचों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

किसी भी जांच के लिये रोगियों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है।

(4) जी हां। चिकित्सालय में वर्तमान में कार्यरत विभागों को संसाधन एवं स्टाफ उपलब्ध करवा दिया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2014

प्रदेश में डा. अम्बेडकर चिकित्सा योजना के मानदण्ड

21. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के मुख्य प्रावधान क्या हैं तथा इस योजना में लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है?

(2) प्रदेश में गत 5 वर्षो में प्रतिवर्ष जिलेवार इस योजना में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए एवं उन्हें कुल कितने मौद्रिक लाभ दिए गए?

(3) उक्त योजना के लिए सरकार का कौन अधिकारी जिला स्तर पर प्रभारी है?

(4) क्या योजना का अधिकतम प्रचार-प्रसार करने के लिए चिकित्सालयों एवं विभाग द्वारा सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के मुख्य प्रावधान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना का संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

(3) डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना का संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

(4) जी नहीं। डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर में ए.सी.पी. का निर्धारण

87. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापिका का आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2011 से 30 अप्रैल, 2014 तक कितने शिक्षकों के (ए.सी.पी.) स्वीकृत की गई? सूची निम्नांकित बिन्दु अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(1) क्र.सं. (2) नाम कार्मिक, पद एवं कार्यरत स्थान (3) शैक्षणिक योग्यता (4) नियुक्ति तिथि (5) पंचायत समिति का नाम (6) वरिष्ठता क्रम संख्या (7) प्रभावी तिथि (8) अवधि वर्ष (9) एसीपी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय (10) पूर्व में प्राप्त पे-बैण्ड (11) स्वीकृत पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे।

(2) क्या यह सही है कि ए.सी.पी. के लिए वित्त विभाग के स्वीकृत प्रपत्र में सन्तान सम्बन्धी घोषणा दिनांक 20 अगस्त, 2001 के घोषणा पत्र पर 10 रु. के शपथ-पत्र के साथ दिया जाना आवश्यक है? यदि नहीं, तो क्या इसकी अवहेलना हुई है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) कितने शिक्षकों के ए.सी.पी. वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर किये गये तथा कितने शिक्षकों के बिना वरिष्ठता के आधार पर स्वीकृति जारी की गयी? सरकार द्वारा स्वीकृत ए.सी.पी. प्रार्थना पत्र में वरिष्ठता क्रमांक का उल्लेख आवश्यक था, तो बिना वरिष्ठता क्रमांक के शिक्षकों के (ए.सी.पी.) स्वीकृत करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (ए.सी.पी.) स्वीकृत करने हेतु नियुक्ति अधिकारी सक्षम है। जनवरी, 2011 से 30 अप्रैल, 2014 तक 3466 शिक्षकों की (ए.सी.पी.) स्वीकृत की गई जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.11(7)एफडी (रूल्स)/2008 दिनांक 12.9.2008 के द्वारा राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के नियम-19 के द्वारा ए.सी.पी. स्कीम लागू की गई है तत्पश्चात वित्त विभाग के मेमोरेण्डेम क्रमांक- एफ.14 (88)/एफडी (रूल्स)/2008-।। दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8(3) में कर्मचारी से दिनांक 1.6.2002 और उसके पश्चात् 02 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिये जाने का प्रावधान है परन्तु 10/- रुपये के स्टाम्प पर ही शपथ पत्र लिये जाने का उल्लेख नहीं है।

जी नहीं। ए.सी.पी. प्रकरण में संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर देने बाबत कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर कार्यालय को प्राप्त 1067 ए.सी.पी. आवेदन पत्रों में वरिष्ठता का उल्लेख नहीं था। ए.सी.पी. प्रकरण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्तप विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.11(7) एफडी (रूल्स)/2008 पार्ट-1 दिनांक 6.10.2008 एवं तत्पश्चात् जारी स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 के अनुसार एसीपी स्वीकृत करने हेतु वरिष्ठता क्रमांक को अंकित करने की अनिवार्यता नहीं है। अत: जिन शिक्षकों के एसीपी आवेदन पत्रों में वरिष्ठता क्रमांक का अंकन नहीं था, उनकी एसीपी भी नियमानुसार स्वीकृत की गई तथा उक्त कार्य करने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)